दशम माला, खण्ड 34,

मंगलवार, 16 अगस्त, 1994
25 श्रावण, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

ग्यारहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 53
Date 13.1.95

(खंड 34 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

16 अगस्त, 1994 के लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	पंक्ति संख्या	के स्थान पर	पढ़िए
57	नीचे से 8	कक्ष	कोष
135	नीचे से 5	3047	3046
217	6	(क)	(क) से (घ)
289	नीचे से 2	श्रीमती कमला कुमारी करंदृदुला	श्रीमती कमला कुमारी करेंद्दुला
300	नीचे से 1	श्री रामनिहारे राय	श्री रामनिहोर राय

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूर हिन्दी कार्यवाहीं ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जा[illegible]

विषय - सूची

दशम माला, खंड 34 11वाँ सत्र, 1994 / 1916 (शक)

अंक 16, मंगलवार, 16 अगस्त, 1994 / 25 श्रावण, 1916 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
* तारांकित प्रश्न संख्या	308 और 319	1-18
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	301 - 307	
	309 -318, और 320	19-65
अतारांकित प्रश्न संख्या	2967 - 2990, 2992 - 3092,	
	3094 - 3117, 3120 - 3157 और	66-240
	3159 - 3162	
[illegible] पर रखे गए पत्र		249-252
[illegible] 377 के अधीन मामले		253-254
(क) दूरदर्शन द्वारा केरल के मालाबार प्रदेश में होने वाली महत्वपूर्ण [illegible] रूप में प्रसारित किए जाने की आवश्यकता		253
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन		

किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात पर द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने पूछा था।

(दो) हिन्दुस्तान जिंक के अधिकारियों को खानों में विस्फोटों की तीव्रता को कम करने के निदेश देने की आवश्यकता जिससे आसपास के क्षेत्रो में बने मकानों को होने वाले नुकसान को रोका जा सके।

श्री शिव चरण माथुर 253

(तीन) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों – शहरी सम्पर्क मार्गों के रखरखाव और मरम्मत कार्य प्रभारों में वृद्धि करने की आवश्यकता

श्री पी.सी. चाक्को 253

(चार) मध्य प्रदेश में बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर और सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री खेलन राम जांगड़े 254

(पांच) कालीकट से जद्दाह, कुवैत, दोहा और बहरीन के लिए और अधिक उड़ानें शुरू करने की आवश्यकता

श्री ई. अहमद 254

अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल), 1994-95 और

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1991-92 **225-312**

श्री पी.सी. थामस 255

श्री उमराव सिंह 258

श्री भेरु लाल मीणा 262

श्री चिरंजी लाल शर्मा 264

श्री आर. अन्बारासु 268

श्री रोशन लाल 275

श्री पी.पी. कालियापेरुमल	277
श्री विश्वेश्वर भगत	278
श्री इन्द्रजीत	280
श्री लक्ष्मण सिंह	283
श्री माणिकराव होडल्या गावीत	285
श्री जगमीत सिंह बरार	286
श्रीमती कमला कुमारी करेंद्दुला	289
श्री के. राममूर्ति टिंडिवनाम	290
श्री मुरली देवरा	293
श्री दत्ता मेघे	294
श्री सी.के. जाफर शरीफ	294
सदस्य की गिरफ्तारी	295
विनियोग (रेल) संख्यांक 5, विधेयक, 1994	313
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सी.के. जाफर शरीफ	313
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सी.के. जाफर शरीफ	
खंड 2, 3 और 1	314
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सी.के. जाफर शरीफ	

विनियोग (रेल) संख्यांक 4, विधेयक, 1994	**314**
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सी.के. जाफर शरीफ	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	**315**
श्री सी.के. जाफर शरीफ	
खंड 2, 3 और 1	315
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सी.के. जाफर शरीफ	316
राष्ट्रीय आवास नीति के अनुमोदन के बारे में संकल्प	316-319
श्रीमती शीला कौल	316
श्री विजय कृष्ण हान्डिक	319

लोक सभा

मंगलवार, 16 अगस्त, 1994 / 25 श्रावण, 1916 [शक]

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न 301 – श्री चन्द्रेश पटेल अनुपस्थित।

श्री विश्वनाथ शास्त्री अनुपस्थित।

प्रश्न 302 – श्री राजनारायण अनुपस्थित।

प्रश्न 303 – श्री संदीपान भगवान थोरात अनुपस्थित।

श्री राम विलास पासवान अनुपस्थित।

प्रश्न 304 – श्री रवि राय अनुपस्थित।

प्रश्न 305 – डा. महादीपक सिंह शाक्य अनुपस्थित।

श्री नीतीश कुमार अनुपस्थित।

प्रश्न 306 – श्री अटल बिहारी वाजपेयी अनुपस्थित।

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल अनुपस्थित।

प्रश्न 307 – प्रो. उम्मारेड्डिडी वेंकटेस्वरलु अनुपस्थित।

[अनुवाद]

स्कूलों के लिए कम्प्यूटर

***308. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का स्कूलों और कालेजों को रियायती दर पर कम्प्यूटर/साफ्टवेयर की आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कुछ निर्माताओं ने सरकारी एजेंसियों को सस्ती दरों पर इनकी आपूर्ति की पेशकश की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव ससाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विद्यालयों में संगणक साक्षरता और अध्ययन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना--विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) को संगणक प्रणालियों की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का एक पैनल चुनने का कार्य सौंपा गया है। राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र के पास इमदादी दरों पर विद्यालयों को इन प्रणालियों की आपूर्ति तथा सस्ती दरों पर सरकारी एजेंसियों को इन प्रणालियों की आपूर्ति के लिए निर्माताओं के किसी प्रस्ताव के संबंध में जानकारी नहीं है ;

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : महोदय, इंडियन एक्सप्रेस में 28.9.92 को यह समाचार प्रकाशित हुआ कि राजीव युग के दौरान कम्प्यूटर हमारे द्वारा इक्कीसवीं सदी में छलांग लगाने के नये मंत्र बन गये। यह सच था कि 1984 में, 'संगणक साक्षरता और अध्ययन' (सी.एल.ए.एस.एस) नामक परियोजना, जिसे माननीय मंत्री के उत्तर में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना बताया गया है, कुछ सरकारी स्कूलों में शुरू की गयी थी। 1990-91 से, अर्थात राजीव जी के बाद यह योजना किसी और स्कूल में शुरू नहीं की गयी है।

हैदराबाद विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान के प्रोफेसर डा. पी. गोविन्द रेड्डी की अध्यक्षता में आठ सदस्यों की एक समिति ने फरवरी, 1992 के अन्तिम सप्ताह अथवा मार्च, 1992 के प्रथम सप्ताह में प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों, उच्च कोटि की शिक्षण सम्बन्धी सहायता, शिक्षकों के कार्यक्रम, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण संबंधी सहायक सामग्री और धीमी गति से सीखने की सामग्री के विकास का प्रावधान करने की सिफारिश की थी। कंप्यूटर शिक्षा के संबंध में ऐसी ही अन्य सिफारिशों के साथ उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सितंबर, 1992 में बंगलौर स्थित कंप्यूटर सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट

लिमिटेड ने देश का प्रथम पाठ्यक्रम--आधारित शैक्षिणिक साफ्टवेयर (सी.यू.बी.इ.एस) जारी किया था जिसमें सी.बी.एस.ई. अथवा आई.सी.एस.ई. अथवा राज्य पाठ्यक्रम के पांचवी कक्षा से दसवीं कक्षा के लिए 240 विषयशीर्ष शामिल है। इस योजना के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में 146 करोड़ रुपये की धनराशि रखी गयी है। अतः मैं जानना चाहूंगा कि तब सरकार का स्कूलों और कालेजों को रियायती दरों पर कंप्यूटर अथवा साफ्टवेयर सप्लाई करने का कोई विचार क्यों नहीं है।

कुमारी शैलजा : महोदय, अन्तिम योजना 1984-85 में आरम्भ की गयी थी और वह काफी समय तक चलती रही। परन्तु फिर नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने 1989-90 के लिये अपनी रिपोर्ट में कुछ दोष गिनाये। इसके बाद हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भी पुनरीक्षा की गयी। कई दोष थे, क्योंकि इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कंप्यूटरों पर से रहस्य का पर्दा उठाने और छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना था। यह शिक्षा स्कूल के समय से अतिरिक्त समय में दी जानी थी और इसमें कोई परीक्षा नहीं ली जाती थी। इसलिये छात्रों में इसके प्रति वह उत्साह नहीं था जो होना चाहिये था। यह पुनरीक्षा किये जाने के पश्चात स्कूलों में इस कंप्यूटर शिक्षा के लिये एक नयी पद्धति का पता चला। यह नयी पद्धति वर्ष 1993-94 से अपनायी गयी है। यह सच है कि इससे पिछले वर्ष में हमने इसे नहीं अपनाया था। परन्तु अब यह लागू है और चालू वर्ष के लिये हमने इस योजना हेतु लगभग 27 करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं। पिछले वर्ष, 1993-94 में इसमें लगभग 298 स्कूलों को शामिल किया गया था और यह विचार है कि 1994-95 में इस नई योजना में लगभग 300 स्कूलों को शामिल किया जायेगा।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : महोदय, परीक्षण के तौर पर, केन्द्रीय विद्यालयों में, छात्रों द्वारा शुल्क जमा करने पर, विकल्प मांगे जाने के पश्चात् कंप्यूटर शिक्षा दी जानी थी। जनवरी, 1992 में 10 स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा हेतु शुल्क एकत्रित किया गया। योजना साकार न होने के कारण जमा किये गये शुल्क की प्रति अदायगी हेतु जून, 1992 में आदेश जारी किये गये। एकत्रित की गयी 20 लाख रुपये की धनराशि में से अब तक केवल 10,49,735 रुपये की प्रति अदायगी ही की गयी है। इसके साथ ही ज्ञान पर आधारित कंप्यूटर प्रणाली कार्यक्रम (के.बी.सी.एस.) के अंतर्गत साफ्टवेयरों का उत्पादन किया जाता है जो शब्दों का सही प्रयोग, हिन्दी में सही उच्चारण आदि सिखाते हैं और छात्र को स्व–मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करते हैं। सात केन्द्रों पर राष्ट्रीय भाषा ज्ञानवर्धन के क्षेत्र में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये सरकार धन व्यय कर रही है। मंत्रालय को गत वर्ष इस सभा तथा अन्य सभा दोनों में इस विषय पर 134 प्रश्न रखे जाने पर गर्व है। वार्षिक रिपोर्ट में यह बताया गया है।

माननीय मंत्री से मेरा प्रश्न है : 1992 से पूर्व छात्रों से जमा किये गये शुल्क को वापस करने में विलम्ब क्यों हो रहा है और क्या सरकार यह कार्यक्रम यथा शीघ्र पुनः आरम्भ करेगी।

कुमारी शैलजा : महोदय, यह सच है कि अभी लगभग दो लाख रुपये की प्रति अदायगी की जानी है। परन्तु यह इस कारण है, क्योंकि वास्तव में हमें उन बच्चों के माता–पिता की ओर से प्रस्ताव नहीं मिले जिन्होंने उस योजना के लिये धन दिया था। परन्तु इसे वापस किया जा रहा है। जैसा मैंने अभी कहा कि स्कूलों में संगणक साक्षरता और अध्ययन (सी.एल.ए.एस.एस.) की नयी योजना पहले से ही लागू है और 1993-94 से वह भली भांति चल रही है।

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न स्कूलों और कालेजों के बारे में है। उत्तर में मंत्री महोदय ने केवल स्कूलों में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की ही बात की है। मेरे प्रश्न के दो भाग.हैं। मेरे प्रश्न का पहला भाग यह है कि मंत्री महोदय के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि यह (सी.एल.ए.एस.एस) कार्यक्रम जारी है परन्तु पूरक प्रश्न के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्यक्रम अब समाप्त हो गया है। हम मंत्री महोदय से इस बात का स्पष्ट उत्तर चाहेंगे कि क्या (सी. एल.ए.एस.एस.) कार्यक्रम जिस रूप में इसे 1984 में शुरु किया गया था और जिस प्रकार 1989 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने इस पर प्रतिकूल टिप्पणी की थी, समाप्त कर दिया गया है और क्या इसके स्थान पर एक नया कार्यक्रम बनाया गया है अथवा नहीं।

मेरे प्रश्न का भाग दो कालेजों को कंप्यूटरों की सप्लाई के संबंध में है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना कालेजों में आधुनिक कंप्यूटर उपकरण लगाने की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कालेजों को कुछ अनुदान दिये हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मानक विनिर्देश बनाये हैं ताकि इसके लिये विभिन्न गैर सरकारी कंपनियों से मानक उपकरण खरीदे जा सकें क्योंकि हम 'क्लास' कार्यक्रम में पहले मिली असफलता को दोहराना नहीं चाहते।

कुमारी शैलजा : महोदय, जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, 'क्लास' परियोजना को समाप्त नहीं किया गया है। पायी गयी कुछ खामियों के कारण यह सोचा गया कि हमें इस योजना में फिर से परिवर्तन करना चाहिये और नयी योजना के मुताबिक अब वह सीनियर सेकेन्ड्री स्कूलों में कक्षा XI और XII में होगी और इसमें परीक्षाएं भी होंगी और इसके लिये आधारभूत ढांचा भी होगा और स्कूल के समय के अंतर्गत ही होगी। इसे उन राज्यों में लागू किया जायेगा जिनमें राज्य इसके लिये उपयुक्त समय–सारिणी रखने पर सहमत हों। इसमें पुनः परिवर्तन किया गया है जबकि पहले की 'क्लास' योजना में ऐसा नहीं किया गया था। जहां तक कालेजों का संबंध है, हमारे पास कालेजों के लिये अवश्य ही एक योजना है और लगभग 1,000 कालेजों को इस योजना का लाभ दिया गया था। हमने इसके लिये वर्ष 1987 से 1.25 लाख रुपये दिये। मैं माननीय सदस्य को बाद में और अधिक विवरण दे सकती हूं।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष जी, अभी मंत्री जी ने एक हजार स्कूलों में कंप्यूटर लगाये जाने के बारे में बोला, मुझे लगता है कि स्कूलों और कालेजों की संख्या को देखते हुये यह बहुत ही कम है। मंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो स्कूल या कॉलेज मांगेंगे उन्हें भी दिया जायेगा। इस काम के लिये वर्ष 1993-94 में हर स्टेट के लिये जितना पैसा एलोकेट किया गया था, उतना पैसा रिलीज हो गया परन्तु जहां तक वर्ष 1994-95 का संबंध है, हर स्टेट को दी जाने वाली राशि को आपने कम कर दिया है, उन्हें इस एकाउंट में कम राशि दी गयी है। मैं महाराष्ट्र के बारे में जानता हूं कि वर्ष 1994-95 में उसे 36 लाख रुपया एलोकेट किया गया था परन्तु केवल 11 लाख रुपया ही दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि हर स्टेट को 1994-95 में एलोकेशन से कम राशि देने के क्या कारण हैं ? मैं जानता हूं कि यह स्कीम बहुत अच्छी है और इससे स्कूल कालेजों को बढ़ावा मिलेगा लेकिन आपने किस आधार पर 1994-95 में इस राशि को कम कर दिया क्योंकि अब वे इस स्कीम को सही तरीके से इम्पलीमेंट नहीं कर पायेंगे। क्या इस राशि को सरकार बढ़ाने का विचार रखती है ?

कुमारी शैलजा : इसमें पैसा कम करने की बात नहीं है लेकिन जैसा मैंने अभी पिछले क्वैश्चन के जवाब में कहा, जहां स्टेट्स मांगेंगे, उनको इन्फ्रास्ट्रक्चर हमें देना पड़ेगा। दूसरी चीज यह है कि जैसा मैंने कहा, यदि वे टाइम टेबल के बारे में मानते हैं, दूसरी सभी चीजें मानेंगे तभी उनको रिलीज किया जा सकता है।

[अनुवाद]

श्री के.टी. वान्डायार : अध्यक्ष महोदय, ऐसे अनेक स्कूल तथा कॉलेज हैं जिनमें 'केपिटेशन' शुल्क नहीं लिया जाता और कॉलेजों के पास कंप्यूटर खरीदने के लिये पर्याप्त धनराशि नहीं है। अतः क्या सरकार इन कॉलेजों और स्कूलों कें आंतरिक वित्त पोषण की व्यवस्था करने पर विचार करेगी ताकि वे रियायती दरों पर कंप्यूटर खरीद सकें ?

कुमारी शैलजा : महोदय, इन्हें रियायती दरों पर सप्लाई करने के लिए हमारे पास फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 309 – प्रो. रासा सिंह रावत अनुपस्थित।

प्रश्न सं. 310 – श्री तरित वरण तोपदार अनुपस्थित।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य अनुपस्थित।

प्रश्न सं. 311 – श्री चिन्मयानन्द स्वामी अनुपस्थित।

प्रश्न सं. 312 – श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स अनुपस्थित।

श्री मोहन रावले अनुपस्थित।

प्रश्न सं. 313 – श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या अनुपस्थित।

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद अनुपस्थित।

प्रश्न सं. 314 – श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर अनुपस्थित।

श्री तेजसिंह राव भोंसले अनुपस्थित।

प्रश्न सं. 315 – डा. के.वी.आर. चौधरी अनुपस्थित।

प्रश्न सं. 316 – श्री. एस.एम. लालजान बाशा अनुपस्थित।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री अनुपस्थित।

प्रश्न सं. 317 – श्री डी. वेंकटेश्वर राव अनुपस्थित।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी अनुपस्थित।

प्रश्न सं. 318 – श्री राम पूजन पटेल अनुपस्थित।

आर्द्र भूमि

***319 श्री के. प्रधानी :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय आर्द्रभूमि प्राधिकरण/समिति की स्थापना करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं , और

(ग) यदि नहीं, तो आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सरकार ने 1992 में नम भूमि, कच्छ वनस्पति और मूंगे की चट्टानों से संबंधित एक राष्ट्रीय समिति गठित की थी। राष्ट्रीय समिति संरक्षण, अनुसंधान, प्रशिक्षण, नम भूमियों के प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए उपयुक्त नीतियों और कार्यवाही कार्यक्रमों के बारे मे सरकार को सलाह देती है। राष्ट्रीय समिति प्रबंध कार्य योजनाओं और अनुसंधान कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की पुनरीक्षा करती है ;

(ग) नम भूमियों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों को दर्शाने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

नम भूमियों के सरंक्षण के लिए किए गए मुख्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) चुनिन्दा नम भूमियों के सरंक्षण और प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों को उत्प्रेरक सहायता देने के लिए नम भूमियों के संरक्षण हेतु एक योजना स्कीम चलाई गई है। अब तक, राष्ट्रीय कार्यक्रम में 21 नम भूमियों को शामिल किया गया है और संबंधित राज्य सरकारों को सर्वेक्षण और मानचित्रण, जलग्रहण क्षेत्रों में वनरोपण, गाद जमाव नियंत्रण, अपतृण नियंत्रण और पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करने से संबंधित गतिविधियों में वृद्धि करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है।

(2) राष्ट्रीय महत्व की नम भूमियों के चयन हेतु मानदण्ड और नमभूमियों के संरक्षण के लिए प्रबंध कार्य योजना तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(3) सुरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है जिसमें राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और जीवमंडल रिजर्वो सहित तथा इनकी सीमाओं के अंतर्गत आने वाली नम भूमियां भी आती हैं।

(4) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, भारतीय वन्य संस्थान तथा सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केन्द्र ने देश के विभिन्न हिस्सों में नम भूमियों पर सर्वेक्षण और वैज्ञानिक अध्ययन किए हैं।

(5) वर्ल्ड वाइड फंड फार नेचर (डब्ल्यू डब्ल्यू एफ)–इंडिया और बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी ने भी नम भूमियों के संरक्षण के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं।

(6) वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, आदि जैसे अधिनियमों और केन्द्रीय कानूनों के जरिए नम भूमि पारि–प्रणालियों को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को विनियमित करने के लिए कानूनी उपाय किए गए हैं।

(7) पर्यावरणीय शिक्षा और जागरुकता से संबंधित कार्यक्रमों के अन्तर्गत नम भूमियों में जैविक विविधता के संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है।

(8) नम भूमि पारि–प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं पर वैज्ञानिक अध्ययन और अन्वेषण करने के लिए विश्वविद्यालय प्रणाली और अनुसंधान संस्थाओं के जरिए अनुसंधान अध्ययन शुरु किए गए हैं।

(9) अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की नम भूमियों से संबंधित कन्वेंशन, विशेषकर जल पक्षी वास स्थल (रामसर कन्वेंशन) जिसका भारत एक पक्षकार है, के अन्तर्गत 6 नमभूमियां रामसर स्थलों के रूप में घोषित की गई हैं। ये हैं : चिल्का झील (उड़ीसा), केवलदेव घाना राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान), वूलर झील (काश्मीर), हरिके झील (पंजाब), लोकटक झील (मणिपुर) और सांभर झील (राजस्थान)।

श्री के. प्रधानी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में कहा है कि चुनिन्दा नम भूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों को उत्प्रेरक सहायता देने के लिए नम भूमियों के संरक्षण हेतु एक योजना स्कीम शुरु की गई है। अब तक, राष्ट्रीय कार्यक्रम में 21 नम भूमियों को शामिल किया गया है और सम्बन्धित राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता दी गई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चयनित 21 परियोजनाएं कौन–कौन सी हैं और इन नम भूमियों के विकास के लिए राज्य सरकारों को क्या सहायता दी गई है।

श्री कमल नाथ : महोदय, देश में प्राकृतिक और मानवकृत नम भूमियों की एक सूची है। देश में 192 प्राकृतिक नम भूमियां और 678 मानवकृत नम भूमियां हैं। स्वीकृत धन राशि की एक लम्बी सूची भी है। यदि माननीय सदस्य किसी नम भूमि विशेष के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा। अन्यथा, देश में सभी नम भूमियों के लिए स्वीकृत धनराशि की अलग–अलग सूची उनके पास भेजने में मुझे प्रसन्नता होगी।

श्री के. प्रधानी : क्रम सं. 9 में दिए गए उत्तर के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नम भूमियों से संबंधित कन्वेंशन, विशेषकर जल पक्षी वास स्थल, रामसर कन्वेंशन, जिसमें भारत एक हस्ताक्षर कर्त्ता है, के अन्तर्गत रामसर में 6 नमभूमियां घोषित की गई हैं। इनमें से चिल्का झील अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण नम भूमियों में से एक है। अतः मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चिल्का झील की इस नम भूमि के विकास के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है और राज्य सरकार को इसके लिए कितनी धनराशि आंबंटित की गई है।

श्री कमल नाथ : महोदय, माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि भारत रामसर कन्वेंशन का एक पक्षकार है और सितंबर, 1981 में भारत इस कन्वेंशन में शामिल हुआ था। रामसर कन्वेंशन में राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, मणिपुर और जम्मू–कश्मीर की 6 नम भूमियों को नम भूमियों का दर्जा दिया गया है। गत चार वर्षों में नमभूमि सरंक्षण योजना के अंतर्गत चिल्का झील के लिए 112 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। उड़ीसा की चिल्का नमभूमि के लिए स्वीकृत अंतिम धनराशि लगभग एक करोड़ रुपए थी। कई अन्य कदम भी उठाए गए हैं। चिल्का पारिस्थितिक–संवेदनशील नम भूमि है और चिल्का में बांधों का निर्माण, अपतृण नियंत्रण, गाद जमाव नियंत्रण आदि जैसे कार्य आरम्भ किए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री विश्वेश्वर भगत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि चिलका लेक के अलावा और भी अन्य जगहें हैं जहां आर्द्र भूमियां हैं। उनके लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है ?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, ऐसी अन्य वैट लैंड और भी हैं। हमारे तालाब हैं, जो पर्यावरण की दृष्टि से नाजुक हैं। उनके लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है और इस पर भी विचार किया जा रहा है कि इसके लिए एक नेशनल सर्वेक्षण प्लान बनाया जाए। जब इसका फैसला हो जाएगा, तो मैं जानकारी दे दूंगा।

[अनुवाद]

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अपने बयान के भाग 10 में कहा है कि छोड़ दिए गए खनन क्षेत्रों के भराव के लिए या ईंट निर्माण के लिए फ्लाई ऐश के उपयोग जैसे कार्य द्वारा हम समस्या ग्रस्त क्षेत्रों में जनित ठोस अपशिष्ट के उपयोग की सम्भावनाओं की खोज कर रहे हैं। महोदय, देश के 70 ताप विद्युत संयंत्रों से 45 मिलियन टन फ्लाई ऐश और 13 उर्वरक संयंत्रों से 10 मिलियन टन से अधिक फास्फोजिप्सम निकलता है। साथ ही आठवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार, 95000 मिलियन ईंटों की कमी होगी जिसमें 55000 मिलियन ईंटों की आवश्यकता तो केवल गृह निर्माण के लिए होगी। अतः मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने फ्लाई ऐश और अन्य ठोस अपशिष्ट को सस्ती भवन सामग्री में परिवर्तित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं।

श्री कमल नाथ : महोदय, यह सच है कि प्रत्येक ताप विद्युत संयंत्र से लगभग दो से तीन हजार टन फ्लाई ऐश प्रतिदिन निकलती है। जहां तक अपशिष्ट पदार्थों द्वारा प्रदूषण का संबंध है तो फ्लाई ऐश एक प्रमुख समस्या है। पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाते समय इन दिनों इस बात पर बल दिया जा रहा है कि परियोजना प्राधिकारी और परियोजना प्रोत्साहक ही फ्लाई ऐश का उपयोग करें और प्रदूषण–न्यूनीकरण को बढ़ावा दें और सिर्फ निकलने वाले फ्लाई ऐश का ढेर न लगा दें।

आशा है, भविष्य में लगाई जाने वाली विद्युत परियोजनाओं से निकलने वाली 90 प्रतिशत से अधिक फ्लाई ऐश का उपयोग संबंधित क्षेत्र में उद्योगों द्वारा ही कर लिया जाएगा।

महोदय, जहां तक ईंटों का प्रश्न है तो इनकी समस्या है। यह सच है कि फ्लाई ऐश से अच्छी गुणवत्ता वाली इंटें बनती हैं, पर समस्या माल भाड़े की रही है। माल–भाड़े की लागत के कारण 100 कि.मी. के क्षेत्रफल से आगे की दुलाई के कारण आर्थिक लाभ या लागत लाभ पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। पर फिर भी, भविष्य में बनने वाले ताप विद्युत संयंत्रों को यह शर्त सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि वे अपनी फ्लाई ऐश का निपटारा कैसे करेंगे। राज्य सरकारों और साथ ही केंद्रीय सरकार के उद्यमों को सलाह दी गई है कि वे फ्लाई ऐश ईंटों को प्राथमिकता दें। हांलाकि यह एक समस्या है, पर फ्लाई ऐश के उपयोग के संबंध में हम आशा करते हैं कि भविष्य में ताप विद्युत संयंत्रों के लगाए जाने के समय इस बात को परियोजना में ही सन्निहित किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मंत्री महोदय ने अपने जवाब में अभी कहा है कि राज्य में जो तालाब हैं, उनका हम विकास करने जा रहे है। हिमाचल प्रदेश में जो तलहटी का इलाका है, वहां मेरे साथ कृषि मंत्री भी गये थे। मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट सोलन में उनको एक बहुत बड़ा तालाब दिखाया था, जिस पर सरकार का करोड़ों रुपया लग चुका है। राज्य में जो और तालाब हैं, जिनके लिए आप कह रहे हैं कि हम विचार करेंगे, क्या उसका कोई सर्वेक्षण आपने करवाया है ?

दूसरा आपने राख के बारे में कहा। जितने भी ताप बिजली घर हैं, जिनमें यह राख पैदा होती है, क्या आपने उनका सर्वेक्षण करवाया है ? उन जगहों पर आप ईंट बनाने के कारखाने या उनको यूटीलाइज करने के लिए क्या पग उठा रहे हैं ? किस–किस राज्य में ये स्थापित किये गये हैं? यदि नहीं किए गए तो आप कब तक स्थापित करने जा रहे हैं ?

श्री कमल नाथ : इन वेटलैंडस की जांच के लिए कई साल पहले एक क्वश्चनेयर बनाया गया था, जिसके जवाब में अन्य राज्य सरकारों ने सूचित किया था कि उनके राज्यों में कौन–कौन से वेटलैंडस हैं। इनको स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूटस आदि सबको भेजा गया था और उनके जवाब के आधार पर ही एक डायरेक्टरी बनाई गयी है। कुछ साल पहले अपने देश के वेटलैंडस के बारे में जो जवाब इस क्वश्चनेयर में आये, उसके अनुसार 192 नेचुरल और 678 मैन मेड वेटलैंडस इस डायरेक्टरी में हैं। जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न है कि राख उनको कितना प्रभावित कर रही है, उनकी बात सही है। आज राख की भंयकर समस्या है। यह केवल इन वेटलैंडस को ही प्रभावित नहीं करती बल्कि इससे भंयकर वायु प्रदूषण भी होता है।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप जिस समिति का गठन कर रहे हैं, क्या वह हर राज्य में जाकर दौरा करेगी और अभ्यास करने के बाद भूमि के सर्वेक्षण हेतु क्या–क्या उपाय करेगी ?

श्री कमल नाथ : महोदय, जिस नेशनल लेक कनजर्वेशन योजना के बारे में मैंने जिक्र किया था, उसमें अभी बुनियादी तौर पर विचार हो रहा है कि किस प्रकार बनायें, इसकी फंडिग कहां से होगी, राज्य सरकारों का इसमें क्या संबंध रहेगा। उसके बाद ही बताया जा सकता है कि हमारे जो अन्य तालाब हैं, वेटलैंडस हैं, उनकी विभिन्न समस्याएं हैं। अलग–अलग समस्याओं का अलग–अलग हल निकालने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी।

कुमारी फ्रिडा तोपनो : अध्यक्ष महोदय, चिलका लेक जोकि उड़ीसा में है, उसका ऐनवायरनमैंट पहले बहुत सुन्दर था और देश–विदेश से नाना प्रकार की चिड़ियां वहां पर आकर जमा होती थीं। लेकिन अब वहां पर नवल ट्रेनिंग सैन्टर होने की वजह से उसका ऐनवायरनमैंट खराब हो चुका है। वहां सिलटिंग भी बहुत हुई है जिसके कारण समुद्र से भी पानी ठीक से नहीं जा सकता है, वह मेनटेन भी नहीं हो पा रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या मिनिस्ट्री ऑफ फौरैस्ट उसके विकास के लिए, उसका एनवायरनमैंट ठीक करने के लिए वहां कुछ करने जा रही है ?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि वहां पर विकास और आबादी का काफी दबाव है, इसलिए वहां की यह एक नाजुक वेटलैंड है। इसके लिए 60 करोड़ रुपये की एक योजना बनाई गई है जो बॉयलेटरल बेसेस पर यूरोपियन यूनियन को पोज की गई है। इस में खास तौर पर वीड मैंनेजमैंट, सिलटेशन और डीवीडिंग की समस्याएं हैं, साथ ही इनफ्रास्ट्रक्चर डैवलपमैंट की योजना भी इसमें सम्मिलित है। चिलका लेक की आज की समस्या और भविष्य में आने वाली समस्याओं को देखते हुए यह योजना बनाई गई है। मुझे विश्वास है कि इसकी स्वीकृति जल्दी हो जाएगी।

[अनुवाद]

श्री उमराव सिंह : प्रदूषण देश तथा विश्व में सबसे भारी समस्या है। प्रदूषण में हो रही इस वृद्धि को देखते हुए क्या सरकार अथवा समिति विश्वविद्यालयों और स्कूलों में कोई ऐसा पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन शुरु कराने के बारे में विचार कर रही है जिससे कि प्रदूषण के खतरनाक पहलू तथा आर्द्र भूमि के संरक्षण के संबंध में छात्रों तथा राष्ट्र को जानकारी दी जा सके ?

श्री कमल नाथ : राष्ट्रीय पर्यावरण जागरुकता अभियान के अन्तर्गत पर्यावरण के सभी पक्षों का ध्यान रखा गया है और पर्यावरण ह्रास से संबंधित अन्य सभी पक्षों के अतिरिक्त आर्द्रभूमि की आर्द्रता के क्षेत्र पर बल दिया जा रहा है। मुझे खुशी है कि पर्यावरण संबंधी जागरुकता ऐसे चरण में पहुंच गई है, जहां यह पहले कभी नहीं पहुंची थी और इसी कारण हम इसके बारे में न केवल छात्रों को बल्कि आम व्यक्तियों को पर्यावरण से सम्बद्ध तथा जागरुक बना सके हैं और लोगों के रोजमर्रा के कार्यों का पर्यावरण पर प्रभाव के बारे में शिक्षित करने में सक्षम हुए हैं।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : यह प्रश्न संख्या 8 के भाग 'ग' के उत्तर में बताया गया है कि :

"अनुसन्धान अध्ययन आर्द्रभूमि परिस्थिति की प्रणाली के विभिन्न पक्षों पर वैज्ञानिक अध्ययन तथा अन्वेषण के लिए विश्वविद्यालयों तथा अनुसन्धान संस्थाओं के माध्यम से शुरु किया गया है।"

मेरा प्रश्न यह है कि क्या आर्द्रभूमि का पता लगाने के लिए कोई ऐसा अनुसंधन कार्य किया जा रहा है क्योंकि लोगों को स्वयं अपनी आर्द्र भूमि के बारे में जानकारी नहीं है और यदि इस तरह के अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं, तो क्या केरल में किसी आर्द्रभूमि का पता लगाया गया है और यदि पता लगाया गया है, तो उस पर किए गये अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं।

श्री कमल नाथ : सारे देश में 26 अनुसन्धान परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। मुझे स्पष्टतः यह मालूम नहीं है कि क्या इस तरह की कोई परियोजना केरल में भी है। किन्तु, बड़ी संख्या में कालेज और विश्वविद्यालय पर्यावरण के संबंध में बहुत जागरुक हैं और यही बात केरल में भी हुई है भले ही मेरे मंत्रालय ने केरल में परियोजनाएं स्वीकृत की हैं अथवा नहीं। मुझे इस बात की जानकारी है कि केरल में कई कालेज और विश्वविद्यालय आर्द्रभूमि के बारे में स्वयं परियोजनाएं चला रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अयूब खां : जनाबे सदरे मोहतरम, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने वैटलैंड के संबंध में जो राष्ट्रीय समिति गठित की है, उसमें राजस्थान में आपने किन–किन इलाकों में इसका सर्वे कराया और कितनी धनराशि आपने राजस्थान के लिए मुकर्रर की ? राजस्थान का काफी रेगिस्तानी इलाका है और वहां पर काफी ऐसी झीलें हैं, जहां की पानी की समस्या भी दूर हो सकती है, आप इसके बारे में कूछ बतायें।

श्री कमल नाथ : यह जो समिति गठित हुई है, यह समिति तो एक कण्टीन्यूअस समिति है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि इसका कोई अन्त हो जायेगा, पर जैसा मैंने कहा कि राजस्थान में भी जो प्रमुख वैटलैंड्स है, उनमें से राजस्थान में भी दो वैटलैंड्स अपने देश में सबसे प्रमुख वैटलैंड्स है। उनको आइडैण्टिफाइड किया गया है और उनके लिए भी योजनाऐं बनाई गई हैं। इसमें पिछोला फतहसागर लेक काम्पलैक्स को देखते हुए कि उसकी कितनी नाजुक स्थिति है, उसके लिए भी हमने योजना बनाई है और उसके लिए भी केन्द्र से पैसे दिये है।

[अनुवाद]

श्री के०टी० बांडायार : आंद्र भुमि और झीलों को आवास के लिए प्लाटों में बदला जाता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक बड़ी झील को प्लाटों म बदल दिया गया है। क्या सरकार ने झीलों और आर्द्रभूमि के सरंक्षण के लिए कोई धनराशि आवंटित की है ?

श्री कमल नाथ : महोदय, मुझे माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में इस तरह की झील की जानकारी नहीं है। यदि वह मुझे ब्यौरा दें और कुछ किए जाने की संभावना हो तो मैं इसे करने का प्रयास करुंगा।

श्री जी. देवराय नायक : पर्यावरणीय दृष्टिकोण से आर्द्रभूमि कार्यक्रम महत्वपूर्ण है किन्तु जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा केवल 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गये हैं। इस संबंध में देश में बहुत अधिक कार्य की तुलना में यह धनराशि बहुत कम है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं

कि क्या सरकार का देश में आद्रभूमि क्षेत्रों के अधिक विकास के लिए 60 करोड़ रुपये की धनराशि में वृद्धि करने का है और क्या मानीय मंत्री को देश में, विशेषतः भारत के उत्तरी भाग में आर्द्रभूमि क्षेत्रों की जानकारी है ?

श्री कमल नाथ : निस्सन्देह, पर्यावरण, बाढ़ नियंत्रण, जल भृतों को पुनः चार्ज करने में आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं पानी की गुणवत्ता नियमित करने, अवसाद भार कम करने, प्रदूषण में कमी लाने आदि के संबंध में सदस्यों के विचारों से पूर्णतः सहमत हूं। अतः, आर्द्र भूमि पर विशेष रुप से ध्यान दिया जाना है। यह सही नहीं है कि इस प्रयोजनार्थ केवल 60 करोड़ रुपये ही आवंटित किए जाने हैं। चिलका झील के लिए 60 करोड़ रुपये की परियोजना है। इसके अतिरिक्त, कई निर्माणाधीन योजनाओं का वित्त पोषण किया जा रहा है। भोपाल में ऊपरी और निचली झीलों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए 7,055 मिलियन येन निर्धारित किए गये हैं। कलकत्ता की आर्द्र भूमि के लिए अन्य योजनाएं तैयार की जा रही हैं। मध्य प्रदेश में 5.83 करोड़ रुपये की सागर झील की योजना तैयार की गयी है।

श्री जी. देवराय नायक : मैंने विशेष तौर पर दक्षिण भारत के बारे में पूछा था।

श्री कमल नाथ : जैसा कि मैंने कहा, मैं इस बात पर केवल प्रकाश डाल रहा हूं। मैं विस्तृत ब्यौरा नहीं दे रहा हूं। आर्द्र भूमि के संरक्षण की विभिन्न योजनाएं हैं और मैं माननीय सदस्यों को दक्षिण भारत की उन अन्य योजनाओं से अवगत करा दूंगा, जिन पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : महोदय, गांवों का जो ऐरिया था और शहरों में भी बहुत से ऐरियाज हैं, गांवों के जो तालाब के मालिक थे वे सब तालाब को पर्यावरण की दृष्टि से बिल्डर लोगों को बड़े पैमाने पर पूरे देश में बेच रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र, नागपुर सिटी है वहां जो बहुत से पुराने तालाब थे, अभी आपका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उनको बिल्डर ले करके वहां पर बिल्डिंगें बना रहे हैं तो इससे पर्यावरण की कठिनाई हर जगह आ रही है। जहां तालाब थे वहां तालाब रहें उस दृष्टि से आपके डिपार्टमेंट के मार्फत हम लोगों ने बहुत सी शिकायतें भी की हैं कि जो तालाब थे वे कायम रहें, वहां कम से कम बिल्डिगें न बनें। ये जो लोगों की मांगें हैं क्या उन पर आप ध्यान देंगें ?

श्री कमल नाथ : माननीय सदस्य ने जो कहा है उस पर हम जरुर ध्यान देंगे। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का प्रश्न है मैने राज्य सरकारों को लिखा है। जवाहर रोजगार योजना की ऐंलोकेशन है उसका 20 प्रतिशत पर्यावरण और पर्यावरण से संबंधित कामों में लगाया जाए। जहां तक शहरों का प्रश्न है, यह बात सही है कि शहरों में जनसंख्या बढ़ती जा रही है और उसका दबाव शहरों पर आ रहा है। जो खुली जमीन है, चाहे मैदान हो या तालाब हो उन पर दबाव बढ़ रहा है। मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत हू और राज्य सरकारों को पत्र लिखकर उनका ध्यान इस मामले में आर्कषित करूंगा।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत : अध्यक्ष महोदय, उनके उत्तर के भाग (क) और (ख) में बताया गया है कि सरकार ने 1992 में आर्द्र भूमि, कच्छ बनस्पति, प्रवाल भित्ति संबंधी राष्ट्रीय समिति गठित की थी। उन्होंने यह जानकारी भी दी है कि यह राष्ट्रीय समिति आर्द्र भूमि के संरक्षण, अनुसन्धान, प्रशिक्षण, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का चयन तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के संबंध में उचित नीतियों और कार्यक्रमों पर सरकार को सलाह देती है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह राष्ट्रीय समिति कार्य योजनाओं और अनुसन्धान कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की पूनरीक्षा करती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि प्रवाल भित्तियों के बारे में क्या किया जा रहा है।

मुझे इस वर्ष के पूर्वाद्ध में लक्षद्वीप जाने का अवसर मिला, जहां वत्तीस सुन्दर द्वीप समूह हैं। निस्सन्देह, बंगारथा सबसे सुन्दर स्थान है, जो मेरे विचार से पर्यटन की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट समुद्री सैरगाह है। प्रवाल भित्तियों के बारे में विशेषतौर पर लक्षद्वीप नामक इस द्वीपसमूह में क्या किया जा रहा है ? मैं इस बात को असलिए जानना चाहता हूं क्योंकि इससे हमें देशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन को प्रोत्साहन देने में मदद मिलेगी। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ जो कि एक प्रवाल भित्ति है, के कारण भारण भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। इसलिए, मैं चाहता हूं कि वे इस पहलू पर भी कुछ प्रकाश डालें क्योंकि उनका वक्तब्य केवल आर्द्र भूमि तक ही सीमित है। शायद प्रश्न इसी से सम्बंधित था। फिर भी वे लक्ष्यद्वीप , द्वीपसमूह के भविष्य के बारे में कुछ प्रकाश डाल सकते हैं और सभा को जानकारी दे सकते हैं।

श्री कमल नाथ : महोदयए राष्ट्रीय आर्द्र भूमि समिति के निदेश पदों में पहला निर्देश पद आर्द्र भूमि, कच्छ वनस्पतियों, प्रवाल भित्तियों अैर सम्बद्ध परिस्थिति की प्रणालियों के संरक्षण संबंधी समुचित भीत्तियों और कार्यक्रमों के संबंध में सरकार को सलाह देना है। अतः इस राष्ट्रीय समिति के निदेश पदों में प्रवाल भित्तियां शामिल हैं।

माननीय सदस्य ने पर्यटन के बारे में बात की है। यद्यपि प्रवाल भित्ति पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि पर्यटन प्रवाल भित्ति के लिए गम्भीर खतरा है क्योंकि प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्रों की वहन क्षमता इतनी नहीं है। अतएव, जितने अधिक पर्यटक होंगे प्रवाल भित्ति के लिए खतरा उतना ही गम्भीर होगा। तटरेखा और जैव–विविधता से समृद्ध क्षेत्रों और विशिष्ट किस्म की प्रवाल भित्ति वाले क्षेत्रों के संरक्षण हेतु हमने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए तटवर्ती विनियमन अधिसूचना जारी की है। अतः प्रवाल भित्ति से समृद्ध क्षेत्रों में पर्यटन और उद्योग जैसी विकास गतिविधियां नहीं चलायी जा सकती हैं।

यह अधिसूचना हमारे परिस्थिति की तंत्र में प्रवाल भित्ति के महत्व को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है।

श्री इन्द्रजीत : अध्यक्ष महोदय, मै आशा कर रहा था कि किसी तरह का सन्तुलन रखा जाएगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आज, मैं बोलने की अनुमति दूगाँ।

श्री इन्द्रजीत : महोदय, पर्यटन और प्रवाल भित्ति के मध्य सन्तुलन रहना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के लिए संपूरक और अनुपूरक होना चाहिए।

हमने किस प्रकार का सन्तुलन रखा है ? आपका लक्षद्वीव के द्वीपों और प्रवाल भित्ति संबंधी उनकी स्थिति के बारे में क्या विचार है ?

श्री कमल नाथ : प्रवाल भित्ति से समृद्ध जिन चार क्षेत्रों की पहिचान की गई है लक्षद्वीव उनमें से एक है। वे क्षेत्र लक्षद्वीव अण्डमान और निकोबार और कच्छ की खाड़ी इत्यादि में है। हालाँकि पर्यटन और प्रवाल भित्ति के मध्य एक सन्तुलन रखा जाना चाहिए। परन्तु क्योंकि भूतकाल में भारी असंतुलन रहा है इसलिए इस सन्तुलन को दूर किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों पर पहले से ही भारी दबाव है। जैसा की मैंने कहा कि इन क्षेत्रों की अपनी पर्यटक क्षमता है। हमें देखना है कि ये क्षेत्र संरक्षित रहते हुए पर्यटन और विकास इत्यादि का कितना भार वहन कर सकते हैं। विगत में यह सब इनके विपरीत रहा है। अब हमारे पास इन क्षेत्रों के लिए प्रबन्धन कार्यवाही योजना है हम पहले के असंतुलन को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे भविष्य में संतुलन कायम होगा।

श्री पी.सी. चाक्को : पर्यावरण मंत्रालय द्वारा भरसक प्रयास करने के बावजूद बात संरक्षण की ही नहीं है बल्कि आर्द्रभूमि विशेष रूप से छिछले अप्रवाही जल के अतिक्रमण की है। कोचीन में सतही अप्रवाही जल के लगभग एक हजार एकड़ को भरने और इसका उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए करने के लिए एक प्रस्ताव है। मैं जान सकता हू कि क्या इस प्रस्ताव के संबंध में पर्यावरण मंत्रालय को कोई जानकारी है ? मैं यह भी जानना चाहता हू कि क्या मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है? यदि नहीं तो इस प्रकार के प्रस्ताव के संबंध में सरकार का रवैया क्या है? छिछले अप्रवाही जल को आर्थिक या वाणिज्यक उपयोग के लिए भरा जा रहा है।

दूसरी बात यह है कि प्रबाल भित्ति संबंधी मामले का यहां उल्लेख किया गया है। प्रबाल भित्ति में केलशियम कार्बोनेट ($C C_2 C_1$) की मात्रा काफी अधिक है। राज्य सरकारों और राज्य सरकार की ऐजेंसियों द्वारा सफेद सीमेंट के निर्माण के लिए प्रबाल भित्ति लिकालने के लिए प्रस्ताव आए हैं प्रस्तावों को अन्तिम क्रम दिया जा रहा है और ये सरकार को प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वन और पर्यावरण मंत्रालय की इस प्रकार की औद्योगिक योजनाओं के बारे में क्या रवैया है ?

श्री कमल नाथ : जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा इसके संबंध में मंत्रालय का रवैया यह है कि ये योजनाएं प्रथम दृष्ट्या पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। असल में, निचली रेखा अथवा छिछले तटवर्ती क्षेत्रों जिनमें सुधार लाने की आवश्यकता है, को भरने से पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। अतः प्रथम दृष्ट्या में मेरा कहना है कि मेरा मंत्रालय इसका अनुमोदन नहीं कर सकता है।

जहां तक सीमेन्ट उत्पादन के लिए प्रबाल भित्ति को निकालने की बात है तो मुझे आश्चर्य के साथ कहना है कि इस संबंध में प्रस्ताव की जांच करने की भी जरुरत नहीं है।

जहां तक माननीय सदस्यों द्वारा उल्लिखित अन्य प्रस्तावों का संबंध है तो मैं इस संबंध में सूचना एकत्र कर माननीय सदस्य को सूचित करुंगा।

श्री शांताराम पोतदुखे : महोदय, देश में विशेष रुप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में कोयले की खनन गतिविधियां ज्यादा नहीं चल रही हैं। परन्तु जिन क्षेत्रों में पर्यावरण के पहलू पर कम ध्यान दिया जाता है वहां कोयले की विविध खनन गतिविधियां चल रही हैं। क्या मंत्री महोदय इस बारे में कोई कदम उठाएंगें ताकि कोयला खनन से संबंधित अधिकारी पर्यावरण के पहलुओं के लिए खतरा पैदा न करें ? हाल ही में चन्द्रपुर में भारी वर्षा हुई भी और कोयले की खनन गतिविधियों के कारण सभी क्षेत्रों में पानी भर गया था। वहां पर पर्यावरण के किसी पहलू का ध्यान नहीं रखा जाता है। क्या मंत्री महोदय इस मामले पर ध्यान देंगे और कुछ कदम उठायेंगे।

श्री कमल नाथ : यह सच है कि गत वर्षों के दौरान जितनी भी कोयला खानों में खनन कार्य किया गया है खनन कार्य पूरा हो जाने के बाद रिक्त हो गयी है और उनकी स्थिति खराब है और जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों पर भी प्रभाव पड़ता है। अब जब भी इनमें से किसी कोयला खनन परियोजना को मंजूरी दी जाती है तो कोयला खानों को भरने और नई खनन परियोजनाओं में पर्यावरण के विविध पहलुओं का ध्यान रखने की शर्त रखी जाती है। यह घटित हो रहा है। इस पर सतत निगरानी की जा रही है। कोयला खानों के कारण बीते समय में पर्यावरण का भारी ह्रास हुआ है। पर्यावरण को ठीक करने और बेकार पड़ी कोयला खानों को भरने के लिए परियोजना शुरु करने के प्रयास कर रहे हैं। इनकी नई योजनाओं को तभी मंजूरी दी जाएगी जब ये कोंलग कम्पनियां अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए सहमत होती हैं।

***श्री आर. जीवरत्नम :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आर्द्रभूमि के ह्रास के संबंध में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

मैं अपने चुनाव क्षेत्र के एक विशेष उदाहरण का उल्लेख करना चाहता हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र में पालार नदी के पास अनेक चमड़ा इकाईयां और चमड़ा शोधन शाला हैं। उनसे निकले अपशिष्ट पदार्थ नदी में मिलते रहते हैं और इससे इस क्षेत्र में प्रदूषण के कारण आर्द्रभूमि पर दुष्प्रभाव होता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह मामला पर्यावरण मंत्रालय की जानकारी में आया है। यदि हां, तो पालार नदी के किनारे आर्द्रभूमि के किसानों को होने वाली प्रदूषण की समस्या को समाप्त करने के लिए वे क्या कदम उठाने की सोच रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अंग्रजी में अनुवाद करवा सकते हैं ?

श्री कमल नाथ : आर्द्रभूमि के बाद कोयला खानों और अब चमड़े का प्रश्न उठाया गया है। मैं समझता हूं कि ये सब आर्द्रभूमि को प्रभावित करते हैं। **(व्यवधान)** यह आर्द्रभूमि के संबंध में है।

चर्म उद्योग और चर्म शोधन उद्योग प्रदूषण के लिए मुख्य रुप से जिम्मेदार हैं। चर्म उद्योग और चर्मशोधन उद्योग के दो प्रमुख केन्द्रों में विशेष रूप से तमिलननाडु और कानपुर में अनेक योजनाएं

* मूलतः तमिल में पूछे गए प्रश्न के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

शुरु की गई हैं। इनमें से कुछ योजनाएं पूर्ण हैं और कुछ अपूर्ण। इनमें राजसहायता और सहायता का तत्व भी शामिल है।

मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करुंगा कि वे मुझे प्रदूषण फैलाने वाली इन इकाईयों और झील का पृथक रुप से एक मामला बनाकर दें। हम इस संबंध में कार्रवाई करेंगे।

श्री उदयसिंह गायकवाड़ : महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में एक बहुत पुरानी रन्काला नाम की झील है। पिछले दो वर्षों से इसमें खर–पतवार पैदा हो गए हैं जो और भी फैल रहे हैं। मराठी भाषा में हम इन्हें कष्डल कहते हैं। सारा जल प्रदूषित हो जाता है और कोई भी तैराकी के लिए नहीं जाता है। हालांकि निगम ने खर–पतवार को दूर करने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। मैंने सांसद कोष से 5 लाख रुपये दिए हैं। मेरी जानकारी के अनुसार, इस धन का उपयोग इस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। फिर भी निगम कुछ उपाय तलाशने के प्रयास कर रहा है। नागरिकों ने एक समिति गठित की है। वे भी आर्थिक सहायता और श्रमदान कर रहे हैं।

मैं पर्यावरण मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वे खर–पतवार को समाप्त करने और जल को शुद्ध करने के लिए कुछ धन उपलब्ध करायेंगें।

श्री कमल नाथ : माननीय सदस्य की चिन्ता खर–पतवार के संबंध में है। लेकिन आर्द्रभूमि में मौजूदा खर–पतवार वातावरण का संतुलन बनाए रखने के कार्य करते हैं। अतः खर–पतवार को समूल नष्ट करने के बजाय उनकी वृद्धि को नियंत्रित किया जाना चाहिए। अतः झील की सफाई के लिए खर–पतवार को समाप्त करना हल नहीं है क्योंकि झील का पारिस्थितिकी तंत्र खर–पतवार पर निर्भर हैं। कभी कभी जैविक नियंत्रण नहीं अपनाया जाता क्योंकि इससे सम्पूर्ण रुप से लोप हो सकता है और इसका पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। खर–पतवार को लोगों द्वारा समाप्त किया जाना भी संभव है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य सहमत होंगे कि खर–पतवार को लोगों द्वारा हटाये जाने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

जहां तक पांच लाख रुपये का सवाल है मैं यह राशि आवंटित करने के लिए माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं। मैं आशा करता हूं कि वे इस क्षेत्र के लिए इस राशि में वृद्धि करने के लिए सहमत होंगे। वे इस मामले को संबंधित मंत्री के साथ उठा सकते हैं ताकि इस राशि का उपयोग इन गतिविधियों के लिए कर सकें क्योंकि इन गतिविधियों का समाज में चारों तरफ प्रभाव पड़ता है। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष परियोजना की बात करते हैं तो मुझे खुशी होगी हम देखेगें कि हम इस मामले में कैसे सहायता दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री तारा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनको इस बात की जानकारी है कि पहले जो झीलें थी, उनके लोअर लैवल पर एनक्रोचमेंट कर लिया और वहां पर फ्लड वाटर इकट्ठा हो जाया करता था? वहां पर ग्राउंड वाटर का लैवल

ठीक रखा करता था लेकिन आज जितना भी फ्लड वाटर है, वह सारा बह जाता है जिसके कारण जितनी अच्छी जरखेज जमीनें हैं, वे वेस्टलैंड बनती जा रही हैं? क्या सरकार ऐसा कोई कानून पास करेगी कि लोगों द्वारा एनक्रोचमेंट करके झीलों को अपने कब्जे में कर लिये जाने पर जिस जमीन की फर्टिलीटी जाया हो रही है, उस पर रोक लगायेंगे ?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, यह समस्या इसलिये पैदा हुई है कि प्रकृति और मुनष्य में जो समन्वय होना चाहिये था, उसमें पिछले कुछ सालों से कमी आयी है। यदि राज्य सरकार इसको टेक अप करे तो केन्द्र सरकार इसमें सहायता दे सकती है। साथ ही यदि राज्य सरकार इन होने वाले अतिक्रमणों को रोकने की व्यवस्था कर सकती है तो हमें जो लाभ इन झीलों और नहरों से मिलना चाहिए, वह मिल सकता है।

[अनुवाद]

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि अनेक राज्यों ने क की शुरुआत कैसे की है? तथा भारत सरकार द्वारा उन्हें कितना धन उपलब्ध कराया जाता .

श्री कमल नाथ : जैसाकि मैंने पहले कहा कि बहुत बड़े क्षेत्र में आर्द्रभूमि की पहचान द गई है जिसमें रामसर कन्वेंशन के अन्तर्गत आने वाली और न आने वाली दो प्रकार की आर्द्रभूमि शामिल हैं। मैंने मानव निर्मित और प्राकृतिक आर्द्रभूमि के रुप में पहचान किए गए क्षेत्रों की संपूर्ण सूची दे दी है। आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए 535.95 लाख या लगभग 536 लाख की राशि आवंटित की गई है। अनेक योजनाओं पर विचार भी चल रहा है। हमारे समक्ष मुख्य प्रश्न कार्यक्षम परियोजनाएं बनाने का है। जिसका अर्थ है कि जिसमें संरक्षण के सभी पहलू शामिल हों। जैसा कि पहले बताया गया है कि ये योजनाएं बनाई गई हैं और इनके लिए विभिन्न राज्यों को 536 लाख की राशि आवंटित की गई है।

श्री पी.सी. थॉमस : एक वर्ष पूर्व माननीय मंत्री महोदय केरल के वन क्षेत्रों में आए थे। परन्तु निश्चित रूप से उन्हें अल्लेघी जिले में कुट्टानाड के सुन्दर अप्रवाही जल से गुजरने या इसके ऊपर से उड़ने का अवसर नहीं मिला था। हमें बताया गया है कि राष्ट्रीय सर्वेक्षण के पश्चात 21 परियोजनाएं शुरु की गई हैं। मेरा निश्चित रुप से मानना है कि यदि मंत्री महोदय इस क्षेत्र का अवलोकन करें तो वे इस क्षेत्र को एक परियोजना के रुप में शामिल कर लेंगे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वे कुट्टानाड के बृहद क्षेत्र का सर्वेक्षण करेंगे। कुट्टानाड का क्षेत्र हालेण्ड में कुछ भूमिक्षेत्रों के समान समुद्र तल से नीचा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय सर्वेक्षण के बाद इस क्षेत्र को राष्ट्र की आर्द्रभूमि का संरक्षण करने के लिए एक परियोजना के रुप शामिल करेंगें ?

श्री कमल नाथ : मैं माननीय सदस्य के निमंत्रण को खुशी से स्वीकार करता हूं। मुझे इस क्षेत्र की परिस्थितिकी को सूक्ष्म ग्रहिता और प्राकृतिक सुन्दरता दोनों के बारे में जानकारी है। प्रथमतः

मैं यह देखने के लिए एक दल भेजूंगा कि इसको एक परियोजना के रुप में शामिल करके इसका क्या उपयोग हो सकता है। माननीय सदस्य की सूचनार्थ मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि केरल में संरक्षण और प्रबंधन के लिए दो आर्द्रभूमि क्षेत्रों को चुना गया है। ये हैं अस्ता मुडी और संस्थानकोटा।

माननीय सदस्य के सुझाव के आधार पर मैं कुट्टानाड क्षेत्र के लिए एक दल भेजूंगा।

श्री पी.सी. थॉमस : क्या आप बिना विलम्ब किए इस दल को शीर्घ भेजेंगे ?

श्री कमल नाथ : महोदय, यह सबसे लम्बा सवाल है जिसका मैंने उत्तर दिया है। यह एक रिकार्ड होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम आपकी दृढ़ता की प्रशंसा करते हैं।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जम्मू–कश्मीर की वूलर लेक के बारे में जानना चाहता हूं क्योंकि वह हमारे देश की प्रमुख लेक है और वह धीरे–धीरे खत्म हो रही है और यह भारत में सबसे बड़ी लेक है। उसको बचाने के लिए मंत्री जी क्या उपाय कर रहे हैं ?

दूसरा प्रश्न मैं यह करना चाहता था कि मध्य प्रदेश के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है। मध्य प्रदेश में ऐसी कई लेक हैं जो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। मध्य प्रदेश में उन छोटे–छोटे गांवों में जो लेक हैं उनको बचाने के लिए आप क्या उपाय करने जा रहे हैं ?

श्री कमल नाथ : जहां तक मध्य प्रदेश में बड़े–बड़े लेक हैं, मैंने बताया कि भोपाल और सागर के बारे में बड़ी–बड़ी योजनाएं बनाई गई हैं। इस प्रकार की एक योजना मध्य प्रदेश में छोटे जिलों में से छिन्दवाड़ा में भी बनाई जा रही है।

जहां तक कश्मीर की लेक का संबंध है, मैं माननीय सदस्य को इसकी सूचना भेज दूंगा कि कौन–कौन से योजनाएं वहां की लेक्स के लिए बनाई गई हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

वानिकी पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला

***301. श्री चन्द्रेश पटेल :**

श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वानिकी और इससे सम्बद्ध अन्य मुद्दों पर दिल्ली में जुलाई, 1994 में एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यशाला में किन–किन मुद्दों पर चर्चा की गई और क्या–क्या निर्णय लिए गए ; और

(ग) उन निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां। 25-27 जुलाई, 1994 के दौरान नई दिल्ली में, " टिकाऊ वानिकी की ओर ; टिकाऊ विकास आयोग, 1995 के लिए तैयारी" विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।

(ख) और (ग) नई दिल्ली में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य एक फार्मेट तैयार करना था जिसमें टिकाऊ विकास आयोग के 1995 में होने वाले अगले अधिवेशन में वानिकी से सम्बन्धित मुद्दों पर जानकारी प्रदान की जायेगी। आशा है कि इस अधिवेशन में टिकाऊ विकास आयोग एजेण्डा–21, विशेषकर वनों, भूमि, जैविक विविधता एवं मरूस्थलीकरण से संबंधित इसके अध्यायों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करेगा। विस्तृत विचार–विमर्श के बाद कार्याशाला ने " टिकाऊ विकास आयोग, 1995 के तीसरे अधिवेशन की राष्ट्रीय जानकारी प्रदान करने हेतु ढांचा" नामक एक दस्तावेज स्वीकार करने का संकल्प लिया। कार्यशाला ने यह भी प्रस्तावित किया कि अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय निधीयन एजेंसियां टिकाऊ विकास आयोग की सूचना देने के तरीके पर अपने सदस्य देशों से परामर्श करें और इस उद्देश्य के लिए चुनिन्दा सदस्यों की छोटी–छोटी बैठकें आयोजित करें। कार्यशाला में टिकाऊ वानिकी के मानदंडों एवं सूचकों के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किये जा रहे कार्य का भी स्वगत किया गया और यह सुझाव दिया गया कि खाद्य एवं कृषि संगठन उन देशों की बैठक भी बुला सकती है जो वर्तमान पहलों में शामिल नहीं है। सरकार ने इस संकल्प को टिकाऊ विकास आयोग सचिवालय को भेज दिया है और वह एजेण्डा–21 के कार्यान्वयन से संबंधित नोडल मंत्रालयों के परामर्श से टिकाऊ विकास आयोग, 1995 हेतु तैयारी करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

चीनी का मूल्य

***302. श्री राज नारायण :**

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी का मूल्य निर्धारित करने के लिए क्या मानदंड अपनाये जाते हैं ;

(ख) क्या चीनी की लागत का निर्धारण किसी सरकारी एजेंसी द्वारा किया जाता है ;

(ग) क्या चीनी की उत्पादन लागत में शामिल किये जाने वाला कंपनी कर उपभोक्ताओं से वसूल किया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार ने इस बात की पड़ताल की है कि चीनी मिलों द्वारा वास्तव में कितने आय कर का भुगतान किया गया और उत्पादन लागत हेतु वास्तव में आय कर की कितनी धनराशि दर्शाई ;

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्ष–वार ब्यौरा क्या है ;

(छ) क्या लागत के निर्धारण हेतु दर्शाई आयकर की धनराशि इन चीनी मिलों द्वारा वास्तव में दी गयी धनराशी से अधिक है ; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 (3ग) के प्रावधानों के अनुसार लेवी चीनी की एक्स–फैक्ट्री कीमतों के निर्धारण में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है :–

1) केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गन्ना कीमत ;

2) चीनी की उत्पादन लागत ;

3) उस पर प्रदत्त या देय शुल्क या कर, यदि कोई हो ;

4) चीनी उत्पादन के कारोबार में लगायी गई पूंजी पर उचित लाभ निश्चित करना।

(ख) चीनी उद्योग में लागत जांच को आवधिक रुप से ओद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो को सौंपा जाता है जो लेवी कीमत के निर्धारण में अनुमत लाभ के साथ–साथ विभिन्न मूल्य क्षेत्रों के लिए परिवर्तित लागत अनुसूचियां प्रस्तुत करती है।

(ग) और (घ) : औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो एक्स–फैक्ट्री लेवी कीमत के निर्धारण में लाभ को शामिल करने की सिफारिश करती है।

(ड.) से (ज) चीनी मिलों द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक आयकर के आंकड़े खाद्य मंत्रालय सुनिशिचत नहीं करता है।

दुर्घटनाओं से संबंधित दावे

***303. श्री सन्दिपान भगवान**

श्री राम विलास पासवान :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दुर्घटनाओं से संबंधित कितने दावे प्राप्त हुए, कितने निपटाये गये ; और

(ख) रेल दुघटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को शीघ्र उचित मुआवजा दिलाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) रेल दावा अधिकरण की भारत में स्थित 19 पीठों द्वारा दुघटना–दावे से संबंधित मामले निपटाये जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त हुए, निपटाये गए तथा लम्बित पड़े दुर्घटना–दावों की वर्षवार स्थिति नीचे दी गई है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्त	कुल	निपटाए गए	शेष
1991-92	499	556	1055	520	535
1992-93	535	529	1064	552	512
1993-94	512	701	1213	419	794

(ख) रेल दावा अधिकरण द्वारा मामले के शीघ्र निपटान के लिए निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं :-

(i) दावाकर्ताओं की सुविधा के मुख्यालय की पीठ के अलावा स्टेशनों पर रेल दावा अधिकरण द्वारा समय–समय पर सर्किट पीठें लगाई जाती हैं ;

(ii) जब किसी पीठ में सदस्य के उपस्थित न होने के कारण आवश्यकता प्रतीत होती है तब एक पीठ से दूसरी पीठ में सदस्यों की तैनाती की जाती है ;

(iii) मामले के शीघ्र निपटान के लिए एक पीठ से दावाकर्ता के निवास के निकट दूसरी पीठ में मामले को स्थानांतरित करने के लिए दावाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार किया जाता है।

दायर किये गए दावे के तथ्य तथा उसके पक्ष में पेश किए गए साक्ष्य को ध्यान में रहते हुए अधिकरण रेल दुर्घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 में निर्धारित मापदंडों के अनुसार मुआवजे की मात्रा का फैसला करता है।

मुआवजे के मापदंड को पर्याप्त समझा जाता है।

शिक्षा नीति

***304. श्री रवि राय :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जुलाई, 1994 के इंडियन एक्सप्रेस में शिक्षा नीति के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या आर्थिक विकास को सामाजिक मानदंडों से जोड़ने हेतु कोई सार्थक अध्ययन नहीं कराया गया है, और

(घ) यदि हां, तो शिक्षा प्राणाली के नवीनीकरण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार में 24 जुलाई, 1994 को नई दिल्ली में महिला विकास अध्ययन केन्द्र द्वारा आयोजित "सामाजिक विकास में शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका" संबंधी एक पेनल परिचर्चा में विभिन्न वक्ताओं के विचार दिये गये हैं।

(ग) और (घ) अब यह सर्वत्र माना जाता है कि सामाजिक मानदण्डों और आर्थिक विकास दोनों के बीच में परस्पर गहरा सम्बन्ध है। राष्ट्रिय शिक्षा नीति (एन.पी.ई.) 1986 भी इसी सिद्धांत के आधार पर निर्धारित की गई थी। 1990-92 के दौरान नीति की समीक्षा की गई थी और उपर्युक्त संशोधनों को इसमें जोड़ दिया गया था। संशोधित नीति निर्धारण 07 मई, 1992 को सभा पटल पर रख दिए गए थे।

खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य

***305. डा० महादीपक सिंह शाक्य :**

श्री नीतीश कुमार :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991 से लेकर 1994 तक, वर्ष प्रति वर्ष गेहूं, चावल और चीनी के प्रति किवंटल समर्थन मूल्य में वृद्धि की जाती रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बयौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान इनके निर्गम मूल्यों में भी वृद्धि की गई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ.) क्या यह वृद्धि अनुपातिक रुप में की गई है ; और

(च) सरकार द्वारा इन मदों पर दी जाने वाली राजसहायता में वृद्धि किए जाने के बावजूद इनके निर्गम मूल्यों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना देने वाले विवरण I और विवरण II के रुप में संलग्न हैं।

(ड.) और (च) चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में इन खाद्यान्नों की कुल इकनामिक लागत कवर नहीं होती है। वितरण लागत और स्टाक रखने की लागत को हिसाब में नहीं लिया जाता है और केन्द्रीय सरकार इस खाते पर भारी खाद्य राजसहायता वहन करती है।

गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में हुई वृद्धि और रुपान्तरण तथा वितरण लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखकर चीनी के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में समय–समय पर संशोधन किया जाता है। पूर्व के वर्षों से संबंधित लेवी मूल्य समीकरण निधि में घाटे को पूरा करने के लिए 1992-93 मौसम से प्रावधान किया गया है।

विवरण-I

1991 से 1994 तक गेहूं और लेवी चावल के वसूली मूल्यों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उनके केन्द्रीय निर्गम मूल्य (भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से)

(रूपए प्रति क्विंटल)

जिन्स	विपणन वर्ष (अप्रैल–मार्च)	वसूली मूल्य	निम्न तारीख से	केन्द्रीय निर्गम मूल्य
गेहूं	1990-91	215	1.5.1990	234
	1991-92	225	28.12.1991	280
	1992-93	275*	11.1.1993	330
	1993-94	330*	1.2.1994	402
	1994-95	350		

* इसमें 25/. रुपए प्रति क्विंटल का केन्द्रीय बोनस शामिल है।

जिन्स	विपणन वर्ष (अक्तूबर–सितम्बर)	लेवी चावल का वसूली मूल्य निम्नलिखित रेंज में रहा			निम्न तारीख से	केन्द्रीय निर्गम मूल्य		
		साधारण	बढ़िया	उत्तम		साधारण	बढ़िया	उत्तम
चावल	1990-91	313.00 से	342.00 से	342.00 से	25.6.1990	289	349	370
		347.50	374.55	394.10				
	1991-92	356.70 से	371.50 से	386.30 से	28.12.1991	377	437	458
		396.65	425.20	445.10				
	1992-93	419.95 से	434.45 से	448 95 से	11.1.1993	437	497	518
		463.45	494.00	514.45				
	1993-94	484.45 से	513.80 से	543.15 से	1.2.1994	537	617	648
		533.40	582.00	620.90	1.10.1994	597	677	708

विवरण-II

1991 से 1994 तक गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए वसूल की गई लेवी चीनी की इकनामिक लागत (अखिल भारतीय औसत) और लेवी चीनी के खुदरा निगम मुल्य

वर्ष	गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए वसूल की गई लेवी चीनी की अखिल भारत औसत इकनामिक लागत	खुदरा निर्गम मूल्य
	(रुपए प्रति क्विंटल)	(रुपए प्रति क्विंटल)	(रुपए प्रति किग्रा.)
1990-91	23.00	613.23	5.25 (1.10.90 से 23.7.91 तक) 6.10 (24.7.91 से 30.9.91 तक)
1991-92	26.00	686.88	6.10 (1.10.91 से 20.1.92 तक) 6.90 (21.1.92 से 30.9.92 तक)
1992-93	31.00	829.99	6.90 (1.10.92 से 16.2.93 तक) 8.30 (17.2.93 से 31.1.94 तक)
1993-94	34.50	903.08	9.05 (1.2.1994 से और इससे आगे)

[अनुवाद]

उपभोक्ता न्यायालय

***306. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री धर्मण्ण मोंडय्या सादूल :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभेक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालयों के कार्यकरण का कोई मूल्यांकन कराया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) 1993-94 के दौरान उपभोक्ता न्यायालयों में राज्य–वार कितने मामले दायर किए गए ;

(घ) राज्य–वार इस समय लम्बित मामलों की संख्या कितनी है ; और

(ड.) सरकार द्वारा लम्बित मामलों को निपटाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ऐ.के. एंटनी) : (क) और (ख) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत गठित उपभोक्ता न्यायालयों के कार्यकरण पर 24 जनवरी, 1994 को हुए राज्य आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों के प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन में चर्चा की गई थी जिसमें राज्यवार स्थिति की समीक्षा की गई तथा पर्याप्त आधार ढांचा, पर्याप्त स्टाफ एवं निधि मुहैया कराने के लिए संकल्प पारित किए गए थे।

(ग) और (घ) यह मंत्रालय ऐसी सूचनाऐं तिमाही आधार पर संकलित करता है। केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर एक विवरण संकलित किया गया है जो संलग्न है।

(ड.) अनेक राज्य सरकारें अंशकालिक जिला मंचों को पूर्णकालिक जिला मंचो में परिवर्तित कर रही है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में कार्यभार को देखते हुए एक जिले में अतिरिक्त जिला मंच स्थापित करने का भी प्रावधान है। तथापि, अतिरिक्त जिला मंच स्थापित करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य आयोग — शिकायतों की संख्या: शुरूआत से दायर	शुरू से निपटाए गए	लम्बित मामले	अपीलों की संख्या: शुरूआत से दायर	शुरू से निपटाए गए	लम्बित मामले	जिला मंच: शुरूआत से दायर	शुरू से निपटाए गए	लम्बित मामले	निम्न तिथि को समाप्त. अवधि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
आन्ध्र प्रदेश	1089	318	771	2856	2218	638	61987	48479	13508	30/6/94
अरुणचल प्रदेश	5	0	5	2	0	2	55	51	4	31/3/94
असम	412	92	320	61	24	37	1403	356	1047	31/12/93
बिहार	1707	796	911	1045	433	612	15959	8251	7708	31/3/94
गोवा	90	52	38	142	109	33	878	701	177	31/12/92
गुजरात	1441	802	639	1045	708	337	26078	13651	12427	31/12/93
हरियाणा	252	232	20	1777	1348	429	24709	16596	8113	30/6/94
हिमाचल प्रदेश	236	88	148	690	82	608	4656	3550	1106	31/3/94

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
जम्मू व कश्मीर	41	9	32	10	0	10	2470	422	2048	30/6/93
कर्नाटक	975	783	192	1587	717	870	14411	5067	9344	31/3/94
केरल	1224	754	470	2284	933	1351	46709	32981	13728	30/6/94
मध्य प्रदेश	299	236	63	987	217	770	21507	11687	9820	30/9/93
महाराष्ट्र	1871	1018	853	2669	1170	1499	36749	24117	12632	30/6/94
मणिपुर	2	1	1	9	4	5	395	373	22	30/6/93
मेघालय	5	4	1	1	1	0	8	2	6	31/12/93
मिजोरम			0	0	0	0	129	110	19	30/6/94
नागालैण्ड						0				उपलब्ध नहीं
उड़ीसा	1167	645	522	849	270	579	7805	4334	3471	31/12/93
पंजाब	329	210	119	312	288	24	10651	6831	3820	31/12/93
राजस्थान	767	537	230	2080	1162	918	46097	33154	12943	31/3/94
सिक्किम	1	1	0			0	8	5	3	31/12/93
तमिलनाडु	553	306	247	379	330	49	17244	3697	13547	31/12/93

1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
त्रिपुरा	38	30	8	41	32	9	285	188	97	31/3/94
उत्तर प्रदेश	1445	659	786	6178	2238	3940	73731	40123	33608	31/3/94
पश्चिम बंगाल	1844	355	1489	637	301	336	13992	3006	10986	31/3/94
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8	5	3	7	4	3	73	63	10	31/3/94
चण्डीगढ़	524	220	304	259	146	113	5314	2492	2822	30/6/94
दादरा व नगर हवेली			0			0	15	7	8	30/6/94
दमण व दीव			0			0	27	7	20	31/3/94
दिल्ली	2083	1202	881	1670	686	984	32606	14710	17896	30/6/94
लक्षद्वीप			0	1	1	0	14	12	2	30/6/94
पांडिचेरी	47	38	9	181	154	27	724	658	66	30/6/94
कुल :	18455	9393	9062	27759	13576	14183	466689	275681	191008	

आदर्श पुष्पोत्पादन केन्द्र

*307. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में आदर्श पुष्पोत्पादन/उत्तकोत्पादन केन्द्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य उद्‌दश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) अब तक खोले गए ऐसे केन्द्रों की संख्या क्या है तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कितने और ऐसे केन्द्र खोलने का विचार किया गया है ;

(घ) क्या किसानों को "पोस्ट-हारवेस्ट" प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित किया जायेगा ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(च) इस संबंध में राज्य-वार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है तथा अब तक वास्तव में कितनी राशि दी गई है ; और

(छ) इस बारे में अब तक की उपलब्धियां क्या हैं ?

कृषि मंत्रि (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही वाणिज्यिक पुष्पकृषि सम्बन्धी केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत मोहाली (पंजाब) कलकत्ता, लखनऊ, बंगलौर, पुणे, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम, गंगटोक, तथा मद्रास में सार्वजनिक क्षेत्र में नौ (9) आदर्श पुष्प कृषि केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, (श्रीनगर को छोड़कर) इन स्थानों पर प्राइवेट क्षेत्र में भी ऐसे आठ केन्द्र खोले जा रहे हैं। इन केन्द्रों के उद्‌देश्य इस प्रकार है :-

(i) क्षेत्र की मुख्य पुष्प फसलों की वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण किस्मों को एकत्र करना तथा उनका संरक्षण करना।

(ii) परंपरागत तथा उन्नत प्रचार तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए पौध सामग्री के बड़े पैमान पर संवर्धण की व्यवस्था करना।

(iii) पुष्प उत्पादन और फसल प्राप्ति के बाद के प्रबन्ध से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण और प्रदर्शन आयोजित करना।

(iv) क्षेत्र में पुष्प कृषि को बढ़ावा देने के लिये शीर्ष एककों के रूप में कार्य करना।

इनमें से प्रत्येक केन्द्र में टिशुकल्चर यूनिटों तथा पुष्प उत्पादन में प्रशिक्षण देने और फसल प्राप्ति उपरान्त के रख-रखाव की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

(ग) प्रस्तावित स्थलों पर ये केन्द्र खोलने के लिये कार्य हाल ही में आरम्भ किया गया है तथा अभी तक इनमें से एक भी पूरी तरह चालू नहीं हुआ है।

(घ) जी, हां।

(ङ) ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रत्येक आदर्श पुष्पकृषि केन्द्र में की गई है। इसके अतिरिक्त चुने हुए अनुसंधान संस्थान में भी प्रशिक्षण किया जाता है, जिसके लिये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड राज्य को सहायता प्रदान करता है।

(च) अब तक के राज्य–वार आबंटन और दी गई धनराशियां संलग्न विवरण में दी गई है।

(छ) चूंकि ये केन्द्र अभी खोले जा रहे हैं, इस लिए अभी तक किसी उपलब्धि की सूचना नहीं है।

विवरण

वाणिज्यिक पुष्पकृषि पर केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक और प्राइवेट दोनों आदर्श पुष्पकृषि केन्द्रों के लिये दी गई धनराशि का विवरण

स्थल (राज्य)	आठवीं योजना का कुल आबंटन	1992-93 आबंटन	दी गई राशि	1993-94 आबंटन	दी गई राशि	1994-95 आबंटन
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
लखनऊ (उ०प्र०)	68.38	2.81	2.81	12.50	12.50	36.80
राजगुरूनगर पुणे (महाराष्ट्र)	68.38	2.81	2.81	36.60	36.60	11.80
बंगलौर (कर्नाटक)	68.38	2.81	2.81	12.50	12.50	36.80
त्रिवेंद्रम (केरल)	68.38	2.81	2.81	12.50	12.50	11.80
गंगटोक (सिक्किम)	68.38	2.81	2.81	12.50	12.50	11.80
कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	68.38	2.81	2.81	12.50	12.50	11.80
मोहाली (पंजाब)	68.38	2.81	2.81	12.50	12.50	11.80

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
श्रीनगर						
(जम्मू व कश्मीर)	43.38	2.81	2.81	12.50	12.50	11.80
कोयाम्बटूर						
मद्रास						
(तमिलनाडू)	68.38	2.81	2.81	12.50	12.50	11.80

* प्रशिक्षण के लिये प्रावधान भी शामिल है।

[हिन्दी]

खेलकूद और युवा-वर्ग

***309. प्रो० रासा सिंह रावत :**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह मताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेलकूद को बढ़ावा देने और युवा–वर्ग को प्रोत्साहन देनें संबंधी कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का विस्तृत बयौरा क्या है ;

(ख) वर्ष 1992-93, 1993-94 के दौरान तथा चालू वर्ष में इन योजनाओं के लिए राज्य–वार, कितनी धनराशि आवंटित की गई ;

(ग) क्या इस संबंध में समय–समय पर कोई मूल्यांकन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) युवा और खेल से सम्बंधित योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) योजनाओं के लिए राशि राज्य वार आबंटित नहीं की जाती। फिर भी इन वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना के लिए वर्ष–वार कुल आवंटन दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(ग) और (घ) स्थिति संलग्न विवरण-III में दर्शाई गई है।

विवरण-I

युवा और खेल के लिए प्रमुख योजनाओं के विस्तृत ब्यौरे

युवा कार्यक्रम

1. राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय सेवा योजना जो एन.एस.एस. के नाम से विख्यात है 1969 में शुरु की गई थी जिसका मुख्य कार्य सामुदायिक सेवा द्वारा छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना था। आज एन.एस.एस. में 1.1 मिलीयन छात्र स्वयंसेवक 158 विश्वविद्यालयों/जमा 2 प्रणाली से शामिल है। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत स्वयंसेवकों द्वारा दो प्रकार के कार्यक्रम अर्थात नियमित कार्यकलाप और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

2. नेहरु युवा केन्द्र :

नेहरु युवा केन्द्र संगठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के अधीन एक स्वायत संस्था है। संगठन का उद्देश्य गैर–छात्र ग्रामीण युवाओं को इकट्ठा करना और संघटित करना तथा राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों के लिए उनमें जागरूकता पैदा करना है। आज 461 नेहरु युवा केन्द्र हैं।

3. युवाओं के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना

युवा क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना निम्नलिखित लक्ष्यों और कार्यकलापों का संवर्धन करने के लिए तैयार की गई है :–

ग्रामीण विकास, प्रौढ़ शिक्षा और शहरी गन्दी बस्तियों का विकास जैसे कार्य करने के लिए पूर्णकालिक आधार पर युवाओं को शामिल करना।

इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत निकायों, सार्वजनिक न्यासों और अलाभकारी कम्पनियों को सहायता प्रदान की जाती है।

4. साहस का विकास :

यह योजना युवाओं में जोखिम लेने की भावना पैदा करने, सहनशीलता, सहयोगी तौर पर टीम कार्य करने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सक्रिय कार्य करने को प्रोत्साहित करने और उनमें अनुशासन तथा धैर्य की भावना भरने पर लक्षित है। पर्वतारोहण, ट्रेकिंग, रो–बोटिंग, हाइकिंग, डाटा एकत्र करने के लिए खोज, पहाड़ों, रेगिस्तानों तथा समुद्र में वनस्पति जीव जंतुओं का अध्ययन, तटीय नौकायन आदि जैसे साहसिक कार्यकलाप करने के लिए तथा युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए संस्थाओं, समूहों, व्यक्तियों तथा स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

5. स्काउटिंग तथा गाइडिंग

स्काउटिंग तथा गाइडिंग एक शैक्षिक अन्तर्राष्ट्रीय आन्दोलन है जिसका उद्देश्य लड़कों और लड़कियों को देश का अच्छा नागरिक बनाना है तथा दूसरों के लिए राजभक्ति, देश भक्ति तथा सहानुभूति की भावना भारत स्काउटिंग और गाइडिंग तथा अखिल भारत बाल स्काउट संगठन ऐसे संगठन हैं जो भारत में उन कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हैं जिसके लिए वित्तीय प्रशासनिक खर्च तथा प्रशिक्षण शिविरों, कौशलों, रैलियों, घटनाओं, समूहों जैसे कार्यकलापों आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

6. राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना :

राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना 1977-78 में शुरू की गई तथा इसका उद्देश्य पूर्णकालिक आधार पर विशेष अवधि के लिए राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में स्वैच्छिक रूप से भाग लेने के लिए शिक्षित युवाओं को अवसर प्रदान करना हैं 25 वर्ष से कम आयु का स्नातक इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 2 वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक संघ के रुप में नियुक्ति का पात्र है।

7. राष्ट्रीय एकीकरण का विकास :

राष्ट्रीय एकीकरण की विकास योजना देश के विभिन्न भागों में युवाओं के शिविर आयोजित करने, अंतर्राज्यीय दौरों के कार्यक्रम आयोजित करने, राष्ट्रीय एकीकरण के विभिन्न विषयों पर सेमीनार/सम्मेलन आयोजित करने, ऐसे ही विष्यों पर अनुसंधान और प्रकाशन करने, विश्वविद्यालयों के जरिए छात्रों के क्षेत्रीय/जोनल महोत्सव आयोजित करने, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य इसी प्रकार के कार्यकलाप आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके विभिन्न युवा संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए एक ढांचा प्रदान करती है।

8. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा शिष्टमण्डलों का आदान-प्रदान

ऐसे विनियम कार्यक्रम सामान्यतः सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत होते हैं। युवा शिष्टमंडलों को विदेशी सरकारी ऐजेंसियों के निमंत्रण पर विभिन्न बैठकों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों/शिविरों में भाग लेने के लिये भेजा जाता है। भारत के 36 देशों के साथ सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम/संयुक्त आयोग हैं।

9. युवा छात्रावास :

युवा छात्रावासों का निर्माण देश में युवा यात्रा को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ऐसे होस्टलों का निर्माण केन्द्रीय और राज्य सरकार के बीच संयुक्त रूप से किये जाने की व्यवस्था है। जबकि केन्द्रीय सरकार निर्माण लागत को वहन करती है तो राज्य सरकार जल, बिजली, सम्पर्क सड़कों तथा स्टाफ क्वाटरों सहित विकसित भूमि निशुल्क उपलब्ध करती है। वे होस्टल के प्रारम्भिक सचालन को भी वहन करती है।

10. राष्ट्रीय अनुशासन योजना :

केन्द्र में राष्ट्रीय उपयुक्तता कौर (एन.एफ.सी.) योजना के विकेन्द्रीकरण पर विभिन्न राज्यों के स्कूलों में एन.एफ.सी. योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे सभी राष्ट्रीय अनुशासन योजना (एन.डी.एस.) अनुदेशकों को संबंधित राज्य सेवाओं में सम्मलित कर लिया गया है। केन्द्रीय सरकार इन अनुदेशकों को जब तक वे सेवा में रहते हैं, के वेतन और भत्तें आदि और उसके बाद पेंशन उत्तरदायित्व तथा इन अनुदेशकों को सेवा रिकार्डों की देख–रेख करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए स्टाफ पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए बचनबद्ध है।

11. युवा क्लबों को सहायता :

देश में युवा आंदोलन को एक नया महत्व देने की दृष्टि से 1986-87 में इस विभाग द्वारा युवा क्लबों को सहायता की योजना शुरू की गई थी। मूल्य वृद्धि के कारण 1993-94 के दौरान इस योजना में संशोधन किया गया है। यह योजना इस वर्ष 1993-94 से नेहरु युवा केन्द्र संगठन तथा राज्य सरकारों/केन्द्र शामिल प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

12. युवाओं का प्रशिक्षण :

योजना का उद्देश्य स्व–रोजगार और बेहतर रोजगार के लिये स्थानीय आवश्यकताओं और प्रतिभाओं पर आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेते हुए ज्ञान के प्रसार के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करना हैं।

13. पिछड़े जनजाति के युवाओं के लिए विशेष योजना :

1990-91 के दौरान पिछड़े जनजाति के युवाओं में युवा कार्यकलापों को प्रोत्साहन देने के लिए एक विशेष योजना शुरू की गई थी ताकि उनकी आवश्यकताओं और संभावनाओं पर आधारित पिछड़े जनजातियों के युवाओं में युवा कार्यकलापों को बढ़ावा दिया जा सके।

14. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान :

राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान की स्थापना श्रीपेरम्बदुर (तमिलनाडू) में की गई। यह देश में सभी युवाओं से संबंधित कार्यकलापों के लिए प्रशिक्षण, प्रलेखन, अनुसंधान तथा मूल्यांकन एवं विस्तार कार्य के लिए एक एपेक्स निकाय के रूप में कार्य करेगा।

15. राष्ट्रीय युवा पुरस्कार :

राष्ट्रीय युवा पुरस्कार युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा 15-35 वर्ष के आयुवर्ग के व्यक्तियों को तथा स्वयंसेवी संस्थाओं को उनका समुदाय में जिम्मेदारी की भावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय सप्ताह मनाने के रूप में वार्षिक रूप से प्रदान किए जाते हैं।

16. उत्कृष्ट युवा क्लबों को पुरस्कार :

युवा क्लबों के योगदान को मान्यता प्रदान करने और उन्हें राष्ट्रीय निर्माण कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए उत्कृष्ट युवा क्लबों को पुरस्कार देने की यह नई योजना 1992-93 में शुरू की गई थी।

17. युवाओं के लिए प्रदर्शनी :

इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास के विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं द्वारा किए गए कार्यकलापों और योगदान को बढ़ावा देना तथा मान्यता प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत लोक नृत्य, लोक संगीत, चित्रकला, कला आदि में प्रदर्शनियां आयोजित की जा सकती हैं जिसके लिए गैर सरकारी संगठनों, राज्य सरकारों तथा अन्य प्रतिष्ठित अभिकरणों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

खेल और शारीरिक शिक्षा

1. भारतीय खेल प्राधिकरण

भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में भारत सरकार के संकल्प के अनुसरण में पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी। इसके मुख्य उद्दश्य में दिल्ली में आयोजित 1982 एशियाई खेलों के लिए सृजित विभिन्न खेल सुविधाओं के प्रभावी और अधिकतम उपयोग सहित खेल विकास और खेल प्रबन्ध से सम्बन्धित सभी मामले शामिल थे। खेल अकादमियों, कोचों और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के प्रशिक्षण, खेल अनुसंधान और विकास सहित 1987 में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल संस्थान के लिए सोसायटी (स्नाईप्स) को मिलाकर इसकी भूमिका में विस्तार किया गया था।

भारतीय खेल प्राधिकरण ने बंगलौर, चंडीगढ़, गांधी नगर और इम्फाल में मुख्यालय समेत क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में छः क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए है। दो उप–केन्द्र उत्तर–पूर्व केन्द्र के अन्तर्गत गुवाहाटी में तथा पश्चिम केन्द्र के अन्तर्गत औरगांबाद में भी स्थापित किए जाने की प्रक्रिया में है।

2. विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेल-कूद

इस योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों और कालेजों के छात्रों में खेल में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। इस योजना के 3 प्रमुख घटकों को 3 विभिन्न ऐजेन्सियों के माध्यम से कार्यन्वित किए जा रहें है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग खेल की बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए विश्वविद्यालय और क्लबों को सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना के अन्तर्गत पर्याप्त मात्रा में धनराशि का प्रयोग कर रहा है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ को इस योजना के अन्तर्गत अन्तर विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों के आयोजन, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्टीय टूनामैंट में भारतीय विश्वविद्यालय टीमों के भाग लेने के लिए प्रशिक्षण शिविरों को आयोजित करने तथा अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में विजेता विश्वविद्यालायों को पुरस्कार राशि देने के लिए अनुदान प्रदान किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों और कालेजों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खेल छात्रवृत्ति देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण को भी अनुदान दिया जा रहा है।

3. राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता

राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करने, टीमों की तैयारी के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करने तथा अन्तर्राष्ट्रिय टूर्नामैंटों में टीमों का भाग लेने के लिए राष्ट्रीय खेल संघों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। संघ के संयुक्त/सहायक सचिव के वेतन की प्रतिपूर्ति के लिए सचिवालीय सहायता भी प्रदान की जाती है

4. खेल की बुनियादी सुविधाओं का सृजन

खेल की बुनियादी सुविधाओं का सृजन खेल कार्यकलापों में बढ़ते हुए लोगों की संख्या को शामिल करने के लिए देश के सभी भागों में खेलों की बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता अनिवार्य है। खेल की बुनियादी सुविधाओं के सृजन की अनुदान योजना खेल के मैदानों, इंडोर/आउटडोर स्टेडियम, तरणताल, जिला स्तरीय खेल परिषद् जैसे खेल की बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए केन्द्रीय सहायता का अंशदान प्रदान करते हुए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

5. ग्रामीण स्कूलों में खेल उपस्करों के खरीद और खेल मैदानों का विकास

खेलों की बुनियादी सुविधाओं के सृजन की मुख्य योजनाओं के अन्तर्गत विभाग ग्रामीण विद्यालयों के लिए वित्तीय सहायता की उपयोजना चलाता है। इस योजना के अन्तर्गत खेल मैदानों के विकास या गैर उपभोज्य खेल उपस्करों की खरीद या दोनों के लिए राज्य सरकार या विद्यालय से किसी प्रकार के योगदान के बिना ग्रामीण विद्यालयों को एक मुश्त एक लाख रूपये का अनुदान प्रदान किया जाता है। प्रत्येक समुदयिक विकास ब्लाक में एक ग्रामीण माध्यमिक और एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को वित्तीय सहायता के लिए चुना जा सकता है बशर्ते कि यह ब्लाक नोडल खेल केन्द्र के रूप में विकास करने की क्षमता रखता है।

6. सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक कृत्रिम परत बिछाने की योजना

यह योजना 7वीं योजना में इस उद्देश्य के साथ शुरु की गई थी, ताकि राष्ट्रीय एथलीटों को अभ्यास और प्रशिक्षण की उपयोगी सुविधाएं उपलब्ध की जा सकें। सिंथेटिक ट्रैक और सिंथेटिक हाकी परतों के लिए केन्द्रीय सहायता को 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है और दूसरी परतों के लिए यह 50 लाख रुपये तक बढ़ाया गया है जबकी केन्द्रीय भाग को परियोजना की कुल लागत का 50 प्रतिशत रखा गया है।

7. खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना

खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना वर्ष 1970-71 में शुरू की गई थी। यह योजना प्रतिभाशाली युवा लड़कों और लड़कियों को, जो शिक्षा के माध्यमिक स्तर में पढ़ रहे हैं और खेलों में भी उत्कृष्ट हैं, सूविधाएं प्रदान करती है, ताकि उनकी खेलों की प्रतिभा का विकास हो सके और वे अपने छात्र जीवन के दौरान पौष्टिक भोजन पाने में समर्थ हो सके। छात्रों को राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर के खेल प्रतियोगिताओं के आधार पर चुना जाता है। एन.एस.ओ. कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वविद्यालय और कालेज स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों और महिलाओं को " महिलाओं में खेलों और शारीरिक शिक्षा का संवर्धन" कार्यक्रम के अंतर्गत भी छूट दी जाती है।

8. डा. भीमराव अम्बेडकर ग्रामीण खेल टूर्नामेंट

देश के खेल कार्यकलापों की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1970-71 में ग्रामीण खेल टूर्नामेंट का देशव्यापी कार्यक्रम शुरू किया गया था। वित्तीय सहायता प्रत्येक जिला स्तरीय टूर्नामेंट के लिए 3 विधाओं तक प्रत्येक विधा में 2000/- रुपये की दर से राज्य स्तरीय टूर्नामेंट के लिए 10,000/- रुपये प्रति विधा तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए 5,000/- रुपये प्रति विधा पांच विधाओं तक दी जाती है।

9. खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष

खिलाड़ियों और उनके परिवारों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना 1992 में मुख्य तौर पर विगत वर्षों के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सहायता देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी जिन्होंने खेलों में देश को गौरव दिलाया लेकिन जो अब बदकिस्मती से दरिद्र अवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं। सह वित्तीय सहायता सामान्यतः 1500/- रुपये तक मासिक पेंशन के रूप में दी जाती है। चिकित्सा उपचार के लिए एक मुश्त अनुदान भी दिया जाता है। उन खिलाड़ियों को भी जिन्हें खेल प्रतियोगिताओं या प्रशिक्षण के दौरान भाग लेने पर गहरी और घातक चोट लगी हो, को भी सहायता दी जाती है।

उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार

10. राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार

यह योजना वर्ष 1991-92 से शुरू की गई है तथा इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित खेल व्यक्तियों को अपना सामान्य स्तर बढ़ाने और सोसायटी में उन्हें महान गौरव एवं सम्मान देना है। इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत खिलाड़ी और टीम द्वारा खेलों के क्षेत्र में अत्यधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 1.00 लाख रुपये की धनराशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है।

अर्जुन पुरस्कार

अर्जुन पुरस्कार अति विशिष्ट खिलाड़ियों को खेल क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने के लिए वर्ष 1961 में शुरू किए गए थे।

अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार

1986 से सभी खेल विधाओं, जो ओलम्पिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल है, में विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं को 50,000/- रुपये से 5 लाख रुपये तक के विशेष नकद पुरस्कार दिए जाते हैं।

द्रोणाचार्य पुरस्कार

द्रोणाचार्य पुरस्कार उन विख्यात प्रशिक्षकों को सम्मान देने के लिए 1985 में शुरू किया गया था जिन्होंने पुरस्कार के गत तीन वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए खिलाड़ियों और टीमों को शानदार प्रशिक्षण दिया था।

11. खेल विशेषज्ञों को यात्रा अनुदान

राष्ट्रीय खेल नीति 1984 के संबल्प के अनुसरण में 7वीं योजना के दौरान "खेल विशेषज्ञों को यात्रा अनुदान" की योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य खेल और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा और प्रोत्साहन देना है। इस योजना के अंतर्गत यह विभाग महत्वपूर्ण शैक्षणिक सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए यात्रा खर्च देता है।

12. विदेशों में खेल/साहस में विशेषज्ञों और उत्कृष्ट खिलाड़िओं के प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्ति की योजना।

इसका उद्देश्य हमारे खेल प्रशिक्षकों, शारीरिक अनुकूलन विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और अनुसंधान विशेषज्ञों को प्रशिक्षण, कोचिंग और अनुसंधान की नवीनतम तकनीकी से सुसज्जित करना था ताकि आने वाले वर्षों में भारत विशेषज्ञों का पूल तैयार कर सके जो गहन प्रशिक्षण और राष्ट्र स्तरीय एथलीटों/खिलाड़ियों का प्रबन्ध कर सके।

13. खेल तथा शारीरिक शिक्षा टीमों/विशेषज्ञों का आदान-प्रदान

खेल तथा शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में पर्याप्त वृद्धि हुई जिसमें राष्ट्रीय टीमों के लिए विदेशों में प्रदर्शन और राष्ट्रीय टीमों की कोचिंग/प्रशिक्षण के लिए सक्षम प्रशिक्षकों, सुविज्ञ विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करने के लिए आवश्यकतानुसार अवसर मिले। यह प्रक्रिया हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत लाभप्रद रही है।

14. महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैम्पियनशिप

इस योजना का उद्देश्य महिला खिलाड़ियों को प्रतियोगितात्मक प्रदर्शन के उपयुक्त अवसर प्रदान करना है जिनसे उन्हें हमारे देश के प्रारम्भिक स्तरों पर वंचित रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को ब्लाक स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक प्रतियोगिताओं की श्रृंखला आयोजित करने के लिए पूर्व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार वित्तीय सहायता दी जाती है। पिछले वर्षों से यह योजना अत्यंत लोकप्रिय बन गई है और इसमें भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है।

15. सार्वजनिक/आवासीय/केन्द्रीय स्कूलों में एन.सी.सी. जूनियर डिवीजन टूप

एन.सी.सी.संगठन का उद्देश्य स्कूल और कालेज के युवाओं को प्रशिक्षण देना है जिससे वे देश के सभ्य नागरिक बन सकें। संगठन संयुक्त रूप से केन्द्र और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से वित्त पोषित होना है।

16. पुरस्कार राशि के माध्यम से स्कूलों में खेल-कूद को बढ़ावा देना

यह योजना स्कूलों में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1986 में शुरू की गई थी। 10,000/- रुपये का नकद पुरस्कार प्रत्येक उन माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को वार्षिक तौर पर दिए जाते हैं जो भारतीय विद्यालय खेल संघ द्वारा आयोजित जिला अंतर विद्यालय टूर्नामेंट जीतते हैं।

विवरण-II

युवा और खेल की मुख्य योजनाओं के लिए वर्ष-वार कुल आवंटन

(रूपये लाखों में)

क्र० सं०	योजना का नाम	संशोधित प्राक्कलन 1992-93	संशोधित प्राक्कलन 1993-94	बजट प्राक्कलन 1994-95
1	2	3	4	5
क	**- युवा कल्याण योजना**			
1.	राष्ट्रीय सेवा योजना	1426.00	1572.00	1567.00
2.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन	1488.00	1620.00	1728.00
3.	स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	41.50	55.00	55.00
4.	साहसिक कार्यकलापों का	140.90	171.00	150.00
	विकास और पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना और विकास	40.00	40.00	40.00
5.	स्काउटिंग और गाइडिंग	100.00	104.00	92.00
6.	राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना	225.60	260.50	250.00
7.	राष्ट्रीय एकीकरण कार्यक्रम	239.85	414.75	525.00
8.	अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा शिष्ट मंडलों का आदान–प्रदान	25.00	26.00	40.00
9.	युवा छात्रावास	210.00	210.00	152.00
10.	राष्ट्रीय अनुशासन योजना	965.00	969.00	966.00
11.	युवा क्लब	30.00	58.00	58.00
12.	युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	45.00	100.00	100.00
13.	पिछड़े आदिवासियों के युवाओं में कार्यकलापों को बढावा देने के लिए विशेष योजना	30.00	50.00	100.00

1	2	3	4	5
14.	राजीव गांधी युवा विकास राष्ट्रीय संस्थान	77.00	77.00	77.00
15.	राष्ट्रीय युवा पुरस्कार	12.00	12.00	12.00
16.	उत्कृष्ट युवा क्लबों को पुरस्कार	40.00	40.00	40.00
17.	युवाओं के प्रदर्शनियां	30.00	30.00	30.00
ख - खेलकूद				
1.	भारतीय खेल प्राधिकरण	3941.00	4380.00	3913.00
2.	विश्वविद्यालयों और कालेजों को अनुदान	250.00	230.00	250.00
3.	खेल संघों को अनुदान	436.00	1560.00	985.00
4.	खेल अवस्थापना का विकास	624.00	730.00	750.00
5.	खेल कार्यकलापों के विकास के लिए प्रोत्साहन	250.00	225.00	300.00
6.	सिंथेटिक ट्रैक/कृत्रिम परत को बिछाना	100.00	200.00	150.00
7.	खेल तथा शारीरिक शिक्षा टीम विशेषज्ञों का आदान–प्रदान	50.00	150.00	173.00
8.	महिलाओं के लिए राष्ट्रीय	56.00	56.00	56.00
	खेल चैम्पियनशिप और महिलायों में खेलों का विकास	3.00	3.00	3.00
9.	पब्लिक आवासीय स्कूलों/केंन्द्रीय स्कूलों की एन.सी.सी. जूनियर डिवीजन ट्रूप्स को अनुदान	19.00	19.00	19.00
10.	खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना	106.00	98.00	100.00

1	2	3	4	5
11.	ग्रामीण खेल कार्यक्रम	53.00	25.00	100.00
12.	खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष	2.00	2.00	2.00
13.	अर्जुन पुरस्कार	11.00	4.00	4.00
14.	द्रोणाचार्य पुरस्कार	6.00	2.00	2.00
15.	खेल छात्रों को यात्रा अनुदान	1.00	1.00	3.00
16.	विदेशों में साहसिक खेलों के विशेषज्ञों तथा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्ति	3.00	2.00	10.00

विवरण-III

युवा और खेल योजनाओं के मूल्यांकन के बारे में स्थिति

क्र० सं०	योजना का नाम	किए गए मूल्यांकन का परिणाम, यदि कोई है
1	2	3
1.	साहस का विकास	कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया गया है। फिर भी योजना आयोग और ई.एफ.सी. के अनुमोदन से 1993 में योजना की समीक्षा की गई और इसमें संशोधन किय गया तथा भोजन व आवास की दर बढ़ाई गई और राष्ट्रीय साहस पुरस्कार शुरू किए गए।
2.	राष्ट्रीय एकीकरण का विकास	कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया गया है। फिर भी योजना आयोग और ई.एफ.सी. के अनुमोदन से 1994 में योजना की समीक्षा की गई और इसमें संशोधन किय गया तथा भोजन व आवास की दर बढ़ाई गई और सहभागियों की सीमा में वृद्धि की गई।
3.	स्काउटिंग और गाईडिंग	योजना का संशोधन प्रक्रियाधीन है।
4.	युवा छात्रावास	कोई मूल्यांकन नहीं किया गया।
5.	राष्ट्रीय युवा पुरस्कार	कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया गया है। फिर भी 1992 में योजना आयोग के परामर्श से समीक्षा की गई है। व्यक्तिगत नकद पुरस्कार की दर को बढ़या गया है।

6.	युवाओं का प्रशिक्षण	हरियाण, दिल्ली और राजस्थान में योजना के कार्यन्वयन का मूल्यांकन 1993-94 के दौरान हरियाण लोक प्रशासन संस्थान, गुड़गांव द्वारा किया गया है। रिपोर्ट प्रारूप की विभाग में जांच की जा रही है। संस्थान से अंतिम रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।
7.	राज्य खेल परिषदों आदि को अनुदान	राजेन्द्रन समिति द्वारा मई, 1992 में मूल्यांकन किया गया है। सिफारिशों को शामिल करने के लिए योजना में संशोधन किया गया है।
8.	गैर–उपभोज्य खेल उपस्करों की खरीद और खेल मैदानों के विकास के लिए ग्रामीण स्कूलों को अनुदान	राजेन्द्रन समिति द्वारा 1992 में मूल्यांकन किया गयां। सिफाारिशों को शामिल करने के लिए योजना संशोधित की गई। मार्गदर्शी रूप रेखाएं अभी तैयार की जानी हैं।
9.	विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेल–कूद का विकास	राजेन्द्रन समिति द्वारा मई, 1992 में मूल्यांकन किया गया अनुवर्ती कार्रवाई प्रगति में है।
10.	सिंथेटिक सतहों को बिछाने और आपूर्ति करने के लिए सहायता	राजेन्द्रन समिति द्वारा मई, 1992 में मूल्यांकन किया गया संशोधित योजना में सिफारिशों को शामिल किया गया है।
11.	ग्रामीण खेल कार्यक्रम	मई, 1992 में राजेन्द्रन समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया है। ग्रामीण नोडल क्लबों को केन्द्रीय सहायता की योजना ग्रामीण खेल कार्यक्रम की संशोधित योजना में सम्मिलित की गई है।
12.	पुरस्कार राशि के जरिए स्कूलों में खेल–कूद को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन	राजेन्द्रन समिति द्वारा मई, 1992 में मूल्यांकन किया गया सिफारिशों को शामिल करने के लिए योजना संशोधित की गई है।
13.	महिलाओं में खेलों को बढ़ावा देना	राजेन्द्रन समिति द्वारा मई, 1992 में मूल्यांकन किया गया।
14.	खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति	राजेन्द्रन समिति द्वारा मई, 1992 में मूल्यांकन किया गया।
15.	खेल छात्रों को यात्रा अनुदान	राजेन्द्रन समिति द्वारा मई, 1992 में मूल्यांकन किया गया। सिफारिशों को योजना में सम्मिलित किया जा चुका है।

16.	राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता और भारतीय खेल प्राधिकरण की अन्य योजनाएं	मैसर्स टाटा कंसलटेन्सी सर्विसिज द्वारा हाल ही में मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट विभाग के विचाराधीन है।
17.	राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)	योजना का मूल्यांकन क्षेत्रीय केन्द्रों (टी.ओ.आर.सी.एस.) दिल्ली, बम्बई, नरेन्द्रपुर और मद्रास द्वारा विगत वर्षों में किया गया था। इस समय अखिल भारतीय स्तर पर मूल्यांकन भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है।
18.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन	योजना का मूल्यांकन 1990-91 में योजना आयोग द्वारा किया गया था और इसकी रिपोर्ट अनुकूल पाई गई थी। हालांकि रिपोर्ट में वेतन ढांचे, नियमन आदि के संबंध में कुछ असंगति का उल्लेख किया गया था जिसकी अन्य विभागों के परामर्श से जांच–पड़ताल की जा रही है।

[अनुवाद]

माल की दुलाई

***310. श्री तरित बरन तोपदार :**

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के लिए रेलवे द्वारा माल दुलाई का क्या लक्ष्य रखा गया था ;

(ख) इस वर्ष की प्रथम तिमाही में इस लक्ष्य का कितने प्रतिशत भाग प्राप्त कर लिया गया है ;

(ग) माल दुलाई के लिए कुल कितने वै नों की मांग की गई है ; और

(घ) इस मांग की तुलना में विभिन्न सेक्टर' को कितने वैगन आवंटित किए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) राजस्व उपार्जक यातायात के लिए 380 मिलियन टन.

(ख) की गई दुलाई आनुपातिक लक्ष्य का 99.8 प्रतिशत थी।

(ग) और (घ) इस समय मांग पूरी की जा रही है। अप्रैल–जुलाई माह के दौरान महत्वपूर्ण पण्यों की दैनिक औसत ढुलाई (ब.ला.) का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

पण्य	प्रतिदिन माल डिब्बे
कोयला	18,927
इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चा माल	4,119
इस्पात संयंत्रों से कच्चा लोहा और तैयार इस्पात	1,328
निर्यात के लिए लौह अयस्क	1,405
सीमेंट	3,114
खाद्यान्न	2,000
उर्वरक	2,087
पेट्रोल, तेल, स्नेहक	3,319
शेष अन्य माल	4,536
कुल राजस्व उपार्जक माल यातायात	40,835

माल गोदामों और स्टेशनों में माल डिब्बों की सप्लाई के लिए दर्ज मांग में से 31.7.1994 को बड़ी लाइन के 11,290 माल डिब्बों और मीटर लाइन के 3,583 माल डिब्बों की मांग बकाया थी।

कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय

*311. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य–वार कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या 1994-95 के दौरान ऐसे और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु प्रत्येक राज्य में किन–किन स्थानों का चयन किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) वर्तमान समय में देश में 17 कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय हैं, जिनमें से 15 राज्य कृषि विश्वविद्यालय प्रणाली के अंतर्गत हैं। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) कृषि शिक्षा और अनुसंधान राज्य का विषय है। इस प्रकार के महाविद्यालयों को खोलने का फैसला राज्य सरकारों को करना होता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) ऊपर (ख) में जो कहा गया है उसको देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

भारत में कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की राज्यवार संख्या

क्रम सं०	राज्य का नाम	कालेजों की संख्या
1.	2.	3.
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	बिहार	1
3.	गुजरात	1
4.	हरियाणा	1
5.	कर्नाटक	1
6.	केरल	1
7.	मध्य प्रदेश	1
8.	महाराष्ट्र	3
9.	उड़ीसा	1
10.	पंजाब	1
11.	राजस्थान	1
12.	तमिलनाडु	1
*13.	उत्तर प्रदेश	2
*14.	पश्चिम बंगाल	1

* उत्तर प्रदेश का एक महाविद्यालय और पश्चिम बंगाल का एक महाविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय प्रणाली के बाहर के हैं।

[अनुवाद]

यशपाल समिति की रिपोर्ट

*312. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :**

श्री मोहन रावले :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यशपाल समिति की रिपोर्ट पर राज्यों से टिप्पणियां आमंत्रित की थीं;

(ख) यदि हां, तो कौन–कौन से राज्य उक्त समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सहमत हैं ; और

(ग) बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने हेतु कौन–कौन से कदम उठाने का विचार किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) स्कूली छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने से संबंधित राष्ट्रीय सलाहकार समिति की रिपोर्ट को भेजते समय राष्ट्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रो० यशपाल ने इस पर व्यापक स्तर पर चर्चा कराने की सलाह दी है। 15.10.93 को आयोजित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 49वीं बैठक में इस सलाह का समर्थन किया गया। दिसंबर, 1993 में, यशपाल समिति की रिपोर्ट तथा समिति की सिफारिशों की संभाव्यता का पता लगाने के लिए मंत्रालय में गठित समूह की रिपोर्ट की प्रतियां राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को इस आग्रह के साथ भेजी गई कि वे इन रिपोर्टों पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों, अभिभावकों तथा शिक्षकों की कार्यशालाएँ आयोजित करें तथा अपने विचार भेजें।

2. 2.3.1994 को आयोजित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 50वीं बैठक में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों ने समूह के सुझावों के साथ पठित समिति की सिफारिशों पर मोटे तौर पर अपनी सहमति व्यक्त की

3. यशपाल समिति ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि चिंता का वास्तविक कारण स्कूली बस्ते का भौतिक बोझ नहीं है बल्कि न समझ पाने का बोझ ही चिंता का कारण है। स्कूली छात्रों के शैक्षिक बोझ को कम करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जो प्रमुख सुझाव दिए गए हैं, वे इस प्रकार हैं :–

(I) राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तर पर पाठ्यचर्या तैयार करने तथा पाठ्य–पुस्तकों की तैयारी में शिक्षकों की अधिक भागीदारी।

(II) पूर्व–स्कूल के लिए मानदंड निर्धारित करने हेतु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के स्कूली शिक्षा अधिनियमों या नियमावलियों में संशोधन।

(III) पूर्व–स्कूल में दाखिला के लिए परीक्षण/साक्षात्कार को बंद करना तथा पूर्व–स्कूल स्तर पर पाठ्य–पुस्तकों और गृह कार्य को समाप्त करना।

(IV) प्राथमिक स्तर पर गृह कार्य और परियोजना कार्य बंद करना।

(V) श्रव्य–दृश्य सामग्री का व्यापक प्रयोग तथा शिक्षक–छात्र के 1:40 के अनुपात को लागू करना

बीमा योजना

*313. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेल यात्रियों के लिए बीमा योजना लागू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य–मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इसका लाभ अनारक्षित डिब्बों के यात्रियों को भी मिलेगा ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) क्या सरकार का विचार इसके परिणामस्वरूप रेल किराए में वृद्धि करने का है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफ़र शरीफ़) : (क) जी हां। इसे 1.8.1994 से लागू कर दिया गया है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी हां। सभी वैध टिकट अथवा पास धारक इस योजना के अंतर्गत आते हैं।

(ड़) जी नहीं।

विवरण

रेल यात्री बीमा योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :–

1. इस योजना के अंतर्गत, रेलवे ड्यूटी पर रेल कर्मचारियों सहित टिकट अथवा पास धारी उन सदाशयी यात्रियों की मृत्यु होने अथवा चोटें आने पर मुआवजे का भुगतान करेगी जो किसी यात्री गाड़ी में अथवा प्रतीक्षालय, आमानती सामान घर अथवा आरक्षण अथवा बुकिंग कार्यालय अथवा किसी प्लेटफार्म पर, रेलवे स्टेशन के परिसर के अंतर्गत आने वाले किसी स्थान पर आतंकवादी गतिविधियों , हिंसात्मक हमलों, लूटपाट, डकैती, दंगे, गोली चलने अथवा किसी व्यक्ति द्वारा आगजनी जैसी अप्रिय घटनाओं के शिकार हो जाते हैं अथवा कोई यात्री किसी सवारी गाड़ी से अचानक गिर जाता है।

2. बहरहाल दावाकर्ताओं की ओर से संपत्ति की हानि के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. इस योजना के अंतर्गत मुआवजे का वही मापदंड होगा जैसाकि रेल दुर्घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 में व्यवस्था की गई है। इन नियमों के अंतर्गत मृत्यु अथवा स्थायी रूप से अपंग होने के मामले में मुआवजा 2 लाख रू. है और चोट लगने के मामले में न्यूनतम मुआवजा 16,000/- रु. है और अधिकतक मुआवजा 1,80,000/- रु. है।

4. बहरहाल, आत्महत्या अथवा आत्महत्या के लिए किये गये प्रयास, स्वत : लगी चोट, यात्रियों के अपने आपराधिक कार्य, अथवा नशा अथवा पागलपन की हालत में किए गये किसी कार्य अथवा नैसर्गिक मृत्यु अथवा बीमारी अथवा चिकिस्सीय अथवा सर्जिकल उपचार, जब तक कि इस प्रकार का उपचार उक्त "अप्रिय घटना" के द्वारा हुई चोट के कारण आवश्यक नहीं होता, के मामले में कोई मुआवजा देय नहीं होगा।

5. मुआवजे के आवेदनों को रेल दावा अधिकरण द्वारा निपटाया जाएगा। इस अधिकरण की उन्नीस पीठें देश के विभिन्न भागों में स्थापित की गई हैं। रेल दावा अधिकरण की डिगरियों का भुगतान क्षेत्रिय रेलों द्वारा सामान्य प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

"ड्रिप" सिंचाई प्रणाली

***314. श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर :**

श्री तेजसिंह राव भोंसले :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में "ड्रिप" सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु प्रदान की जा रही राजसहायता संबंधी विद्यमान नीति में संशोधन किया गया है अथवा किए जाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ;

(घ) क्या किसी राज्य सरकार ने बागवानी हेतु "ड्रिप" सिंचाई को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत राजसहायता को पुरानी दरें बहाल करने का केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(च) वर्ष 1994-95 के लिए इस उद्देश्य हेतु राज्य–वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ?

कृषी मंत्री (श्री बलंराम जाखड़) : (क) से (ग) प्रति लाभानुभोगी एक हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिये ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था के लिये कृषि में प्लास्टिक का उपयोग विषयक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत राजहायता की वर्तमान व्यवस्था में संशोधन करने से संबंधित एक प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय किये जाने की सम्भावना है।

(घ) और (ङ) कुछ राज्यों, जैसे – आन्ध्र प्रदेश, गुजरात तथा मध्य प्रदेश ने इस योजना के तहत

प्रति लाभानुभोगी एक हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिये राजसहायता की व्यवस्था के लिये मंत्रालय से सम्पर्क किया है।

(च) इस योजना के तहत वर्ष 1994-95 के लिये आबंटन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वित्तीय वर्ष 1994-95 के लिये वित्तीय परिव्यय

क्र.सं.	राज्य	ड्रिप अधिष्ठापना धनराशि (लाख रु० में)	ड्रिप प्रदर्शन धनराशि (लाख रु० में)
1.	2.	3.	4.
वर्ग क			
1.	आन्ध्र प्रदेश	456.00	12.00
2.	गुजरात	180.00	7.50
3.	कर्नाटक	495.00	10.50
4.	महाराष्ट्र	702.00	30.00
5.	तमिलनाडु	372.00	10.50
	उप योग	2205.00	70.50
वर्ग ख			
1.	हरियाणा	42.00	3.00
2.	हिमाचल प्रदेश	42.00	3.00
3.	केरल	198.00	9.00
4.	मध्य प्रदेश	117.00	6.00
5.	उड़ीसा	249.00	10.50
6.	पंजाब	33.00	3.00
7.	राजस्थान	66.00	3.00
	उप योग	747.00	37.00

1.	2.	3.	4.
वर्ग ग			
1.	उत्तर प्रदेश	165.00	16.50
2.	अरुणचल प्रदेश	6.00	0.60
3.	अंडमाल और निकोबार	6.00	0.60
4.	असम	18.00	1.80
5.	बिहार	93.00	6.00
6.	चन्डीगढ़	6.00	0.60
7.	दादरा और नगर हवेली	6.00	0.60
8.	दमन और द्वीप	6.00	0.00
9.	दिल्ली	6.00	0.60
10.	गोवा	6.00	0.75
11.	जम्मू और कशमीर	39.00	3.00
12.	लक्ष द्वीव	6.00	0.00
13.	मणिपुर	6.00	0.60
14.	मेघालय	6.00	0.60
15.	मिजोरम	6.00	0.60
16.	नागालैंड	0.00	0.60
17.	पाण्डिचेरी	6.00	0.60
18.	सिक्किम	6.00	0.60
19.	त्रिपुरा	6.00	0.55
20.	पश्चिम बंगाल	63.00	5.40
	उप योग	468.00	42.00
	कुल योग	3420.00	150.00

धान की खेती

*315. डा० के० वी०आर० चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय राज्य–वार कुल कितने भू–क्षेत्र में धान की खेती होती है ;

(ख) क्या गत दो वर्षों की तुलना में धान की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र में कोई कमी आयी है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान और अधिक क्षेत्र में धान की खेती करने के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गयी ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) वर्ष 1991-92 से 1993-94 के दौरान देश में धान की खेती के तहत राज्य–वार कुल क्षेत्र संलग्न विवरण -I में दर्शाया गया है।

(ख) जी, नहीं

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान समेकित चावल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय अंश के रूप में दी गई वित्तीय सहायता संलग्न विवरण-II में दर्शायी गई है।

विवरण - I

वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक धान के तहत क्षेत्र के अनुमान

क्षेत्र (हजार हैक्टेयर में)

राज्य	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	3936.1	3561.7	3273.0
असम	2527.7	2522.6	2592.0
बिहार	5099.5	4383.2	5093.0
गुजरात	598.0	575.6	598.0
हरियाणा	640.0	703.0	756.0
हिमाचल प्रदेश	83.3	81.9	90.0
जम्मू और कश्मीर	282.2	282.2	285.0
कर्नाटक	1268.8	1275.0	1287.0

1	2	3	4
केरल	541.3	537.7	528.0
मध्य प्रदेश	5131.5	5071.5	5003.0
महाराष्ट्र	1572.4	1542.5	1543.0
उड़ीसा	4547.9	4443.4	4571.0
पंजाब	2074.0	2065.0	2065.0
राजस्थान	140.2	141.6	141.0
तमीलनाडु	2117.9	2272.8	2323.0
उत्तर प्रदेश	5413.1	5478.0	5323.0
पश्चिम बंगाल	5719.2	5768.2	5775.0
अन्य	956.0	931.0	956.0
समस्त भारत	42649.1	41636.9	42202.0

विवरण -II

1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान योजना को क्रियान्वित करने के लिए आई० पी० आर० डी० के अन्तर्गत केन्द्रीय हिस्से के रूप में आवण्टित की गयी धनराशि का राज्यवार व वर्षवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1991-92	आवण्टित धनराशि 1992-93	लाख रुपये में 1993-94
1	2	3	4	5
1.	असम	565.00	154.83	141.24
2.	बिहार	1200.00	569.76	524.22
3.	मध्य प्रदेश	1000.00	322.33	390.93
4.	उड़ीसा	719.00	201.71	228.89
5.	उत्तर प्रदेश	1280.00	1252.50	1043.43
6.	पश्चिम बंगाल	1000.00	337.81	219.06
7.	हरियाणा	150.00	154.96	258.96

1	2	3	4	5
8.	हिमाचल प्रदेश	40.00	15.60	20.88
9.	जम्मू और कश्मीर	20.00	21.09	22.98
10.	कर्नाटक	300.00	220.58	166.854
11.	केरल	115.00	126.00	150.63
12.	महाराष्ट्र	300.00	344.64	323.80
13.	मणिपुर	40.00	11.13	12.89
14.	मेघालय	35.00	2.71	7.48
15.	मिजोरम	20.00	18.30	19.51
16.	नागालैंड	35.00	28.45	22.83
17.	पंजाब	400.00	342.86	479.64
18.	तमिल नाडु	600.00	889.19	571.23
19.	त्रिपुरा	70.00	39.03	28.12
20.	पाण्डिचेरी	20.00	13.87	14.10
21.	आन्ध्र प्रदेश	840.00	831.34	846.10
22.	अरूणाचल प्रदेश	30.00	12.91	9.67
23.	गोवा	20.00	8.54	6.57
24.	गुजरात	150.00	117.15	119.54

ओद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण

*316. श्री एस० एम० लालजान बाशा :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश में बाइस गम्भीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में से चौदह प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कोई व्यापक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की है ,

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या है ;

(ग) इन अत्यधिक प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रदूषण के नियंत्रण के लिए क्या कार्य सौंपा गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) कार्य योजना में इन चौदह औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शुरू की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि और की जाने वाली विशिष्ट कार्रवाई के लिए उत्तरदायी एजेंसी विनिर्दिष्ट की गई है।

(ग) और (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ग) अभिनिर्धारित अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों का ब्यौरा इस प्रकार है :–

1. भद्रावती (कर्नाटक)
2. चैम्बूर (महाराष्ट्र)
3. डिगबोई (असम)
4. गोबिन्दगढ़ (पंजाब)
5. ग्रेटर कोचीन (केरल)
6. काला अम्ब (हिमाचल प्रदेश)
7. परवानू (हिमाचल प्रदेश)
8. कोरबा (मध्यप्रदेश)
9. मनाली (तमिलनाडु)
10. उत्तरी आर्कोट (तमिलनाडु)
11. पाली (राजस्थान)
12. तालचेर (उड़ीसा)
13. वापी (गुजरात)
14. विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश)
15. धनबाद (बिहार)
16. दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)
17. हावड़ा (पश्चिम बंगाल)
18. जोधपुर (राजस्थान)
19. नागदा–रतलाम (मध्य प्रदेश)
20. नजफगढ़ ड्रेन (दिल्ली)
21. पत्तनचेरू बोलारम (आंध्र प्रदेश)
22. सिंगरोली (उत्तर प्रदेश)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के परामर्श से उपर क्रम सं० 1-14 में उल्लिखित क्षेत्रों के लिए कार्रवाई योजनाएं तैयार की गई हैं।

(घ) प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सौंपे गए कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

1. कार्रवाई योजनाएं कार्यान्वित करना।

2. समस्याग्रस्त क्षेत्रों में पर्यावरणीय गुणवत्ता में प्रगामी सुधार का मूल्यांकन करने के लिए परिदेशी वायु, जल, मृदा इत्यादि की गुणवत्ता की निगरानी करना।

3. समस्याग्रस्त क्षेत्रों में जहां अनिवार्य हो, बहिस्राव शोधन और उत्सर्जन नियंत्रण के लिए तकनीकी संसाधनों का सुझाव देना।

4. उद्योगों को निर्देश देना की वे समयबद्ध आधार पर निर्धारित मानकों का अनुपालन करें और बन्द करने सहित दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करें जिनमें उन्हें बंद करना भी शामिल है।

5. समस्याग्रस्त क्षेत्रों की वहन क्षमता के आधार पर बहिस्राव और उत्सर्जन मानकों में संशोधन करना और उन्हें और अधिक कड़े बनाना।

6. जहां जरूरी हो, समस्याग्रस्त क्षेत्रों में सी ई पी टी स्थापित करने के लिए पहल करना।

7. सिंचाई प्रयोजनों के लिए शोधित बहिस्रावों के अनुप्रयोग की उपलब्धता पर वैज्ञानिक अध्ययन आयोजित करना।

8. परिसंकटमय ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की शिनाख्त करना।

9. विभिन्न प्रक्रमों का स्वयं मूल्यांकन करने के लिए पर्यावरणीय संपरीक्षा शुरू करने के लिए इकाइयों को प्रोत्साहित करना ताकि अपशिष्ट बनने को रोका/कम किया जा सके जिससे निवेश लागतों की बचत होगी।

10. समस्याग्रस्त क्षेत्रों में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट को उपयोग में लाने कीं संभावना का पता लगाना जैसे परित्यक्त खनन क्षेत्रों को भरने या ईंट निर्माण आदि के लिए फ्लाई ऐश का उपयोग करना।

ओजोन कोष

*317. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव :**

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख पर्यावरण दलों ने अंतर्राष्ट्रीय ओजोन कोष को औद्योगिक देशों के वाणिज्यिक हितों की पूर्ति हेतु कथित रूप से चुनिन्दा क्षेत्रों में इस्तेमाल करने से रोकने के लिए भारत की सहायता मांगी है ;

(ख) क्या औद्योगिक देशों की कंपनियां विकासशील देशों को ओजोन—क्षरण रसायनों के विकल्प पेश करके ओजोन कोष से लाभ प्राप्त कर रही हैं ;

(ग) क्या विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र, नई दिल्ली ने सरकार से नीतियों में परिवर्तन करने हेतु वित्त पोषण समीक्षा पैनल में अपने प्रभाव का उपयोग करने के लिए कहा है ताकि रसायनों के वैकल्पिक पदार्थों के स्वदेशी अनुसंधान और विकास हेतु भी इस कोष का उपयोग किया जा सके ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) इस बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन गैर–सरकारी संगठनों और जुलाई, 1994 में नैरोबी में आयोजित मांट्रियल प्रोटोकाल के पक्षकार देशों के ओपन एन्डेड वर्किंग ग्रुप की दसवीं बैठक में उपस्थित कई देशों के प्रतिनिधियों ने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि ओजोन कोष की पुनरीक्षा का पर्यवेक्षण करने वाले संचलन पैनल की पुनरीक्षा के दौरान गैर–सरकारी संगठनों से परामर्श करना चाहिए। भारत को संचालन पैनल में प्रतिनिधित्व दिया गया है।

(ख) अधिकांश विकासशील देशों में ओजोन को क्षीण करने वाले रसायनों के कई विकल्प स्थानीय तौर पर उपलब्ध नहीं हैं इसलिए इसका जितना निर्यात होगा, विकसित देशों की कंपनियों को इसका उतना ही लाभ होगा।

(ग) विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र से इस तरह का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) भारत का विचार है कि विकासशील देशों के उद्यमियों को ओजोन को क्षीण करने वाले पदार्थों के विकल्प को चुनने में संयंत्रों के आधार पर प्रौद्योगिकी के बारे में अपनी रूचि होनी चाहिए और इसके लिए देशी क्षमता तैयार की जानी चाहिए ।

[हिन्दी]

मोटा अनाज

***318 श्री राम पूजन पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मोटे अनाजों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्रियान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का विस्तृत ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस समय यह योजना किन–किन राज्यों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है ;

(ग) यह योजना कब से चल रही है ;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष राज्य वार इस योजना के अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई ; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के क्रियान्वयन के बाद राज्यों द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी. – मोटे अनाज) पर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में फसल प्रणाली दृष्टिकोण अपनाया गया है और इसे 830 अभिनिर्धारित प्रखंडों में कार्यान्वित किया जा रहा है। यह योजना भारत सरकार और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात से अंशदान के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) यह योजना गुजरात, कर्नाटक, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान (गंगानगर जिले को छोड़कर) तथा सिक्किम इन छह राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) आई.सी.डी.पी. मोटे अनाज 1994-95 से लागू की जा रही है। वैसे देश में मोटे अनाजों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये इससे पहले विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (मक्का और कदन्न) की केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना चौदह राज्यों में लागू की गई थी।

(घ) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान राज्यों को विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (मक्का और कदन्न) के अन्तर्गत आवंटित धनराशि संलग्न विवरण -I में दर्शायी गई है।

(ङ.) पिछले तीन वर्षों में मोटे अनाजों के उत्पादन का एक ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों अर्थात 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम-मक्का और कदन्न के अन्तर्गत राज्यवार परिव्यय

(रुपये लाखों में)

राज्य		1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	195.00	117.22	131.78
2.	बिहार	100.00	10.95	59.715
3.	गुजरात	140.00	93.34	166.163
4.	हरियाणा	35.00	18.76	21.93
5.	हिमाचल प्रदेश	75.00	34.65	134.045
6.	जम्मू और कश्मीर	25.00	31.50	27.69
7.	कर्नाटक	300.00	180.24	211.208
8.	महाराष्ट्र	300.00	664.34	358.058
9.	मध्य प्रदेश	280.00	238.00	200.893
10.	उड़ीसा	10.00	2.95	10.683
11.	पंजाब	-	5.65	121.695
12.	राजस्थान	260.00	146.63	201.66
13.	तमिलनाडु	75.00	126.475	107.405
14.	उत्तर प्रदेश	205.00	91.32	120.746
	योग	2000.00	1762.025	1873.671

विवरण-II

वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 के दौरान मोटे अनाजों का उत्पादन

(रुपये लाख मीटरी टन में)

राज्य/संघशासित क्षेत्र		1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
				(अग्रिम अनुमान)
1.	आन्ध्र प्रदेश	16.57	19.81	20.04
2.	बिहार	14.41	14.23	15.10
3.	गुजरात	14.04	25.72	12.03
4.	हरियाणा	5.09	9.69	5.11
5.	हिमाचल प्रदेश	6.28	6.92	6.76
6.	जम्मू और कश्मीर	5.27	5.27	6.21
7.	कर्नाटक	42.93	48.42	44.52
8.	मध्य प्रदेश	23.29	33.36	32.07
9.	महाराष्ट्र	47.07	90.83	80.22
10.	उड़ीसा	4.24	4.17	3.22
11.	पंजाब	5.05	5.61	4.80
12.	राजस्थान	24.67	46.12	25.68
13.	तमिलनाडु	13.18	14.38	15.98
14.	उत्तर प्रदेश	33.59	41.78	36.58

खाद्यान्न बचाओ अभियान

***330. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान "खाद्यान्न बचाओ अभियान" के अन्तर्गत शुरू किए गए कार्यों का वर्ष–वार और राज्य–वार विस्तृत ब्यौरा क्या है ;

(ख) खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए कितने भंडार–गृहों की व्यवस्था की गई तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी राजसहायता प्रदान की जा रही है ;

(ग) क्या किन्हीं स्वतंत्र संगठनों द्वारा इस अभियान की सफलता का कोई मूल्यांकन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान "अन्न सुरक्षा अभियान" के अन्तर्गत अन्न सुरक्षा अभियान दलों द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जिसमें वर्षवार और राज्यवार कवर किए गए क्षेत्रों के सम्बन्ध में सूचना दी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान फार्म स्तर पर खाद्यान्नों का परिरक्षण करने के लिए निर्मित/सुधार किए गए गैर– धात्विक भण्डार गृहों की कुल संख्या 73642 है। परम्परागत अनाज भण्डारण ढांचों में सुधार करने के लिए और पक्की कोठी का निर्माण करने के लिए किसानों को प्रति ढांचे के लिए 300 रुपए मूल्य की धात्विक आऊटलेट्स, इनलेट्स, पोलीथीन की चादर जैसी उपयोगी वस्तुओं के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। तथापि, इस प्रयोजन के लिए कोई राजसहायता नहीं दी जाती है। अन्न सुरक्षा अभियान कार्यक्रमों के कार्य का मूल्यांकन खाद्य मंत्रालय के मूल्यांकन दलों और यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई०ई०सी०) मिशन द्वारा किया गया था। मूल्यांकन करने पर सामान्यतया अन्न सुरक्षा अभियान द्वारा किए गए उपयोगी कार्य की सराहना की गई थी।

विवरण

अन्न सुरक्षा अभियान दलों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्न सुरक्षा अभियान के अन्तर्गत किए गए विभिन्न कार्य।

क्र० सं०	अन्न सुरक्षा अभियान के मुख्य दल/उपदल का स्थान	अन्न सुरक्षा अभियान के मुख्य दल/उप दल द्वारा कवर किए गए क्षेत्र			अन्न सुरक्षा अभियान के अन्तर्गत किए गए कार्य				
		राज्य	संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष	आयोजित किए गए प्रशिक्षण प्राठयक्रमों की संख्या	कवर किए गए गावों की संख्या	दिखाई गई फिल्म स्लाइड शो की संख्या	आयोजित/जिसमें भाग लिया गया उन लघु प्रदर्शनियों की संख्या	निर्मित/सुधार किए गए गैर-धात्विक भण्डारण ढांचों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	अहमदाबाद	गुजरात	दादरा और नगर, हवेली दमन और दीव	1991-92	137	60	263	138	1756
				1992-93	119	60	225	84	2041
				1993-94	150	67	245	99	1814
2.	बंगलौर	कर्नाटक		1991-92	118	60	133	131	1443
				1992-93	104	60	151	114	1446
				1993-94	132	60	110	90	1457

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.	भोपाल और उप–दल	मध्य प्रदेश		1991-92	189	97	246	181	2229
				1992-93	176	96	246	170	1804
4.	रायपुर	मध्य प्रदेश		1993-94	223	96	342	152	2270
5.	भुवनेश्वर	उड़ीसा		1991-92	105	60	104	117	1453
				1992-93	105	71	104	119	1769
				1993-94	111	61	106	73	1023
6.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल,	अण्डमान और	1991-92	176	78	109	72	1686
		त्रिपुरा और	निकोबार	1992-93	135	101	112	66	1484
		सिक्किम		1993-94	106	64	110	74	1573
7.	चण्डीगढ़	पंजाब,	चण्डीगढ़	1991-92	98	78	125	71	1441
		हिमाचल प्रदेश,		1992-93	116	73	110	82	1554
		जम्मू और कश्मीर		1993-94	117	60	107	77	1536
8.	गुवाहाटी	असम, मणिपुर,		1991-92	109	42	127	67	640
		नागालैंड, मेघालय,		1992-93	104	60	106	60	1459
		अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम		1993-94	104	60	134	78	1809

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9.	गाजियाबाद	पश्चिम उत्तर प्रदेश,		1991-92	146	52	110	103	1885
		हरियाणा और		1992-93	157	67	117	89	1769
		दिल्ली		1993-94	135	92	150	97	1508
10.	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश		1991-92	105	70	105	72	2268
				1992-93	106	69	129	67	1455
				1993-94	104	82	115	74	1802
11.	जयपुर	राजस्थान		1991-92	109	83	121	88	1631
				1992-93	115	81	129	193	1447
				1993-94	109	75	122	92	1478
12.	लखनऊ और	उत्तर प्रदेश		1991-92	159	124	162	143	2598
	उप—दल			1992-93	160	112	178	131	2716
13.	वाराणसी			1993-94	183	106	173	128	2930

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14.	मद्रास	तमिलनाडु	पांडिचेरी	1991-92	119	60	178	69	1641
				1992-93	107	60	131	82	1463
				1993-94	106	62	114	75	1661
15.	पटना	बिहार	-	1991-92	112	60	104	77	1524
				1992-93	105	60	125	77	1447
				1993-94	104	60	112	73	1488
16.	पुणे	महाराष्ट्र	-	1991-92	122	60	288	88	1176
		और गोवा		1992-93	121	60	192	93	1776
				1993-94	128	60	214	97	1540
17.	त्रिवेन्द्रम	केरल	लक्षद्वीप	1991-92	54	36	50	46	1306
				1992-93	50	39	48	37	723
				1993-94	50	38	48	42	723

[अनुवाद]

दोहरा लाभ

2967. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार और केंद्रीय भंडार ने जारी अपनी निविदाओं में लाभ दर कम दर्शाई है जबकि ये सरकारी विभागों से अधिक लाभ कमा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो दोहरा लाभ लेने के क्या कारण हैं ;

(ग) ये संस्थाएं सरकारी विभागों से कितना लाभ कमाती रही हैं ;

(घ) इन संस्थाओं हेतु 1994 के दौरान अपनी निविदाओं में दर्शाया गया लाभ ही अर्जित करना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ; तथा उन निविदाओं और उनके द्वारा लिए गए लाभ का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या ये संस्थाएं सामान के आपूर्तिकर्ताओं को शाखाओं/गोदामों से वस्तुओं की आवश्यकता का पता लगाने की अनुमति देती है ;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(छ) इस प्रथा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सरकारी कार्यालयों तथा अन्यों द्वारा जारी खुली निविदाओं के उत्तर में, सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया के रूप में, व्यापार के परिणाम तथा भुगतान की शर्तों के आधार पर प्रतियोगी दरें कोट की जाती हैं। जहां तक लाभ के मार्जिन का प्रश्न है, सुपर बाजार ने सूचित किया है कि संबन्धित वस्तु और अधिप्राप्ति लागत के आधार पर लाभ का मार्जिन 15% से अधिक नहीं होता है, जबकि केन्द्रीय भण्डार ने सूचित किया है कि वे लेखन सामग्री की मदों पर 9% से अधिक मार्जिन नहीं लेते हैं। चूंकि ये निविदाएं केवल थोक में आपूर्ति के लिए जारी की जाती हैं, अतः कम मार्जिन पर भी ऊपरी खर्च आसानी से पूरे हो सकते हैं जबकि काउंटर पर बिक्री के मामले में, जहां थोड़ी मात्रा बेची जाती है, यह संभव नहीं होता है। निविदाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) से (छ) कुछ वस्तुओं के मामले में, जो अधिकांशतः खेप आधार पर सीधे उनकी शाखाओं को सप्लाई की जाती हैं, ऐसे आपूर्तिकर्ता उन वस्तुओं की आवश्यकता को सीधे शाखाओं से प्राप्त कर लेते हैं। इससे वस्तुओं विशेषकर खराब होने वाली वस्तुओं, की सुपुर्दगी जल्द तथा समय से हो जाती है और इससे पुराने तथा क्षतिग्रस्त स्टॉक को बदलने में भी सुविधा होती है। यह एक सामान्य व्यापारिक प्रथा है और इसे बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

सुपर बाजार

क्रम सं.	संगठन का नाम	निविदा की तारीख	अंर्तनिहित राशि	लिया गया मार्जिन
1.	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड	11.11.93	रु- 29,49,000/-	3%
2.	शिक्षा विभाग पुराना सचिवालय	28.01.94	रु- 1,75,000/-	5%
3.	नई दिल्ली नगर पालिका	06.04.94	रु. 1,75,874.80	7%

केन्द्रीय भण्डार

क्रम सं.	विभाग	वस्तु	कोट किए गए मार्जिन का प्रतिशत
1.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	कागज	5%
2.	शिक्षा निदेशालय, दिल्ली	कागज	4%
3.	—वही—	अन्य लेखन सामग्री	4%
4.	—वही—	कुर्सियां	3.3%

बीजों का आयात

2968. श्री नवल किशोर राय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदारीकरण नीति के कारण विभिन्न किस्मों के बीजों के आयात में कोई उल्लेखनीय सुधार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न आयातित बीजों को आयातित मात्रा कितनी थी और उन पर देश–वार और बीज वार कितनी विदेशी मुद्रा का व्यय किया गया ;

(ग) क्या देश में अधिकतम पैदावार देने वाले बीज उपलब्ध हैं ;

(घ) यदि हां, तो इन बीजों का आयात करने के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या इन बीजों के साथ नए तथा विदेशी कीटनाशकों का भी आयात किया गया है ;

(च) यदि हां, तो पी.एल. 480 के अंतर्गत गेहूं आयात करने संबंधी पूर्व अनुभव को देखते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(छ) क्या इस संबंध में कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है ; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी हां, पिछले वर्षों की तुलना में 1991-92 से विभिन्न बीजों के आयात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 1991-92, 92-93 और 93-94 के दौरान आयातित बीजों की मात्रा क्रमशः 428.390 मीटरी टन, 148.082 मीटरी टन और 1645.987 मीटरी टन थी। सूरजमुखी, अन्य तिलहनों, सब्जियों जैसे बन्दगोभी, फूलगोभी, टमाटर, सजावटी पौधों, तरबूज और मोटे अनाजों के बीजों का विभिन्न देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्वीडन, हालैण्ड, थाइलैण्ड, चीन और जापान से आयात किया गया।

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्रीय अनुसंधान के प्रयासों के परिणाम स्वरूप उपज संबंधी उत्कृष्टता और रोग प्रतिरोधकता के आधार पर वर्तमान किस्मों के मुकाबले विभिन्न फसलों की 2000 किस्मों को अधिसूचित किया जा सका है। बीजों का आयात इसलिए किया जाता है कि विश्व में कहीं भी उपलब्ध सर्वोत्कृष्ट बीज/पौध रोपण सामग्रियां प्राप्त की जा सकें।

(ङ) आयातित बीजों के साथ साथ किसी नए या विदेशी कीटों के आने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(च) से (ज) ये प्रश्न नहीं उठते।

कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत

2969. श्री रामकृष्ण कोंताला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न कृषि क्षेत्रों में एक टन चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली की आर्थिक उत्पादन लागत कितनी है ;

(ख) एक टन चावल, गेहूं, गन्ना और मूंगफली की वास्तविक उत्पादन लागत कितनी है ; और

(ग) एक टन चावल, गेहूं, गन्ना और मूंगफली हेतु सरकार द्वारा कितनी सहज राजसहायता प्रदान की जाती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) भारत में प्रमुख फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने की व्यापक योजना के अन्तर्गत फसलों के उत्पादन की लागत के अनुमान राज्यवार निकाले जाते हैं जिसमें चुकता लागतों और स्वामित्व वाले आदानों की आंकलित लागत को हिसाब में रखा जाता है। वह आकलन किसानों द्वारा वहन की गई वास्तविक लागत पर आधारित होता है जिसमें अन्तर्निहित राजसहायताएं सम्मिलित नहीं होती।

अद्यतन उपलब्ध वर्षों के लिए महत्वपूर्ण राज्यों में धान, गेहूं, गन्ने और मूंगफली की प्रति क्विंटल उत्पादन लागत इस प्रकार है :

धान, गेहूं, गन्ने तथा मूंगफली की उत्पादन लागत

(रुपये प्रति क्विंटल)

राज्य	धान	गेहूं	गन्ना	मूंगफली
1	2	3	4	5
पंजाब	206.77	210.41	-	-
		(1991-92)	(1991-92)	
हरियाणा	241.09	168.41	23.03	-
		(1991-92)	(1991-92)	(1990-91)
उत्तर प्रदेश	177.26	220.23	22.34	-
		(1989-90)	(1990-91)	(1990-91)
आन्ध्र प्रदेश	216.13	-	27.23	589.23
	(1990-91)	-	(1990-91)	(1988-89)

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	-	-	21.12	603.14
			(1990-91)	(1989-90)
कर्नाटक	184.08	-	17.23	547.82
	(1989-90)		(1989-90)	(1989-90)
उड़ीसा	173.59	-	-	583.86
	(1990-91)			(1991-92)
गुजरात	-	-	-	492.77
				(1989-90)

चावल की नई फसलें

2970. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, हैदराबाद ने चावल की प्रायोगिक संकर किस्म तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा प्रति हैक्टर चावल की उपज सहित क्या है ;

(ग) क्या इनमें से कुछ किस्में वास्तविक उपयोग के लिए जारी किए जाने का प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो कब और कहां तथा कितनी एकड़ भूमि पर इसकी खेती करने का विचार है ;

(ङ) क्या वैज्ञानिकों ने इन नई किस्मों में कुछ समस्याजनक बातें पाई हैं ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी हां, छब्बीस संकर आशाजनक पाये गये हैं जिनकी उपज इससे पहले के सर्वश्रेष्ठ संकरों से प्रति हैक्टर एक टन से अधिक है।

(ग) और (घ) अगेती पकने वाले धान के एक संकर सी.आर.एच. -1 को आन्ध्र प्रदेश के रायल सीमा तथा तेलांगना तथा पंजाब व दक्षिणी उड़ीसा के लिए जारी किये जाने हेतु पहचाना गया है। आशा है कि 1994 के अन्त तक तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, पंजाब तथा दक्षिणी उड़ीसा में लगभग 5,000 हैक्टर क्षेत्र में संकर धान की खेती होने लगेगी।

(ङ) और (च) व्यापारिक पैमाने पर बीज उत्पादन की स्थितियों में बीज उपज कम है। संकर बीज उत्पादन संबंधी काम को करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित जनशक्ति का अभाव और पैतृक वंशक्रमों को बनाये रखना बीज उत्पादन कार्यक्रम की प्रगति के मार्ग में प्रमुख बाधाएं हैं।

कृषि विज्ञान केन्द्र

2971. श्री शांताराम पोतदुखे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी राशि प्रदान की गई और वर्ष 1994-95 हेतु राज्य–वार कितना आवंटन किया गया है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विभिन्न राज्यों को कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इनको राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठनों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों और पाण्डिचेरी तथा मिजोरम में राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) और (ग) विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कृषि विज्ञान केन्द्र की प्रायोजनाओं को वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान दी गई निधि का राज्यवार ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्य का नाम	कृ.वि. केन्द्रों की संख्या	स्वीकृत 1993-94	(रुपये लाख में) बजट 1994-95
1	2	3	4	5
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1	27.48	12.25
2.	आंध्र प्रदेश	14	354.37	198.34
3.	असम	4	33.92	36.29
4.	बिहार	12	26.56	36.90

1	2	3	4	5
5.	गोवा	1	11.25	11.10
6.	गुजरात	8	179.49	138.40
7	हरियाणा	10	239.90	135.15
8.	हिमाचल प्रदेश	4	90.02	53.90
9.	जम्मू और कश्मीर	2	45.01	26.95
10	कर्नाटक	7	124.48	106.20
11.	केरल	7	110.61	100.40
12.	मणिपुर	1	37.57	27.29
13.	मेघालय	1	60.27	75.34
14.	मिजोरम	1	22.92	16.89
15.	मध्य प्रदेश	12	250.94	350.61
16	महाराष्ट्र	12	287.03	139.02
17.	नागालैंड	1	16.92	11.29
18.	उड़ीसा	9	175.60	259.39
19.	पाण्डिचेरी	1	12.60	11.35
20.	पंजाब	7	153.11	125.90
21.	राजस्थान	28	722.01	428.62
22.	सिक्किम	1	37.57	27.29
23.	तमिलनाडु	8	140.36	110.25
24.	त्रिपुरा	2	56.04	47.98
25.	उत्तर प्रदेश	26	625.94	456.89
26.	पश्चिम बंगाल	7	148.79	134.39
27.	अरुणाचल प्रदेश	1	33.92	36.29

जर्मनी से सहायता

2972. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री प्रमोथेस मुखर्जी :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में जर्मनी के साथ नदियों की सफाई, जल शोधन संयंत्रों और अन्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त समझौता ज्ञापन के अनुसरण में शुरू किये जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये जर्मनी कितनी धनराशि देगा ;

(ग) क्या इस समझौता ज्ञापन में शामिल परियोजनाओं को लागू करने हेतु किसी निगरानी एजेंसी को सम्मिलित किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जर्मन संघीय गणतंत्र के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और नाभिकीय सुरक्षा मंत्री डा. क्लॉस टॉफ़र की जुलाई, 1994 में भारत यात्रा के दौरान भारत और जर्मनी के बीच पर्यावरणीय मामलों में सहयोग करने संबंधी एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से संबंधित विषय पर चर्चा की गई थी।

(ख) से (घ) समझौता–ज्ञापन के व्यापक प्रावधान जिनमें निगरानी क्रियाविधि शामिल है भारत सरकार और जर्मन संघीय गणतंत्र की सरकार के बीच होने वाली सहमति के आधार पर तैयार अंतिम पाठ के अध्यधीन होगा।

रानीगंज में रेलगाड़ियों का रुकना

2973. श्री हाराधन राय : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानीगंज में क्षिप्रा एक्सप्रेस, चम्बल एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस और कालका मेल को रोकने का प्रावधान करने संबंधी कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ़) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

समेकित मत्स्य परियोजना

2974. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित मत्स्य परियोजन ने सरकार पर वित्तीय बोझ कम करने हेतु विदेशी बाजार पर नजर रखते हुए अपना व्यावसायिक उत्पादन आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना द्वारा तैयार किए गए निर्यात कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसका क्या परिणाम रहा ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं। फिर भी, गत वर्षों में 37.37 लाख रुपये मूल्य के मत्स्य उत्पाद निर्यात किये गये हैं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम

2975. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न परियोजानाओं के प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन लंबित प्रस्तावों की स्थिति क्या है ; और

(ग) इन प्रस्तावों पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त 41 परियोजना प्रस्ताव, जो 3910.18 लाख रुपये की धनराशि के हैं, उनके यहां धन की निर्मुक्ति हेतु लम्बित पड़े हैं। इन प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के प्रबन्ध मण्डल ने यह निर्णय लिया है कि अदायगी में चूक करने वाले राज्य को आगे और कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी। चूंकि उत्तर प्रदेश ने अदायगी में चूक की है इसलिए इन प्रस्तावों पर तभी विचार किया जायेगा जब उत्तर प्रदेश सरकार बकाया देय रकम का भुगतान कर देगी।

विवरण

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त विभिन्न परियोजनाओं के प्रस्तावों का ब्यौरा

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	कार्यकलाप	लम्बित स्वीकृत		लम्बित निर्मुक्ति		अभ्युक्तियां
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	
1	2	3	4	5	6	7
1.	मुर्गीपालन कार्यकलाप	13	2132.78	-	-	-
2.	आदानों का वितरण और विपणन	-	-	11	24.00	-

1	2	3	4	5	6	7
3.	तिलहन विकास	1	1143.00	-	-	-
4.	फलों और सब्जियों का विकास	12	64.60	-	-	-
5.	मात्स्यिकी विकास	2	33.30	-	-	-
6.	सहाकरी चीनी मिलें	-	-	2	512.50	अतिरिक्त सूचना राज्य सरकार से प्राप्त हुई
योग		28	3373.68	13	536.50	

रेल गाड़ियों में खाद्य वस्तुओं की बिक्री

2976. श्री गोविंद चन्द्र मुंडा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि रेल गाड़ियों में तथा स्टेशनों पर अधिक कीमतों पर निम्न गुवणत्ता वाले खाद्य पदार्थ उन ठेकेदारों द्वारा बेचे जाते हैं जिनके पास कोई अधिकृत लाइसेंस नहीं होता है तथा सारा काम रेलवे पुलिस की सहायता से किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन अनाधिकृत ठेकेदारों द्वारा ऐसी बिक्री को रोकने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इनमें शामिल ठेकेदारों और रेलवे कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाई विचारणीय है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ) अनधिकृत फेरी लगाना/वेंडिंग करना रेल अधिनियम 1989 के खंड 144 के अंतर्गत एक दण्डनीय अपराध है, इस बुराई को रोकने के लिए, राजकीय रेलवे पुलिस तथा रेल सुरक्षा बल के कार्मिकों की मदद से रेल कर्मचारियों द्वारा नियमित जांच की जाती है।, ऐसे अपराधियों के विरूद्ध रेल अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाती है। संलिप्त पाए जाने पर रेल तथा रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों तथा रा.रे.पु. के कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जाती है। अप्रैल, 1993 से मार्च 1994 की अवधि के दौरान बिना लाइसेंस वाले हॉकरों/वेंडरों के विरूद्ध 57967 जांच की गई थीं जिसके फलस्वरूप 18,157 व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए गए, 2580 व्यक्ति जेल भेजे गए तथा जुर्माने के रूप में 20.27 लाख रुपये वसूल किए गए थे।

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

2977. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलीगुड़ी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आमान परिवर्तन् के कार्य को शुरू न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पूर्व तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कई परियोजनाओं पर आमान परिवर्तन का कार्य प्रगति पर है। इस मंत्रालय द्वारा एक आमान परियोजना के अंतर्गत शुरू की गई कार्य योजना के अगले चरण में सिलीगुड़ी–न्यू जलपाईगुड़ी खंड के आमान परिवर्तन के बारे में विचार किया जाएगा।

रेल यातायात

2978. प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क यातायात में हुई वृद्धि की तुलना में रेल यातायात 1970-71 में 65 प्रतिशत से घटकर 1989-90 में लगभग 45 प्रतिशत रह गया है ;

(ख) क्या 1993-94 में इनमें पुनः कमी आयी है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) इसमें अत्यधिक कमी आने के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय करने का है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) माल की कुल ढुलाई में रेल और सड़क की हिस्सेदारी का नियमित संकलन नहीं किया जाता है। पिछली बार इनका संकलन योजना आयोग द्वारा गठित यातायात विकास के लिए संदर्श योजना पर विषय–निर्वाचन समिति द्वारा किया गया था जिसने 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार वर्ष 1970-71 के दौरान कुल माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी 69% थी। बहरहाल, आर्थिक सर्वेक्षण 1993-94 में, माल यातायात में रेलवे की हिस्सेदारी लगभग 40% निर्धारित की गई है।

(घ) यातायात एक व्युतपन्न मांग है। रेलें लम्बी दूरी के थोक यातायात के संचलन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं जो समान्यतः महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसलिए वास्तविक निष्पादन, उपलब्ध कराए जाने वाले यातायात पर निर्भर करता है।

(ङ) और (च) भारतीय कंटेनर निगम की सेवाओं का उपयोग करते हुए बहु–मोडल अवधारणा अपनाकर, उच्च दर वाला यातायात प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

शैक्षिक प्रोद्यौगिकी और क्लासरूम परियोजनाएं

2979. श्री एन.जे. राठवा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में शैक्षिक प्रोद्यौगिकी और क्लासरूप परियोजनाएं किन–किन राज्यों में शुरू की गई हैं ;

(ख) क्या इन परियाजनाओं में सभी राज्य सम्मिलित किए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा पूरे देश में इस परियोजना का विस्तार करने हेतु क्या प्रस्तावित कदम हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) शैक्षिक प्रोद्यौगिकी की योजना के अंतर्गत जिन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में शैक्षिक प्रसारण की सुविधा उपलब्ध है वहां के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए रंगीन टेलीविजन खरीदने के लिए तथा सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में रेडियो–कम–कैसेट प्लेयर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

शिक्षा और संस्कृति संबंधी भारत–संयुक्त राज्य उप आयोग के तत्वाधान में क्लासरूम 2000 परियोजना राष्ट्रव्यापी आधार पर शुरू की गई थी। इस परियोजना में आपसी बातचीत के ढंग से फोन करने की सुविधा वाले संगणक से जुड़े की पैड रिसपान्स सिस्टम के साथ अंतराफलित पाठों का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण करने वाली उन्नत प्रोद्यौगिकी के प्रयोग को प्रदर्शित किय गया। इस प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, गाजियाबाद स्थित पांच केन्द्रीय विद्यालयों तथा नवयुग विद्यालय नई दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर गणित और भौतिकी में प्रदर्शन पाठ 3 से 7 मई, 1993 तक प्रतिदिन प्रसारित किए गए। सीधा प्रसारण पूरे देश में देखा गया। फिलहाल देश में इस सुविधा का और बड़े पैमाने पर विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

उल्टाडांगा और विधान नगर स्टेशन

2980. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दमदम, काकुरगाची, साल्ट लेक के यात्रियों की परेशानी को कम करने के लिए उल्टाडांगा और विधान नगर स्टेशनों पर उपयुक्त जंक्सन प्रबंध और ट्रांसशिपमेंट सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई कदम उठाए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

वातानुकूलित शयनयान

2981. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काकिनाडा से मद्रास के बीच चलने वाली सिरकार एक्सप्रेस और विशाखापट्टनम से तिरूपति के बीच चलने वाली तिरूमाला एक्सप्रेस, इन दोनों गाड़ियों के साथ एक वातानुकूलित शयनयान जोड़े जाने की मांग लंबें समय से की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यह सुविधा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रेलवे ने लम्बी दूरी की सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में चरणबद्ध तरीके से वातानुकूल द्वितीय श्रेणी के शयनयान लगाने का पहले ही निर्णय कर लिया है जोकि रेल उत्पादन इकाइयों से इस प्रकार के सवारी डिब्बे उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों का विलंब से चलना

2982. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के अन्तर्गत उज्जैन स्टेशन होते हुए अप और डाउन रेलगाड़ियों के आगमन और निर्गमन समय क्या हैं ;

(ख) 1.7.94, 5.7.94, 10.7.94, 15.7.94, 20.7.94 और 25.7.94 को इन रेलगाड़ियों की वास्तविक आगमन और निर्गमन की स्थिति क्या रही और विलंबित आगमन और प्रस्थान के क्या कारण हैं ; और

(ग) समय–प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) इन गाड़ियों को समय पर चलने को सुनिश्चित करने के लिए चौबीसों घंटे निगरानी रखी जाती है। रेलवे के नियंत्रण के अंतर्गत सभी परिहार्य कारकों को समय पर तथा उचित कार्रवाई करके समाप्त कर दिया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	गाड़ी सं.	निर्धारित समय	1.7.94	5.7.94	10.7.94	15.7.94	20.7.94	25.7.94
1.	1269 एक्सप्रेस	आ. 0440	0510	0505	0440	0635	0505	0640
		प्र. 0505	0535	0530	0505	0700	0535	0705
	1270 एक्सप्रेस	आ. 2250	0015	2345	2335	2320	0020	2320
		प्र. 2315	0040	0020	2355	2345	0045	2345
2.	9165 एक्सप्रेस	आ. 0540	0615	2100	0540	0610	0835	0610
		प्र. 0605	0645	2130	0605	0635	0900	0635
	9166 एक्सप्रेस	आ. 2020	2340	2320	0310	2350	0255	2230
		प्र. 2050	0015	0030	0350	0040	0325	2315
3.	2961 एक्सप्रेस	आ. 0805	0855	1255	1305	1005	0840	0840
		प्र. 0810	0900	1300	1310	1010	0845	0845
	2962 एक्सप्रेस	आ. 2230	2230	2250	2250	2245	2230	2230
		प्र. 2235	2235	2255	2255	2250	2235	2235

क्र.सं.	गाड़ी सं.	निर्धारित समय	1.7.94	5.7.94	10.7.94	15.7.94	20.7.94	25.7.94
4.	4006 एक्सप्रेस	आ. 0940	1800	1035	1010	1410	1020	0940
		प्र. 1000	1820	1115	1030	1430	1040	1000
	4005 एक्सप्रेस	आ. 1745	1825	1755	1915	0055	1835	2025
		प्र. 1805	1845	1815	1935	0115	1855	0245
5.	5045 एक्सप्रेस	आ. 1420	चलाई नहीं	1640	चलाई नहीं	चलाई नहीं	चलाई नहीं	चलाई नहीं
		प्र. 1430	गई	1650	गई	गई	गई	गई
	5046 एक्सप्रेस	आ. 0950	चलाई नहीं	चलाई नहीं	चलाई नहीं	चलाई नहीं	चलाई नहीं	1415
		प्र. 1010	गई	गई	गई	गई	गई	1435
6.	8233 एक्सप्रेस	आ. 1720	1740	1910	1925	2200	1920	1810
		प्र. 1735	1755	2010	1940	2215	1935	1825
	8234 एक्सप्रेस	आ. 1130	1250	1315	1320	1530	1255	1230
		प्र. 1145	1305	1325	1335	1545	1310	1245
7.	7082 एक्सप्रेस	आ. 1825	चलाई नहीं	चलाई नहीं	चलाई नहीं	चलाई नहीं	1925	चलाई नहीं
		प्र. 1840	गई	गई	गई	गई	1940	गई
	7081 एक्सप्रेस	आ. 0630	चलाई नहीं	चलाई नहीं	चलाई नहीं	चलाई नहीं	0630	चलाई नहीं
		प्र. 0645	गई	गई	गई	गई	0645	गई

क्र.स.	गाड़ी सं.	निर्धारित समय	1.7.94	5.7.94	10.7.94	15.7.94	20.7.94	25.7.94
8.	4667 एक्सप्रेस	आ. 1630	1640	1630	1630	1910	2110	1955
		प्र. 1645	1655	1645	1645	1925	2125	2010
	4668 एक्सप्रेस	आ. 1040	1135	1125	1050	1330	1540	1820
		प्र. 1055	1150	1140	1105	1345	1555	उज्जैन पर समाप्त कर दी गयी
9.	1172 एक्सप्रेस	आ. 2135	2135	चलाई नहीं	चलाई नहीं	2135	चलाई नहीं	चलाई नहीं
		प्र. 2155	2155	गई	गई	2155	गई	गई
	1171 एक्सप्रेस	आ. 0140	0240	चलाई नहीं	चलाई नहीं	0240	0700	चलाई नहीं
		प्र. 0210	0310	गई	गई	0310	0730	गई
10.	85 पैसेंजर	आ. 1055	1055	1140	1130	1125	1145	1055
		प्र. 1120	1120	1205	1200	1210	1210	1120
	86 पैसेंजर	आ. 1640	1830	1845	1750	1735	1830	1720
		प्र. 1710	1850	1900	1825	1805	1915	1745

क्र.सं.	गाड़ी सं.	निर्धारित समय	1.7.94	5.7.94	10.7.94	15.7.94	20.7.94	25.7.94
11.	141 पैसेंजर	आ. 1220	1230	1315	1420	1355	1230	1220
		प्र. 1240	1250	1340	1440	1410	1250	1240
	42 पैसेंजर	आ. 1405	1530	1405	1538	1425	1635	1640
		प्र. 1420	1545	1420	1553	1445	1650	1700
12.	89 पैसेंजर	औ. 2200	2225	2200	2200	2230	2230	2220
		प्र. 0010	0010	0010	0010	0010	0010	0120
	90 पैसेंजर	आ. 0345	0535	0505	0510	0545	0445	0445
		प्र. 0545	0615	0555	0715	0750	0545	0545
13.	87 पैसेंजर	आ. 1700	1700	1810	1710	1700	1700	1700
		प्र. 1725	1725	1830	1735	1740	1725	1855
	88 पैसेंजर	आ. 1045	1200	1045	1045	1055	1045	1045
		प्र. 1110	1215	1120	1120	1120	1110	1110

उज्जैन में गाड़ियों के विलम्ब से आगमन/प्रस्थान के मुख्य कारण हैं सिगनल की खराबी, सवारी और माल डिब्बों में दोष होना, दुर्घटनाएं, खतरे की जंजीर खींच जाना तथा उपकरण की खराबी आदि.

[अनुवाद]

गुवाहाटी से पुरी तक रेलगाड़ी

2983. श्री प्रबीन डेका : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुवाहाटी से पुरी तक सीधी एक नई रेलगाड़ी चलाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तिहाड़ जेल में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र

2984. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने जुलाई, 1994 के गत सप्ताह के दौरान तिहाड़ सैंट्रल जेल में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय के एक अध्ययन केन्द्र का उद्घाटन किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अध्ययन केन्द्र में कौन–कौन से पाठ्यक्रम पढ़ाये जायेंगे ;

(ग) इस केन्द्र से संचालन पर कितना अनुमानित व्यय आयेगा ;

(घ) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय के इस संकेत पर जेल के कैदियों की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ङ) क्या इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय का अन्य महानगरों के सेंट्रल जेलों में ऐसे अध्ययन केन्द्र स्थापित करने का विचार है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचनानुसार, अध्ययन केन्द्र सामान्यतः मेजबान संस्था द्वारा प्रदत्त निःशुल्क स्थान पर स्थापित किए जाते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा फर्नीचर और श्रव्य/दृश्य उपकरण, तथा पुस्तकों व पठन सामग्री का व्यय वहन किया जाता है। ये केन्द्र अंशकालिक स्टाफ द्वारा चलाए जाते हैं तथा पारिश्रमिक विश्वविद्यालय देता है। 1994 के आरम्भ में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में 19 छात्रों को नामांकित किया गया था, जिनमें अभियुक्त तथा तिहाड़ जेल के कर्मचारी शामिल थे। उनके लाभ के लिए एक अध्ययन केन्द्र ने कार्य करना आरम्भ कर दिया जिसका

औपचारिक रूप से उद्घाटन 28-07-94 को हुआ था। 1995 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम आरम्भ करने का प्रस्ताव है ;

1. स्नातकों का प्रारम्भिक कार्यक्रम
2. कला स्नातक
3. वाणिज्य स्नातक
4. खाद्य व पोषण में प्रमाण पत्र
5. ग्रामीण विकास में डिप्लोमा

(ग) एक अध्ययन केन्द्र को चलाने में गैर–आवर्ती मदों पर औसतन व्यय करीब 1.5 लाख रु. तथा आवर्त्ती व्यय करीब 80.000 हजार रु. प्रति वर्ष है।

(घ) जनवरी, 1995 से आरम्भ होने वाले सत्र के लिए जेल के 140 कैदियों तथा जेल कर्मचारियों सहित 111 अन्य उम्मीदवारों ने उपर्युक्त कार्यक्रमों हेतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

(ङ) और (च) 1993 से बंगलौर की केन्द्रीय जेल में, बंगलौर के एक अध्ययन केन्द्र के तत्वावधान में एक उप–केन्द्र कार्य कर रहा है। उप–केन्द्र का सम्पूर्ण व्यय कर्नाटक सरकार द्वारा उठाया जाता है। अहमदाबाद की साबरमती केन्द्रीय जेल में एक उप–केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

विश्वव्यापी निविदा

2985. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या रेल मंत्री 26.7.1994 के तारांकित प्रश्न संख्या 21 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंतर्राष्ट्रीय निविदाओं को किस तिथि को आमंत्रित किया गया ;

(ख) अंतिम तिथि 25 जुलाई, 1994 तक पर्यटक सर्किट वार प्राप्त किए गए निविदाओं की संख्या क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने नमूना समझौता का मसौदा तैयार किया है जिसका उद्देश्य निविदाओं तथा उसके पश्चात् समझौते का आधार प्रदान करना है ;

(घ) निविदा–कर्त्ताओं का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) किस तिथि तक अवार्ड देने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ङ) रेल मंत्रालय ने पांच बड़ी लाइन के सर्किटों पर "पेलेस ऑन व्हील्स" किस्म की पर्यटक गाड़ियों के स्वामित्व, विपणन तथा प्रबंधन के लिए 13.5.94 से 23.5.94 तक समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर विश्वव्यापी बोलियां आमंत्रित की थी। बोली के आधार

का ब्यौरा उसके निबंधनों और शर्तों सहित "बोली प्रलेख" में दिए गए थे जिन्हें उपर्युक्त तारीखों के बीच नाम मात्र के शुल्क के भुगतान पर प्रत्याशित बोलीदाताओं के लिए उपलब्ध कराए गए थे। कुल 23 बोलियां प्राप्त हुई थी जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.		बोलीदाता का नाम	उस सर्किट का नाम जिसके लिए आवेदन किया गया
1		2	3
1.	(1)	मैं. स्टर्लिंग होलीडे रिसोर्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, मद्रास	दिल्ली–जयपुर–आगरा–ग्वालियर–झांसी वाराणसी–लखनऊ–दिल्ली।
	(2)	मैं. सहारा इंडिया सेविंग्स एंड इन्वैस्टमैंट कार्पो. लिमि. लखनऊ	"
	(3)	मैं. इंडियन होटल्स कं. (ताज ग्रुप ऑफ होटल्स) नई दिल्ली	"
	(4)	ईस्ट वैस्ट ट्रैवल्स एंड ट्रेड लिंक्स लिमिटेड, नई दिल्ली,	"
	(5)	ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड, दिल्ली	"
	(6)	डाटा विजन सिस्टम्स प्रा. लि. नई दिल्ली,	"
2.	(7)	मैं.एस.एस. पाटिल, सिकंदराबाद	बम्बई–औरंगाबाद–नान्देड़–सिकंदराबाद हैदराबाद–पुणे–बम्बई,
	(8)	मैं. सहारा इंडिया सेविंग्स एंड इन्वैस्टमैंट कार्पो. लिमि., लखनऊ	"
3.	(9)	मैं. सहारा इंडिया सेविंग्स एंड इन्वैस्टमैंट कार्पो. लिमि., लखनऊ	कलकत्ता–(हवड़ा/सियालदह)–गया–वाराणसी–गोरखपुर–भुवनेश्वर–पुरी–कलकत्ता
4.	(10)	मै. रॉकलैंड लीजिंग लिमि., नई दिल्ली,	गोवा(मडगांव)–मंगलौर–मैसूर–हासपेट–बेंगलूरू–गोवा(मड़गांव)
	(11)	मै. पाटिल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्रा. लिमि., सिकन्दराबाद	गोवा(मडगांव)–मंगलौर–मैसूर–हासपेट–बेंगलूरु–गोवा(मड़गांव)
	(12)	मै. मैट्रोनैक्स कार्स एंड बाइक्स लिमि., मद्रास	"

1	2	3
	(13) मै. सहारा इंडिया सेविंग्स एंड इन्वैस्टमैंट कार्पो. लिमि,. लखनऊ	गोवा (मडगांव)–मंगलौर–मैसूर–हासपेट–बेंगलूरु–गोवा (मडगांव)
	(14) मै. फेन इंडिया पर्यटन लिमि., बंबई	"
	(15) मै. इंडियन होटल्स कं. (ताज ग्रुप आफ होटल्स), नई दिल्ली	"
	(16) ईस्ट वैस्ट ट्रैवल्स एंड ट्रेड लिंक्स लिमि., नई दिल्ली,	"
	(17) द ईस्ट इंडिया होटल्स लिमि., दिल्ली.	"
5.	(18) मै. गुडविल ट्रैवल एंड कार्गो, मद्रास	बेंगलूरू–मैसूर–मद्रास–कोडैकैनाल रोड–कन्या कुमारी–तिरूवनन्तपुरम–कोचीन–मैट्टा–पालयम–बेंगलूरू.
	(19) मै. पाटिल रेल एंड रोड़ ट्रेवल्स प्रा. लिमि., सिकंदराबाद	"
	(20) मै.एल.एस. पाटिल, सिकंदराबाद	"
	(21) मै. स्टर्लिंग होलीडे रिसोर्ट्स इंडिया लिमि., मद्रास	"
	(22) मै. मैट्रोनेक्स कार्स एंड बाइक्स लिमि., मद्रास	"
	(23) मै. सहारा इंडिया सेविंग्स एंड इन्वैस्टमैंट कार्पो. लिमि., लखनऊ	"

बोलियों को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

गोवा एक्सप्रेस में शायिका कोटा

2986. श्री एस.बी. सिदनाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेलगांव, धारवाड़ तथा हुबली स्टेशनों पर गोवा एक्सप्रेस का वर्तमान शायिका कोटा कितना है ;

(ख) 1990 में इस रेलगाड़ी को पहली बार चलाये जाने के समय उपरोक्त स्टेशनों पर इन शायिकाओं का कोटा कितना था ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस कोटे में वृद्धि करने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) : गोवा एक्सप्रेस में बेलगाम, धारवाड़ और हुबली स्टेशनों पर वर्तमान आरक्षण कोटा और 1990 में उपलब्ध कोटा इस प्रकार है :

स्टेशन	वर्तमान कोटा	1990 में कोटा
बेलगांम	50 सामान्य	44 सामान्य
	4 आर ए सी	4 आर ए सी
धारवाड़	8	12
हुबली	32	32

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) मांग के वर्तमान स्तर को पूरा करने के लिए इन स्टेशनों पर वर्तमान कोटा को पर्याप्त समझा जाता है।

अलेप्पी रेलवे स्टेशन पर पैदल ऊपरि-पुल

2987. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में अलेप्पी स्टेशन पर पैदल ऊपरि–पुल का निर्माण करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) वित्त वर्ष 1994-95 में।

गुमराह करने वाले विज्ञापन

2988. **श्री जगमीत सिंह बरार** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 मई, 1994 के "टाइम्स ऑफ इण्डिया" में "सेंसर बोर्ड फार डी.डी., ए.आई.आर." शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या उपाय किए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) उक्त समाचार में नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले व सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा सूचना व प्रसारण राज्य मंत्री के बीच इलेक्ट्रानिक माध्यमों में भ्रामक विज्ञापनों के विषय पर हुई एक बैठक में दिए गए सुझावों का ब्यौरा दिया गया है। मुख्य सुझाव भ्रामक विज्ञापनों से अपना बचाव करने के लिए उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के बारे में था।

एक सुझाव के अनुसार नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक केन्द्रक मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा। यह उनकी जांच करेगा तथा उसके बाद आवश्यक कार्यवाही के लिए उन्हें सूचना व प्रसारण मंत्रालय को भेजेगा। नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में आकाशवाणी से साप्ताहिक कार्यक्रम भी प्रसारित कर रहा है। यह उपभोक्ताओं के बीच अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता भी दे रहा है।

[हिन्दी]

मोम (लाह) अनुसंधान संस्थान, रांची

2989. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के छोटा नागपुर का मोम (लाह) उद्योग बंद होने के कगार पर है ; यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ;

(ख) क्या मोम (लाह) अनुसंधान संस्थान, नामकुम, रांची भी बन्द होने के कगार पर है और संस्थान में होने वाला अनुसंधान नहीं के बराबर है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और उसके कारण क्या हैं ; और

(घ) इस रुग्ण संस्थान के पुनरूद्धार के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं। बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र का लाख उद्योग बढ़ रहा है और इसका उत्पादन वर्ष 1992-93 में 11,685 मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 1993-94 में 20,520 मीट्रिक टन हो गया है।

(ख) जी, नहीं। संस्थान ने लाख के उत्पादन, संसाधन और उपयोगिता के लिए सुधरी हुई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

महात्मा गांधी का जन्म दिवस

2990. श्री प्रकाश वी. पाटील :

श्री वीरेन्द्र सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महात्मा गांधी का 125वां जन्म दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए कोई विशेष योजना बनायी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कार्यक्रम तय करने के लिये किसी समिति का गठन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसमें कौन–कौन शामिल हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) महात्मा गांधी की 125वीं जयन्ती मनाने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 103 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति गठित की गयी है। राष्ट्रीय समिति के सदस्यों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गयी है। इस प्रयोजनार्थ, चार उप–समितियां भी गठित की गयी हैं। उप–समितियों के सदस्यों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

विवरण-I

महात्मा गांधी की 125 जयंती के आयोजन की राष्ट्रीय समिति के सदस्यों की सूची

1. श्री पी.वी. नरसिंह राव
2. श्री अर्जुन सिंह
3. श्री बी.एन. पांडे
4. श्री सादिक अली
5. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी
6. श्री शिवराज पाटिल
7. श्री एस.बी. चव्हाण
8. श्री सीताराम केसरी
9. श्री सी.के. जाफर शरीफ
10. श्री के.पी. सिंह देव
11. श्री चन्द्रशेखर
12. श्री वी.पी. सिंह
13. श्री कृष्ण कांत
14. डा. ए.आर. किदवई
15. श्री बलिराम भगत
16. श्री गुलशेर अहमद

17. श्री खुर्शीद आलम खां
18. जनरल के.वी. कृष्ण राव
19. मो. शफी कुरैशी
20. श्री पी.के. दवे
21. गुजरात के मुख्य मंत्री
22. श्री बेअंत सिंह
23. श्री शरद पवार
24. सुश्री जयललिता
25. श्री ज्योति बसु
26. श्री के. करूणाकरन
27. श्री बीजू पटनायक
28. श्री वीरप्पा मोइली
29. श्री हितेश्वर सैकिया
30. श्री के.वी. भास्कर रेड्डी
31. श्री अटल बिहारी वाजपेयी
32. श्री एन.डी. तिवारी
33. डा. शंकर दयाल सिंह
34. श्री राम निवास मिर्धा
35. श्री एस.के. शिंदे
36. श्रीमती वैजयंतीमाला बाली
37. श्री सुनील दत्त
38. श्री बी.डी. जत्ती
39. श्री फारूख अब्दुल्लाह
40. श्री बसंत साठे
41. श्री एच.के. एल. भगत
42. श्रीमती मोहसिना किदवई
43. श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी
44. श्री बूटा सिंह
45. श्री नवल किशोर शर्मा
46. श्री जी.के. मूपनार
47. श्री जितेन्द्र प्रसाद
48. न्यायमूर्ति श्री मो. सरदार अली खान
49. श्री प्रबोध रावल
50. श्री सिद्धराज डाधा
51. श्री अनिल बोर्डिया
52. श्री वीरेन जे. शाह
53. डा. संतोष गोइंदी
54. डा. देवेन्द्र कुमार
55. कु. निर्मला देशपांडे
56. श्री नारायण देसाई
57. श्री रवीन्द्र वर्मा
58. श्री एस.के. बंदोपाध्याय
59. डा. सुशीला नायर
60. डा. बी.आर. नन्दा
61. डा. उषा मेहता
62. श्री राधाकृष्ण
63. श्री कनकमल गांधी
64. श्री अमृत मोदी
65. श्री बाल विजय
66. डा. एन. राधाकृष्णन

67. डा. सुगता कुमारी
68. डा. पी. राम रेड्डी
69. श्री द्वारको सुंदरानी
70. प्रो. टी.के. उन्नीथन
71. श्रीमती इला भट्ट
72. प्रो. अली अशरफ
73. श्री एच.जे.एच. तलयारखां
74. श्री के. विश्वनाथन
75. डा. एम. आराम
76. डा. पी. थिरूमल राव
77. प्रो. रोमलाल मारिख
78. श्री शशि भूषण
79. न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र
80. श्री रामधन
81. श्रीमती जंयती पटनायक
82. श्री बंकर राय
83. श्रीमती सोनिया गांधी
84. श्री मो. यूनुस
85. आचार्य राममूर्ति
86. श्री आबिद हुसैन
87. श्री महावीर प्रसाद
88. श्री एल.सी. जैन
89. श्री जे.डी. सेठी
90. श्री रामकृष्ण बज़ाज
91. श्री भास्कर घोष
92. श्रीमती कपिला वात्स्यायन
93. सचिव, शिक्षा विभाग
94. श्री पी.एन. श्रीनिवासन
95. प्रो. जयप्रकाशम्
96. डा. श्याम शशि
97. प्रो. प्रेम नारायण माथुर
98. श्री धरनीधर दास
99. श्री अशोक वाजपेयी
100. श्री एन. कृष्णन
101. श्री बी.सी. भगवती
102. श्री मुलायम सिंह यादव
103. श्री मोती लाल वोहरा

विवरण-II

महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के आयोजन की राष्ट्रीय समिति की उप-समितियों का गठन

I. गैर-सरकारी एवं स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए उप-समिति

i.	श्री आबिद हुसैन	अध्यक्ष
ii.	श्री बंकर रॉय	सदस्य
iii.	श्री अनिल बोर्दिया	"
iv.	श्री एम. आराम	"

v.	श्री जे.डी. सेठी	सदस्य
vi.	श्रीमती इला भट्ट	"

II. गांधीवादी संस्थाओं के लिए उप-समिति

i.	श्री बी.एन. पांडे	अध्यक्ष
ii.	श्री रवीन्द्र वर्मा	सदस्य
iii.	श्री बी.डी. जत्ती	"
iv.	डा. फारूख अब्दुल्ला	"
v.	श्रीमती निर्मला देशपांडे	"
vi.	श्रीमती उषा मेहता	"
vii.	श्री बूटा सिंह	"

III. अंतर्राष्ट्रीय कार्यों के लिए उप-समिति

i.	श्री ए.बी. वाजपेयी	अध्यक्ष
ii.	श्री वसंत साठे	सदस्य
iii.	श्री एन. कृष्णन्	सदस्य
iv.	श्री राम रेड्डी	"
v.	श्री एच.जे.एच. तलियार खान	"
vi.	डा. कपिला वात्स्यायन	"
vii.	श्री मोहम्मद यूनुस	"
viii.	श्री राम निवास मिर्धा	"

IV. सरकारी कार्यों के लिए उप-समिति

i.	मानव संसाधन विकास मंत्री	अध्यक्ष
ii.	श्री सीताराम केसरी	सदस्य
iii.	श्री के.पी. सिंह देव	सदस्य
iv.	सचिव, सूचना एवं प्रसारण	"
v.	सचिव, संस्कृति	"
vi.	सचिव, कल्याण	"
vii.	सचिव, व्यय	"
viii.	सचिव, शिक्षा	सदस्य

खाण्डसारी एककों में चीनी

2992. श्री अमर पाल सिंह : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाण्डसारी एककों से चीनी की औसतन अनुमानित वसूली 6.5% है और वैक्यूम पैन्स के उपयोग से चीनी की औसतन वसूली 9.5 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है ;

(ख) देश में खाण्डसारी एककों से चीनी के औसतन उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इन इकाइयों को वैक्यूम पैन्स के उपयोग की अनुमति प्रदान कर इस उत्पादन को कितना बढ़ाया जा सकता है ; और

(ग) वसूली में होने वाले घाटे को समाप्त करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और भविष्य में क्या कदम उठाए जाएंगे ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ग) गन्ने पर खाण्डसारी एककों की रिकवरी 6-7 प्रतिशत के बीच घटती बढ़ती रहती है।

तथापि, यदि वैक्यूम पैन प्रक्रिया अपनायी जाती है तो गन्ने पर रिकवरी प्रतिशतता में सुधार हो सकता है। चूंकि चीनी उत्पादन में वैक्यूम पैन प्रक्रिया के लिए लाइसेंसिंग, मूल्य और वितरण नियंत्रण प्रयोज्य हैं। ये वैक्यूम पैन प्रक्रिया अपनाने वाले खांडसारी एककों के लिए भी प्रयोज्य होगा।

केन्द्र सरकार द्वारा खांडसारी एककों की लासेंसिंग पर नियंत्रण नहीं किया जाता है और इस प्रकार खांडसारी एककों के उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में चीनी उद्योग के लिए विकास कार्यक्रम तैयार करने हेतु गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि खांडसारी एककों पर ध्यान दे रही राज्य सरकारों को रिकवरी में सुधार के लिए आर. एंड डी. कार्य करना होगा और ऐसे आधुनिकीकरण उत्पादकता सुधार कार्यक्रमों के लिए खांडसारी एककों की देय सहायता को भी बढ़ाना होगा।

जलियांवाला बाग

2993. श्री शिव शरण वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्मारक जलियांवाला बाग उपेक्षित और गन्दा पड़ा है और तेजी से अपना महत्व खोता जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि अनुसंधान एवं विकास

2994. श्री लाल बाबू राय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा चलाये जा रहे कृषि अनुसंधान एवं विकास कार्य पर बड़ी धनराशि खर्च की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को कृषि अनुसंधान एवं विकास के संबंध में विश्व बैंक द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों की जानकारी है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत संस्थाओं के घटिया कार्यकरण पर टिप्पणियां की हैं ; और

(च) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उनके कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष निकाय है जिसका काम मुख्य रूप से कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना है। विस्तार कार्य क्षेत्र–प्रदर्शनों/परीक्षणों तक सीमित है और इस तरह परिषद विकास कार्यों पर सीधे कोई धनराशि खर्च नहीं करती। पिछले तीन वर्षों यानी 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान परिषद द्वारा अनुसंधान और शिक्षा पर क्रमशः 325.22 करोड़, 364.60 करोड़ एवं 451.18 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) नियंत्रक एवं महालेखाकार ने 1989-90 और 1990-91 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत कार्य करने वाले संस्थानों के क्रिया–कलापों पर कुछ टिप्पणियां की थी। उन टिप्पणियों का उपयुक्त जवाब दे दिया गया है/या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं। इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि परिषद के पास पंचवर्षीय समीक्षा दल, अल्प विभिन्न विशेषज्ञ दलों और भा.कृ.अ.प. समीक्षा समिति की सिफारिशों के द्वारा अनसुंधान प्रायोजनाओं की समीक्षा के लिए इनबिल्ट मकैनिज्म उपलब्ध है। उनकी टिप्पणियों के आधार पर परिषद द्वारा सुधारात्मक उपाय आरंभ किए जाते हैं तथा संस्थान के क्रिया–कलापों में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए ठीक समय पर कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

तम्बाकू के उपयोग पर प्रतिबंध

2995. श्री एच.डी. देवगौड़ा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के तम्बाकू उत्पादकों पर धुम्रपान के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में प्रस्ताव के प्रभाव का आकलन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और परिणाम क्या है ; और

(ग) उपरोक्त प्रस्ताव के प्रकाश में तम्बाकू उत्पादकों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) : तम्बाकू उत्पादकों पर प्रस्तावित प्रतिबन्धात्मक कानून के प्रभाव का आकलन करना समयपूर्व बात होगी। वाणिज्य मंत्रालय के तम्बाकू बोर्ड ने प्रस्तावित विधान को सम्पूर्ण जांच के लिये विशेषज्ञ समिति को भेजने की सिफारिश की है।

(ग) तम्बाकू उपयोग के हानिकारक असर को ध्यान में रखते हुए सरकार की नीति तम्बाकू की केवल निर्यातोन्मुखी किस्मों को बढ़ावा देने की है जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकेगी। इसके साथ–साथ कृषकों को तम्बाकू के स्थान पर अन्य लाभकारी नकदी फसलों/औषधी–पादपों की खेती करने की सलाह दी जा रही है।

[हिन्दी]

चोरी की घटनाएं

2996. श्री ललित उंराव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार में कोडरमा और गोमोह रेलवे स्टेशनों के बीच चौकी रेलवे स्टेशन पर पिछले दस वर्ष से रेल के डिब्बों को तोड़कर लोहे की छड़ें, चादर, चीनी इत्यादि की चोरी की घटनाएं निरंतर हो रही है ;

(ख) क्या गांववालों ने जुलाई, 1994 में तीन ट्रकों को चोरी के माल सहित पकड़ा और इस संबंध में बरकट्टा पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी ;

(ग) यदि हां, तो इस सेक्शन पर चोरी से संबंधित अब तक हुई घटनाओं का ब्यौरा क्या है ; और,

(घ) सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) बिहार में कोडरमा तथा गोमोह रेलवे स्टेशनों के बीच चौबे रेलवे स्टेशन के अंतर्गत रेलवे के मालडिब्बों से कुछ बुक किए गए परेषणों की चोरी की कुछ छुटपुट घटनाएं हुई हैं।

(ख) और (ग) 14.7.1994 को हजारीबाग जिले के बरकट्टा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गंगापाचू गांव के समीप गांव वालों ने लौह सामग्री से लदे हुए तीन ट्रकों को रोककर 8 व्यक्तियों को भी पकड़ा। उनहोंने उन व्यक्तियों के साथ साथ ट्रकों को बरकट्टा पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया तथा वहां भारतीय दण्ड संहिता के धारा 414/120 (ख) के अंतर्गत मामला सं. 41/94 दर्ज किया। अभी इस बात का पता नहीं चला है कि वह लौह सामग्री चौबे रेलवे स्टेशन के अंतर्गत रेलवे के मालडिब्बों से चोरी हुए थे। चौबे तथा क़सौली रेलवे स्टेशनों के बीच पिछले 10 वर्षों के दौरान हुई अन्य घटनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(i) 10.2.1987 को कसौली–चौबे रेलवे स्टेशनों के बीच चलती हुई रेल गाड़ी से 38 बोरी गेहूं की चोरी हुई थी। इस मामले में तीन अपराधियों को गिरफ्तार करके 28 बोरियां बरामद की गई थी और गोमो ने रेल सम्पत्ति (विधि विरूद्ध) कब्जा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत 10.2.1987 को मामला सं. 3 (2/ 87 दर्ज किया।

(ii) 1.5.1988 को चौबे रेलवे स्टेशन यार्ड में मालडिब्बों से नमक की तीन बोरियों की चोरी हुई थी। एक अपराधी को गिरफ्तार करके नमक की एक बोरी बरामद की गई। इस संबंध में रे.सु.ब. पोस्ट गोमो ने रेल सम्पत्ति (विधि विरूद्ध) कब्जा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत 1.5.88 को मामला सं. 1(5)88 दर्ज किया।

(iii) 10.3.1990 को दो बोरी गेहूं बरामद हुआ था जिनके बारे में शक है कि वे चौबे रेलवे स्टेशन यार्ड के मालडिब्बों से चोरी हुई थी। इस मामले में रा.रे.पु. गोमो ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के अंतर्गत 10.3.90 को मामला सं. 12/90 दर्ज किया था।

(iv) *7.1.1993* को चौबे कसौली रेलवे स्टेशनों के बीच चलती हुई रेलगाड़ी से जुड़े एक माल डिब्बे से 8 बोरी गेहूं की चोरी हुई थी। 8 बोरियों में से 7 बोरियां बरामद हो गई थी। इस संबंध में रा.रे.पु./गोमो ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के अंतर्गत 7-1-93 को मामला सं. 1/93 दर्ज किया।

(v) 28.12.1993 को ईस्ट केबिन के समीप चलती गाड़ी में जुड़े एक माल डिब्बे से एक बोरी गेहूं चोरी हो गई थी। एक अपराधी को गिरफ्तार करके इसे बरामद कर लिया गया। इस संबंध में रे.सु.ब. पोस्ट गोमो ने रेल सम्पत्ति (विधि विरूद्ध) कब्जा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत 28.12.93 को मामला सं. 48/93 दर्ज किया।

(घ) रेल सम्पत्ति से संबंधित अपराधों को नियंत्रित करने के लिए रे.सु.ब., रा.रे.पु. तथा स्थानीय पुलिस द्वारा अपराधियों तथा चोरी हुई सम्पत्ति के प्राप्तकर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए विभिन्न स्तरों पर जहां तक संभव हो मूल्यवान परेषणों को ढोने के लिए गाड़ियों का मार्गरक्षण यार्डों तथा मेघ खण्डों में गहन गश्त लगाने, चोरी हुई सम्पत्ति के प्राप्तकर्ताओं पर छापे मारना, अपराध आसूचना कर्मचारी तैनात करने जैसे पर्याप्त उपाय किये जाते हैं। चोरों तथा अपराधियों पर काबू पाने के लिए अचानक जांच करने के लिए मुख्यालय से विशेष दस्ते भेजे जाते हैं।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय

2997. डा. के.डी. जेस्वाणी :

डा. सुधीर राय :

श्री मोहन रावले :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन चार स्थानों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पश्चिम जोन का क्षेत्रीय केन्द्र गुजरात में स्थापित करने का अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इस बारे में अब इस मामले में अद्यतन क्या प्रगति हुई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) नवम्बर, 1991 में गुजरात के मुख्य मंत्री ने भारत सरकार से अहमदाबाद या गांधी नगर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का अनुरोध किया था। मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास विचारार्थ भेज दिया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचनानुसार आयोग ने 5 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का निश्चय किया है, जो निम्नलिखित हैं :

1.	उत्तरी क्षेत्र	–	गाजियाबाद/नौएडा
2.	केन्द्रीय क्षेत्र	–	भोपाल
3.	पश्चिम क्षेत्र	–	पूणे
4.	दक्षिणी क्षेत्र	–	हैदराबाद

[हिन्दी]

गुजरात में रेलवे स्टेशन

2998. श्री रतिलाल वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के कितने रेलवे स्टेशनों पर अलग–अलग आधुनिकीकरण एवं विस्तार कार्य किया गया और इस कार्य पर कितनी धनराशि व्यय की गयी ;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और विस्तार किया जाएगा ; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आवंटित की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय

2999. डा. विश्वनाथम कैनिथी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों की छात्राओं के लिए और अधिक आवासीय अथवा अर्ध आवासीय स्कूलें खोलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) केवल लड़कियों के लिए आवासीय या अर्ध–आवासीय स्कूलों को स्थापित करने के लिए मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है। लड़कियों के लिए स्कूलों को खोलने का मूलभूत उत्तरदायित्व राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों का है। लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा के प्रोत्साहन में केन्द्रीय सरकार की भूमिका सुसाध्य बनाने के प्रकार की है। नवोदय विद्यालयों संबंधी योजना के अंतर्गत प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चें को कक्षा 6 से निःशुल्क कोटिपरक शिक्षा प्रदान करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक स्कूल की दर से आवासीय और सहशिक्षा विद्यालय खोले जा रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में लड़कियां, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से, इन स्कूलों से फायदा उठाती हैं।

गेज-परिवर्तन

3000. श्री द्वारका नाथ दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम में लंका रेलवे स्टेशन से बदरपुर जंक्शन तक बड़ी रेल लाइन बिछाने के संबंध में सर्वेक्षण रिपोर्ट मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उपरोक्त परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि इस लाइन के निर्माण पर भारी निवेश करने की आवश्यकता होगी तथा वह पूर्णतया अलाभप्रद होगा। इसको ध्यान में रखते हुए इस कार्य को शुरू करना व्यावहारिक नहीं समझा गया है।

आरक्षण केन्द्रों पर कूपन व्यवस्था

3001. श्री छेदी पासवान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित आरक्षण केन्द्रों में अपनाई जा रही कूपन व्यवस्था बंद कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) टोकन प्रणाली जो आई.आर.सी.ए. आरक्षण कार्यालय, दिल्ली में मौजूद थी, उसे समाप्त कर दिया गया है।

(ख) असामाजिक तत्वों द्वारा टोकनों के दुरूपयोग करने की शिकायतें प्राप्त होने के कारण टोकन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था।

तिलहानों/दालों की खेती

3002. श्री जायनल अबेदिन :

श्री रूपचन्द पाल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपारम्परिक क्षेत्रों में तिलहनों और दालों की खेती करने की संभावनाओं के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सबंध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) अब तक किन–किन क्षेत्रों का चयन किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) गैरपरंपरागत क्षेत्रों में तिलहन और दलहन की खेती की संभावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गय है फिर भी कृषि मंत्रालय के विशेषज्ञों ने संबंधित राज्य के कृषि विभाग के अधिकारयों से परामर्श करके तिलहन और दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए कुछ गैर परंपरागत क्षेत्रों की पहचान की है।

(ग) और (घ) फसलवार संभावना वाले क्षेत्र इस प्रकार हैं :

तिलहन

i.	सोयाबीन –	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में खरीफ की फसल के रूप में।
ii.	मूंगफली –	आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम और बिहार राज्यों में रबी की फसल के रूप में।
iii.	सूरजमुखी –	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और मध्य प्रदेश में खरीफ के बाद खाली भूमि में तथा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म फसल के रूप में।

दलहन

i.	अरहर –	उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में अरहर–गेहूं चक्र में अरहर की अल्पावधिक किस्मों को लोकप्रिय बनाना। बिहार, गुजरात और उड़ीसा में रबी की फसल के रूप में।
ii.	मूंग/उड़द –	उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में रबी की फसल की कटाई के बाद ग्रीष्म फसल के रूप में तथा आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तमिलनाडु और उड़ीसा में चावल के बाद खाली भूमि में रबी के मौसम में।

[हिन्दी]

नानस्टाप राजधानी एक्सप्रेस

3003. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अविराम राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोनवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ये रेलगाड़ियां कब से चलाई जाएंगी ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) फिलहाल नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इलैक्ट्रकल मल्टिपल यूनिट

3004. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने पूर्व रेलवे के आसनसोल–वर्दमान सेक्शन पर मुख्य लाइन "इलैक्ट्रिकल मल्टिपल" यूनिटें शुरू की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य सेक्शनों पर भी इसी तरह की रेल सेवाएं शुरू करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो ये सेवाएं कब से शुरू की जाएंगी ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी, हां। पूर्व रेलवे के आसनसोल– दुर्गापुर–बर्धमान खंड पर 11.7.94 से परीक्षण के तौर पर मुख्य लाइन की कुल चार जोड़ी इ.एम.यू. सेवाएं शुरू की गई हैं।

(ग) और (घ) अन्य खंडों पर ऐसी सेवाएं शुरू करना, परीक्षण चालन के परिणामों पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

सूरजमुखी की खेती

3005. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन–कौन से अनुसंधान केन्द्र सूरजमुखी तेल के उत्पादन और गुणवता में सुधार करने संबंधी अनुसंधान कार्य में लगे हुए हैं ; और

(ख) इस संबंध में इन केन्द्रों ने अब तक क्या प्रगति की है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) संबंधित विश्वविद्यालयों के साथ संबद्ध अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रयोजना के सात अनुसंधान केन्द्र सूरजमुखी में सुधार संबंधी अनुसंधान कार्य में लगे हैं। ये अमरेली, बंगलौर, अकोला, लातूर, सेमीलिगुडा, श्रीगंगानगर तथा कोयम्बतूर में स्थित हैं।

(ख) महाराष्ट्र के लातूर केन्द्र में दो उच्च उपजशील संकर किस्में, एल.डी.एम.आर.एस.एच. -1 तथा एल.डी.एम.आर.एस.एच. -3 विकसित की गई हैं। इन संकर किस्मों को महाराष्ट्र राज्य में उगाने की सिफारिश की गई है। बंगलौर केन्द्र में के.बी.एस.एच-1 नामक संकर किस्म विकसित की गई है जो पूरे देश के लिए उपयुक्त पायी गयी है। अमरेली केन्द्र में जी.ए.यू.–एस.यू.एफ–15 किस्म तैयार की गई है जिसकी पहचान पिछली कार्यशाला के दौरान की गई। अन्य केन्द्र भी अपने–अपने क्षेत्रों के लिए उपयुक्त सूरजमूखी की

किस्मों के विकास में लगे हैं। संकरों तथा किस्मों के विकास के अलावा सूरजमुखी के ऐसे पौधों को पहचाना गया है जो विभिन्न राज्यों में अनाज वाली तथा गैर अनाज वाली फसलों के साथ अन्तर खेती के लिए उपयुक्त हैं। जिन कुछ उपयोगी तथा लाभदायी फसल प्रणालियों की पहचान की गई है वे हैं : सूरजमुखी +अरहर, सूरजमुखी + मूंगफली, सूरजमुखी + सोयाबीन, सूरजमुखी + उड़द, तिल + सूरजमुखी और रामतिल +सूरजमुखी।

स्कूलों में अनिवार्य विषय के रूप में खेलकूद

3006. डा. सुधीर राय :

श्री तेज सिंह राव भोंसले :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य विषय के रूप में खेलकूद मर के.पी. सिंह देव समिति की सिफारिशों को स्वीकृत कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य के लिए स्कूल स्तर पर खेल–कूद की प्रोन्नति के लिए चालू वर्ष में अधिक धन का निर्धारण कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कुछ चुने क्षेत्रों में पाइलट परियोजनएं आरंभ की हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में शारीरिक शिक्षा और खेलकूद को शामिल करने के विषय में कदम उठाये जा चुके हैं।

मत्स्य ग्रहण पत्तन केन्द्र

3007. श्री एन. डेनिस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मछुआरों के मत्स्य कार्यों के संरक्षण के लिए पश्चिमी तट विशेष रूप से तमिलनाडु में मत्स्य ग्रहण पत्तन और मत्स्य केन्द्रों की सुविधाएं उपलब्ध कराने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने पश्चिमी तट पर मत्स्य पत्तनों तथा मत्स्य अवतरण केन्द्रों से संबंधित सुविधाओं की मंजूरी दी है और इन निर्माणधीन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न है। तमिलनाडु के पश्चिमी तट के लिए केन्द्रीय तटवर्ती मात्स्यिकी अभियंत्रण संस्थान, बंगलौर के परामर्श से राज्य सरकार ने कोलाचल में मत्स्य पत्तन के विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए आरम्भिक जांच–पड़ताल करने का एक कार्यक्रम तैयार किया है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पश्चिमी तट पर निर्माणधीन मत्स्य पत्तनों तथा मत्स्य अवतरण केन्द्रों को दर्शाने वाला विवरण

राज्य	मत्स्य पत्तन	मत्स्य अवंतरण केन्द्र
गुजरात	1. जखाऊ	1. ओंजल पत्तन
		2. राजपाड़ा पत्तन
		3. नवबन्दर
		4. मगोड़ डुंगरी
		5. धोले
		6. चोरवाड
महाराष्ट्र	1. ससून गोदी (बम्बई)	1. सरजेकोट
कर्नाटक	–	1. कोडिबेंगर
केरल	1. कोचीन चरण -II	1. चेन्तुवै
	2. विजिजम चरण -III	2. वलिल गोपालपट्टा
	3. पुतियप्पा	3. आर्थुगल
	4. तांगासेरी	4. क्विलान्डी
	5. मुनाम्बम	5. कत्तूर पोलायें (भूमि प्राप्ति के पश्चात ही निर्माण कार्य शुरू होगा।)
	6. मोपला खाड़ी	6. पुन्नापरा (भूमि प्राप्ति के पश्चात ही निर्माण कार्य शुरू होगा।)
	7. कायमकुलम (भूमि प्राप्ति के पश्चात ही निर्माण कार्य शुरू होगा)	

[हिन्दी]

बिहार में न्यू जोनल रेलवे

3008. श्री राम टहल चौधरी : क्या रेल मंत्री बिहार में नये जोन बनाने के बारे में 22 फरवरी, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 226 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में नये जोन तथा मंडल बनाने के प्रस्तावों को अंतिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं-उठता।

(ग) इस समय जोनों के सृजन/पुनर्गठन से संबंधित मामले का अध्ययन तथा जांच की जा रही है तथा अध्ययन पूरा हो जाने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

तिलहन की समान कीमतें :

3009. श्रीमती भावना चिखलिया :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बोने में तिलहन के प्रयोग के लिए इसकी कीमतों में समानता रखने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संसबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) तिलहनों के प्रजनक बीजों का एक समान मूल्य निर्धारित किया गया है और राज्य सरकारों, राज्य बीज निगमों और अन्य बीज बहुलीकरण एजेन्सियों को विभिन्न फसलों और किस्मों के बीजों की निर्धारित दर पर आपूर्ति की जाती है।

(ख) और (ग) वर्ष 1994-95 के लिए निर्धारित प्रजनक बीजों के फसल–वार मूल्य इस प्रकार हैं :

	फसल	प्रजनक बीज का बिक्री मूल्य रुपये प्रति क्विंटल
1.	मूंगफली	3000.00
2.	सोयाबीन	3630.00
3.	सूरजमुखी संकर (नर)	5400.00
	(मादा)	8250.00
4.	सूरजमुखी किस्म	4700.00
5.	एरण्ड संकर (नर)	10890.00
	(मादा)	5940.00
6.	एरण्ड किस्म	3140.00
7.	तिल	7100.00
8.	रामतिल	5500.00
9.	तोरिया व सरसों	4130.00
10.	कुसुम	3300.00
11.	अलसी	2890.00

[अनुवाद]

पिछड़ी जातियों को आरक्षण

3010. श्री मुहीराम सैकिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अन्य पिछड़ी जातियों की पहचान कर ली है अथवा संगठन को उन अन्य पिछड़ी जातियों की सूची प्राप्त हुई है जिन्हें हाल ही में विज्ञाप्ति पदों की भर्ती में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अन्य पिछड़ी जातियों (ओ.बी.सी.) के प्रत्याशियों को पी.जी.टी के पदों में आरक्षण प्राप्त नहीं हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिखा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) केंद्रीय विद्यालय संगठन विभिन्न पदों के वास्ते अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण के मामले में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुसरण कर रहा है।

(ग) स्नातकोत्तर शिक्षकों के पद पर भर्ती में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

प्राकृतिक आपदा राहत कोष

3011. श्री ए. अशोकराज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों द्वारा प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत कार्यों के संचालन हेतु किन-किन राज्यों में प्राकृतिक आपदा राहत कोष स्थापित किए गए हैं ;

(ख) केन्द्र सराकर द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान इस कोष के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को कितनी-कितनी धन राशि दी गई ;

(ग) क्या राज्यों को इस कोष के अंतर्गत दी जाने वाली राशि पर्याप्त है ; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस राशि में वृद्धि करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत कार्यों के संचालन के लिये पहली अप्रैल, 1990 से सभी राज्यों में आपदा राहत कोष बना दिए गये हैं। इस निधि में केन्द्र और राज्य सरकारों का योगदान 3:1 के अनुपात में है

(ख) वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान उन राज्यों को आपदा राहत कोष से दिए गये केन्द्रीय अंश का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) विभिन्न राज्यों को आपदा राहत कोष का वार्षिक आबंटन नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। इस आयोग ने 1980-89 से दस वर्षों के लिए प्राकृतिक आपदाओं संबंधी प्रबन्धन के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अधिकतम व्यय की औसत को ध्यान में रखा था। दसवां वित्त आयोग राज्यों के लिये आपदा राहत कोष के आबंटनों सहित राहत खर्च के लिये धन व्यवस्था की मौजूदा योजना की समीक्षा कर रहा है।

विवरण

आपदा राहत कोष में केन्द्रीय अंश का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	1991-92	1992-93	1993-94	टिप्पणी
			धनराशि (करोड़ रुपये में)		
1	2	3	4	5	
1.	आन्ध्र प्रदेश	49.21	49.2100	49.2100	
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.50	1.5000	1.5000	
3.	असम	22.50	22.5000	22.5000	
4.	बिहार	26.52	39.3750	26.2500	

1	2	3	4	5
5.	गोवा	0.75	0.7500	0.7500
6.	गुजरात	63.75	63.7500	63.7500
7.	हरियाणा	12.75	12.7500	19.1250
8.	हिमांचल प्रदेश	13.50	13.5000	16.8750
9.	जम्मू व कश्मीर	9.00	13.5000	4.5000
10.	कर्नाटक	20.25	30.3750	20.2500
11.	केरल	23.25	34.8750	11.6250
12.	मध्य प्रदेश	27.75	27.7500	27.7500
13.	महाराष्ट	33.00	33.0000	66.0000
14.	मणिपुर	0.75	0.7500	0.7500
15.	मेघालय	1.50	1.5000	1.5000
16.	मिजोरम	0.75	0.7500	1.1250
17.	नागालैण्ड	0.75	0.7500	0.7500
18.	उड़ीसा	29.78	29.8700	29.8700
19.	पंजाब	21.00	12.0000	31.5000
20.	राजस्थान	93.00	93.0000	93.0000
21.	सिक्किम	2.25	2.2500	2.2500
22.	तमिलनाडु	29.25	43.8750	29.2500
23.	त्रिपुरा	2.25	2.2500	2.8125
24.	उत्तर प्रदेश	67.50	122.5800	39.9600
25.	पश्चिम बंगाल	30.00	30.0000	30.0000
	योग	581.24	691.3200	592.7625

विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम मक्का और मोटे अनाज

3012. प्रो. अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ चुने हुए जिलों में विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम मक्का और मोटे अनाज चलाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन–किन राज्यों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है ; और

(ग) इस कार्यक्रम की विशेषतः महाराष्ट्र में क्या उपलब्धि रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं। बहरहाल समन्वित अनाज विकास कार्यक्रम पर केन्द्रीय प्रायोजित योजना–**मोटे अनाज** को 6 राज्यों के चुनिन्दा खण्डों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ख) समन्वित अनाज विकास कार्यक्रम मोटे अनाज के अंतर्गत उत्पादकता में समग्र सुधार के साथ साथ छः राज्यों यथा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान (गंगा नगर जिले को छोड़कर) और सिक्किम में मोटे अनाजों की उत्पादन पद्धति वाले क्षेत्रों में मोटे अनाजों के उत्पादन पर ज़ोर दिया गया है। इस योजना की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं–उन्नत फसलोत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रचार–प्रसार करना, जैविकों के प्रयोग को बढ़ावा देना, खराब किस्मों को हटाना और उन्नत जर्मलाजमों का प्रचार–प्रसार करना, किसानों के आधार भूत–संसाधनों में सुधार लाना, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाना आदि।

(ग) महाराष्ट्र सरकार को 1994-95 के दौरान 500.10 लाख रुपये की धनराशि आवष्टित की गई है और अभी तक कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति संतोष जनक रहने की जानकारी प्राप्त हुई है।

पालक्काड रेलवे स्टेशन

3013. श्री वी.एस. विजयराघवन : क्या रेल मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पालक्काड रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म 3 और 4 की छत का काम पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या प्लेटफार्म सं. 3 पर सीमेंट कंक्रीट की छत डालने का कार्य आरम्भ हो चुका है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) : पालक्काट रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म सं. 3 और 4 पर सायबान की व्यवस्था करने का कार्य समापन के अंतिम चरण में है और 30.9.1994 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) और (घ) पालक्काट रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म सं. 3 पर सीमेन्ट कंक्रीट एप्रन की व्यवस्था के कार्य को हाल ही में 1994-95 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने पर तथा क्षेत्र में वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।

[हिन्दी]

गन्ने की खेती

3014. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार वर्षों से गन्ने की खेती और उत्पादन में लगातार कमी आयी है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्य की तुलना में इसमें कितनी कमी आयी है ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

(घ) गन्ने के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सरकार गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्यों में प्रत्येक वर्ष वृद्धि करती रही है। इसके अलावा सरकार विभिन्न राज्यों में गन्ने के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विकासात्मक कार्यक्रम भी चला रही है।

ओ.जी.एल. के अंतर्गत खाद्य तेलों का आयात

3015. श्री गुमान मल लोढा :

श्री नवल किशोर राय :

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :

क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य तेलों के आयात संबंधी सुविधा देने के लिए इसे ओपन जनरल लाइसेंस के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया है ;

(ख) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार मे इन तेलों की कीमतों में वृद्धि होने के कारण स्वदेशी तेलों की तुलना में ऐसे खाद्य तेलों की लगत अधिक है ;

(ग) क्या सरकार तेल की कीमतों के अलावा इसकी दुलाई की लागत भी वहन कर रही है ;

(घ) देश में लाए गए पाम आयल की अनुमानित लागत कितनी है ;

(ङ) क्या ऐसे तेलों के आयात संबंधी सुविधा देने की घोषणा करने के बाद खाद्य तेलों की कीमतें कम हुई हैं ; और

(च) यदि हां, तो तेलों की कीमतें कितनी कम हुई हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) "खाद्य वनस्पति पामोलीन तेल" के आयात की खुले सामान्य लाइसेंस के तहत अनुमति दी गई है।

(ख) हाल के महीनों में यद्यपि पामोलीन के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि का रूख रहा है, तथापि सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सप्लाई के लिए आयात किए गए पामोलीन का अंतिम खुदरा मूल्य अभी भी देशीय खाद्य तेल की अधिकांश किस्मों के खुले बाजार मूल्यों से कम है।

(ग) सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को सप्लाई करने के लिए खाद्य तेल का आयात कर रही है। सरकार के खाते में आयातित तेल को एक समान केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित किया जाता है, जिसमें निर्धारित सुपुर्दगी स्थल तक दुलाई करने की बात शामिल है।

(घ) राज्य व्यापार निगम ने जुलाई से सितम्बर, 1994 तक के पोत लादानों के लिए लगभग 556 अमरीकी डालर (लागत बीमा भाड़ा सहित) प्रति मी. टन के औसत मूल्य पर खाद्य वनस्पति पामोलीन तेल के आयात के लिए अनुबंध किया है, जिसमें दुलाई बीमा व भाड़ा प्रभार शामिल हैं।

(ङ) व (च) अप्रैल से जुलाई, 1994 की अवधि के दौरान प्रमुख खाद्य तेलों के थोक मूल्य सूचकांक में उतार–चढ़ाव दिखाई दिया जो, नारियल के तेल के मामले में 2.5% तथा मूंगफली के तेल के मामले में 8.8% के बीच था। 1993 की तदनुरूपी अवधि में नारियल के तेल के मामले में यह उतार–चढ़ाव 9.6% व मूंगफली के तेल के मामले में 11.6% के बीच था।

छितौनी पुल

3016. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छितौनी पुल का निर्माण कार्य निर्धारित क्रम से नहीं चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) प्रारंभ में अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार सह–भागीदारों अर्थात् जल संसाधन मंत्रालय और उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकारों द्वारा अपने हिस्से की राशि न देने के कारण।

(ग) सह–भागीदारों द्वारा अपने हिस्से की लागत अदा करने पर निर्भर करता है।

गन्ना खरीद केन्द्र

3017. श्री छीतू भाई गामीत : क्या खाद्य मंत्री गुजरात में गन्ना खरीद केन्द्रों के बारे में 1 मार्च, 1994 के अतरांकित प्रश्न संख्या 1048 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक सूचना संग्रहीत कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि गुजरात में कोई गन्ना वसूली केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है। गुजरात में सभी चीनी फैक्ट्रयां सहकारी क्षेत्र में हैं। वे अवने सदस्यों से उनकी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार गन्ने की बुआई (प्लान्टेशन) करवाते हैं और उनसे पिराई के लिए गन्ना प्राप्त करते हैं। सदस्य किसान चीनी फैक्ट्रयों को सीधे अपना गन्ना बेचते हैं और लाभकारी मूल्य प्राप्त करते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कपास का मूल्य

3018. श्री नारायण सिंह चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष देश में कपास की फसल न्यूनतम निर्धारित समर्थन मूल्य से तीन गुना अधिक मूल्य पर बेची गई थी ;

(ख) क्या केवल व्यापारियों ने ही इसका पूरा फायदा उठाया ;

(ग) क्या इससे कपास पैदा करने वाले किसान हतोत्साहित हुए हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का कोई औचित्य नहीं रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान किसानों को कपास के लाभकारी मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने तथा किसानों और उपभोक्ताओं को व्यापारियों के शोषण से बचाने हेतु सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) 1993-94 (जुलाई–1994 तक) के दौरान विभिन्न मण्डियों में कपास की विभिन्न किस्मों के लिए उद्धृत अधिकतम थोक मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये न्यूनतम समर्थन मूल्यों से 1.6 से 2.4 गुना अधिक थे।

(ख) कपास के बढ़ते मूल्यों के क्षेत्र में उत्पादक तथा व्यापारी दोनों लाभ उठा रहे हैं।

(ग) सरकार द्वारा पिछले वर्षों के दौरान अनुसरण की जा रही न्यूनतम समर्थन मूल्य की नीति कपास उत्पादकों के लिये उनके उत्पाद के उच्चतर मूल्य दिलाने में लाभकारी साबित हुई है। इससे उनकी एवज में प्रति हैक्टेयर उत्पादन में वृद्धि करके कपास उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है।

(घ) न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण करते समय सरकार उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों के हितों को ध्यान में रखती है उत्पादकों को कपास के लाभकारी मूल्य का भुगतान दिलाने के लिए भारतीय कपास निगम को मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर से कम हो जाने की स्थिति में मूल्य समर्थन संबंधी क्रियाकलाप संचालित करने का निदेश दिया गया है।

[अनुवाद]

कलाकरों को वित्तीय सहायता

3019. श्री परसराम भारद्वाज : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत सरकार व्यावसायिक ग्रुपों और व्यक्तियों को अभिनय कला के क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान करती है ; और

(ख) यदि हां, तो अभिनय कला क्रिया में विशेषरूप से मध्य प्रदेश में जुड़े नामों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां

(ख) नृत्य, नाटक, नृत्य–नाटक और मंच प्रस्तुति के रूप में प्रदर्शित सभी पारम्परिक कला रूप "प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में व्यावसायिक दलों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता" की योजना के अंतर्गत अनुदान के लिए पात्र हैं। मध्य प्रदेश की पारम्परिक कला के बक्सर जनजातीय नृत्य/मुणिया/मूव/माच रूप इस योजना के अंतर्गत अनुदान के लिए विशेष रूप से मान्यता प्राप्त हैं।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत निम्न स्तरीय आपूर्ति

3020. प्रो. प्रेम धूमल :

श्री हरि भाई पटेल :

श्री गया प्रसाद कोरी :

क्या नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत निम्न स्तरीय खाद्यन्न के वितरण की आपूर्ति से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्यों को उच्च स्तरीय खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अन्य वस्तुओं का थोक में आवंटन करती है। भारतीय खाद्य निगम को अनुदेश दिए गए हैं कि वे कीड़े-मकोड़ों से मुक्त तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में निर्धारित मानकों के अनुरूप खाद्यान्न का भंडार बनाएं और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उनकी आपूर्ति करें। राज्य सरकारों तथा उनके नामितियों को खाद्यान्न की सुपुर्दगी लेने से पूर्व भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में उनकी जांच करने का अवसर दिया जाता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को खेप के निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने की स्थिति में उसे रद्द करने का अधिकार है। सुपुर्दगी के समय नमूने लिए जाते हैं और उन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की एजेंसियों को दिया जाता है, जिसे उन्हें अनाज वितरित किए जाने वाले स्थानों पर प्रदर्शित करना होता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की संचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है, जिसमें अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में उचित दर की दुकानों के जरिए गुणता के खाद्यान्न तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अन्य वस्तुएं वितरित करना शामिल हैं। उन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अधिनियम के उपबंधों तथा उनके तहत बनाए गए नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे उचित दर की दुकान के स्तर पर सतर्कता समितियां गठित करें, जिनमें महिलाओं, स्वैच्छिक संगठनों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के लोगों तथा स्थानीय उपभोक्ताओं को शामिल करें, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पर्यवेक्षण में लोग भाग ले सकें। अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा ऐसी सतर्कता समितियों के गठित किए जाने की सूचना मिली है।

केन्द्रीय सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए घटिया खाद्यान्न तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अन्य वस्तुएं वितरित किए जाने के बारे में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कोई बड़ी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, उपभोक्ताओं से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की घटिया किस्म की वस्तुएं वितरित किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसी शिकायतों के कारगर तथा तेजी से प्रतितोष के लिए उन पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जिला प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाती है। अलग-अलग उपभोक्ताओं तथा उपभोक्ता संगठनों से प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है।

सरकार द्वारा उत्पादक राज्यों से अच्छी गुण्ता के खाद्यान्न की वसूली करने तथा भण्डारण के दौरान उनमें खराबी आने को टालने के लिए उनका वैज्ञानिक ढ़ंग से भंडारण कराने हेतु सभी संभव प्रयास किए जाते हैं। इतने विशाल कार्य में, जिसमें लगभग 200 लाख मी.टन खाद्यान्न की वसूली तथा देश भर में उनके वितरण का कार्य शामिल है, कुछ स्थानों में कभी-कभार कमियां होने से पूरी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता है।

[अनुवाद]

उचित दर की दुकानों के माध्यम से कपड़े की बिक्री

3021. श्री माणिक राव होडल्या गावीत : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों को विशेषतः गांवों में उचित दर की दुकानों के माध्यम से सस्ता और नियंत्रित कपड़ा उपलब्ध कराने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु मुख्य आवश्यक वस्तुएं, अर्थात चावल, गेहूं, लेवी चीनी, मिट्टी का तेल, आयातित खाद्य तेल तथा साफ्ट कोक उपलब्ध कराती है। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन स्थानीय आवश्यकताओं और उपभोक्ताओं की पसंद के अनुसार आम खपत की अन्य वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों के जरिए वितरण हेतु स्वयं अपनी ओर से शामिल कर सकते हैं।

नाप-तोल नियम, 1977

3022. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय नाप–तोल नियम, 1977 के सभी नियमों एवं विनियमों का सरलीकरण कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परिवर्तनों का नाप–तोल नियम, 1977 पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) वे सलाहकार समितियां जो नाप तोल नियम के क्रियान्वयन में परिवर्तन लाती हैं, उनका ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्यि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुउद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के उपबंधों में परिवर्तनों तथा तत्संबंधी नीतिगत मामलों के बारे में जांच व पुनरीक्षा करने तथा समय–समय पर सरकार को उचित सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए एक स्थाई समिति गठित की गई है। समिति के गठन से संबंधित आदेश की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

डब्ल्यू. एम. 10(39)/93

भारत सरकार

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय बाट तथा माप

ब्लॉक 12-ए, जामनगर हाउस,
नई दिल्ली -110011
तारीख 5 अप्रैल, 1994

विषय : बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के उपबंधों की पुनरीक्षा के लिए गठित स्थायी समिति।

बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के उपबंधों तथा तत्संबंधी नीतिगत मामलों की जांच व पुनरीक्षा करने तथा उनमें परिवर्तन हेतु समय–समय पर सरकार को उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए एक स्थायी समिति गठित की जाती है। इस स्थाई समिति में निम्नलिखित होंगे :

1.	संयुक्त सचिव, बाट तथा माप के प्रभारी	–	अध्यक्ष
2.	भारतीय मानक ब्यूरो का एक प्रतिनिधि	–	सदस्य
3.	खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि	–	सदस्य
4.	खाद्य अपमिश्रण निवारण प्रभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का एक प्रतिनिधि	–	सदस्य
5.	उद्योग मंत्रालय का एक प्रतिनिधि	–	सदस्य
6.	नियंत्रक, बाट व माप, दिल्ली	–	सदस्य
7.	नियंत्रक, बाट व माप, उ.प्र.	–	सदस्य
उद्योग के प्रतिनिधि			
8.	भारतीय वाणिज्य व उद्योग मण्डल परिसंघ, नई दिल्ली का प्रतिनिधि	–	सदस्य
9.	भारतीय उद्योग परिसंघ, नई दिल्ली का प्रतिनिधि	–	सदस्य
10.	पी.एच.डी. वाणिज्य व उद्योग मण्डल परिसंघ, नई दिल्ली का प्रतिनिधि	–	सदस्य
11.	एसोसिएटिड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, नई दिल्ली	–	सदस्य

उपभोक्ता संगठन

12. "कॉमन कॉज" ए–31 वैस्ट एण्ड, – सदस्य
नई दिल्ली – 110021

13. "कन्ज्यूमर्स–एक्शन फोरम", 5/1 क्रास प्लेस, – सदस्य
कलकत्ता -700062

14. कन्ज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, हटमेंट–जे,
महापालिका मार्ग, कामा अस्पताल के सामने, बंबई –400001 – सदस्य

15. फेडरेशन ऑफ कन्ज्यूमर आर्गेनाइजेशन्स, तमिलनाडु, 30 टीचर्स
कालोनी, अडयार, मद्रास –600020 – सदस्य

सदस्य सचिव

16. निदेशक, विधिक माप–विज्ञान –. सदस्य सचिव

सहयोजन

समिति समीक्षाधीन उत्पाद/मुद्दे से संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकती है।

समिति का कार्यकाल

समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और यह आवश्यकता होने पर कभी भी बैठक कर सकेगी।

सरकारी सदस्य अपने–अपने मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से बैठक के लिए यात्रा–भत्ता व दैनिक भत्ता लेंगे और अन्य गैर सरकारी सदस्यों को वित्तीय नियमों के अनुसार यात्रा–भत्ते व दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

ह./–

(सती नायर)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सभी सदस्यों को भेजी जाती है।

[हिन्दी]

इलाहाबाद में नया जोन

3023. श्री पंकज चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इलाहाबाद में एक नया जोन (नार्थ–सेंट्रल जोन) बनाने के संबंध में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा क्या है और यह जोन कब से कार्यकरण शुरू कर देगा ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) रेलवे जोनों के सृजन/पुनर्गठन से संबंधित मामले का अध्ययन तथा जांच की जा रही है।

वृक्षारोपण के लिए धनराशि

3024. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सरकार ने वृक्षारोपण के लिए वर्ष राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की और इसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ; और

(ख) 1994-95 के लिए इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि दी गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) विगत दो वर्षों अर्थात 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यों के लिए आवंटित और उपयोग में लाई गई धनराशि, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा अवमुक्त की गई केन्द्रीय सहायता भी शामिल है, के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण -I में दिए गए हैं।

(ख) वर्ष 1994-95 के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यों के लिए आवंटित कुल धनराशि के अंतिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। तथापि वर्ष 1994-95 के दौरान वानिकी तथा वन्यजीव हेतु राज्य प्लान परिव्यय के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण -I

वर्ष 1992-93, तथा 1993-94 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यों के लिए धनराशि का राज्यवार आबंटन तथा उपयोग

क्र. सं.	राज्य/संघ शा.क्षे.	1992-93 आबंटन	1992-93 उपयोग	1993-94 आवंटन	1993-94 उपयोग (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	2510.52	3671.15	3324.70	1966.49
2.	अरूणाचल प्रदेश	434.55	429.23	511.00	1078.53
3.	असम	1520.00	703.13	1217.00	प्रा.न.
4.	बिहार	2112.46	1864.70	3381.46	1533.87
5.	गोवा	156.95	128.23	150.80	146.64

1	2	3	4	5	6
6.	गुजरात	6713.93	6663.94	6684.04	7367.54
7.	हरियाणा	4576.57	3940.35	3777.40	प्रा.न.
8.	हिमाचल प्रदेश	4746.00	4536.73	6063.13	प्रा.न.
9.	जम्मू और कश्मीर	1795.95	931.55	1108.02	प्र.न.
10.	कर्नाटक	6157.87	5844.53	7548.06	प्रा.न.
11.	केरल	1215.00	1261.15	695.05	300.00 **
12.	मध्य प्रदेश	5512.96	5884.001*	7350.68*	5266.36
13.	महाराष्ट्र	7624.11	6321.10	8936.45	9044.30
14.	मणिपुर	573.65	308.55	284.49**	402.98
15.	मेघालय	1164.07	1196.93	1084.20	प्रा.न.
16.	मिजोरम	870.00	980.55	906.09	936.14
17.	नागालैंड	122.38	प्रा.न.	134.46 (अ)	प्रा.न.
18.	उड़ीसा	4208.00	3842.85	4069.50	प्रा.न.
19.	पंजाब	1159.50	1903.22	1672.70	प्रो.न.
20.	राजस्थान	9583.00*	9390.41*	12550.44*	10883.37
21.	सिक्किम	383.87	436.60	364.82	प्रा.न.
22.	तमिलनाडु	4640.70	5111.08	5199.39	प्रा.न.
23.	त्रिपुरा	1158.04	978.15	1163.63	प्रा.न.
24.	उत्तर प्रदेश	6790.16	9174.84	9043.33	प्रा.न.
25.	पश्चिम बंगाल	2880.00*	3618.21	2098.30**	प्रा.न.
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	116.25	112.97	114.85	प्रा.न.
27.	चण्डीगढ़	30.00	39.00	170.00	प्रा.न.
28.	दादर व नगर हवेली	97.20	137.97	200.00	186.90

1	2	3	4	5	6
29.	दमन व द्वीव	13.00	15.00	13.00	14.77
30.	दिल्ली	281.00	193.25	197.00	प्रा.न.
31.	लक्षद्वीप	16.00	16.00	16.50	प्रा.न.
32.	पांडिचेरी	91.33	106.81	131.00	प्रा.न.
	योग :–	79255.02	79742.19**	90161.49**	

* – संशोधित

** – अनंतिम

(अ) – अस्थाई

प्रा.न. – प्राप्त नहीं हुए

विवरण-II

वसनिकी और वन्यजीव के लिए परिव्यय

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा.क्षेत्र	1994-95
1	2	3
	राज्य	
1.	आन्ध्र प्रदेश	1600.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	1200.00
3.	असम	2584.00
4.	बिहार	3264.00
5.	गोवा	217.00
6.	गुजरात	5517.00
7.	हरियाणा	3090.00
8.	हिमाचल प्रदेश	4169.00
9.	जम्मू और कश्मीर	1896.00

1	2	3
10.	कर्नाटक	5668.00
11.	केरल	2350.00
12.	मध्य प्रदेश	5090.00
13.	महाराष्ट्र	11110.00
14.	मणिपुर	490.00
15.	मेघालय	1100.00
16.	मिजोरम	675.00
17.	नागालैंड	471.00
18.	उड़ीसा	4801.00
19.	पंजाब	733.00

माल-दुलाई प्रभार

3025. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार को अनुसूचित जन जातियों के बीच व्यापक स्तर पर बेरोजगारी को देखते हुए पारादीप जाने वाले लौह अयस्क पर माल–दुलाई प्रभार पर छूट को फिर से बहाल करने के लिए लिखा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) यह सुझाव दिया गया है कि या तो निर्यात के लिये लौह–अयस्क के भाड़ा प्रभार में 16.8.1991 से पहले दी जाने वाली छूट बहाल की जाय अथवा आमंदा/बारबिल क्षेत्र से पारादीप बंदरगाह तक निर्यात के लिए लाए जाने वाले लौह अयस्क के लिए भाड़ा प्रभार 650 कि.मी. के बजाए 350 कि.मी. दूरी के लिए वसूल किया जाए।

(ग) मामले की जांच की जा रही है।

चीनी पर राज सहायता

3026. श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री जे. चोक्का राव :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार आयातित चीनी के मूल्य की क्षति पूर्ति करने के लिए चीनी पर राजसहायता को बढ़ाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों की तुलना में यह वृद्धि कितनी है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों के दौरान लेवी चीनी के वितरण पर कोई सब्सिडी नहीं दी गई थी। तथापि, इस वर्ष के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित चीनी की बिक्री पर सब्सिडी देने का प्रस्ताव है ताकि पूरे देश में इसे 9.05 रुपए प्रति किलोग्राम के एक–समान खुदरा मूल्य पर वितरित किया जा सके। सब्सिडी की मात्रा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए ली गई आयातित चीनी की मात्रा पर निर्भर करेगी। अत: फिलहाल इस वर्ष मुहैया करवाई जाने वाली कुल सब्सिडी निश्चित नहीं की जा सकती क्योंकि अभी आयात हो रहा है।

महाराष्ट्र में परियोजनाएं

3027. श्री अन्ना जोशी :

श्री दत्ता मेघे :

श्री विलासराव नागनाथ राव गूंडेवार :

श्री सन्दीपान भगवान थोरात :

श्री तेज सिंह राव भोंसले :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में केन्द्र से सहायता प्राप्त कौन–कौन सी योजनाएं/परियोजनाएं चलाई जा रही हैं और गत तीन वर्षों के दौरान इनके अंतर्गत परियोजना–वार कितनी वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति हुई है ;

(ख) राज्य सरकार द्वारा विचार तथा अनुमोदन हेतु भेजे गए नए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर परियोजनावार क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वित्तीय सहायता की मांग की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों के दौरान आरम्भ की जा रही केन्द्रीय और विदेशी सहायता प्राप्त नई परियोजनाओं समेत केन्द्रीय सहायता स्कीमों/परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। जिनमें उनकी भौतिक और वित्तीय दोनों प्रकार की उपलब्धियां भी शामिल हैं।

विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	स्कीम/परियोजना का नाम	मुख्य उद्देश्य	भारत सरकार द्वारा निधि देने की मात्रा	स्थिति	गत तीन वर्षों (1991-92, 1992-93 और 1993-94) के दौरान उपलब्धियां वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7
केन्द्रीय सहायता प्राप्त						
1.	सुरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारि विकास	सुरक्षित क्षेत्रों की सीमा में रहने वाले लोगों को वैकल्पिक आहार मुहैया कराना।	100% गैर आवर्ती 50% आवर्ती	चालू	16.51	वित्तीय बंटनों के रूप में निर्धारित लक्ष्य
2.	राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों का विकास	राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों के विकास में राज्य को वित्तीय सहायता देकर मदद देना।	100%	चालू	187.90	–वही–

1	2	3	4	5	6	7
3.	अवक्रमित वनों के वनीकरण में अनुसूचित जनजातियों एवं निर्धन ग्रामीणों का सहयोग	जैव मास संसाधन के आधार को उन्नत बनाने के लिए अवक्रमित वनों के वनीकरण में अनुसूचित जनजातियों एवं निर्धन ग्रामीणों का सहयोग	100%	चालू	44.04	340.6 है०
4.	बाघ परियोजना	बाघों की व्यवहार्य संख्या बनाए रखना	100% गैर आवर्ती 50% आवर्ती	चालू	94.64	वित्तीय बंटनों के रूप में निर्धारित लक्ष्य
5.	समन्वित वनीकरण एवं पारि विकास स्कीम	वनीकरण एवं पारि–विकास को बढ़ावा देना	100%	चालू	153.40	–वही–
6.	बीज विकास स्कीम	उत्तम बीजों के लिए आधारभूत संरचना का विकास	100%	चालू	6.00	वित्तीय आबंटनों के आधार पर निर्धारित लक्ष्य
7.	औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद	औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद उगाना	100%	चालू	65.30	325 है०
8.	अचरा एवं रत्नगीरि मैंग्रोव का वनरोपण	मैंग्रोव का संरक्षण एवं प्रबंध	100%	चालू	1.81	वित्तीय आबंटनों के रूप में निर्धारित लक्ष्य
9.	आधुनिक वन अग्नि नियंत्रण पद्धतियां	वन अग्नि का निवारण एवं नियंत्रण	100%	चालू	21.10	वित्तीय बंटनों के रूप में निर्धारित लक्ष्य

1	2	3	4	5	6	7
10.	पर्यावरण वाहिनी स्कीम	लोगों की सक्रिय भागीदारी से पर्यावरणीय जागरूकता लाना	100%	चालू	3.58	7 जिलों में स्थापित
11.	सहायतानुदान स्कीम	बनीकरण एवं परती भूमि विकास से संबंधित कार्य हाथ में लाना	100%	चालू	53.69	वित्तीय बंटनों के रूप में निर्धारित लक्ष्य
विदेशी सहायता प्राप्त						
12.	महाराष्ट्र वानिकी परियोजना–विश्वबैंक से सहायता प्राप्त	पर्यावरणीय अवक्रमण को कम करना तथा जैव–विविधता संरक्षण को बढ़ाना	परियोजना को 142 मिलियन अमरीकी डालरें की कुल लागत से 1992-93 के दौरान आरम्भ किया गया था।			27557 है०
13.	विश्व बैंक से सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मजबूत बनाना	इस परियोजना के अंतर्गत 1991-97 की अवधि के लिए राज्य को 3 मिलियन अमरीकी डालर की राशि आबंटित की गई है।			वित्तीय बंटनों के रूप में निर्धारित लक्ष्य
14.	विश्व बैंक से सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना–सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र	सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करना	इस परियोजना के अंतर्गत, 8 सामूहिक बहिस्राव शोधन संयत्र स्थापित करने के लिए 8 लाख रुपए की राशि दी गई है।			अब तक कोई सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रंथागार, कलकत्ता

3028. श्री चित्त बसु : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 19 अप्रैल, 1994 के अतरांकित प्रश्न संख्या 3905 के उत्तर के संबंधस में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित राष्ट्रीय ग्रंथालय में मामले की जांच करने के लिए श्री सतीश चन्द्रा की अध्यक्षता में गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

तिलहनों/दलहनों के लिये नयी प्रौद्योगिकी

***3029. श्रीमती वसुंधरा राजे :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने तिलहनों/दलहनों की उपज में वृद्धि करने हेतु एक नयी प्रौद्योगिकी का विकास किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रौद्योगिकी का परीक्षण किन–किन राज्यों में किया गया है ;

(ग) क्या राजस्थान में नयी प्रौद्योगिकी शुरू की गयी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो राजस्थान में इस प्रौद्योगिकी को शुरू करने के लिये क्या कदम उठाये जाने का विचार किया गया है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) अखिल भारतीय समन्वित तिलहन अनुसंधान प्रायोजना के द्वारा, जिसमें आठ तिलहनी फसलें हैं, 17 विभिन्न राज्यों में इस प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया जा रहा है, राज्यों के नाम ये हैं : (आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाण, उ.प्र., उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब)। इसी तरह अखिल भारतीय समन्वित दाल प्रायोजना के द्वारा इस प्रौद्योगिकी की जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, उ.प्र. , बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में जांच की जा रही है।

(ग) हां, यह प्रौद्योगिकी राजस्थान में अपनाई गई है। तोरिया सरसों की एक किस्म यानी बायो–902

(जय किसान) का जैव–प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से विकास किया गया है। राजस्थान में इसे उगाने के लिए सिफारिश की गई है। इसके अलावा, उन्नत तिलहन उत्पादन प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन के लिए अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना केन्द्रों की पहचान की गई है। इन प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन दुर्गापुर, जोबनेर कोटा, मन्दौर, नवगांव और श्री गंगानगर के किसानों के समक्ष किया गया है। वर्ष 1993-94 के दौरान कुल मिलाकर तिलहन पर 113 प्रदर्शनों का आयोजन किया गया है जिसमें कि किसानों तक इस प्रौद्योगिकी को पहंचाया जा सके। अखिल भारतीय समन्वित दाल सुधार प्रायोजना के केन्द्र दुर्गापुर, बीकानेर और श्री गंगानगर में स्थित हैं – जहां किसानों को दाल की नई प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी दी जाती है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत

3030. डा. अमृतलाल कालीदास पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कितने ऐतिहासिक स्थानों, स्थलों और मंदिरों की मरम्मत कराई ;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इन स्थानों के रख–रखाव और सुरक्षा के लिए वर्ष वार कितनी राशि व्यय की गई ; और

(ग) चालू वर्ष में इस कार्य के लिए कितनी धन राशि निर्धारित की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन राष्ट्रीय महत्व के 3562 केंद्रीय संरक्षित स्मारक हैं, जिनमें ऐतिहासिक स्थान, स्थल और मंदिर शामिल हैं। इनमें से वर्ष 1991, 1992 और 1993 के दौरान जिन स्मारकों को समग्र रूप से संरक्षण–कार्यों के लिए चुना गया है, उनका राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के रखरखाव, संरक्षण तथा परिरक्षण पर हुआ खर्च इस प्रकार है :

1991-92	रु. 843.91 लाख
1992-93	रु. 890.12 लाख
1993-94	रु. 1169.28 लाख

(ग) वर्ष 1994-95 के लिए 1234.28 लाख रु. का आवटंन हुआ है।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्मारकों/स्थलों की संख्या		
	1991	1992	1993
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	40	33	29
असम	20	14	8
अरूणाचल प्रदेश	1	1	-
बिहार	20	13	10
दिल्ली	20	19	19
गोवा	3	3	8
गुजरात	19	14	14
हरियाणा	14	14	19
हिमाचल प्रदेश	11	9	8
जम्मू और कश्मीर	13	12	16
केरल	2	2	2
कर्नाटक	36	35	37
मध्य प्रदेश	22	24	20
महाराष्ट्र	18	16	31
मणिपुर	-	-	-
मेघालय	-	-	-
मिजोरम	-	-	-
नागालैंड	1	1	1
उड़ीसा	17	12	8
पांडेचेरी	1	1	1
पंजाब	3	7	4

1	2	3	4
राजस्थान	28	25	24
सिक्किम	-	1	1
तमिलनाडु	36	29	28
त्रिपुरा	-	1	1
उत्तर प्रदेश	68	36	39
पश्चिम बंगाल	22	13	12

[अनुवाद]

ओ.जी.एल. के अंतर्गत शीरा आयात

3031. श्री अनंतराव देशमुख : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शीरे की कीमतों में कमी लाने हेतु ओपन जनरल लाइसेंस के अंतर्गत इसके आयात की अनुमति देने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसका आयात किन मूल्यों पर किन–किन देशों से किया जाएगा ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय़) : (क) से (ग) मौजूदा निर्यात–आयात नीति के अधीन शीरे के आयात की अनुमति देने संबंधी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय राज्य फार्म

3032. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में केन्द्रीय फार्मों का कुल क्षेत्रफल क्या है ;

(ख) विभिन्न खाद्यान्नों के बीज के उत्पादन हेतु कितना क्षेत्र उपयोग में लाया जाता है , और

(ग) 1993-94 के दौरान इनमें कितना उत्पादन किया गया ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारतीय राज्य फार्म निगम जो एक सार्वजनिक उपक्रम है, के पास मध्य प्रदेश में कोई राज्य फार्म नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सम्बलपुर रेलवे डिवीजन

3033. **डा. कृपासिन्धु भोई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्बलपुर रेलवे डिवीजन में निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ग) इन परियोजनाओं पर निर्माण कार्य कब तक शुरू किया जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) संबलपुर रेल मंडल में नई लाइनें बिछाने तथा निर्माणधीन दोहरीकरण परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र.सं. परियोजना का नाम	लम्बाई (कि.मी.)	लागत (करोड़ रुपये में)	94-95 में आबंटित निधि	पूरा करने की लक्ष्य तिथि	06/94 तक हुई प्रगति का प्रतिशत
नई लाइनें					
1. तालचेर–संबलपुर	172	220.00	35.11	95-96	50
दोहरीकरण					
2. अम्बोडला–विस्साम कटक और तेरूबलि-गुमडा	100	84.20	4.17	94-95	85

[हिन्दी]

अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रेलगाड़ी

3034. **श्री काशीराम राणा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अहमदाबाद से दिल्ली बारास्ता बड़ोदरा–गोधारा–रतलाम–कोटा के लिए यात्री यातायात के संबंध में एक सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मार्ग पर एक नई रेलगाड़ी शुरू करने का है ;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू कर दिया जायेगा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) परिचालनिक तथा संसाधनों की तंगी के कारण।

बरेली में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय

3035. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बरेली में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण कार्यलय खोलने का कोई प्रस्ताव लम्बित है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) इस कार्य को 1995-96 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किये जाने की संभावना है, बशर्ते कि ऐसा करना व्यावहारिक हो और धन उपलब्ध हो।

[अनुवाद]

फुटबाल खिलाड़ियों का प्रर्दशन

3036. श्री राम कापसे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान फुटबाल और वालीबाल क खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन खिलाड़ियों को क्या–क्या सुविधाएं उपलब्ध करायी गई हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) और (ख) फुटबाल और वॉलीबाल के स्तरों में सुधार के उपाय शुरू करने का मुख्य दायित्व संबंधित संघों का है। युवा कार्यक्रम और खेल विभाग तथा भारतीय खेल प्राधिकरण इस प्रक्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। सहायता में, विशेष प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना, भारत और विदेशों में प्रतियोगिता प्रदर्शन के अंवसर प्रदान करना, योग्यता प्राप्त विदेशी प्रशिक्षकों की सेवाओं को प्रोत्साहित करना तथा जहां आवश्यक है, वैज्ञानिक और चिकित्सा सहायता प्रदान करना शामिल है।

[हिन्दी]

पवन एक्सप्रेस का विभिन्न जंक्शनों पर रूकना

3037. डा. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4247 डाउन कुरला वाराणसी पवन एक्सप्रेस मध्य रेलवे के चालीस गांव और पाचोरा जंक्शन पर ठहरती है जबकि 4248 अप गाड़ी उक्त जंक्शनों पर नहीं रूकती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी हां। 1015 डाउन कुशीनगर एक्सप्रेस की समय–सारणी में परिवर्तन करने से प्रभावित यात्रियों की व्यवस्था के लिए 10.11.92 से 4247 डाउन के रूकने की व्यवस्था की गई थी।

(ग) कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

[अनुवाद]

हॉट मिक्स संयंत्र

3038. डा. रमेश चन्द तोमर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चल रहे कुछ हाट मिक्स संयंत्र केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी विशेष निदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र कितने स्थानों पर हैं ; और

(ग) इन निदेशों का उल्लंघन करने पर सरकार द्वारा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निदेशों की अवहेलना करते हुए राजधानी में दो हॉट मिकस प्लांट अभी भी चल रहे हैं।

(ख) जिन दो यूनिटों के विरूद्ध निदेश जारी किये गये थे वे रंगपुरी, नई दिल्ली में स्थित हैं।

(ग) इन दो यूनिटों के विरूद्ध दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37 के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है।

वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट

3039. श्री चेतन पी.एस. चौहान :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट 1996 में स्थल संबंध में अंतिम निर्णय लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस संबंध में तैयार किये गये कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस टूर्नामेंट के आयोजन में कितनी धनराशि खर्च किये जाने का अनुमान है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदयी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) और (ख) हालांकि विशिष्ट स्थानों का अभी निर्णय नहीं लिया गया है, फिर भी 1996 विश्व कप के दौरान खेले जाने वाले कुल 37 मैचों में से भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका क्रमशः 17, 16 और 4 मैचों की मेजबानी करेंगे।

(ग) जी हां, अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है।

(घ) मैच 14 फरवरी से 17 मार्च 1996 तक आयोजित किए जाएंगे। इस टूर्नामैंट के आयोजन पर लागभग 5.44 मिलियन पौंड व्यय होने का अनुमान है।

[हिन्दी]

दवा उद्योग हेतु पर्यावरण स्वीकृत

3040. श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दवा उद्योग को इस बार तीन वर्ष के लिए पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार अब तक इस उद्योग को कितनी अवधि के लिए स्वीकृति प्रदान करती आई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) हाल ही में, फार्मेस्युटिकल उद्योगों के प्रतिनिधियों ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया है कि संचालन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा उन्हें जारी की गई सहमति को तीन वर्षों की अवधि के लिए

या औद्योगिक प्रक्रमों या शोधन तथा निपटान प्रौद्योगिकियों में कोई परिवर्तन किए जाने तक, जो भी पहले हो, वैध बनाया जाए। यह विचाराधीन है।

(ग) अब तक, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की संबंधित धाराओं के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विभिन्न राज्यों में अलग-अलग समय के लिए वैधता और ऐसी अवधियों की समाप्ति पर नियमित रूप से नवीकरण के साथ संचालन के लिए सहमति जारी कर रहे हैं।

विश्व विरासत स्थल

3041. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम स्थित मोमास बाघ अभयारण्य को यूनेस्को द्वारा संकटाग्रस्त विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित कर दिया जायेगा ;

(ख) क्या यूनेस्को द्वारा कई अन्य क्षेत्रों को भी विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित करने की भी संभावना है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) वे मुख्य नाम कौन-कौन से हैं जिनके कारण यूनेस्को इस निष्कर्ष पर पहुंचा है ; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) असम में मानस बाघ रिजर्व को यूनेस्को द्वारा पहले ही एक विश्व विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है। विश्व विरासत कन्वेंशन इस बात से चिंतित था कि मानस बाघ रिजर्व को बोडो आदिवासियों के आक्रमण से लगातार खतरा बना हुआ है। इससे वन्यजीवों के बड़े पैमाने पर चोरी-छिपे शिकार, वनस्पतियों की चोरी के अलावा सरकारी कर्मचारियों पर लगातार आक्रमण और सम्पत्ति का विनाश भी हुआ है।

(ख) से (ङ) इनकी जैविक सम्पत्ति, ऐतिहासिक, वास्तुकारिता तथा सौंदर्यपरक महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत के 21 स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत के रूप में घोषित किया गया है। इनमें से 16 वास्तुशिल्पीय स्थल और 5 प्राकृतिक स्थल हैं। यूनेस्को द्वारा तीन अन्य प्राकृतिक स्थलों अर्थात गिर शेर अभयारण्य, कच्छ के लघु रन के जंगली गधा अभयारण्य तथा शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान को इसमें शामिल करने की सिफारिश की गई है।

[हिन्दी]

वर्षगांठ समारोह संबंधी समिति

3042. श्री वीरेन्द्र सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आचार्य विनोबा भावे की जन्म शताब्दी और 1994-97 के बीच पड़ने वाली स्वतंत्रता समारोह की 50वीं वर्षगांठ हेतु अलग-अलग समितियां गठित की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन समितियों द्वारा अब तक कितना कार्य किया जा चुका है ;

(घ) इन अवसरों पर आयोजन कार्य सरकार अथवा कुछ अन्य संगठनों द्वारा किया जाएगा ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) आचार्य विनोबा भावे की जन्म शताब्दी मनाने के लिए एक राष्ट्रीय समिति प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित किए जाने का प्रस्ताव है। स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कोई राष्ट्रीय समिति अभी तक गठित नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम का बेस डिपो

3043. डा. साक्षी जी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के जिलावार कितने बेस डिपो हैं ;

(ख) राज्य में उन जिलों का ब्यौरा क्या है जहां पर बेस डिपों नहीं हैं ; और

(ग) इन जिलों में बेस डिपो न होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपने फील्ड कार्यालयों से सूचना एकत्र की जा रही है।

लिंक एक्सप्रेस

3044. श्री थोटा सुब्बाराव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापट्टनम लिंक एक्सप्रैस को एक सुपरफास्ट ट्रेन में बदलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हरित तथा श्वेत क्रान्ति

3045. श्री अवतार सिंह भडाना :

श्री शिवलाल नागजीभाई बेकारिया :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान लागू की गई हरित तथा श्वेत क्रान्ति की कोई उच्चस्तरीय समीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ; और

(ग) इन क्रान्तियों के अंतर्गत देश भर में लागू की जाने वाली भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) कृषि विकास कार्यक्रमों की प्रगति की आवधिक प्रगति रिपोर्टों/रिव्यू मीटिंगों के माध्यम से लगातार समीक्षा और मानीटरिंग की जाती है। साथ ही वार्षिक योजनाएं बनाते समय भी ऐसा किय जाता है। इसके फलस्वरूप, पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्नों तथा अन्य मुख्य फसलों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है।

जहां तक श्वेत–क्रान्ति का संबंध है इस हेतु आपरेशन–फलड के नाम से एक कार्यक्रम है जिसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड क्षरा विश्व बैंक और यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम की प्रगति पर सरकार और इन अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों द्वारा बहुत कड़ी नजर रखी जा रही है।

(ग) भविष्य में कृषि विकास संबंधी रणनीति में क्षेत्रीय दृष्टि से और विस्तृत विकास पद्धति इजाद करना, सिंचाई की यथा सृजित सुविधाओं का कुशल उपयोग, वर्षासिंचित क्षेत्रों के विकास तथा आर्थिकदृष्टि से सक्षम उन्नत प्रौद्योगिकी और निवेश सामग्री की सतत् व्यवस्था करना भी शामिल होगी। "आपरेशन फ्लड इस समय अपने तीसरे चरण में है। यह दिसम्बर, 1994 तक चलेगा। विश्व बैंक और यूरोपीय आर्थिक समुदाय से इस कार्यक्रम को आगे मार्च, 1996 तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

मदन टैंक परियोजना

3047. श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के वर्धा जिले की मदन टैंक परियोजना को मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) वर्धा जिले की मदन ... परियोजना के निर्माण के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के अंतरण के बारे में अभी तक महाराष्ट्र राज्य सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

तीरंदाजी का प्रशिक्षण

3047. श्री साइमन मरान्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार झारखंड और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में सुयोग्य युवाओं को तीरंदाजी का प्रशिक्षण देने के संसबंध में कोई राज्यवार योजना आरम्भ कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने प्रशिक्षण क्षेत्र और कहां–कहां अब तक चलाए जा रहे हैं ;

(ग) इन केन्द्रों में राज्य–वार कितने लोग प्रशिक्षण पा रहे हैं ;

(घ) चालू वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे कितने केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) इनमें से प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र को चलाने में सरकार को होने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) सरकार द्वारा तीरदांजी के प्रशिक्षण के लिए कोई नयी योजना आरम्भ नहीं की जा रही है। तथापि भारतीय खेल प्राधिकरण की विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.) योजना और खेल परियोजना विकास क्षेत्र (एस.पी.डी.ए.) योजना के अन्तर्गत आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्रों के प्रतिभावान युवाओं को पहले से ही रांची (बिहार) लेबंग (पश्चिम बंगाल) और शिलांग (मेघालय) में तीदांजी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रशिक्षु कार्य निरीक्षक-III

3048. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या रेल मंत्री 3.5.1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5878 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण केंद्रीय रेलवे और केंद्रीय रेलवे के अंतर्गत इस श्रेणी के कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं ;

(ख) किन कारणों से मार्च, 1993 से चुन लिए गए उम्मीदवारों की वहां नियुक्ति नहीं हो रही है ;

(ग) क्या सरकार का विचार पश्चिमी रेलवे में कार्यभार ग्रहण करने के लिए उन चुने गए उम्मीदवारों को नियुक्ति–पत्र जारी करना है जहां 5 व्यक्तियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया ;

(घ) क्या सरकार का विचार चुने गए उम्मीदवारों को किसी भी रेल क्षेत्र में नियुक्त करने का है जहां ये पद खाली पड़े हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के.जाफर शरीफ) : (क) दक्षिण मध्य रेलवे पर 12 रिक्तियां हैं परन्तु वे विभागीय पदोन्नतियों के लिए 25% कोटे से संबंधित हैं। तथापि, मध्य रेलवे में कोई रिक्तियां नहीं हैं।

(ख) दक्षिण मध्य रेलवे पर उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में यथा उल्लिखित रिक्तियां विभागीय उम्मीद्वारों द्वारा भरी जा रही है। मध्य रेलवे में निर्माण गतिविधियां उत्तरोत्तर रूप से पूरी हो जाने के कारण कई निर्माण निरीक्षण फालतू घोषित किए गए हैं जिनके पुनर्नियोजन को भर्ती की तुलना में वरीयता दी जानी है।

(ग) जी नहीं।

(घ) इन उम्मीद्वारों को अभी अन्य जोनों में नियुक्त करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित पद

3049. श्री अनादि चरण दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण–पूर्व रेलवे में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए इस समय कुल कितने आरक्षित पद रिक्त हैं ; और

(ख) इन पदों को अभी तक नहीं भरे जाने के क्या कारण है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों का बकाया इस प्रकार था :

भर्ती :

31.3.1994 को ग्रुप "सी" और "डी" दोनों कोटियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों का बकाया "शून्य" है।

पदोन्नति :

बकाया इस प्रकार है :

	ग्रुप "सी"			ग्रुप "डी"		
	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल
1.4.94	1116	1366	2482	513	797	1310
1.7.94	879	671	1550	381	651	1032

यह देखा जा सकता है कि 1994-95 के पहले तीन महीनों में ग्रुप "सी" में 38% तथा ग्रुप "डी" में 17% सुधार हुआ है।

(ख) बकाया निम्नलिखित कारणों से है :

(i) विचारार्थ जोन में तकनीकी कोटियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीद्वारों की अनुपलब्धता

(ii) आरक्षण आदेशों के विरूद्ध न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के मामले.

धौलपुर विद्युत परियोजना को मंजूरी

3050. डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान की धोलपुर विद्युत परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित की गयी शर्तों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार आसपास के वातावरण और घड़ियाल अभ्यारण्य तथा चंबल और आगरा में ताजमहल में घड़ियाल प्रजनन केन्द्रों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है। ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) धोलपुर ताप विद्युत परियोजना को हाल ही में पर्यावरणीय दृष्टि से मंजूरी दी गई है। 750 मे.वा. की परियोजना के मूल प्रस्ताव को पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल नहीं पाया गया था क्योंकि यह पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील और वास्तु–शिल्पीय महत्व वाले क्षेत्रों के निकट है। तदनुपरान्त परियोजना प्राधिकारियों ने ऐसी स्वच्छ प्रौद्योगिकी को अपनाया है जोअब वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध है और प्रस्ताव के आकार को घटा कर 360 मे. वा. कर दिया है। यह मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के अधीन है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं ;

– प्रस्तावित संयंत्र विनिर्दिष्ट स्वच्छ प्रौद्योगिकी पर आधारित होना चाहिए ताकि चिमनियों से निकलने वाले गैसीय उत्सर्जन को पर्यापत रूप से घटाया जा सके। इस स्वच्छ प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त अन्य कोई प्रौद्योगिकी अपनाने की अनुमति नहीं है।

– द्रव बहिस्रावों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपयुक्त रूप से शोधित किया जाए। अधिकतम संभव सीमा तक शोधित बहिस्रावों के पुनः प्रयोग के लिए प्रयास किए जाएं।

– नदी में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में गर्म जल की निकासी के लिए शीतलन टावरों की व्यवस्था की जाए।

– राख कुण्ड से निकलने वाले द्रव बहिस्रावों को चंबल नदी में न डाला जाए और अपर्शिष्ट जल का पुनः शोधन किया जाए तथा शून्य विसर्जन संकल्पना को अपनाया जाए।

– फ्लाई ऐश का अधिकतम संभव सीमा तक उपयोग किया जाए।

– जाहं तक संभव हो अपशिष्ट जल का उपयोग करके विद्युत स्टेशन के चारों ओर पर्याप्त चौड़ाई और घनत्व वाली हरित पट्टी लगाई जाए।

– उद्योगों, मानव बस्तियों आदि की अव्यवस्थित वृद्धि को रोकने के ध्येय से राज्य सरकार द्वारा धोलपुर क्षेत्र के लिए अनुक्षेत्र वर्गीकरण सहित एक मास्टर योजना तैयार की जाए। नगर/औद्योगिक संपदाओं के वन विहार और अभयारण्य तथा चंबल नदी की ओर विस्तार पर रोक लगाई जाए।

– धोलपुर और आगरा के बीच तथा वन विहार और अभयारण्य के निकट पर्याप्त संख्या में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र स्थापित किए जाएं।

उपर्युक्त पर्यावरणीय सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण उपायों से मगरमच्छ अभयारण्यों तथा ताजमहल सहित आसपास के पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। इन सुरक्षा उपायों को परियोजना में शामिल किया जाएगा और इन्हीं के आधार पर पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई है।

आदर्श संस्कृत विद्यापीठम, बालूसेरी

3051. श्री के. मुरलीधरन : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत दो वर्षों के दौरान आदर्श संस्कृत विद्यापीठम, बालूसेरी, कोझीकोड में व्याप्त कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संस्था का दर्जा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) इस विद्यापीठ के अध्यक्ष को बदलने के लिए एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(ख) केरल विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रो. डा. एन.पी. उन्नी को श्री टी.एम.बी. नेडुंगडी के स्थान पर 14 जून, 1994 से नया अध्यक्ष नामित किया गया है।

(ग) कालीकट आदर्श संस्कृत विद्यापीठ, बालूसरी को अधिकार में लेकर, केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव फरवरी, 1994 में प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की नीति के अनुसार, प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थापित की जानी चाहिए। चूंकि केरल राज्य के त्रिचूर जिले में परूनाटुकारा में पहले ही एक केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ कार्य कर रहा है एतैव इस स्तर पर अन्य विद्यापीठ बनाना संभव नहीं है।

सहकारी ढ़ांचा

3052. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सहकारी ढ़ांचे को मजबूत करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ;

(ग) क्या "नाबार्ड" ने भी इस संबंध में कुछ कदम उठाए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) सहकारी संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न उपाय किए गए हैं। इन अपायों में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के लिए व्यवसाय विकास योजनाओं को तैयार करना, सहकारी संस्थाओं पर राष्ट्रीय नीति तैयार करना तथा योजना आयोग द्वारा स्थापित समिति की संस्तुतिओं के आधार पर बहु–राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 को पुन. तैयार करना शामिल है।

सहकारी संस्थाओं को वांछित स्वयायत्तता प्रदान करने के लिए सहकारी विधान के पुनर्निरूपण हेतु राज्य सरकारों के साथ मामले पर विचार किया जा रहा है, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य और स्वावलम्बी बनाया जा सके। सहकारिता राज्य का विषय है और इस संबंध में अंतिम कार्रवाई राज्य सरकारों द्वारा की जानी है।

(ग) और (घ) सहकारी ऋण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु नाबार्ड ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(i) एक मॉडल डिपॉजिट गारंटी योजना तैयार की गई है और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा जमा संचयन को प्रोत्साहित करने के लिए इसे अपनाने हेतु यह योजना राज्यों में परिचालित की गई है।

(ii) राज्यों को कहा गया है कि वे ऋण नीतियों और प्रक्रियाओं को सरल बनाएं और सिंचाई और बहुफसली क्षमता वाले क्षेत्रों में किसानों के बीच नकद ऋण प्रणाली लागू करें।

(iii) राज्यों को बेहतर वसूली निष्पादन के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए कहा गया है।

(iv) नाबार्ड ने प्रणाली विकास संसाधन एकत्रीकरण, उन्नत वसूली आदि के लिए सहकारी बैंकों को सहायता देने के लिए सहकारी विकास निधि की स्थापना की है।

(v) राज्य सरकारों और सहकारी बैंकों को सलाह दी गया है कि वे सहकारी ऋण संरचना के स्वरूप के पुनर्नवीकरण के लिए विकास कार्य योजना तैयार करें।

विद्यालयों में घटिया खाद्य मदों की कथित सप्लाई

3053. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में नवोदय विद्यालयों, स्कूलों/आंगनवाड़ी आदि में दोपहर के भोजन में बच्चों को दिये जाने वाले खाद्य मदों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) बच्चों को प्रतिदिन मद–वार कितनी–कितनी मात्रा में खाद्य पदार्थ दिये जाते हैं ;

(ग) इन मदों को मद–वार कहां से खरीदा जाता है ;

(घ) इन मदों को खरीदने में मद–वार क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान जांच के लिए इन खाद्य मदों के मद–वार कितने नमूने उठाये गये और उनमें से कितने घटिया और मिलावटी पाये गये और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ;

(च) क्या बच्चों को इस समय दिये जा रहे बिस्कुटों के स्थान पर केन्द्रीय भंडार से खरीदकर पारले के ग्लूकोज बिस्कुटों की आपूर्ति करने संबंधी कोई प्रस्ताव है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) दिल्ली स्थित दो विद्यालयों सहित नवोदय विद्यालय पूर्णतया आवासीय स्कूल हैं। बच्चों को निःशुल्क आहार, वर्दी, पाठ्य–पुस्तकों और लेखन सामग्री प्रदान की जाती है।

(ख) से (छ) बच्चें को हल्के नाश्ते के साथ मध्याहन और अपराहन में चाय/काफी और पेय के अतिरिक्त सुबह की चाय, नाश्ता भोजन और रात्रि भोजन प्रदान किये जाते हैं। व्यंजन सूची में क्षेत्रगत अंतर होता है। प्रत्येक बच्चे के आहार पर प्रति माह 350 रुपये की राशि खर्च की जा रही है।

चावल, दाल, आटा, वनस्पति तेल, चीनी, सूजी, इत्यादि जैसी बड़ी मात्रा वाली वस्तुएं प्रायः जिला खाद्य सामग्री कार्यालय/सुपर मार्किट/सहकारी स्टोर इत्यादि से खरीदी जाती हैं। दूध, दही, सब्जियां, इत्यादि जैसी वस्तुएं नियमों के अनुसार निविदाओं को आमंत्रित करके या उसी स्थान पर भाव लगाकर निर्धारित संभरकों से खरीदी जाती है। नवोदय विद्यालय समिति किसी विशेष ब्राण्ड के उत्पाद की खरीद सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं है।

विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन

3054. श्री रामकृष्ण कोंताला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव लम्बी दूरी की रेल गाड़ियों के सुविधा हेतु विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को गोपाल पट्टनम में स्थानांतरित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के जाफर शरीफ) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केसर का उत्पादन

3055. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केसर के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के केन्द्रीय भाग के पहाड़ी क्षेत्रों विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में केसर उत्पादन हेतु प्रयोगात्मक परीक्षण और अनुसंधान करने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) सरकार मसालों के विकास के लिए आठवीं योजना के दौरान एक समेकित मसाला विकास कार्यक्रम चला रही है। इसके अंतर्गत केसर के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए जम्मू व कश्मीर में 5 हैक्टेयर और हिमाचल प्रदेश में दो हैक्टेयर वाले केसर बीज बहुलीकरण प्लाटों की स्थापना करने का प्रस्ताव है ताकि अच्छी गुणवत्ता वाले कोर्म्स (छनकन्द) उपलब्ध हो सकें। साथ ही खेती की उन्नत विधि को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने जम्मू व कश्मीर के किसानों के खेतों में 350 प्रदर्शन प्लाटों और हिमाचल प्रदेश में 50 प्लाटों की स्थापना की स्वीकृति दे दी है। इसके लिए आठवीं योजना के दौरान केसर का विकास करने के लिए 15.13 लाख रुपये का परिव्यय नियत किया गया है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। लेकिन, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इस फसल के संबंध में एक अनुसंधान परियोजना स्वीकृत की गई है।

[हिन्दी]

मूंगफली/खजूर का उत्पादन

3056. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में मूंगफली और खजूर के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं ;

(ख) क्या राजस्थान में इनकी खेती के संवर्धन की संभावनाएं हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या अनुसंधान केन्द्रों द्वारा राजस्थान की रेतीली जलवायु के उपयुक्त खजूर और मूंगफली की कोई विशेष किस्म तैयार की जा रही है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) राजस्थान में किन–किन जगहों में अभी मूंगफली और खजूर का उत्पादन हो रहा है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) मूंगफली के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए देश के 22 राज्यों में एक केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। वैसे जहां तक खजूर के पेड़ का संबंध है भारत सरकार द्वारा उष्ण कटिबंधीय शुष्क क्षेत्र और शीतोष्ण क्षेत्र के फलों के समेकित विकास की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना आरम्भ की गई है जिसके अंतर्गत खजूर की खेती के लिये सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) राजस्थान में मूंगफली की खेती को बढ़ावा देने की संभावनाएं हैं। 1993-94 के दौरान, अनुमान है कि 2.86 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती हुई और इसका उत्पादन 2.09 लाख मीटरी टन रहा। इस राज्य के बीकानेर और जोधपुर जिलों में खजूर की खेती की संभावनाएं हैं।

(घ) और (ङ) राजस्थान के लिये उपयुक्त मूंगफली की किस्में हैं – आर.जी. 141, आई.सी.जी. एस.–1 और सी.एस.एम.जी. 84-1 खजूर की किस्में हैं–हलावी, मेरजूल और जहीदी।

(च) इस राज्य के 30 जिलों में मूंगफली की खेती की जाती है लेकिन महत्वपूर्ण जिले हैं, चित्तौडगढ़, सवाईमाधोपुर, जयपुर, टौंक, भीलवाडा, दौसा, बीकानेर और नागौर, राजस्थान में खजूर की खेती का क्षेत्र नगण्य है।

[हिन्दी]

गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस

3057. श्री जितेन्द्र नाथ दास :

श्री अमर रायप्रधान :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली से गुवाहाटी और गुवाहाटी से नई दिल्ली के लिए चलाई गई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी को इसके शुरू होने से पूर्व किन–किन स्टेशनों पर रोके जाने का प्रस्ताव था ;

(ख) गाड़ी को केवल न्यू जलपाईगुड़ी में ही रोकने का फैसला करने के क्या कारण हैं, जबकि यह गाड़ी मुख्य रूप से उत्तर बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, भूटान और पूर्वी नेपाल आदि के यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए चलाई गई थी ; और

(ग) उपरोक्त राज्यों में गाड़ी को अधिक स्टेशनों पर रोके जाने की व्यवस्था करने तथा यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गाड़ियों की आवाजाही में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) राजधानी एक्सप्रेस एक तीव्र गति की गाड़ी है जो संघीय राजधानी तथा राज्य की राजधानी के यात्रियों के लिए अभिप्रेत है। और इसलिए इसके मध्यवर्ती ठहरावों को मुख्यतः परिचालनिक कारणों से कम से कम रखा जाता है। गुवाहाटी राजधानी गाड़ी के लिए केवल कानपुर, मुगलसराय, पटना, बरौनी, कटिहार तथा न्यूजलपाई गुड़ी पर ठहराव देने का विनिश्चिय किया गया था।

(ग) मार्ग में अतिरिक्त ठहरावों की व्यवस्था करने तथा xxxx बारंबारता में वृद्धि करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

उर्दू विश्वविद्यालय

3058. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु सुझाव देने के लिए कोई समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार को इस समिति की सिफारिशें कब तक प्राप्त हो जाएंगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ) शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 25 सितम्बर, 1992 को श्री अजीज कुरैशी की अध्यक्षता में उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी एक समिति गठित की थी। समिति ने 12 जून, 1993 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की थी। इसकी प्रमुख सिफारिशों में एक नया केन्द्रीय उर्दू विश्वविद्यालय स्थापित करना शामिल है जिसका स्वरूप पूर्णतया धर्मनिरपेक्ष हो और जो सभी के लिए सुलभ हो तथा जो उपयुक्त परिवर्तनों और रूपांतरों के साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इं.गां.रा.मु.वि.वि.) की पद्धति पर हो, जिसमें उसके प्रमुखतया दूरस्थ शिक्षा स्वरूप के होते हुए संस्थाओं के संबंधन और चयनात्मक आधार पर अध्यापन संस्थाएं खोलने के लिए सामर्थ्यकारी उपबंध हों और जिसमें उर्दू के माध्यम से विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों के अध्यापन पर बल दिया जाता हो।

प्रशिक्षित प्रशिक्षक

3059. श्री तेज सिंह राव भोंसले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में खेल–कूद और खेल संबंधी प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ावा देने हेतु जिला स्तर पर "राष्ट्रीय खेल संस्थान" से प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की नियुक्ति की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को प्रत्येक जिले में चार खेल विधाओं की पहचान करनी अपेक्षित होती हैं। दो विधाओं के लिए प्रशिक्षकों की नियुक्ति भारतीय खेल प्राधिकरण और अन्य दो की संबंधित राज्य सरकार करती है।

[अनुवाद]

रेलवे हाई स्कूल विजयवाड़ा

3060. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयवाड़ा में कितने रेलवे कर्मचारी कार्यरत हैं ;

(ख) इन रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए उपलब्ध करायी जा रही शैक्षिणिक सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन विद्यालयों में विशेषकर रेलवे द्वारा संचालित सहशिक्षा हाई स्कूल की कक्षाओं के इस समय जितने सेक्शन हैं वे पर्याप्त नहीं हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन विद्यालयों में सेक्शनों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मिट्टी तथा जल परीक्षण प्रयोगशालाएं

3061. श्री प्रबीन डेका : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान असम में कितनी मिट्टी तथा जल परीक्षण प्रयोगशालाएं खोलने का प्रस्ताव है ; और

(ख) इस पर कुल कितना अनुमानित खर्च होगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं जहां जल के नमूनों का भी विश्लेषण किया जा सकता है, राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की जाती हैं। असम में सत्रह (17) मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं (10 स्थायी तथा 7 चल) हैं। छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता देने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना जो 1993-94 के दौरान चल रही थी उसके तहत राज्य सरकार ने 36 लाख रुपए के व्यय से मौजूदा 10 स्थायी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव किया है। इस योजना के अधीन राज्य सरकार ने वर्ष 1994-95 में नई मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के प्रस्ताव के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है।

दिल्ली की जामा मस्जिद को हुई क्षति

3062. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी तथा आस–पास के अन्य स्थानों पर 28 जुलाई, 1994 को आये भूकम्प से दिल्ली की जामा मस्जिद को क्षति पहुंची है ;

(ख) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने क्षति का आकलन किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उसकी मरम्मत करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार, नुकसान

बस इतना हुआ है कि जामा मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश–द्वारा की लघु–मीनार गिर गई है तथा पूर्वी एवं उत्तरी प्रवेश द्वारों की दो लघु–मीनारों में दरारें पड़ गई हैं।

(घ) संरक्षण और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है।

आम का उत्पादन

3063. श्री एस.बी. सिदनाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने आम का निर्यात हुआ ;

(ख) क्या निर्यात के कारण देश में आम की कमी हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो देश में आम की घरेलू मांग की पूर्ति के लिए कौन से कदम उठाए गए ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आम की निर्यात की गई मात्रा निम्नवत है :

मात्रा (मी.टन)

1991-92	1992-93	1993-94 (अनुमानित)
23,104	25,850	23,000

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

बिना टिकट यात्रा

3064. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून 1994 में हैदराबाद में सभाओं में भाग लेने के लिए भारी संख्या में बेटिकट लोगों ने दक्षिण मध्य रेलवे की रेलगाड़ियों में यात्रा की ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वास्तविक यात्रियों के अधिकार की रक्षा करने के लिए उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) जी नहीं। गाड़ियों में अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए रे.सु.ब./रा.रे.पु. कर्मियों के साथ टिकट जांच कर्मचारियों के पर्याप्त दस्ते तैनात किए गए थे।

गंगा परियोजना

3065. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा परियोजना से संबंधित कार्य में कितनी प्रगति हुई है और इस पर अब तक राज्य–वार कितना व्यय किया जा चुका है ;

(ख) इस परियोजना के शेष कार्य पर राज्य–वार कितना व्यय किए जाने का अनुमान है ;

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी होने की संभावना है और इस परियोजना पर राज्य–वार कुल कितनी राशि खर्च होने की संभावना है ;

(घ) इस परियोजना के पूरा होने पर राज्य–वार प्राप्त होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) गंगा कार्य योजना के पहले चरण के अन्तर्गत स्वीकृत की गई 261 स्कीमों में से 237 स्कीमें अब तक पूरी हो गई हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है :

	उत्तर प्रदेश	बिहार	पश्चिम बंगाल	कुल योग
संस्वीकृत की गई स्कीमें	106	45	110	261
पूरी की गई स्कीमें	102	41	94	237

इन स्कीमों पर किया गया राज्य-वार व्यय निम्नलिखित है :

(रुपए करोड़ में)

उत्तर प्रदेश	बिहार	पश्चिम बंगाल	कुल योग
156.51	47.04	160.32	363.87

(ख) इस परियोजना के शेष कार्यों पर किये जाने वाले संभावित व्यय अनुमान का राज्य-वार ब्यौरा निम्नलिखित है :

(रुपए करोड़ में)

उत्तर प्रदेश	बिहार	पश्चिम बंगाल	कुल योग
43.44	10.25	33.72	87.41

(ग) इस परियोजना के मार्च, 1996 तक पूरा हो जाने की संभावना है तथा राज्य वार खर्च की जाने वाली कुल धनराशि निम्नलिखित है :

(रुपए करोड़ में)

उत्तर प्रदेश	बिहार	पश्चिम बंगाल	कुल योग
199.95	57.29	194.04	451.28

(घ) जब गंगा कार्य योजना पूरी हो जाएगी तो इससे नदी में प्रवाहित होने वाले प्रदूषण भार को कम किया जा सकेगा, नदी की जल गुणवत्ता में सुधार होगा तथा इसके पारिस्थितिकी स्वास्थ्य को बहाल रखने में मदद मिलेगी। इससे नदी की जैव–सम्पदा को बढ़ाने में मदद मिलेगी, और इसके अलावा समूचे नदी क्षेत्र में नदी का जल प्रयोग करने वाले लोगों के बीच जल–जात एवं जल–धौत बीमारियों के जोखिम को कम किया जा सकेगा। इस कार्यक्रम से जल कृषि, सिंचाई, बनीकरण के लिए अपशेष जल के उपचार के द्वारा प्रतिलाभ संसाधन तथा जैव ऊर्जा के उत्पादन के संबंध में भी लाभ प्राप्त किए जा सकेंगे।

[अनुवाद]

उदयपुर एकसप्रेस का दुर्घटनाग्रस्त होना

3066. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24/25 जुलाई, 1994 को पश्चिम रेलवे के अंतर्गत हिम्मतनगर में उदयपुर एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस दुर्घटना में हुए जन और रेलवे सम्पत्ति नुकसान का ब्यौरा क्या है ;

(घ) प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को कितना मुआवजा दिया गया है अथवा दिये जाने का विचार है ;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई प्रारम्भिक जांच करायी गई है ;

(च) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(छ) दुर्घटना के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) जी हां। 24.7.1994 को पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल के हिम्मतनगर–उदयपुर खंड पर रायगढ़ रोड और लुखतिया स्टेशनों की बीच 9644 डाउन अहमदाबाद–उदयपुर एक्सप्रेस का इंजन और एक सवारी डिब्बा पटरी से उतर गया जिसके फलस्वरूप 2 रेल कर्मचारियों की जानें गईं और 22 व्यक्तियों को मामूली चोटें आईं। रेल संपत्ति को लगभग 12,000/. रु. की क्षति पहुंची है।

(घ) मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों और घायलों को अनुग्रह के रूप में 15,250/. रु. की राशि का भुगतान किया गया है। मुआवजे का भुगतान दावाकर्त्ताओं द्वारा दर्ज दुर्घटना दावों पर रेल दावा अधिकरण द्वारा डिग्री देने पर किया जाएगा।

(ङ) से (छ) एक बहु–उद्देशीय जांच समिति ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है और उनके निष्कर्षों की प्रतीक्षा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी पाए गए कर्मचारियों, यदि काई हो, के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही सहित निवारक उपाय और अनुवर्ती कार्यवाही की जाएगी।

अवैध शिकार किया जाना

3067. श्री लाल बाबू राय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार में गत एक वर्ष के दौरान जंगली जानवरों का अवैध शिकार किए जाने संबंधी घटनाओं की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य में अवैध शिकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) बिहार सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

प्राथमिक शिक्षा

3068. श्री एन.जे.राठवा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु विश्व बैंक से गत तीन वर्षों के दौरान कोई सहायता प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सहायता से किन–किन जिलों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में बुनियादी शिक्षा परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ऋण प्रदान किया है।

(ख) परियोजना ने वर्ष 1993-94 के दौरान कार्य करना शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ऋण सात वर्षों की अवधि के लिए 165.0 मिलियन अमरीकी डालर है। 28 फरवरी, 1994 तक विश्व बैंक से इस परियोजना के लिए 6.8 मिलियन अमरीकी डालर का संवितरण किया गया है।

(ग) जिलों के नाम हैं : अलीगढ़, इलाहाबाद, बांदा, इटावा, गोरखपुर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, सहारनपुर, सीतापुर और वाराणसी।

[अनुवाद]

सुअर प्रजनन फार्म

3069. श्री शांताराम पोतदुखे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित सुअर प्रजनन फार्मों की राज्य–वार संख्या क्या है ;

(ख) सरकार ने इन फार्मों में सुअर के विदेशी प्रजाति प्रजनन संबंधी स्टाफ में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा वर्ष 1994-95 के दौरान इसके लिए आवंटित धनराशि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) 1987 की स्थिति के अनुसार देश में स्थापित सुअर प्रजनन फार्मों की राज्य–वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) शत प्रतिशत सहायता अनुदान के साथ एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना 1990-91 के दौरान प्रारंभ की गई थी और बुनियादी सुविधाओं के विकास, विदेशी सुअरों की खरीद तथा परस्पर फार्म विनियम के द्वारा प्रजनन स्टाक के रूप में उनके आवागमन, प्रशिक्षण, तथा सहकारी विपणन सुविधाओं के माध्यम से सुअर प्रजनन फार्मों को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में इसे जारी रखा गया।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा प्रत्येक वर्ष में और 1994-95 के लिए जुलाई, 1994 के अंत तक जारी की गई निधियां संलग्न अनुबंध में दी गई हैं। शेष अवधि के लिए निधियां प्रस्तावों के प्राप्त होने पर जारी की जाएंगी। वर्ष 1994-95 के लिए कुल आवंटन 200 लाख रुपये हैं।

विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य	पिछले 3 वर्षों तथा 1994-95 के दौरान जारी की गई निधियां				1987 की स्थिति के अनुसार स्थापित फार्मों की संख्या
	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	-	12.50	-	-	5
अरूणाचल प्रदेश	3.0	-	24.0	-	2
असम	3.00	-	-	-	6
बिहार	-	-	24.5	-	5
गोवा	-	-	6.0	-	2
हरियाणा	-	6.50	-	-	2
कर्नाटक	-	13.50	-	-	3
केरल	5.50	-	44.0	-	6
मध्य प्रदेश	6.50	-	12.0	-	3

1	2	3	4	5	6
मणिपुर	-	-	14.0	-	4
मेघालय	-	4.0	-	-	9
मिजोरम	3.0	-	16.50	12.00	4
नागालैंड	5.0	-	-	-	8
उड़ीसा	3.0	-	5.25	-	2
पंजाब	-	10.0	-	-	8
राजस्थान	-	2.25	-	-	1
सिक्किम	3.0	-	18.25	-	2
तमिलनाडु	-	-	-	-	5
त्रिपुरा	-	-	25.25	-	6
उत्तर प्रदेश	3.0	7.50	4.50	-	8
पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	6
अंदमान तथा निकोबार	-	4.0	-	-	1
दादर और नागर हवेली	-	-	-	-	1

हावड़ा में परिक्रमा रेलवे

3070. श्री हन्नान मोल्लाह :

प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हावड़ा में वर्तमान पटरियों और सुविधाओं के साथ परिक्रमा रेलवे शुरू करना है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रणाली को शुरू करने के लिए क्या बदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्री श्री सी.के. जाफर शरीफ : (क) और (ख) हावाड़ा–टिकियापाड़ा– रामराजतला–संतरागाची –पदमा पुकूर–शालीमार के बीच ई.एम.यू. सेवाएं शुरू करने के लिए अब कोई सर्कुलर लाइन उपलब्ध नहीं है। अतः सुर्कुलर प्रणाली पर उपनगरीय सेवाएं शुरू करने का प्रशन नहीं उठता।

गुजरात की पर्यावरणीय परियोजनाएं

3071. श्री रतिलाल वर्मा :

श्री अरविन्द त्रिवेदी :

श्री एन.जे. राठवा :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार की तथा विदेशी सहायता से गुजरात में पर्यावरण और वन संरक्षण के लिए कौन–कौन सी परियोजनाएं चालू की गईं ;

(ख) इस संबंध में परियोजना–वार क्या–क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई ;

(ग) प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(घ) निकट भविष्य में चालू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) पर्यावरण और वनों के संरक्षण के लिए केन्द्रीय और विदेशी सहायता से गुजरात में चालू की गई परियोजनाओं के ब्यौरे वित्तीय और भौतिक उपलब्धियों सहित संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) "समन्वित वानिकी परियोजना, गुजरात" नाम की एक परियोजना की, जिसका मुख्या उद्देश्य 682 करोड़ रुपये की कुल लागत पर पर्यावरणीय संतुलन बहाल करने व वृक्षारोपण को बढ़वा देना है, वित्तीय सहायता के लिए विश्व बैंक के समक्ष रखा गया है।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र. सं०	स्कीम/परियोजना का नाम	मुख्य उददेश्य	भारत सरकार द्वारा निधि देने की मात्रा	स्थिति	गत तीन वर्षों (1991-92, 92-93 और 1993-94) के दौरान उपलब्धियां वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7
केन्द्रीय सहायता प्राप्त						
1.	सुरक्षित क्षेत्रों के आस–पास पारि–विकास	सुरक्षित क्षेत्रों की सीमा में रहने वाले लोगों को वैकल्पिक आहार मुहैया कराना	100% गैर आवर्ती 50% आवर्ती	चालू	49.01	वित्तीय बंटनों के रूप में लक्ष्य निर्धारित
2.	राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का विकास	राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के विकास में राज्य को वित्तीय सहायता देकर मदद देना	100%	चालू	107.75	–वही–
3.	अवक्रमित वनों के वनीकरण में अनुसूचित जनजातियों एवं निर्धन ग्रामीणों का सहयोग	जैव–मास संसाधन के आधार को उन्नत बनाने के लिए अवक्रमित वनों के वनीकरण में अनुसूचित जनजातियों एवं निर्धन ग्रामीणों का सहयोग	100%	चालू	10.36	–वही–
4.	समन्वित वनीकरण एवं पारिविकास स्कीम	वनीकरण एवं पारि–विकास को बढ़ावा देना	100%	चालू	72.96	5588 है०

1	2	3	4	5	6	7
5.	क्षेत्रोन्मुख इंधन की लकड़ी एवं चारा परियोजना स्कीम	ईंधन की लकड़ी की कमी वाले अभिनिर्धारित जिलों में इंधन की लकड़ी की सप्लाई को बढ़ाना	50%	चालू	418.70	8962 है०
6.	बीज विकास निगम	उत्तम बीजों के लिए आधारभूत संरचना का विकास	100%	चालू	38.99	वित्तीय आबंटनों के रूप में लक्ष्य निर्धारित
7.	औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद	औषधीय पौधों सहित.लघु वन उत्पाद उगाना	100%	चालू	204.89	2974 है०
8.	सहायतानुदान स्कीम	वनीकरण एवं परती भूमि विकास से संबंधित कार्य हाथ में लेना	100%	चालू	37.66	5 परियोजनाएं
9.	पर्यावरण वाहिनी स्कीम	लोगों की सक्रिय भागीदारी से पर्यावरणीय जागरूकता लाना	100%	चालू	1.96	3 जिलों में स्थापित
10.	आधुनिक वन अग्नि नियंत्रण पद्धतियां	वन अग्नि का निवारण एवं नियंत्रण	100%	चालू	13.00	वित्तीय आबंटनों के रूप में लक्ष्य निर्धारित

1	2	3	4	5	6	7
	विदेशी सहयोग प्राप्त					
11	राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना–विश्व बैंक से सहायता प्राप्त, गुजरात उप परियोजना	वानिकी	परियोजना को 1985-86 से मार्च, 1993 तक की अवधि में कार्यन्वित किया गया। कुल व्यय 220.6 करोड़ रुपए का हुआ था।			4.38 लाख है०
12.	विश्व बैंक से सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मजबूत बनाना	इस परियोजना के अंतर्गत 1991-97 की अवधि के लिए 3 मिलियन अमरीकी डालर की राशि आबंटित की गई			वित्तीय बंटनों के रूप में लक्ष्य निर्धारित
13.	विश्व बैंक से सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना–सामूहिक वहिस्राव शोधन संयंत्र	सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करना	5 सामूहिक व हिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए 75 लाख रुपए बंटित किए गए हैं।			एक सामूहिक बहिस्राव शोधन स्थापित किया गया।

भारतीय खाद्य निगम

3072. डा. महादीपक सिंह शाक्य :

श्री नीतीश कुमार :

श्री सूरजभानु सोलंकी :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने खाद्य–सामग्रियों पर राज–सहायता की राशि को गत दो वर्षों की तुलना में वर्ष 1994-95 के दौरान बढ़ा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस राज–सहायता में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं तथा चावल की प्रति क्विटंल कितनी आर्थिक लागत का अनुमान लगाया है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) यद्यपि, 1992-93 और 1993-94 के वर्षों के दौरान खाद्य राजसहायता के प्रति भारतीय खाद्य निगम को क्रमशः 2785 करोड़ रुपये और 5537 करोड़ रुपए अदा किए गए थे लेकिन 1994-95 के लिए बजट में इस खाते में 4000/ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राजसहायता में वृद्धि मुख्यतया अनाज की वसूली लागत में वृद्धि होने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं आदि पर बढ़ी हुई लागत को विलम्ब से और आंशिक रूप से डालने, ब्याज प्रभारों में वृद्धि होने, भाड़ा दरों में वृद्धि होने और पिछले वर्षों के लिए राजसहायता के बकायों के लिए प्रावधान करने के कारण हुई है।

(ग) 1993-94 के लिए संशोधित अनुमानों के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम की खाद्यान्नों की इक्नामिक लागत् गेहूं के मामले में 559.40 रुपये क्विंटल और चावल के मामले में 687.47 रुपए प्रति क्विंटल बैठती है। तथापि, 1993-94 के लेखे को अन्तिम रूप देने और लेखापरीक्षा हो जाने के बाद ही अन्तिम आंकड़े उपलब्ध होंगे।

आर.डी.एस.ओ. लखनऊ

3073. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आर.डी.एस.ओ., लखनऊ की अनुसन्धान और अभिकल्प श्रेणियों की पुनर्संरचना के संबंध में आदेश/निदेश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस पुरर्संरचना के क्षेत्र के अंतर्गत किस–किस श्रेणी के पदों को लाया गया है ;

(घ) क्या सभी श्रेणियों को इस आधार पर पदोन्नति का लाभ मिलेगा ;

(ङ) क्या उक्त श्रेणियों से संबंधित ऐसे पद हैं ; जिन्हें इस पुनर्संरचना का लाभ नहीं मिलेगा ;

(च) क्या सरकार को इस संबंध में कोई ज्ञापन मिला है ; और

(छ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अनुसंधान एंव/अभिकल्प कोटियों की पुनर्संरचना इस प्राकर है :

कोटि	पुनर्संरचना से पहले पदों की संख्या	पुनर्संरचना के बाद पदों की संख्या
मुख्य अभिकल्प सहायक (2000-3200 रु.)	225	245
वरिष्ठ अभिकल्प सहायक (1600-2660)	144	136
कनिष्ट अभिकल्प सहायक (1400-2300 रु.)	176	164
अनुसंधान सहायक		
मुख्य अनुसंधान सहायक (2000-3200 रु.)	178	197
वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (1640-2900 रु.)	117	110
कनिष्ठ अनुसंधान सहायक (1400-2300 रु.)	143	131
तकनीकी सहायक		
मुख्य निरीक्षक (2000-3200 रु.)	75	78
वरिष्ठ निरीक्षक (1600-2660 रु.)		

(घ) जी हां।

(ङ) निम्नलिखित कोटियों की पुनर्संरचना नहीं की गई है :

(1) ड्राफ्टमैन–ख (1200-2040 रु.)

(2) इलैक्ट्रानिक तकनीशियन (1320-2040 रु.)

(3) लैब सहायक 975-1540 रु.)

(च) और (छ) अ.अ.मा.सं. श्रेणी III कर्मचारी एसोसिएशन, लखनऊ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ, उसकी जांच की गई तथा इसे स्वाकीर करने योग्य नहीं पाया गया।

रेल से कोयला लाना-लेजाना

[अनुवाद]

3074. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले बकाया कोयले की ढुलाई के लिए कोयले को सड़क के बजाय रेल से लाने–ले जाने हेतु कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों को प्रायोजक अथॉर्टी बनाने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे ने इस संबंध में क्या प्रगति कीं है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) उपर्युक्त व्यवस्था को अपनाकर रेलों ने जनवरी, 94 से जुलाई, 1994 तक कोयले के 3285 माल डिब्बों की ढुलाई की जो कि पहले सड़क द्वारा ढोया जाना था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे लाइन

3075. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितने किलोमीटर लम्बी रेलवे लाईन विछाने का विचार किया गया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार सभी जिल: मुख्यालयों को रेलवे लाइन से जोड़ने का है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) 1235 कि.मी.।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

कन्याकुमारी से रेलगाड़ी

3076. श्री एन. डेनिस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी से देश के विभिन्न क्षेत्रों में रेलगाड़ियां शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कावेरी एक्सप्रेस का रूकना

3077. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर–मैसूर के बीच चलने वाली कावेरी एक्सप्रेस को पांडवपुर और चन्नापटना स्टेशनों पर ठहराने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) चन्नपटना में 6221/6222 बेंगलूरू–मैसूर कावेरी एक्सप्रेस के ठहराव की व्यवस्था 15.8.94 से कर दी गई है। परन्तु पांडवपुरा में उसका ठहराव वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

फलों का उत्पादन

3078. श्री अशोक आनंदराव देशमुख : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान फलों का राज्य–वार एवं फल–वार अनुमानतः कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) देश में फलों का उत्पादन और पैदावार बढ़ाने के लिए कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रमुख फलोत्पादक राज्यों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) 1993-94 के दौरान फलों के अनुमानित उत्पादन की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) देश में फलों के उत्पादन और पैदावार में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय सरकार उष्ण

कटिबन्धीय, शुष्क और समशीतोष्ण प्रदेशीय फलों के समन्वित विकास के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रही है। आठवीं योजना अवधि के ब्यौरों को नीचे दिया गया है :

(लाख रुपये)

i.	पौध रोपण सामग्री का उत्पादन	2388.80
ii.	क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	2511.97
iii	उत्पादकता में सुधार	1638.33
iv.	प्रदर्शनों, प्रशिक्षण और प्रचार सामग्री के माध्यम से प्रौद्योगिकी ज्ञान को समुन्नत करना	546.77
v.	ज़ैतून तेल–निष्कर्षण ईकाई	300.00

(ग) राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत फलों सहित बागवानी फसलों के लिए बुनियादी सुविधाओं का सृजन करने के लिए सहायता दे रही है :

(i) बागबानी फसलों की कटाई के बाद बुनियादी सुविधाओं के प्रबंधन संबंधी समन्वित परियोजना तथा

(ii) उधार ऋणों में भागीदारी के माध्यम से बागवानी उत्पादों के विपणन का विकास करना।

इसके अलावा, इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत नर्सरियों और टिशू कल्चर ईकाइयों की स्थपना करके पौध रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

दक्षिण क्षेत्रीय दुग्ध ग्रिड

3079. **श्री वी.एस. विजयराघवन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास दक्षिण क्षेत्रीय दुग्ध ग्रिड की स्थापना करने संबंधी कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) दक्षिण क्षेत्रीय दुग्ध ग्रिड पहले से ही काम कर रहा है। इस समय, कर्नाटक के माण्डया तथा मैसूर जिलों से दूध केरल को ले जाया जा रहा है। तमिलनाडु के आठ जिलों द्वारा मद्रास शहर को दूध की आपूर्ति की जा रही है। आन्ध्र प्रदेश का चित्तूर जिला मद्रास तथा बंगलौर शहरों को दूध की आपूर्ति कर रहा है। गुंटूर तथा विशाखापतनम जिलों द्वारा पूर्वी क्षेत्र में कलकत्ता शहर को दूध की आपूर्ति की जा रही है।

रेलवे-स्टेशनों का आधुनिकीकरण

3080. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्री दत्ता मेघे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण और विस्तार किया गया है और उस पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ;

(ख) नाम–वार तथा जिला–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान कुछ अन्य स्टेशनों का आधुनिकीकरण और विस्तार किया जायेगा ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि नियत की गयी है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

चीनी उद्योग

3018. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में चीनी की कमी को दूर करने के लिए चीनी उद्योग से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ग) सरकार को चीनी उद्योग से विभिन्न प्रस्ताव, जैसे–चीनी मिलों को लाइसेंस मुक्त करना और देश में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए चीनी का विनियंत्रण, प्राप्त हुए हैं। लाइसेंस मुक्त विकल्प सहित चीनी मिलों की वर्तमान लाइसेंसिंग नीति समीक्षा अधीन है।

चीनी विनियंत्रण के संबंध में फिलहाल सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है, चूंकि दोहरी मूल्य प्रणाली के साथ आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति अत्यंत प्रभावशाली पाई गई है और समय की कसौटी पर खरी उतरी है।

रेल दुर्घटनाएं

3082. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून और जुलाई के महीनों के दौरान रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन–वार ब्यौरा क्या है ; और इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति हताहत हुए ; और

(घ) भविष्य में रेल दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए क्या सुरक्षोपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी नहीं। जून तथा जुलाई '94 के दौराम गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या जून तथा जुलाई, 93 की तुलना में काफी कम रही है अर्थात 105 दुर्घटनाओं की तुलना के 86 दुर्घटनाएं हुई जो 18% की कमी का द्योतक है।

जून तथा जुलाई '94 के महीनों के दौरान हुई गाड़ी वार दुर्घटनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :

रेलवे	जून '94	जुलाई '94
मध्य	4	3
पूर्व	2	6
उत्तर	6	5
पर्वोत्तर	2	2
पूर्वोत्तर सीमा	3	10
दक्षिण	2	4
दक्षिण मध्य	4	5
दक्षिण पूर्व	8	9
पश्चिम	3	8
कुल	34	52

दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों में रेल कर्मचारियों की गलती, रेल कर्मचारियों से इतर व्यक्तियों की गलती, उपस्करों की खराबी, तोड़–फोड़ तथा अन्य आकस्मिक कारण शामिल हैं।

(ग) जून और जुलाई '94 की अवधि के दौरान गाड़ी दुर्घटनाओं में 36 व्यक्ति मारे गये तथा 143 व्यक्तियों को चोटें आईं।

(घ) दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के लिए किए जा रहे कुछ उपाय इस प्रकार हैं :

(i) माननीय तत्व की सहायता के लिए रेलपथ परिपथन, समपार फाटकों पर अन्तर्पाशन, सहायक चेतावनी प्रणाली तथा ब्लाक जांच धुरा काउंटरों आदि जैसे तकनीकी उपकरणों का उपयोग करना।

(ii) चुनिंदा उच्च घनत्व वाले मार्गों पर रेलपथ संरचना को निरन्तर अपग्रेड किया जा रहा है तथा टूट–फूट का पता लगाने के लिए पटरियों की पराश्रव्यजांच की जाती है।

(iii) गतायु परिसंपत्तियों, खासतौर पर रेलपथ, पुल तथा चल स्टाक के नवीकरण तथा पुनर्स्थापन पर लगातार बल देना।

(iv) कारखानों से आउट–टर्न की गुणवत्ता पर निगरानी रखना।

(v) सिंगनल तथा दूर संचार गियरों, सवारी डिब्बों, मालडिब्बों तथा रेल के इंजनों की अनुरक्षण डिपुओं का गहन निरीक्षण।

(vi) ड्राइवरों, गार्डों, स्टेशन मास्टरों आदि जैसे नाजुक संरक्षा कोटियों के कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर नजर रखना तथा उनमें से उन कर्मचारियों को, जिनका ज्ञान कम पाया माए। विशेष प्रशिक्षण देना।

(vii) बिना चौकीदार वाले समपारों के पहुंच मार्गों पर सी.टी. वोर्डों, गति अवरोधक तथा सड़क चिह्नों की व्यवस्था करना तथा सड़क उपयोगकर्त्ताओं और गाड़ी ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार करना।

[हिन्दी]

हप्पा-जम्मूतवी एक्सप्रेस में अतिरिक्त डिब्बा लगाना

3083. श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट, जूनागढ़ और भाव नगर से दिल्ली जाने वाली हप्पा–जम्मू तवी एक्सप्रेस में बहुत कम सीटें उपलब्ध होती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस गाड़ी में एक अतिरिक्त डिब्बा जोड़ने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) राजकोट, जूनागढ़ तथा भावनगर के लिए 2497 हापा–जम्मू तवी एक्सप्रेस में आरक्षण कोटा इस प्रकार उपलब्ध है :

	वा.क. 2 टियर	शयनयान दर्जा
राजकोट (जम्मू तवी तक)	18	117
दिल्ली तक	-	98
जूनागढ़ (जम्मू तवी तक)	-	4
भावनगर (जम्मू तवी तक)	5	14

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) गाड़ी में स्थान का उपलब्ध न होना।

[अनुवाद]

भिटारकनिका अभयारण्य में मत्स्यन काम्पलैक्स

3084. श्री रवि राय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उड़ीसा में भिटारकनिका अभयारण्य में पोतघाटों सहित मत्स्यन काम्पलैक्स स्थापित करने के बारे में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए अन्तरिम आदेश की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) 1994 के ओ.जे.सी. सं. 3128 में दिनांक 12 जुलाई, 1994 को उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रतिलिपि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इस मंत्रालय ने भितरकनिका अभयारण्य में तथा महानदी डेल्टा में प्रस्तावित तीन मत्स्य लैंडिंग केन्द्रों में मत्स्य लेंडिग केन्द्र सड़क और पुलों के निर्माण का पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति में सम्मिलित किए जाने के लिए पहले ही दो नामों का सुझाव दे दिया है। माननीय न्यायालय के निदेशानुसार प्राप्त शपथ–पत्र दायर करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

उड़ीसा उच्च न्यायालय में 1994 का ओ.जे.सी. सं. 3128

पर्यावरणीय विधि केन्द्र

वर्ल्ड वाइड फंड फार नेचर.. याचिका दाता

इंडिया, नई दिल्ली

बनाम

उड़ीसा राज्य और अन्य...विपक्षी पार्टियां

आदेश सं. 9 दिनांक 12.7.94 : सुनवाई के दौरान विद्वान स्थायी काउंसिल (केन्द्रीय) ने पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के मुख्य सचिव तथा राज्य के अन्य पदाधिकारियों को संबोधित कुछ पत्रों की प्रतियां दायर की। दिनांक 14.6.94 के पत्र में मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार भितर कनिका अभयारण्य में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन (संक्षेप में "ई.आई.ए.एस") करने के लिए एक अध्ययन दल गठित करने संबंधी उक्त राज्य के प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है। अध्ययन दल गठित करने संबंधी संकल्प की प्रतिलिपि शीघ्र भेजने के लिए अनुरोध किया गया था ताकि मंत्रालय उक्त अध्ययन में शामिल करने के लिए कुछ नामों का सुझाव दे सके जिससे अध्ययन की सिफारिश अधिक स्वीकार्य हो सके। ई.आई.ए.एस. की रिपोर्ट मिलने तक निर्माण गतिविधियों को रोके जाने के लिए भी अनुरोध किया गया था। विद्वान महाधिवक्ता और श्री रथ ने कुछ अंतरायकों के लिए पेश होकर बताया कि किसी सांविधिक उपबंध का उल्लंघन नहीं किया गया है तथा यदि तर्क के तौर पर यह मान भी लिया जाता है कि अनचाहे में कोई उल्लघंन हुआ था तो भी उसका कोई महत्व नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 21 को, अन्य उपबंधों के बजाए, तरजीह दी जाती है और नागरिकों को उनके जीवन के बुनियादी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है। हमारा विचार अब उन प्रश्नों की ओर ध्यान देना नहीं है। विद्वान महाधिवक्ता ने आगे बताया कि जहां तक दो पुलों के निर्माण का संबंध है वे लगभग पूरे हो गए हैं। निवेदन है कि ऐसे विलंबित अवसर पर निर्माण को रोक देने से किसी को भी लाभ नहीं होगा और दूसरी ओर इससे काफी असुविधा ही होगी। याचिकादाता के विद्वान काउंसिल ने बताया कि निर्माण को आगे जारी रखने से रिट याचिका का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। उनके अनुसार सांविधिक उपबंधों के अनेक बार उल्लंघन हुए हैं और अभयारण्य खतरे में है।

2. प्रतिपक्षी बयानों पर विचार करते हुए हम महसूस करते हैं कि सभी संबंधितों के हित की रक्षा हो सकती है बशर्ते कि निम्नलिखित व्यवस्था की जाए :

(क) राज्य अविलंब ई.आई.ए.एस. अध्ययन दल गठित करे और अध्ययन दल गठित करने संबंधी संकल्प की प्रतिलिपि, यदि पहले नहीं दे गई हो, तो पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी जाए। केन्द्रीय सरकार उक्त संकल्प की प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह के भीतर इस अध्ययन में शामिल करने के लिए नामों का सुझाव देगी।

(ख) अध्ययन दल इच्छुक व्यक्तियों को अपने सुझाव और प्रस्ताव भेजने का अवसर देगा। यह दल लिखित में प्रस्तुत प्रस्तावों अथवा सुझावों पर विचार करेगा और सभी इच्छुक व्यक्तियों से सुझाव और प्रस्ताव आमंत्रित करने के संबंध में उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाएगी।

आज से तीन सप्ताह के भीतर व्यापक प्रसार वाले पांच दैनिक समाचार पत्रों में इस संबंध में नोटिस प्रकाशित किए जाए। इनमें से कम से कम दो दैनिक उड़िया भाषा के होने चाहिए। यदि संभव हो तो इसे रेडियो और दूरदर्शन प्रसारण द्वारा अधिसूचित किया जाए।

(ग) उक्त समिति अपनी रिपोर्ट जितनी जल्दी हो सके, अधिमानतः तीन माह के भीतर, प्रस्तुत करे। विद्वान महाधिवक्ता समिति से रिपोर्ट मिलने के पश्चात उसकी एक प्रतिलिपि दायर करने का वचन देते हैं।

(घ) जेटी, जिसका निर्माण विद्वान महाधिवक्ता के बताए अनुसार पूरा हो गया है, 31.10.1994 तक कार्य न करे।

हमने मामले के गुण–दोषों के बारे में कोई मत व्यक्त नहीं किया है और आज पारित हुए आदेश का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि गुण–दोषों के आधार पर कोई मत व्यक्त किया गया है। विद्वान स्थायी काउंसिल (केन्द्रीय) ने प्रति शपथ–पत्र दायर करने के लिए समय दिए जाने की प्रार्थन की। प्रति शपथ–पत्र 25.10.1994 तक दायर किया जाए। विद्वान महाधिवक्ता ने बताया कि उन्हें विपक्षी पार्टी 4 और 5 से कोई अनुदेश नहीं मिले हैं।

इस आदेश की प्रतियां विद्वान स्थायी काउंसिल (केन्द्रीय) और विद्वान महाधिवक्ता को दी जाएं। इस मामले को 31.10.1994 को प्रस्तुत करें।

ह/– ए. पसायत,

न्यायाधीश

ह/– एस. के. मोहन्ती,

न्यायाधीश

सत्य प्रतिलिपि

ह/–

अधीक्षक

ओ.जी.सी. शाखा –6

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन

3085. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मीटर–गेज से ब्राड–गेज आमान परिवर्तन को देखते हुए मीटर–गेज रेल–डिब्बों के निर्माण करने वाले वर्तमान उपक्रमों को ब्राड–गेज रेल–डिब्बों का निर्माण करने के सक्षम बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (ग) मैसर्स जेसप्स एंड कम्पनी लिमिटेड, जो केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, ही एकमात्र एसी इाकई है जहां मीटर लाइन के रेल सवारी डिब्बों का ही निर्माण किया जा रहा है। चूंकि बड़ी लाइन के रेल सवारी डिब्बों की आवश्यकता रेल कारखानों से पूरी की जा सकती है, इसलिए फिलहाल, मैसर्स जसप्स द्वारा निर्मित बड़ी लाइन के रेल सवारी डिब्बे लेने का कोई इरादा नहीं है।

गुजरात की रेल परियोजनाएं

3086. श्री छीतूभाई गामित : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत गुजरात की उन रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनका कार्यान्यन आज तक नहीं हुआ है ;

(ख) उपरोक्त रेल परियोजनाओं में से किन–किन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत व्यय किया जा चुका है ;

(ग) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में इन लम्बित और स्वीकृत परियोजनाओं को सम्मिलित कर लिया है ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) (i) कपडवंज–मोडासा नई ब.ला. (60.50 कि.मी.)

(ii) गोधरा–इंदौर वाया दाहोद,

सरदारपुर–धार और देवास–मक्सी (316 कि.मी. –गुजरात में लगभग 110 कि.मी.) के बीच।

(iii) वीरमगाम से जोधपुर तक सीधे बड़ी लाइन रेल मार्ग का विकास–भिलड़ी से वीरमगाम तक आमान परिवर्तन/नई लाइन।

कपडवंज–मोडासा नई ब.ला. परियोजना पर 739.70 लाख रुपये की राशि खर्च की गई हैं और देवास–मक्सी नई लाइन पर 14.84 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई। इन परियोजनाओं से कोई भी धनराशि और कहीं नहीं लगाई गई।

(ग) और (घ) इन परियोजनाओं को चालू निर्माण कार्यों की सूची में शामिल किया गया है। हालांकि इन्हें संसाधनों की तंगी के कारण अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

स्थाई समिति की संरचना

[अनुवाद]

3087. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाप–तौल नियमावलि 1977 के लिए गठित स्थायी समिति की संरचना का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस समिति का गठन कब हुआ ;

(ग) क्या किसी जनप्रतिनिधि को समिति में शामिल किया गया है ;

(घ) क्या केवल शहरों के उपभोक्ता को ही इसमें शामिल किया गया था ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) समिति की सिफारिशों की पुनरीक्षा के लिए कौन से कदम उठाए जाएंगे ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के उपबंधों की पुनरीक्षा करने के लिए स्थाई समिति के गठन से संबंधित आदेश की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) समिति का गठन 5 अप्रैल, 1994 को किया गया था।

(ग) से (ङ) देश के उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में कार्य कर रहे उपभोक्ता संगठनों को समिति में प्रतिनिधित्व दिया गया है।

(च) समिति की सिफारिशों को लागू करने से पूर्व मंत्रालय में उनकी विधिवत जांच की जाती है।

विवरण

डब्ल्यू–एम. 10(38)/93

भारत सरकार

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

बाट तथा माप

ब्लॉक 12–ए, जामनगर हाउस,
नई दिल्ली–110011
तारीख 5 अप्रैल, 1994

विषय : बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के उपबंधों की पुनरीक्षा के लिए गठित स्थायी समिति।

बाट तथा माप/मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के उपबंधों तथा तत्संबंधी नीतिगत मामलों की जांच की पुनरीक्षा करने तथा उनमें परिवर्तन हेतु समय–समय पर सरकार को उपर्युक्त सिफारिशें करने के लिए एक स्थायी समिति गठित की जाती है। इस स्थाई समिति में निम्नलिखित होंगे :

1.	संयुक्त सचिव, बाट तथा माप के प्रभारी	–अध्यक्ष
2.	भारतीय मानक ब्यूरो का एक प्रतिनिधि	– सदस्य
3.	खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि	– सदस्य
4.	खाद्य अपमिश्रण निवारण प्रभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का एक प्रतिनिधि	– सदस्य
5.	उद्योग मंत्रालय का एक प्रतिनिधि	– सदस्य
6.	नियंत्रक, बाट व माप, दिल्ली	– सदस्य
7.	नियंत्रक, बाट व माप, उ.प्र	– सदस्य
उद्योग के प्रतिनिधि		
8.	भारतीय वाणिज्य व उद्योग मंडल परिसंघ, नई दिल्ली का प्रतिनिधि	– सदस्य
9.	भारतीय उद्योग परिसंघ, नई दिल्ली का प्रतिनिधि	– सदस्य
10.	पी.एच.डी. वाणिज्य व उद्योग मंडल परिसंघ, नई दिल्ली का प्रतिनिधि	– सदस्य
11.	एसोसिएटिड चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, नई दिल्ली	– सदस्य
उपभोक्ता संगठन		
12.	"कॉमन कॉज", ए–31 वैस्ट एण्ड, नई दिल्ली – 110021	– सदस्य
13.	"कन्ज्यूमर्स एक्शन फोरम", 5/1, रेड क्रास प्लेस, कलकत्ता–700062	– सदस्य
14.	कन्ज्यूमर गाइडेंस सोसायटी ऑफ इंडिया, हटमेंट–जे, महापालिका मार्ग, कामा अस्पताल के सामने, बंबई–400001	– सदस्य
15.	फेडरेशन ऑफ कन्ज्यूमर आर्गनाइजेशन्स, तमिलनाडु,–30 टीचर्स कालोनी, अडयार, मद्रास–600020	– सदस्य
सदस्य सचिव		
16.	निदेशक, विधिक माप–विज्ञान	– सदस्य सचिव

सहयोजन

समिति समीक्षाधीन उत्पाद/मुद्दे से संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकती है।

समिति का कार्यकाल

समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और यह आवश्यकता होने पर कभी भी बैठक कर सकेगी।

सरकारी सदस्य अपने–अपने मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से बैठक के लिए यात्रा–भत्ता व दैनिक भत्ता लेंगे और अन्य गैर सरकारी सदस्यों को वित्तीय नियमों के अनुसार यात्रा–भत्ते व दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

ह./–

(सती नायर)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि सभी सदस्यों को भेजी जाती है।

नवोदय विद्यालय

3088. श्री डी. वैंकटेश्वर राव :

डा. के.डी. जेस्वाणी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान समय में कार्य कर रहे नवोदय विद्यालंयों की राज्यवार संख्या कितनी है ; और

(ख) इस वर्ष के दौरान विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में कितने नवोदय खोले जाएंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) देश में फिलहाल 320 नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) संबंधित राज्य सरकार से मानदंडों के मुताबिक यदि भूमि और अस्थाई आवास प्राप्त हो गया तो वर्ष के दौरान 80 नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाने की संभावना है।

आंध्र प्रदेश में हैदराबाद को छोड़कर जिसके लिए समिति को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है सभी जिलों में नवोदय विद्यालय संस्वीकृत कर दिए गए हैं।

विवरण

आज की तारीख की स्थिति के अनुसार कार्यरत नवोदय विद्यालय

1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	21
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	05
3.	असम	–	01

1	2	3	4
4.	बिहार	–	27
5.	गोवा	–	02
6.	गुजरात	–	10
7.	हरियाणा	–	12
8.	हिमांचल प्रदेश	–	10
9.	जम्मू और कश्मीर	–	14
10.	करेल	–	11
11.	कर्नाटक	–	18
12.	मध्य प्रदेश	–	42
13.	महाराष्ट्र	–	24
14.	मणिपुर	–	8
15.	मेघालय	–	4
16.	मिजोरम	–	3
17.	उड़ीसा	–	12
18.	पंजाब	–	10
19.	राजस्थान	–	23
20.	सिक्किम	–	2
21.	नागालैण्ड	–	2
22.	त्रिपुरा	–	2
23.	उत्तर प्रदेश	–	44
24.	अण्डमान और निकोबार	–	02
25.	चंडीगढ़	–	01
26.	दादर व नागर हवेली	–	01

1	2	3	4
27.	दमन और दीव	–	02
28.	दिल्ली	–	02
29.	लक्षद्वीप	–	01
30.	पांडिचेरी	–	04
			320

महानगरीय प्रदूषण सुधार कार्यक्रम

3089. श्री चित्त बसु : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से कलकत्ता के लिए "महानगरीय पर्यावरण सुधार कार्यक्रम" तैयार करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कार्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च होगी ; और

(ग) इस दिशा में अब तक सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता पर्यावरणीय प्रबंध कार्यनीति तथा कार्य–योजना के निर्माण के लिए विदेशी सहायता मांगने हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया था।

(ख) और (ग) कलकत्ता पर्यावरणीय प्रबंध कार्यनीति एवं कार्य योजना के तीन विशिष्ट चरण हैं। प्रथम चरण में "महानगर पर्यावरणीय रूपरेखा" तैयार की जाएगी। दूसरे चरण में पर्यावरणीय रूपरेखा के आधार पर विधिक, वित्तीय और संस्थागत पक्षों को ध्यान में रखते हुए "पर्यावरणीय प्रबंध कार्य नीति" निर्धारित की जाएगी। तीसरे और अंतिम चरण में प्राथमिकताओं, संवेदनशीलता की मात्रा तथा अत्यंत संकटापन्न जीवन पक्षों के आधार पर निवेश परिव्यय सहित एक कार्रवाई योजना तैयार की जाएगी। कार्रवाई योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय आवश्यकता का पता इसको अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही लगेगा।

इस संबंध में एक ओ.डी.ए. दल ने मई, 1994 में कलकत्ता का दौरा किया। इस मिशन द्वारा प्रस्तुत स्मरण पत्र में ओ.डी.ए. से सहायता के लिए इस परियोजना की उपयुक्तता का उल्लेख था। प्रस्तावित अध्ययन कार्यक्रम लगभग 18 महीने तक चलेगा।

[हिन्दी]

रेलवे कूपन

3090. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या रेल मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के हावड़ा स्थित मुद्रणालय से लाखों रुपयों के कागजात जैसे विधान सभा सदस्यों के लिए मुद्रित किये जाने वाले रेलवे कूपनों की चोरी की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) इससे सरकार को कितना घाटा हुआ है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नेहरू युवक केन्द्र

3091. श्री मोहन रावले :

श्री अवतार सिंह भडाना :

श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान प्रत्येक राज्य में खोले गए नेहरू युवा केन्द्रों की संख्या क्या है तथा 1994-95 के दौरान और कितने केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन केन्द्रों पर कुल कितने रुपये खर्च हुए ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन केन्द्रों के क्रियाकलाप का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या नेहरू युवक केन्द्रो के कार्य–निष्पादन तथा उन केन्द्रों को उपलब्ध कराई गई राशि का उचित उपयोग करने के संबंध में कोई जांच की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) 1993-94 के दौरान 9 राज्यों में 15 नेहरू युवा केन्द्र खोले गए थे तथा 1994-95 के दौरान 12 राज्यों में 15 नेहरू युवा केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई हैं जैसा कि संलग्न अनुबन्ध में विवरण दिया गया है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) प्रत्येक नेहरू युवा केन्द्र वार्षिक कार्य योजना में निर्धारित कार्यकलापों के कार्यक्रम के अनुसार कार्यकलापों का आयोजन करता है। ऐसे कार्यकलापों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, कार्य शिविर, सांस्कृतिक महोत्सव, ब्लाक स्तर के अभियान, ग्रामीण खेल, युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामाजिक अभियान आदि शामिल होते हैं।

(घ) तथा (ङ) प्रत्येक केन्द्र से कार्यकलापों की नियमित रिपोर्ट और रिटर्न प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रशासनिक प्रणाली विद्यमान है। शासी बोर्ड अपनी आवधिक बैठकों में नेहरू युवा केन्द्रों के कार्यों की समीक्षा भी करता है। इसके अतिरिक्त योजना आयोग ने 15 राज्यों में नेहरू युवा केन्द्रों की रिपोर्ट का तुरंत अध्ययन किया है जो मार्च, 1991 में उपलब्ध थी। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया गया है कि नेहरू युवा केन्द्र योजना ने अपनी छाप छोड़ी है और विशेषतः युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एककीकरण शिविर, सामाजिक सेवाएं आदि जैसे सक्रिय कार्यकलाप शुरू करने में लगभग सभी गांवों में इसको लाभप्रद महसूस किया गया है।

विवरण

वर्ष 1993-94 के दौरान खोले गए नए नेहरू युवा केन्द्रों की सूची

जिले का नाम	राज्य
लोहित	अरूणाचल प्रदेश
पूर्वी सिंहभूमि	बिहार
बांका	बिहार
बक्सर	बिहार
भावनगर	गुजरात
अहमदनगर	महाराष्ट्र
पुणे	महाराष्ट्र
सिंधुदुर्ग	महाराष्ट्र
राजसमंद	राजस्थान
पश्चिमी जिला सिक्किम	सिक्किम
माऊ	उत्तर प्रदेश
महाराजगंज	उत्तर प्रदेश

अमेठी	उत्तर प्रदेश
डिगलीपुर	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
नौपाड़ा	उड़ीसा

वर्ष 1994-95 के दौरान खोलने के लिए स्वीकृत नए नेहरू युवा केन्द्रों की सूची

जिले का नाम	राज्य
1	2
कोकराझाड़	असम
पूर्वी गारो हिल्स	मेघालय
छीमतुईपुरी	मिजोरम
विलुपुरम	तमिलनाडु
कराईकल	पांडिचेरी
बीड	महाराष्ट्र
वर्धा	महाराष्ट्र
दक्षिणी गोआ	गोआ
फिरोजाबाद	उत्तर प्रदेश
सोनभद्रा	उत्तर प्रदेश
कैथल	हरियाणा
बरन	राजस्थान
भबुआ	बिहार
सापौल	बिहार
खुर्द	उड़ीसा

[हिन्दी]

पर्यावरण संबंधी आयोग

3092. श्री सूरज भानू सोलंकी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण संबंधी एक आयोग के गठन के मामले की जांच कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इसकी कब तक स्थापना की जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने दिनांक 23 नवम्बर, 1992 के संकल्प संख्या एफ. 23012/32/92- जी.सी. के तहत एक राष्ट्रीय पर्यावरण परिषद का गठन किया है। यह परिषद महत्वपूर्ण पर्यावरण नीति मामलों के संबंध में एक 'विचार–मंथन' है और यह राष्ट्रीय सरोकार के पर्यावरण मुद्दों और मामलों के संबंध में एक सलाहकार की हैसियत से आयोजना और अन्य निवेश भी मुहैया कराती है। चूंकी पर्यावरण परिषद के गठन हो जाने से यह पर्यावरणीय मामलों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के परामर्श का ध्यान रखती है, अतः यह निर्णय लिया गया है कि पर्यावरण आयोग का गठन न किया जाए।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

झूम खेती

3094. श्री के. प्रधानी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन राज्यों की पहचान कर ली है जहां झूम खेती पर्यावरण के लिए एक गंभीर समस्या पैदा हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और झूम खेती से राज्यवार कितनी भूमि के प्रभावित होने का अनुमान है ; और

(ग) सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) झूम खेती से प्रभावित राज्यवार क्षेत्रों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	क्षेत्र (मिलियन है. में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.15
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.21
3.	असम	0.14
4.	बिहार	0.08
5.	मध्य प्रदेश	0.13
6.	मणिपुर	0.36

7.	मेघालय	0.27
8.	मिजोरम	0.19
9.	नागालैण्ड	0.08
10.	उड़ीसा	2.65
11.	त्रिपुरा	0.11
	कुल :	4.37

(ग) झूम खेती के चलन को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

– भू–विकास, पशु–पालन, बागवानी, सामाजिक वानिकी एवं चरागाह विकास के जरिए सुव्यवस्थित कृषि को बढ़ावा देना ;

– कुटीर उद्योग, मुर्गी–पालन, सुअर–पालन, मत्स्य पालन, आदि जैसे सहायक पेशों के कार्यान्वयन कार्यक्रम ;

– ग्रामीण सड़कों तथा स्टोरों का निर्माण करके आधारभूत सुविधाओं का विकास ; और

– लाभ–भोगियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

राष्ट्र विकास परिषद में लिए गए निर्णय के अनुसार 1992 तक प्रचलित झूम कृषि नियंत्रण की स्कीम राज्यों को हस्तांतरित कर दी गई।

[हिन्दी]

रेलवे पुल

3095. डा. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के भुसावल और नागपुर रेलवे स्टेशनों के बीच साठ वर्ष से अधिक पुराने पुलों की संख्या कितनी है जिनकी मरम्मत और पुनर्निर्माण की आवश्यकता है ;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) 91.

(ख) और (ग) जी हां। ब्यौरा इस प्रकार है :

पुलों की संख्या	पुनर्निर्माण/मरम्मत से संबंधित कार्य की स्थिति
11	पुनर्निर्माण का कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है।
17	पुनर्निर्माण के प्रस्तावों पर कार्यवाई की जा रही है।
63	इन पुलों को केवल सामान्य छोटी मोटी मरम्मत की आवश्यकता है और आवश्यकतानुसार इन्हें पूरा कर दिया जाता है।

[अनुवाद]

सुपर बाजार को माल की सप्लाई

3096. प्रो. रमेश चन्द्र तोमर : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार के लिए आपूर्तिकर्ताओं के चयन का मानदण्ड क्या है ;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कथित अनियमितताओं से शिकायत मिली है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक पुर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि आपूर्तिकताओं का चयन करते समय, आपूर्तिकर्ताओं की स्थिति, अर्थात उनके विनिर्माता, वितरक आदि होने, उनकी विपणन क्षमताओं, व्यापारिक साख और भण्डार की आवश्यकताओं के अनुसार आपूर्ति कर सकने की उनकी क्षमता के बारे में सुनिश्चित किया जाता है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि वे दिल्ली राज्य बिक्री कर के तहत पंजीकृत व्यापारी हैं। इसके अतिरिक्त, उनसे इस आश्य का वचन लिया जाता है कि वे अन्य किसी संगठन/संस्था को उस उत्पाद की बिक्री सुपर बाजार को बताए गए भाव से कम मूल्य पर नहीं करेंगे।

(ख) से (घ) ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए थे और सुपर बाजार से मामले में उपर्युक्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। सरकार नीतिगत रूप में सुपर बाजार के रोजाना के कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं करती है।

खाद्यान्न व्यापार पर प्रतिबन्ध

3097. श्री चेतन पी.एस.चौहान : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन राज्यों ने अभी अन्तर–राज्य खाद्यान्न व्यापार से प्रतिबन्ध हटा दिए हैं और किसने नहीं हटाए हैं ;

(ख) क्या इन प्रतिबन्धों से वृद्धि और विकास में अवरोध होता है और क्या ये नई आर्थिक नीति के विरूद्ध हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रतिबन्धों को हटाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ग) देश में किसी भी स्थान पर किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य दिलवाने के प्रयोजन से क्रेन्द्रीय सरकार ने मार्च, 1993 में पूरे देश को एकल खाद्य जोन के रूप में मानने की नीति अपनाई थी और राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेश के प्रशासनों से खाद्यान्नों के संबंध में संचलन संबंधी प्रतिबन्धों को हटाने के लिए अनुरोध किया था। आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि उनके राज्यों में खाद्यान्नों के संचलन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है अथवा उन्होंने लागू प्रतिबन्धों को हटा दिया है। आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों ने चावल/धान के संचलन पर प्रतिबन्ध लगाए हुए हैं। हाल ही में, संबंधित राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित की गई हैं और उनसे खाद्यान्नों के संचलन पर प्रतिबन्धों के संबंध में लागू उनकी नीति की समीक्षा करने के लिए अनुरोध किया गया है।

विश्वव्यापी शिक्षा नीति

3098. श्री संदीपान भगवान थोरात : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वव्यापी खुला बाजार नीति के कार्यान्वयन के पश्चात् सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह निर्देश दिया है कि कुछ इस प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करे ताकि विदेशी छात्रों को अपनी शिक्षा के लिए भारत की ओर आकृष्ट किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भारत में कितने विदेशी छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तथा देश में विदेशी छात्रों के अतिरिक्त आगमन में नये शैक्षिक कार्यक्रम कहां तक सहायक होंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विदेशी विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम तैयार करने में कोई निर्देश नहीं दिये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत में अध्ययन कर रहे विदेशी छात्रों की संख्या की सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

माल दुलाई

3099. श्री सनत कुमार मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल दुलाई के वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करने हेतु रेलवे के पंच–वर्षीय कापोरिट प्लान के मध्यावधि मूल्यांकन के लिए 21 जुलाई, 1994 को राजधानी में अन्तर मंत्रालय बैठक आयोजित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में हुए विचार–विमर्श के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है और इस मामले में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले संभावित और राजस्व उपार्जन माल यातायात के निर्धारण के संबंध में एक प्रारंभिक बैठक थी। उपलब्ध की गई सूचना के आधार पर अंतिम वर्ष के लिए राजस्व उपार्जन माल यातायात के लिए लक्ष्य योजना आयोग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा।

ऑयल पाम की खेती

3100. श्री जे. चोक्का राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को आयल–पाम की खेती के लिए कोई आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष आवंटित की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देश में स्थापित तेल निकालने वाले एककों की स्थानवार संख्या क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान जारी की गयी धनराशि निम्नलिखित है :

क्र.सं.	राज्य	भारत सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि (लाख रुपये में)		
		1991-92	1992-93	1993-94
1.	आन्ध्र प्रदेश	266.24	341.68	717.06
2.	कर्नाटक	270.79	235.55	421.53
3.	तमिलनाडु	80.38	108.45	127.54

4.	गुजरात	31.02	44.35	67.42
5.	गोवा	4.50	24.47	17.12
6.	केरल	6.95	-	-
7.	त्रिपुरा	-	5.40	-
8.	उड़ीसा	-	8.10	6.00
9.	असम	-	15.00	-
		659.88	783.00	1366.67

(ग) दो पाम आयल निष्कर्षक ईकाइयों, अर्थात केरल के कोट्टायम और अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह के लघु अण्डमान में एक–एक के अलावा दो और ईकाइयाँ आन्ध्र प्रदेश के पेडावेगी और कर्नाटक के कारेहल्ली में एक–एक, ईकाई स्थापित की गई है।

लाइनों का विद्युतीकरण

3101. श्री अनादि चरण दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 में खड़गपुर–खुर्द रेल लाईन का विद्युतीकरण करने की स्वीकृति दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) खड़गपुर–भुवनेश्वर/खोरधा रोड के विद्युतीकरण का प्रस्ताव योजना आयोग को भेज दिया गया है। योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद संसद को अनुमोदन के लिए लिखा जाएगा।

सैंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट

3102. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में अल्लेप्पी में केन्द्रीय अन्तर्देशीय मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान के शाखा कार्यलय की स्थापना करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय अन्तः स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सी.आई.सी.एफ.आर.आई) ने वेम्बानाड झील तथा उसके आसपास के जल क्षेत्रों में मात्सियकी पारिस्थितिक विज्ञान संबंधी अनुसंधानों के लिए एक दल की नियुक्ति की है। इसके लिए अति आवश्यक कर्मचारियों की कार्यस्थल पर तैनाती भी कर दी गई है।

भारत सीरिया सहयोग

3103. जगमीत सिंह बरार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सीरिया ने हाल ही में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में एक सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी हां। 19 जून, 1994 को दमस्क में भारत और सीरिया के बीच कृषि तथा इससे संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के एक कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गये थे।

(ख) इस सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि के विभिन्न क्षेत्रों जैसे खेत की फसलों, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, पौध संरक्षण एवं संगरोध, पशु प्रजनन और उनका स्वास्थ्य, मृदा एवं जल संसाधन प्रबन्ध, कृषि विस्तार, जल कृषि एवं समुद्री संसाधनों में सहयोग का विकास करने पर जोर दिया गया है। सूचनाओं के आदान–प्रदान जर्म प्लाज्म, विशेषज्ञों, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और आपसी परामर्श के माध्यम से सहयोगात्मक क्रियाकलापों को करने का प्रस्ताव है।

वेस्ट हिल रेलवे गेट पर उपरिपुल

3104. श्री के. मुरलीधरन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण रेलवे में वेस्ट हिल रेलवे गेट पर पैदल उपरिपुल के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) नियमानुसार एक ओर से दूसरी ओर रेलपथ पार करने हेतु जनता के उपयोग के लिए ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था केवल "निक्षेप" शर्तों पर की जा सकती है। इसका प्रस्ताव राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित किया जाना होता है जिसके लिए उन्हें मौजूदा नियमों के अनुसार पूरी लागत, प्रारंभिक पूंजी, आवर्ती अनुसरक्षण की लागत वहन करने की विधिवत् रूप से सहमति देनी होती है। इस संबंध में राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्यों को सहायता

3105. श्री अन्ना जोशी : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विकास के लिए वर्षवार, संघ राज्य क्षेत्रवार और राज्यवार कितनी–कितनी सहायता राशि दी गई ;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने चालू वर्ष में इस उद्देश्य के लिए और अधिक सहायता राशि की मांग की है तथा इस संबंध में प्रस्ताव भेजे गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए योजना–स्कीमों के तहत राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार दी गई सहायता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजना स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता के लिए प्रस्ताव भेजते हैं। राज्यों द्वारा मांगी गई सहायता की राशि उनकी आवश्यकताओं के आकलन के अनुसार वर्षानुवर्ष भिन्न–भिन्न हो सकती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत योजना स्कीमें राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, जोकि मुख्यतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनात्मक/कार्यकरण संबंधी पहलुओं के लिए जिम्मेदार हैं, के प्रयासों की अनुपूर्ति के लिए अभिप्रेत हैं। सरकार वर्ष के दौरान स्कीमों के लिए निधियों की समग्र उपलब्धता के भीतर राज्यों को निधियां उपलब्ध कराते समय सभी राज्यों को उचित आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है।

विवरण

(आंकड़े लाख रुपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वैनों की खरीद			गोदामों का निर्माण			प्रशिक्षण योजना		
		1991-92	1992-93	1993-94	1991-92	1992-93	1993-94	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	-	60.00	-	-	-	-	0.38	0.38	0.30
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	20.00	-	4.00	23.70	0.15	-	0.29
3.	असम	-	-	-	-	-	-	0.46	-	0.31
4.	बिहार	-	40.00	-	-	48.00	35.04	-	-	0.45
5.	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25
6.	गुजरात	-	-	-	-	-	64.64	-	0.50	0.15
7.	हरियाणा	25.00	40.00	-	-	-	-	-	0.22	-
8.	हिमाचल प्रदेश	-	-	48.00	-	-	-	0.25	-	-
9.	जम्मू व कश्मीर	32.50	40.00	-	-	-	82.45	-	-	0.15
10.	कर्नाटक	25.50	48.00	-	-	132.00	-	0.38	-	0.20
11.	केरल	22.50	60.00	-	-	-	41.50	0.38	-	0.45
12.	मध्य प्रदेश	-	-	80.00	-	98.04	98.04	0.74	0.46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	महाराष्ट्र	30.00	60.00	60.00	-	77.50	19.98	0.23	0.30	0.29
14.	मणिपुर	-	-	24.00	-	-	18.00	-	-	-
15.	मेघालय	-	12.00	-	-	-	-	-	-	0.10
16.	मिजोरम	-	32.00	-	-	61.35	22.20	-	-	-
17.	नागालैण्ड	-	24.00	-	-	25.00	-	0.15	-	0.15
18.	उड़ीसा	40.00	60.00	40.00	-	208.00	-	-	-	-
19.	पंजाब	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	राजस्थान	20.00	-	140.00	-	-	20.70	-	-	-
21.	सिक्किम	0.23	-	16.00	-	5.00	55.75	0.26	-	-
22.	तमिलनाडु	-	32.00	32.00	-	-	-	0.38	0.57	0.35
23.	त्रिपुरा	-	4.00	9.00	-	30.00	-	-	-	-
24.	उत्तर प्रदेश	-	-	100.00	-	-	-	0.82	0.30	1.23
25.	पश्चिम बंगाल	-	72.00	28.00	-	96.46	-	0.37	0.63	0.60
26.	अंडमान व निको. द्वीप	-	12.00	-	31.00	10.00	-	-	-	-
27.	लक्ष्यद्वीप	-	-	-	7.50	-	-	-	-	-
	योग :	205.23	596.00	597.00	38.50	795.35	482.00	4.95	3.36	5.23

शताब्दी एक्सप्रैस रेलगाड़ियां

3106. श्री जीतेन्द्र नाथ दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी तथा दक्षिण–पूर्वी रेलवे में शताब्दी एक्सप्रैस रेलगाड़ियां शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयां तथा संसाधनों की तंगी।

असम में रेल नेटवर्क

3107. श्री प्रबीन डेका : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असम के अल्प–विकसित क्षेत्रों में रेल नेटवर्क का विस्तार करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मंगलदोई से गुवाहाटी तक रेलवे लाइन का सर्वेक्षण करने के बारे में कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) गोलपाड़ा के रास्ते जोगीघोपा से गुवाहाटी (142 कि.मी.) तक बड़ी रेल लाइन का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं

(ग) जी नहीं।

(घ) दारोंग जिला और मंगलदोई (दारोंग जिले का जिला मुख्यालय) इस समय रंगिया–रंगापाड़ा उत्तरी खण्ड के मौजूदा मी.ला. खण्ड द्वारा सेवित है। निकटवर्ती रेल मार्ग टांगला है। टांगला से मंगलदोई तक की दूरी लगभग 32 कि.मी. है। इसके अलावा मंगलदोई राष्ट्रीय राजमार्ग– 52/ सभी मौसम में यातायात के लिए उपयुक्त सड़क से भलीभांति जुड़ा है। इसके अलावा, रेलें संसाधनों की भारी तंगी का सामना कर रही हैं जिस कारण इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।

जाली रेल टिकटें

3108. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जुलाई, 1994 के द्वितीय सप्ताह में लखनऊ रेलवे स्टेशन पर विभिन्न गन्तव्यों के लिए बेची जा रही जाली टिकटें और प्रिन्टिग मशीन इत्यदि जब्त किए गए थे। जैसाकि 15 जुलाई, 1994 के "दि हिन्दू" के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जब्त की गई जाली टिकटों, इस गिरोह की कार्य प्रणाली, टिकटों पर अंकित गंतव्य स्थान, इस घोटाले में रेलवे के कर्मचारियों सहित लिप्त लोगों का तथ्यात्मक ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच पूरी कर ली है ;

(घ) यदि हां, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले ;

(ङ) रेलवे अधिकारियों द्वारा देश में अन्य रेलवे स्टेशनों पर जाली रेल टिकटों के घोटाले को रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं ; और

(च) इस घोटाले में शामिल रेलवे के कर्मचारियों सहित अन्य व्यक्तियों को दिए गए दण्ड का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां। केन्द्रीय जांच ब्यूरो/लखनऊ द्वारा जून, 1994 में एक छापा मारा गया था।

(ख) से (घ) जब्त की गई टिकटों तथा उनकी कार्य प्रणाली का वास्तविक ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा चार रेल कर्मचारी और तीन बाह्य व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं तथा चार रेल कर्मचारी फरार हैं इस प्रकार के मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा निपटाए जाते हैं।

(ङ) जाली रेल टिकटों की बिक्री रोकने के लिए, वाणिज्य विभाग के धोखा–धड़ी विरोधी दस्ता तथा सतर्कता संगठन द्वारा देशभर में नियमित अचानक जांच करना जारी रहता है।

(च) उत्तर रेलवे में, इस प्राकर के रैकट के कारण दो रेल कर्मचारी हटाए गए थे। बाह्य व्यक्तियों के संबंध में राजकीय रेल पुलिस तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

बेटिकट यात्री

3109. श्री चन्द्रेश पटेल :

श्री जगत बीर सिंह द्रोण :

श्री रामकृष्ण कोंताला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जोन में और विशेष रूप से पश्चिम रेलवे के अंतर्गत गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में 1 जनवरी, 1994 से अब तक ऐसे कितने यात्रियों को गिरफ्तार किया गया ;

(ग) उनसे जुर्माने के रूप में कितनी धनराशि वसूल की गयी ;

(घ) क्या कोच परिचारक तथा टिकट निरीक्षक आदि के साथ साठगांठ करके रेल कर्मचारी बिना टिकट यात्रा करने वाले इन लोगों को प्रत्येक कोच में यात्रा करने देते हैं और उनसे धन वसूल करते हैं ;

(ङ) सरकार ने कितने रेल कर्मचारियों, टिकट निरीक्षकों तथा कोच परिचारकों के विरूद्ध कार्यवाही की है ; और

(च) बिना टिकट यात्रा किए जाने को रोकने के लिए इस समय क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं और इस संबंध में भावी योजना क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं। बहरहाल, रेलों द्वारा चलाए जा रहे जोरदार अभियान के कारण बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए व्यक्तियों की संख्या 1991-92 के 35 लाख से बढ़कर 1992-93 में 37.93 लाख तथा 1993-94 में 48.47 लाख हो गई।

(ख) और (ग) राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। बहरहाल, जनवरी से मई, 1994 की अवधि (नवीनतम उपलब्ध) के दौरान सभी रेलों पर 0.78 लाख व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे जिनमें से 0.32 लाख व्यक्ति जेल भेजे गए थे। उनसे न्यायिक जुर्माने के रूप में 39.45 लाख रुपये की राशि वसूल की गयी थी। केवल पश्चिम रेलवे पर ही, जिसका अधिकांश भाग गुजरात राज्य में आता है, 12,303 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे जिनमें से 5,797 व्यक्ति जेल भेजे गए थे तथा उनसे न्यायिक जुर्माने के रूप में 2,25,608 रु. की राशि वसूल की गयी थी।

(घ) कदाचारों में संलिप्त टिकट जांच कर्मचारियों का पता लगाने के लिए सतर्कता संगठनों तथा धोखाधड़ी विरोधी स्कंध के अधिकारियों द्वारा नियमित जांच की जाती है। जब कभी किसी कर्मचारी को किसी किस्म के कदाचार में संलिप्त पाया जाता है तो उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है।

(ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(च) बिना टिकट यात्रा की रोकथाम करने के लिए किए गए उपायों में नियमित अचानक/मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करना, विभिन्न प्रचार मीडिया के माध्यम से प्रचार अभियान चलाना और नये रेल अधिनियम में किए गए निवारक दंड का प्रावधान शामिल हैं। रेलों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे राजकीय रेलवे पुलिस तथा रेल सुरक्षा बल के सहयोग से बिना टिकट/अनुचित यात्रा के विरूद्ध विशेष अभियान चलाएं।

[अनुवाद]

डीजल लोको शेड

3110. **श्री लाल बाबू राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में उचित लोको शेड कहां–कहां हैं और इनकी क्षमता कितनी–कितनी है ;

(ख) क्या सरकार ने 1991-92 के दौरान डीजल लोको शेडों की स्थापना के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या किसी प्रस्ताव को छोड़ दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) एक विवरण संलग्न हैं।

(ख) और (ग) झाझा और अंगुल पर डीजल लोको शेडों के निर्माण को 1991-92 में स्वीकृत किया गया था।

(घ) और (ङ) जी हां। आसनसोल–झाझा–पटना–मुगल सराय मार्ग के विद्युतीकरण को ध्यान में रखते हुए झाझा पर नए डीजल लोको शेड स्थापित करने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है।

विवरण

शेड का नाम		आयोजित	शेड का नाम		आयोजित
1.	इटारसी	150	9.	वर्धमान	60
2.	न्यू कटनी जं.	150	10.	अंडेल	50
3.	झांसी	60	11.	पतरातू	100
4.	पूणे	100	12.	मुगल सराय	20
5.	कल्याण	[illegible]	13.	बेलिया घाट	50
6.	कुर्ला	60	14.	जमाल पुर	60
7.	आगरा	25	15.	तुगलकाबाद	100
8.	हावड़ा	60	16.	लुधियाना	100

शेड का नाम	आयोजित	शेड का नाम	आयोजित
17. मुगल सराय	75	27. गूटी	100
18. शकूर बस्ती	100	28. मौला अली	20
19. लखनऊ	60	29. विजयवाड़ा	20
20. गौंडा	60	30. विशाखापत्तनम	120
21. मालदा टाऊने	60	31. बौंडामुंडा	100
22. इरोड	100	32. बोकारो स्टीलल सिटी	50
23. कृष्ण राजपुरम	60	33. खड़पुर	60
24. तोंडियारपेट	50	34. रतलाम	100
25. एर्णाकुलम	20	35. वतवा	115
26. कजीपेट	100	36. बांद्रा	45

(मीटर लाइन)

1.	भगत की कोठी	80
2.	गोंड़ा	50
3.	इज्जतनगर	50
4.	सिलीगुड़ी	60
5.	न्यू गुवाहाटी	50
6.	पोनमलाई	100
7.	गुंतकल	150
8.	मौला अली	20
9.	आबू रोड	100
10.	साबरमती	100
11.	गांधी धाम	20

[हिन्दी]

गुजरात में अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र

3111. श्री एन.जे. राठवा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कार्यरत अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्रों के उद्देश्य क्या हैं ;

(ख) इन केन्द्रों की स्थापना पर कुल कितमी धनराशि खर्च की जाएगी और सरकार ने इन केन्द्रों को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी वित्तीय सहायता दी है ; और

(ग) इन केन्द्रों द्वारा उक्त अवधि के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया एकमात्र केन्द्र, पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद है जो इस समय गुजरात में कार्य कर रहा है। इस केन्द्र के मुख्य उद्देश्य बच्चों, युवाओं और आम नागरिकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना है।

(ख) अगस्त, 1984 में इस केन्द्र की स्थापना के समय से इसकी स्थापना एवं इसे चलाने के लिए 1305.38 लाख रुपए का सहायतानुदान दिया गया है। इसकी भावी आवश्यकताओं को सरकार द्वारा वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर तय किया जाएगा। इस केन्द्र को गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी गई है :

1993-94	1992-93	1991-92 (लाख रुपए में)
201.00	161.00	180.00

(ग) केन्द्र ने अपनी स्थापना के समय से निम्नलिखित मुख्य कार्य किए हैं ;

(1) स्कूली बच्चों के लिए पर्यावरण शिक्षा पर विविध संसाधन सामग्री का विकास किया ;

(2) देश भर में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए ;

(3) गैर सरकारी संगठनों, राज्य शिक्षा विभागों, कालेजों व स्कूलों के मध्य संबंध स्थपित करने एवं उसे मजबूत बनाने का काम किया ;

(4) कतिपय राष्ट्रीय प्राणी उद्यानों के लिए व्याख्यात्मक कार्यक्रमों का डिजाइन व ढांचा तैयार किया एवं स्थापित किया ;

(5) पर्यावरणीय शिक्षा में प्रशिक्षण आयोजित किया ;

(6) विभिन्न भाषाओं में सूचना–पत्रों/पत्रकों/पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया;

(7) स्थानीय-विशिष्ट शिक्षा सामग्री तैयार करने के लिए शिक्षाविदों को सहायता देने के लिए पर्यावरणीय शिक्षा बैंक एवं उपयोगकर्ता के अनुकूल कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस स्थापित किया है ;

(8) जल से संबंधित स्वास्थ्य एवं सफाई मुद्दों पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रमों का आयोजन किया।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों का निजीकरण

3112. प्रो. उमारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

श्री सत्यदेव सिंह :

श्री रवि राय :

श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विश्वविद्यालय शिक्षक संघों ने विश्वविद्यालयों के निजीकरण का विरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या गैर–सरकारी न्यासों तथा संगठनों को अपने विश्वविद्यालयों को स्थापित करने तथा चलाने की अनुमति देने से उच्च शिक्षा आम आदमियों की पहुंच से परे हो जाएगी ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी नीति के दीर्घकालिक परिणामों का अध्ययन किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह सूचित किया है कि आयोग को किसी भी शिक्षक संघ से कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया गया था कि वह प्राइवेट तौर पर वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में अपनी राय दे। आयोग ने अपने विचार प्रस्तुत कर दिए हैं तथा सरकार के विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

दूरस्थ शिक्षा

3113. **श्री रामनिहोर राय :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने का है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा दूरस्थ शिक्षा को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किन संस्थाओं को धनराशि दी गई है तथा इसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में दूरस्थ शिक्षा देने वाली संस्थाओं के नाम क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) एवं (ख) जी, हां। आठवीं पंच वर्षीय योजना में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना और विकास के लिए 60.00 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है। राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों के सहायतार्थ (इस प्रावधान में से) 5 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, आठवीं पंच वर्षीय योजना में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय को 11.00 करोड़ रु. की राशि का आवंटन किया गया है।

(ग) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, पिछले दो वर्षों (1992. एवं 1993-94) के दौरान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत गठित दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित अनुदान संस्वीकृत किए गए :

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक	51.60 लाख रु.
डा बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद	53.20 लाख रु.
कोटा मुक्त विश्वविद्यालय, राजस्थान	3.00 लाख रु. (1992-93)

(घ) उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में मुक्त विश्वविद्यालय नहीं हैं। हरियाणा में एक राज्य मुक्त विद्यालय है।

[अनुवाद]

बांकुरा दामोदर नदी रेल लाइन

3114. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांकुरा दामोदर नदी रेल लाइन का प्रबंधन 1956 में भारतीय रेलवे विभाग ने अपने नियंत्रण में ले लिया ;

(ख) क्या यह प्रबंधन नियंत्रण अवाडी 1996 में समाप्त हो जायेगी ;

(ग) क्या सरकार उक्त रेल लाइनों के राष्ट्रीयकरण के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) स्वामित्व वाली कम्पनी के साथ हुए समझौते के अनुसार 1.7.67 से बांकुरा दामोदर रिवर रेल लाइन को भारतीय रेल द्वारा चलाया जा रहा है।

(ख) यह समझौता, प्रत्येक दस वर्ष के अन्तराल पर केन्द्र सरकार को इस लाइन की खरीद के विकल्प की व्यवस्था करता है। अगला विकल्प 1996 में उपलब्ध होगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) सरकार की नीति, किसी भी लाइट रेलवे के अधिग्रहण की नहीं है जब तक कि यह वित्तीय आधारों पर औचित्यपूर्ण न हो अथवा यह किसी निश्चित सार्वजनिक उद्देश्य को सेवित न करता हो। इस नीति का मूलाधार यह है कि उपलब्ध सीमित साधनों का प्रयोग मौजूदा गैर अर्थक्षम परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए करने के बजाय उन्हें योजनाओं के अंतर्गत नवीन परिसंपत्तियों के सृजन के लिए संरक्षित किया जाए। इन लाइट रेलों की परिसंपत्तियां पुरानी हैं जिनके बदलाव, सुधार तथा प्रोन्नयन पर काफी निवेश की आवश्यकता हैं।

अजंता और एलोरा की गुफाएं

3115. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के भित्ति चित्रों में दरारें उभर आई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात का सर्वेक्षण किया है कि कहां तक क्षति पहुंची है और इसके मरम्मत पर कितनी लागत आएगी ;

(ग) क्या इस कार्य के लिए विश्व बैंक से कोई वित्तीय सहायता लेने का प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) जो दरारें देखी गई हैं, वे छोटी–छोटी हैं तथा वे चट्टानों के जीर्ण होने एवं उनकी प्राकृतिक बनावट के कारण आई हैं। इन स्मारकों का निरीक्षण समय–समय पर किया जाता है तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मानकों के अनुसार संरक्षण और परिरक्षण के आवश्यक उपाय किए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अजन्ता और एलोरा की गुफाओं के समुचित संरक्षण और परिरक्षण के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उनमें से कुछेक इस प्रकार हैं :

(i) गुफाओं के ऊपर बहने वाले बरसात के पानी का रूख मोड़ने के लिए बरसाती परनालों की व्यवस्था करना।

(ii) चट्टानों के खुले जोडों को बन्द करना।

(iii) मूर्तियों के ऊपर की चट्टान की सतह के बन्द जोड़ों की जांच करने के लिए मूर्तियों की किनाराबन्दी करना/उनको लपेटना।

(iv) रासायनिक उपचार।

(v) वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार संरचनात्मक मरम्मत–कार्य।

(vi) गुफाओं के चारों तरफ पर्यावरण–संबंधी विकास।

केरल कलामंडलम्

3116. **श्री वी.एस. विजयराघवन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "करेल कलामंडलम्" को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हें ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार को इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव अभी प्राप्त होना है।

वनस्पति उद्योग को प्रोत्साहन

3117. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वनस्पति उद्योग को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) वनस्पति उद्योग से प्राप्त अभ्यावेदनों में, चयनात्मक ऋण नियंत्रण से छूट देने, वनस्पति को "घोषित वस्तुओं" की सूची में शामिल करने, बिक्री कर ढांचे को युक्तियुक्त बनाने इत्यादि के लिए अनुरोध शामिल है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में भारतीय छात्र

3120. श्री एस.बी. सिदनाल :

श्री रामप्रसाद सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उच्च तथा तकनीकी अध्ययन के लिए बाहर भेजे गए छात्रों की संख्या क्या है ;

(ख) इनमें से कितने अपना अध्ययन पूरा करके वापस आ चुके हैं ;

(ग) कितने छात्र अपना अध्ययन पूरा करके अभी विदेश में ही रुके हैं ;

(घ) सरकार द्वारा अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले प्रत्येक छात्र पर औसतन कितना धनराशि खर्च की गई ; और

(ङ) कितने छात्र अपना अध्ययन पूरा करके वापस आए और रोजगार पाने में सफल हुए ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) काफी संख्या में छात्र अपने ही खर्चे पर उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाते हैं। उनके बारे में सूचना इकट्ठी करना तथा तैयार करना, सरकार के लिए संभव नहीं है।

जहां तक मंत्रालय का संबंध है, यह मंत्रालय केन्द्रीय सरकार/विदेशों द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ छात्रवृत्तियों/शिक्षावृत्तियों को परिचालित करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 450 छात्रों को उच्च अध्ययन/तकनीकी शिक्षा के लिए विदेश भेजा गया।

(ख) और (ग) ऊपर बताए गए 450 छात्रों में से 85 छात्र अपना अध्ययन पूरा करने के पश्चात् वापिस आ गए हैं। अन्य छात्रों के भी उनके अध्ययन के पूरा होने के पश्चात वापिस आने की संभावना है।

(घ) कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रति वर्ष विदेश में अध्ययन के लिए प्रायोजित तीस विद्यार्थियों के लिए प्रति–वर्ष, प्रति–छात्र औसत खर्च 7,06,530/ रुपए हैं। विदेशों में अध्ययन के लिए शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जाने वाली अधिकतर छात्रवृत्ति योजनाओं का वित्तपोषण, दाता (डोनर) देशों द्वारा किया जाता है। कुछ मामलों में, सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों के अंतर्गत सरकार किफायती श्रेणी का हवाई जहाज का किराया/अनुपूरक अनुदान पर होने वाले खर्च को वहन करती है जो कि देश के अनुसार अलग–अलग होता है।

(ङ) विदेशों में अपने अध्ययन को पूरा करने के पश्चात् वापिस आए 85 छात्रों में से, 50 छात्र जाने से पहले ही नियुक्त थे तथा उनको उनकी वापसी के बाद रोजगार प्रदान किया गया। छात्रवृत्ति योजनाओं का लक्ष्य उच्च अध्ययन/अनुसंधन की सुविधांए प्रदान करना है।

सुपर बाजार

3121. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाज़ार की कुल कितनी शाखाएं हैं, इनमें मोबाइल वैनों तथा वस्तु सूची में दर्ज वस्तुओं की संख्या क्या है, 1993-94 के दौरान विभाग–वार कुल बिक्री का ब्यौरा क्या है, उपभोक्ताओं/सरकारी विभागों से कितना लाभ अर्जित किया गया तथा यहां अधिकारियों सहित कुल कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या क्या है और केन्द्रीय भंडार की तुलना में इनकी स्थिति क्या है ;

(ख) केन्द्रीय भंडार की तुलना में सुपर बाजार के असंतोषजनक कार्य निष्पादन का क्या कारण है ;

(ग) सुपर बाजार के कार्यनिष्पादन में कार्यकुशलता तथा जिम्मेदारी की भावना बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ;

(घ) लघु शाखा स्टोरों द्वारा सभी वस्तुओं की मांग प्रस्तुत नहीं किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसका परिणाम क्या है ; और

(च) लघु शाखाओं द्वारा सभी वस्तुओं के मांग प्रस्तुत न करनें की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा जून, जुलाई और अगस्त, 1994 के दौरान मांग–पत्र में शामिल न किए गए वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें विस्तृत सूचना दी गई है।

(ख) और (ग) सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भंडार के बीच कार्य निष्पादन में अंतर का कारण सुपर बाजार में अत्यधिक कर्मचारी होने तथा सुपर बाजार की शाखाओं को स्थापित करने के लिए प्राप्त किए गए स्थान के किराए की ऊँची लागत को कहा जा सकता है। सुपर बाजार नियंत्रण को कड़ा करने और अपने कार्य की कुशलतापूर्वक निगरानी करने की दृष्टि से भर्ती पर रोक लगा कर तथा अपने विभिन्न विभागों के कार्य का कम्प्यूटरीकरण करके अपने कार्य में सुधार लाने के उपाय कर रहा है।

(घ) से (च) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि छोटी शाखाएं खपत के स्वरूप तथा मांग अनुमानों के अनुसार अपने मांग पत्र भेजती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लघु शाखाओं में स्टॉक उपलब्ध हो, आवधिक समीक्षा एवं अनुवीक्षा की जाती रहती है।

विवरण

क्रम सं.	विवरण	सुपर बाजार		केन्द्रीय भंडार
1.	शाखाओं की संख्या	150		85
2.	मोबाइल वैनों की संख्या	21		4
3.	वस्तु सूची की मदें	15000 से अधिक		3,900 से अधिक
4.	बिक्री (लाख रु. में)	1993-94		
(क)	सुपर बाजार			
(1)	किराना व प्रसाधन सामग्री		6981.64	
(2)	घरेलु वस्तुएं व कपड़ा		1044.04	
(3)	फर्नीचर		801.60	
(4.)	फल व सब्जियां		67.31	
(5)	अन्य		2749.33	
	कुल :		11643.92	

(ख)	**केंद्रीय भंडार (दिल्ली शाखा की बिक्री)**	
(1)	किराना	1853.41
(2)	उपभोक्ता	1085.61
(3)	राशन	516.93
(4)	लेखन सामग्री	4955.78
	योग :	8411.73

5. निम्नलिखित से लिए गए मार्जिन की दरें

		सुपर बाजार	केन्द्रीय भंडार
(क)	उपभोक्ता सरकारी विभाग	औसत 8%	औसत 5.50%

6. समग्र कार्य निष्पादन (लाख रु. में)

		1992-93	1993-94 (अनन्तिम)	1992-93	1993-94 (अनन्तिम)
(1)	बिक्री	10303	11643.92	7993.63	10010 दिल्ली से बाहर की शाखाओं
(2)	निवल लाभ	10.83	40	195.02	225 की बिक्री सहित

7. **कर्मचारियों की संख्या**

अधिकारी	कर्मचारी	अधिकारी	कर्मचारी
51	2197	28	380

नाम-तौल नियम, 1977

3122. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाप–तौल नियम, 1977 की उत्पाद सूची में से कुछ उत्पादों को हटा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार स्थाई समिति द्वारा सुझाए गए सूची में कुछ और उत्पादों के नाम को जोड़ने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) पैक आकारों संबंधी प्रतिबन्ध हटाने के परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता और पसन्द के अनुसार चुनाव करने हेतु अनेकों आकारों में वस्तुएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा, देशी विनिर्माता उपभोक्ता की पसन्द के अनुसार आकारों का निर्णय ले सकेंगे और उन्हें घरेलू बाजार तथा साथ ही विदेशी बाजारों में विदेशी माल के साथ प्रतिस्पर्धा के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे बुनियादी ढ़ांचा

3123. श्री. डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री चित्त बसु :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे अपने बुनियादी ढ़ांचे और नेटवर्क की तुलना में वांछित लाभ नहीं अर्जित कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) भारतीय रेलवे को लाभ कमाने वाली सरकारी इकाई बनाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) भारतीय रेलें वसूल की गई वास्तविक राजस्व प्राप्तियों से अपने कुल संचालन व्यय, लाभांशों का भुगतान आदि को पूरा करने के बाद, अधिशेष कमा रही है। पिछले तीन वर्षों से प्राप्त किए गए शुद्ध अधिशेष तथा 1994-95 के लिए अनुमानित अधिशेष के आंकड़े इस प्रकार हैं :

वर्ष	शुद्ध अधिशेष
1991-92	509.47
1992-93	783.04
1993-94 (अनंतिम)	1804.39
1994-95 (अनुमानित)	1970.00

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय रेलें पहले ही एक लाभ कमाने वाला संगठन है। यह बेहतर प्रबंध उच्च उत्पादकता, परिसंपत्तियों का बेहतर अनुरक्षण, प्रौद्योगिकी संबंधी उन्नति तथा संचालन व्यय में चौतरफा किफायत करने से संभव हुआ है।

[हिन्दी]

लघु प्रवास गृह

3124. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष 'महिलाओं और लड़कियों के लिए लघु प्रवास गृह' योजना के अन्तर्गत जिन महिलाओं और लड़कियों को अस्थाई अवास तथा पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध करायी हैं उनका ब्यौरा क्या है

(ख) क्या सरकार को इन गृहों में उनके शोषण के अनेक मामलों का पता चला है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने ऐसे मामलों पर क्या सकारात्मक कदम उठाये हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवाराजेश्वरी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) जी नहीं। लेकिन, हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक मामले की सूचना दी है। जांच और राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर, वर्ष 1993-94 से आगे के लिए सरकारी सहायता बन्द कर दी गई है। सरकार द्वारा नियमानुसार समुचित कार्रवाई भी की गई है। इसके अलावा, जब कभी भी किसी गृह के सन्तोषजनक ढ़ंग से न चलाए जाने/उसमें शोषण होने के मामलों की सूचना मिलती है तो केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जांच कराई जाती है। प्रतिकूल रिपोर्ट मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाती है।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित अल्पावधि गृहों में पिछले तीन वर्षों के दौरान दाखिल महिलाओं/लड़कियों की उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्य-वार अनुमानित संख्या और उनके पनुर्वास

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1991-92		1992-93		1993-94	
		1-3-92 की स्थिति अनुसार दाखिल महिलाओं और लड़कियों की अनुमानित संख्या	वर्ष 1991-92 के दौरान पुनर्वासित महिलाओं/लड़कियों की संख्या	1-3-93 की स्थिति अनुसार दाखिल महिलाओं और लड़कियों की अनुमानित संख्या	वर्ष 92-93 के दौरान पुनर्वासित महिलाओं/लड़कियां की संख्या	1-3-94 की स्थिति अनुसार दाखिल महिलाओं और लड़कियों की अनुमानित संख्या	वर्ष 93-94 के दौरान पुनर्वासित महिलाओं/लड़कियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	681	522	763	751	774	579
2.	अरूणाचल प्रदेश	51	63	90	4	88	8
3.	असम	19	-	24	4	45	37
4.	बिहार	27	72	98	165	121	172
5.	गोवा	44	33	54	48	28	27
6.	गुजरात	77	434	87	474	120	365
7.	हरियाणा	38	22	35	23	33	3
8.	हिमांचल प्रदेश	81	8	57	55	55	70
9.	जम्मू और कश्मीर	43	-	43	6	23	-
10.	कर्नाटक	125	129	137	119	150	154
11.	केरल	123	111	193	347	172	221
12.	मध्य प्रदेश	90	68	106	20	95	27
13.	महाराष्ट्र	269	109	464	504	221	273
14.	मणिपुर	29	62	34	61	34	13

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	उड़ीसा	147	59	268	145	350	269
16.	पंजाब	43	55	23	18	31	21
17.	राजस्थान	95	312	109	274	80	121
18.	सिक्किम	23	24	9	3	-	-
19.	तमिलनाडु	98	157	137	119	78	109
20.	त्रिपुरा	44	16	41	6	39	15
21.	उत्तर प्रदेश	173	213	257	148	278	162
22.	पश्चिम बंगाल	327	272	390	353	451	350
23.	चंडीगढ़	25	24	40	26	41	25
24.	दादर और नगर हवेली	15	20	-	13	24	3
25.	दिल्ली	20	62	22	40	41	24
26.	पांडिचेरी	52	14	52	47	58	44
27.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	10	1	6	5	9	-

नोट : अल्पावधि गृहों में दाखिल महिलाओं और लड़कियों की वास्तविक संख्या प्रतिदिन अलग–अलग होती है। अतः 01 मार्च की सन्दर्भ तिथि दी गई है। पुनर्वास के लिए, वर्ष विशेष में पुनर्वासित पूर्ण संख्या दी गयी है।

[अनुवाद]

स्टेनलैस स्टील कोच

3125. श्री मोहन रावले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार पूर्णतया स्टैनलैस स्टील से बने यात्री डिब्बे खरीदने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन डिब्बों की मुख्य विशेषताएं क्या–क्या हैं ;

(घ) स्टैनलैस स्टील के एक डिब्बे की अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ङ) इन डिब्बों को किन–किन गाड़ियों के साथ जोड़ा जाएगा और कब से जोड़ा जाएगा ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) रेलों ने स्टेनलेस स्टील के डिब्बे का प्रोटोटाइप विकसित करने का कार्य शुरू कर दिया है।

(ग) मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

– जंगरोधी

– हल्के

(घ) वास्तविक लागत का पता प्रोटोटाइप विकसित कर लेने के बाद चलेगा।

(ङ) कोई खास गाड़ी जिसमें ये डिब्बे लगाए जाएगें निश्चित नहा की गई है।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों में प्रवेश

3126. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कितने विश्वविद्यालय स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में छात्रों को बिना किसी पूर्व शैक्षिक डिग्री के दाखिला देते हैं ; और

(ख) सरकार द्वारा अन्य विश्वविद्यालयों में इसी तरह के उपबन्धों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचनानुसार, देश के निम्नलिखित मुक्त विश्वविद्यालय बिना किसी पूर्व शैक्षिक योग्यता के छात्रों को बी. ए./बी. कॉम डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश देते हैं ; बशर्ते वे इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से तैयार किया गया प्रारम्भिक कार्यक्रम पूरा कर लें।

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
2. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र
3. कोटा मुक्त विश्वविद्यालय कोटा, राजस्थान

आशा की जाती है कि अन्य राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा, जब भी वे विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे, जैसी कि 1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा कार्रवाई योजना (1992) में परिकल्पना की गई है, बिना किसी पूर्व शैक्षिक योग्यता के स्नातक डिग्री कार्यक्रम करने के लिए ऐसा ही प्रावधान किया जाएगा।

इनमें से कोई भी विश्वविद्यालय इस समय बिना किसी पूर्व शैक्षिक योग्यता के अपने स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में छात्रों को प्रवेश नहीं देता।

औंडिहार और बलिया के बीच आमान परिवर्तन

3127. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औंडिहार और बलिया के बीच आमान परिवर्तन का कार्य ठप्प पड़ा हुआ है ;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या औंडिहार के निकट आमान परिवर्तन का कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इस रेल लाइन पर कब तक कार्य शुरू हो जाएगा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो अब तक हुए कार्य का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री-(श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ) औंडिहार–बलिया खंड का आमान परिवर्तन कार्य पहले ही प्रगति पर है।

(ङ) 171.24 कि.मी. में से 168 कि.मी. तटबंध को बड़ी लाइन के मानक के अनुसार चौड़ा कर दिया है। कुल 110 में से 105 पाइप के पुलों और कुल 76 में से 52 छोटे पुलों का निर्माण पूरा हो गया है तथा 9 छोटे पुलों पर कार्य चल रहा है। इंचकेप पुल पर 61-61 मीटर के 18 स्पैन में से 11 पर पुनः गर्डर लगाने का काम पूरा कर दिया गया है। 1,96,000 घन मी. गिट्टी में से 1,14,832 घन मी. गिट्टी गाड़ी द्वारा बिछा दी गई है। इस परियोजना को पूरा करने की लक्ष्य तिथि 31.12.95 है।

केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षक

3128. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणियों के लिए शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के कितने पद खाली पड़े हैं ;

(ख) इन खाली पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) इन खाली पदों को भरने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि 7.7.1994 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में 51 केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के 276 पद रिक्त पड़े हुए हैं। गैर–शिक्षण पदों की रिक्तियों

का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) और (ग) रिक्तियों का भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 16 अप्रैल, 1994 को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों संबंधी रिक्तियों को विज्ञापित किया था और 28 मई, 1994 को वर्तमान रिक्तियों अर्थात् साधारण और आरक्षित दोनों का विज्ञापन भी दिया गया है। संगठन भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाकर रिक्तियों को भरने के सभी संभव प्रयास कर रहा है।

यात्री और माल यातायात

3129. श्री तेजसिंह राव भोंसले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाल ही में वर्षा के दौरान यात्री और माल याताययात पूरी तरह से अस्त–व्यस्त हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो किन–किन स्थानों पर रेल यातायात अस्त–व्यस्त हुआ था और प्रत्येक स्थान पर कितनी अवधि तक यह स्थिति बनी रही ;

(ग) क्या गत मानसून के दौरान इन क्षेत्रों में बाकी यातायात भी अस्त–व्यस्त हो गया था ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके कारण रेल को कितनी क्षति हुई ;

(ङ) क्या सरकार ने इस प्रकार की समस्याओं के निदान हेतु कोई कदम उठाए हैं ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (छ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कृषि शिक्षा

3130. श्री के. प्रधानी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि शिक्षा प्रणाली को कारगर बनाने की अत्यधिक आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपयुक्त नीति और कार्यक्रम तैयार किया गया है ;

(ग) क्या नए कृषि विश्वविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) कृषि की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूदा कृषि शिक्षा पद्धति में सुधार और उसे नया रूप देने की आवश्यकता है। फिर भी, कृषि शिक्षा और अनुसंधान राज्य का विषय है। मौजूदा समय में कृषि शिक्षा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाती है जो राज्य सरकार की संस्थाएं हैं तथा भा.कृ.अ.प. केवल उन्हें आंशिक रूप में विकास सहायता और तकनीकी मार्ग दर्शन प्रदान करती है।

(ख) इस पद्धति को नया रूप प्रदान करने के लिए नीतियां और कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास कोई नया कृषि विश्वविद्यालय आरंभ करने का प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बीज उत्पादक कम्पनियां

3131. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बीज उत्पादक कम्पनियों के क्या नाम हैं जो विदेशी कम्पनियों के साथ मिलकर कार्य कर रही हैं ;

(ख) इन कम्पनियों द्वारा वर्तमान समय में बेचे जा रहे बीजों की किस्मों के साथ उनकी मात्रा क्या है ; और

(ग) इन कम्पनियों द्वारा आयातित बीजों की किस्में क्या हैं तथा मात्रा का ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) इस समय लगभग साठ ऐसी बीज उत्पादक कंपनियां हैं जो विदेशी कंपनियों के सहयोग से कार्य कर रही हैं।

(ख) और (ग) इन कम्पनियों का सहयोग मुख्यतया सूरजमुखी के संकर बीजों सब्जियों के बीजों, सजावटी पौधों की प्रसार सामग्री के उत्पादन आदि के लिए अनुमोदित किया गया है। कम्पनीवार बीज की बिक्री का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 में देश में आयातित बीजों की मात्रा क्रमशः 428.390, 148.082 तथा 1645.987 मीटरी टन थी। आयातित बीजों में मुख्यतया बंदगोभी, टमाटर तथा गोभी खैसी सब्जियों, सूरजमुखी के बीज फूलों के बीज, आयलपाम की कलमें तथा सजावटी पौधों के बीज शामिल थे।

[हिन्दी]

पश्चिमी रेलवे में भर्ती

3132. श्री छीतूभाई गामीत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिमी रेलवे में तकनीकी और गैर–तकनीकी में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों में कितने कर्मचारी भर्ती किए गए और उनमें से कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित थे ;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे और इस भर्ती के माध्यम से भरे गए आरक्षित कोटे का ब्यौरा क्या है ;

(ग) पूर्ण आरक्षित कोटे को नहीं भरने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार ने पूर्ण कोटे को भरने हेतु कोई कार्यनिर्देश जारी किए हैं ; और

(ङ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) आवेदकों की रोस्टर पांइट्स के अनुसार भर्ती किया गया है तथा निर्धारित प्रतिशतता का पालन किया गया है। प्रतिशतता में वर्ष दर वर्ष परिवर्तन होता है जो कि रोस्टर के चक्र पर निर्भर करता है। कभी–कभी जब अनु. जाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो अनुसूचित जातियों की रिक्तियों को अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरा जाता है और विलोमतः इसके परिणामस्वरूप भी अनु. जाति/अनु. जन जाति की प्रतिशत में परिवर्तन होता है।

विवरण

(क) और (ख) पश्चिम रेलवे में वर्ष 1991, 1992 तथा 1993 के दौरान की गई भर्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष		समूह			
		"क" *	"ख"	"ग" (सफाई वालों को छोड़कर)	"घ" (सफाई वाला)
1991	निर्धारित कोटा	अनु.जाति.–15% अ.ज.जा.–7%	अनु.जाति.–15% अ.ज.जा.–7%	अ.जा.–15% अ.ज.जा.–9%	अ.जा.–15% अ.ज.जा.–9%
	अ.ज.जा.	2 (9.08%)	195 (10.16%)	226 (9.71%)	16 (9.52%)

1991	अ.जा	4 (18.18%)	272 (14.17%)	382 (16.42%)	151 (89.88%)
	अन्य जाति	16	1452	1718	1
	जोड़	22	1919	2326	168
	अ.ज.जा.	5 (17.2%)	191 (12.10%)	141 (9.29%)	47 (28.31%)
1992	अ.जा.	6 (20.68%)	147 (11.05%)	253 (16.67%)	118 (71.08%)
	अन्य जाति	18	1022	1123	1
	जोड़	29	1330	1517	166
	अ.ज.जा.	1 (4.76%)	123 (10.72%)	179 (17.14%)	5 (4.50%)
1993	अ.जा.	4 (19.04%)	209 (18.22%)	296 (28.36%)	86 (77.47%)
	अन्य जाति	16	745	569	20
	जोड़	21	1147	1044	111

* चूंकि ग्रुप "ख" में कोई सीधी भर्ती नहीं है अतः भर्ती में कुछ नहीं दिखाया गया है। ग्रुप "क" की सेवाओं के लिए भर्ती समग्र रूप से भारतीय रेल के लिए की जाती है तथा चयन किए गए उम्मीदवारों को, परीवीक्षा अवधि के सफलता पूर्वक पूरा करने पर, रेल विशेष के लिए आवंटित किया जाता है। ग्रुप "क" के उपर्युक्त आंकड़े केवल पश्चिम रेलवे से संबंधित हैं तथा उनसे सभी भारतीय रेलों की स्थिति प्रतिविंवित नहीं हो सकती।

* कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जोड़ का प्रतिशत दर्शाते हैं।

[अनुवाद]

सिंगल रेलवे जोन

3133. श्री अन्ना जोशी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या वर्तमान महाराष्ट्र राज्य तीन रेल मंडलों अर्थात् केन्द्रीय, दक्षिण केन्द्र और पश्चिम नामक तीन भागों में बंटा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र और कई अन्य संगठनों ने पूरे राज्य को एक ही रेल मंडल के अंतर्गत लाने की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) रेलवे जोनों के सृजन/पुनर्गठन से संबंधित मामले का अध्ययन तथा जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

गुजरात में रेल परियोजनाएं

3134. श्री एन.जे. राठवा :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में पूरी हो चुकी और निर्माणधीन रेलवे परियोजनाओ का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि का परियोजना–वार और वर्ष–वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन परियोजनाओं की मूल लागत और बढ़ी हुई लागत का परियोजना–वार ब्यौरा क्या है , और

(घ) निर्माणाधीन परियोजनाओं और 1994-95 के दौरान शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए परियोजना–वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

यात्री सुविधाएं

3135. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

कुमारी फ्रिडा तोपनो :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की जांच करने हेतु आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यात्रियों को ये सुविधाएं उपलब्ध न करा पाने हेतु जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) गाड़ियों में मूल सुविधाओं की व्यवस्था और उनका उचित अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों तथा अधिकारियों के स्तर पर नियमित जांच जी जाती है। इस प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करने में लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए गए कर्मचारियों के विरूद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

नए तरल उर्वरक

3136. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर की किसी फर्म में "फ्लौरा टैस्ट" नाम काई नया तरल उर्वरक विकसित किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उर्वरक किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध है ; और

(घ) यदि हां, तो इस उर्वरक का वार्षिक उत्पादन कितना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) जी हां। अश्विन कैमिकल्स, बंगलौर नामक फर्म ने "फ्लोरा फर्ट" ब्रांड के नाम से तरल उर्वरक 10:2:12 (एन.पी. के मिश्रण) तैयार करने के लिए मार्च 1993 के दौरान कर्नाटक सरकार से एक विशेष मिश्रण लाइसेंस प्राप्त किया था।

(ग) इस तरल उर्वरक की खरीद के लिए किसानों को कोई राजसहायता नहीं दी जाती है।

(घ) यह लाइसेंस 10,000 लीटर तरल उर्वरक (फ्लोरा फर्ट) तैयार करने के लिए मार्च 1993 से जून, 1993 तक की अवधि के लिए जारी किया गया था।

उपभोक्ता मदों पर मुदित मूल्य

3137. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री उपभोक्ता वस्तुओं पर मुद्रित मूल्य के बारे में 10 मई, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या–6892 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञ समिति ने इस मामले की जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सुझावों का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) विशेषज्ञ समिति ने इस विषय पर अभी तक अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप नहीं दिया है।

पश्चिम बंगाल द्वारा चीनी का आयात

3138. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने ब्राजील से चीनी का आयात किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के बिना किसी राज्य सरकार द्वारा सीधे चीनी के आयात का कोई प्रावधान है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) भारत सरकार ने 'सामान्य खुले लाइसेंस के तहत चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है। इस सकीम के तहत, राज्य सरकारों सहित, कोई भी, चीनी आयात कर सकता है। खाद्य मंत्रालय को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किए गए किसी भी चीनी आयात की जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

अवक्रमित वनभूमि, गैर-सरकारी क्षेत्र को वाणिज्यिक, उपयोग के लिए देना

3139. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री के. प्रधानी :

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या सरकार का विचार अवक्रमित वन भूमि को औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु उपयोग के लिए उपलब्ध कराने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय का यह कदम 1988 की राष्ट्रीय वननीति और उनके तथा उनकी सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय–समय पर दिए गए नीति संबंधी वक्तव्य के विरूद्ध है ;

(घ) यदि हा, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि मंत्रालय के प्रस्ताव के कार्यन्वयन से उन लाखों ग्रामीणों तथा आदिवासी समुदायों पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समाज के इन गरीब वर्गों हेतु उनके मंत्रालय द्वारा क्या उपाय करने का विचार किया गया है ;

(छ) क्या अनेक पर्यावरणविदों और स्वयंसेवी एजेंसियों ने मंत्रालय के इस कदम के विरूद्ध हाल ही में प्रधान मंत्री को पत्र लिखे हैं और इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन को रोकने का आग्रह किया है ;

(ज) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(झ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सरकार, अवक्रमित वनभूमियों को औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। लेकिन देश में अवक्रमित वन भूमि पर अधिक मात्रा में अवैध कब्जों के बढ़ते हुए खतरों और हरित क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए इस पर तत्काल वनारोपण की आवश्यकता, अवैध कब्जों और भूमि अवक्रमण को रोकने तथा विद्यमान प्राकृतिक वनों एवं सुरक्षित क्षेत्रों पर दबाव कम रकने के उद्देश्य से सरकार राज्य वन विकास निगमों के सहयोग से अत्यधिक अवक्रमित क्षेत्रों के वनीकरण में उद्योगों को शामिल करने पर विचार कर रही है ताकि केन्द्रीय और राज्य सरकारों, गैर–सरकारी संगठनों तथा जन सहकारिताओं की वनरोपण स्कीमों के लिए प्रयासों और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों में वृद्धि की जा सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) विचाराधीन स्कीम को अंतिम रूप तभी दिया जाएगा जब इसमें शामिल विभिन्न मुद्दों की सावधानीपूर्वक मूल्यांकन कर लिया जाएगा और ग्रामीणों तथा आदिवासी समुदायों को प्राप्त परम्परागत अधिकारों एवं रिआयतों की सुरक्षा सुनिश्चित कर ली जाएगी। जैसे कि परिकल्पना की गई है, इस स्कीम का उद्देश्य बायो–मास, जलाने की लकड़ी और चारे की उपलब्धता में वृद्धि करने तथा ग्रामीणों के लिए रोजगार सृजित करके ग्रामीण और आदिवासी समुदायों को लाभ पहुंचाना है।

(छ), (ज) और (झ) अवक्रमित वनों के वनीकरण में उद्योगों को शामिल करने के पक्ष में और इसके विरोध में विभिन्न मंचों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस बारे में अंतिम निर्णय लेने से पहले इन अभ्यावेदनों में उठाये गए विभिन्न मुद्दों की सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी।

मृदा सर्वेक्षण

3140. श्री जे. चोक्का राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन के लिए संबंधित क्षेत्रों के चयन हेतु राष्ट्रीय सुदूर सवंदन प्राधिकरण द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए राज्यवार, कितने जिलों का चयन किया गया ;

(ग) उनमें कितनी भूमि वन भूमि के रूप में दर्शाई गई है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने उक्त भूमि के विकास के लिए राज्यों के राज्य–वार क्या सहायता दी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुसंधान परियोजनाएं

3141. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बड़ी और लघु अनुसंधान परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने हेतु अपनी मौजूदा योजनाओं में से एक योजना को संशोधित किया है और भाग लेने वाले अध्यापकों की आयु सीमा 65 से बढ़ा कर 70 वर्ष कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं और यह अनुसंधान परियोजनाओं को बेहतर बनाने में कितनी फायदेमंद होगी ; और

(ग) राज्य सरकारों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

नई दिल्ली और वाराणसी के बीच सुपर-फास्ट गाड़ी

3142. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नई दिल्ली और वाराणसी

के बीच केवल काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ही चलती है, उस मार्ग पर एक अन्य सुपर–फास्ट गाड़ी चलाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) एक जोड़ी प्रारंभिक गाड़ी अर्थात काशी-विश्वनाथ एक्सप्रेस के अलावा दिल्ली/नई दिल्ली और वाराणसी के बीच 6 जोड़ी थ्रु गाड़ियां भी उपलब्ध हैं इनमें जून 94 में चलाई गई दिल्ली–समस्तीपुर/मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस (सप्ताह में 4 दिन) शामिल है ; इसलिए नई दिल्ली और वाराणसी के बीच एक और गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

विद्यालय पाठ्यक्रमों में मानवाधिकार को शामिल करना

3143. श्री के. प्रधानी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विद्यालयों के पाठ्यक्रम में मानवाधिकार से संबंधित विषयों को शामिल करने के बारे में मानवाधिकार आयोग से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पाठ्यपुस्तकों में मानवाधिकारों को पहले से ही शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने यह स्वीकार किया है कि इन्हें सुदृढ़ बनाया जाए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित स्कूली पाठ्य–पुस्तकों में मानवाधिकारों को सुदृढ़ बनाने से संबंधित रीतियों पर अभी हाल में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ चर्चा की गई है।

[हिन्दी]

पैदल ऊपरि-पुल का निर्माण

3144. श्री छीतूभाई गामीत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के सूरत रेलवे स्टेशन तथा भुसावल के बारदोली रेलवे स्टेशन पर पैदल उपरि–पुल के निर्माण हेतु लम्बे समय से मांग की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) कब तक वारदोली रेलवे स्टेशन पर पैदल ऊपरि–पुल के निर्माण संबंधी मांग को स्वीकार कर लिया जाएगा ; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) स्टेशनों पर यातायात की मात्रा, गाड़ियों की बारम्बारता तथा वारण आदि के आधार पर ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था की जाती है। इस संबंध में स्थिति की समीक्षा की जाती है और धनराशि की उपलबधता तथा सापेक्ष प्राथमिकता के अनुसार जहां अपेक्षित होता है वहां नये ऊपरी पैदल पुलों का निर्माण शुरू किया जाता है। तदनुसार सूरत में उपयुक्त ऊपरी पैदल पुलों की व्यवस्था की गई है और आगे सुधार के उपाय के रूप में दक्षिणी ओर के ऊपरी पैदल पुल से विस्तार का कार्य शुरू किया गया है। बारदोली में फिलहाल ऊपरी पैदल पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी

3145. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी के केंसर अनुसंधान संस्थान में डाक्टरों के कई पद रिक्त है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) ये पद कब से रिक्त पड़े हैं और इन पदों को न भरने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इन पदों को तदर्थ आधार पर भरने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) चिकित्सा अधिकारियों के 15 स्वीकृत पदों में से 6 पद अर्हक कर्मचारी न मिलने के कारण रिक्त पड़े हैं।

(ग) विशेषज्ञों की अनुपस्थिति में कार्य की देख–रेख स्थानीय रूप से प्रशिक्षित नियमित डाक्टरों और अनुबंध पर लिए गए एक डाक्टर द्वारा की जा रही है। भारतीय रेलों पर डाक्टरों के पदों के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती की जाती है, जिसने इन रिक्तियों को भरने के लिए पहले ही कार्रवाई कर दी है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन के बाद नियमित डाक्टरों के द्वारा पदभार ग्रहण कर लेने की आशा है।

आरक्षण कार्यालय

3146. **श्री अन्ना जोशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे शहर में कार्यरत रेलवे आरक्षण कार्यालय को बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार यात्रियों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे फिर से खोलने पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) पुणे शहर में दो सिटी बुकिंग कार्यालय हैं– एक रविवारबेथ में तथा दूसरा दक्षिण जिमखाना में। पुणे स्टेशन पर मुख्य कम्प्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय की केवल सन्निकटता के कारण रविवारबेथ में स्थित सिटी बुकिंग कार्यालय से आरक्षित टिकटें जारी करने की सुविधा वापस ले ली गई है।

(ग) रविवारबेथ सिटी बुकिंग कार्यालय में कोटा पुनः चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वहां से अनारक्षित टिकटें जारी किया जाना जारी रहेगा।

यात्री किराया और माल दुलाई संबंधी समिति

3147. प्रो. उम्मारेडिड् वेंकटेस्वरलु :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

श्री हरिन पाठक :

श्री बापू हरि चौरे :

श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री किराया और माल दुलाई संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी जांच कर ली गई है ;

(ग) क्या समिति द्वारा की गई सिफारिशों से यात्रियों और यात्रा करने वाली जनता को लाभ मिलेगा ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) समिति ने किराये और माल भाड़े ढांचे के संपूर्ण सप्तक को सम्मिलित करते हुए 373 सिफारिशें की हैं जिनमें से लगभग 100 सिफारिशों की जांच की गई हैं।

(ग) और (घ) यात्री सेवाओं पर अपनी सिफारिशें देते समय समिति ने यात्रा करने वाली जनता के हितों तथा रेलों की वित्तीय क्षमता को भी ध्यान में रखा है।

[हिन्दी]

महाविद्यालयों को मान्यता

3148. श्री महेश कनोडिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों द्वारा महाविद्यालयों को मान्यता हेतु भेजे गए राज्यवार कितने प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास स्वीकृत हेतु लम्बित हैं ;

(ख) ये प्रस्ताव किस–किस तिथि से लम्बित हैं ; और

(ग) इन प्रस्तवों के शीघ्र स्वीकृत दिए जाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह सूचित किया है कि प्रस्तावों पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

विवरण

राज्य	विश्वविद्यालय		कॉलेज का नाम	प्राप्ति की तारीख	लम्बित प्रस्तावों की संख्या
1	2		3	4	5
कर्नाटक राज्य	कर्नाटक विश्वविद्यालय	1.	दिवेकर वाणिज्य कॉलेज, करवर	14-02-94 08-11-93	1
मंगलौर	मंगलौर विश्वविद्यालय	1.	श्री दुर्गापरमेश्वरी मंदिर प्रथम श्रेणी कॉलेज, केतील डी.के.	17-03-94	
	मैसूर विश्वविद्यालय	1.	जे.जे. शिक्षा कॉलेज, बरालू, चन्नारायपटना ताल्लुक	01-03-94	1
		2.	जे.एस.एस. औषध विज्ञान कॉलेज, श्री शिवरात्रि शवर्द नगर, मैसूर	31-05-94	1
		3.	श्री बी.बी.आर. प्रथम डिग्री कॉलेज, कोलेगल	23-06-94	1
	बंगलौर विश्वविद्यालय	1.	भगवान बुद्ध प्रथम डिग्री कला एवं वाणिजय कॉलेज	19-04-94	1
		2.	यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज, सिरैतमुकुर	27-01-94	1

1	2		3	4	5
गुलबर्गा विश्व–विद्यालय	गुलबर्गा विश्वविद्यालय	1.	एस.आर.के. शिक्षा कॉलेज, रायचुर	17-06-94	1
		2.	महिलाओं के लिए चांद बी.बी. शिक्षा कॉलेज, गुलबर्गा	11-03-94	1
कर्नाटक राज्य	कुवेम्फू विश्वविद्यालय	1.	श्यादरी विज्ञान कॉलेज, शिमगा	15-04-94	1
		2.	एम.एम.एन. प्रथम श्रेणी कॉलेज, चित्रादुगर	15-04-94	1
		3.	शर्वथी श्रेणी कॉलेज, कोहन्दुर	18-02-94	1
महाराष्ट्र राज्य	पूना विश्वविद्यालय	1.	आजाद कला, विज्ञान एवं वाणिज्य कॉलेज, औसा, जिला लातूर	12-07-94	1
राजस्थान राज्य	राजस्थान विश्वविद्यालय	1.	अग्रवाल कन्या महाविद्यालय, गंगापुर सिटी	23-05-94	1
	एम.एल. सुखादिया विश्वविद्यालय	1.	एस.एम.सी.सी. राजकीय कॉलेज, आबू रोड	04-04-94	1
उत्तर प्रदेश राज्य	कानपुर विश्वविद्यालय	1.	चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज	20-07--94	1

1	2		3	4	5
	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय	1.	ऋषि संस्कृत महाविद्यालय, हरिद्वार	07-07-94	1
	जी.बी. पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय पंतनगर	1.	प्रौद्योगिकी कॉलेज, पंतनगर	18-07-94	1
मणिपुर राज्य	मणिपुर विश्वविद्यालय	1.	एम.एल. कॉलेज, मणिपुर	07-07-94	1
		2.	पैटीग्रयू कॉलेज, मणिपुर	03-03-94	1
असम राज्य	गुवाहाटी विश्वविद्यालय	1.	लंका महाविद्यालय, लंका	14-06-94	1
आंध्र प्रदेश राज्य	नागार्जुन विश्वविद्यालय	1.	आदर्श शिक्षा कॉलेज, गिड्डालू जिला प्रकासम	14-06-94	1
		2.	डी.आर.एन.एस.सी.वी.एस. कॉलेज चिलकालूरीपेट	07-07-94	1
	उस्मानिया विश्वविद्यालय	1.	बडरूका वाणिज्य व कला कॉलेज, (दिवस) हैदराबाद	23-05-94	1
	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय	1.	राजकीय डिग्री कॉलेज कोडूरू, कुड्डापाह	31-05-94	

1	2	3	4	5
बिहार राज्य	मगध विश्वविद्यालय	1. एस.बी.ए.एन. कॉलेज, दरहेता-लारी जेहानाबाद	13-07-94	1
गुजरात राज्य	गुजरात विश्वविद्यालय	1. श्री आर.के. पारिख कला व विज्ञान कॉलेज पेटलद	14-02-94	1
		2. पेटलद वाणिज्य कॉलेज, पेटलद		1
उत्तरी गुजरात	उत्तरी गुजरात विश्वविद्यालय	1. सेठ एम.एन. विज्ञान कॉलेज, पतन	13-07-94	1
		2. श्री व श्रीमती पी.के. कोतवाला कला पतन	05-05-94	1
	दक्षिणी गुजरात विश्वविद्यालय	1. श्रीमती सी.डी. झोबालिया रोटरी कला व श्रीमती आई.एस.आर. अच्छारीवाला रोटरी वाणिज्य कॉलेज, वापी	04-04-94	1
		2. श्री बनराज कला व वाणिज्य कॉलेज, धर्मपुर	12-04-94	1

1	2		3	4	5
मध्य प्रदेश राज्य	गुरू धासीदास विश्वविद्यालय	1.	राजकीय स्नातकोत्तर कला/वाणिज्य बिलासपुर	1-03-94	1
	इंदिरा कला संगीत विश्वविर्धालय	1.	भटखंडे संगीत महाविद्यालय बिलासपुर	05-05-94	1
उड़ीसा राज्य	बेरहमपुर विश्वविद्यालय	1.	पोलासार विज्ञान कॉलेज पोलासार जिला, गंजम	31-05-94	1
		2.	जेपुर विधि कॉजेल, विवेक विहार, जेपुर	07-07-94	1
पश्चिम बंगाल राज्य	कलाकत्ता विश्वविद्यालय	1.	डा. कनायलाला भट्टाचार्य कॉलेज, संतरागची, हावड़ा	31-05-94	1
		2.	कालीनगर महाविद्यालय 24, परगनास	20-07-94	

[अनुवाद]

ग्राम शिक्षा समितियां

3149. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्यवाही कार्यक्रम 1992 के अनुपालन में ग्राम शिक्षा समितियों की स्थापना का उद्देश्य क्या है ;

(ख) क्या सभी राज्यों ने ऐसी समितियां स्थापित कर ली हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को ऐसी समितियां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) कार्रवाई योजना (पी.ओ.ए). 1992 में शिक्षा प्रक्रिया में ग्राम समुदाय को शामिल करने के विचार से शिक्षा की विकेन्द्रीकृत आयोजना और प्रबंधन के लिए ग्राम शिक्षा समितियां (वी.ई.सी.) स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। भारत सरकार ग्राम शिक्षा समितियां गठित करने सहित कार्रवाई योजना, 1992 के प्रावधानों को यथाशीघ्र कार्यरूप प्रदान करने के लिए राज्यों से अनुरोध करती आँ रही है। बिहार, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में ग्राम शिक्षा समितियाँ गठित की जा चुकी हैं जबकि अन्य राज्यों में ग्राम शिक्षा समितियां गठित करने की प्रक्रिया जारी है।

[हिन्दी]

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कथित अनियमितताएं

3150. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रकाश में आयी अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

कायमकुलम तथा पोन्नानी मत्स्यन पत्तन

3151. **श्री पी.सी. चाक्को :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार को कायमकुलम तथा पोन्नानी मत्स्यन पत्तनों के संबंध में एक परियोजना रिपोर्ट भेजी थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अप्रैल, 1994 मे रिपोर्ट का लागत संशोधन भी कर लिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या व्यय संबंधी वित्त समिति तथा सी.आई.सी.ई.एफ. द्वार उठाये गये मुद्दों पर कतिपय स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं।

(च) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है ;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके लिये क्या शर्तें रखी गई हैं ; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) **कायमकुलम**

कायमुकुलम में 495.00 लाख रु. की लागत से मत्स्य पत्तन की स्थापना के लिए शुरू में फरवरी, 1994 में एक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस परियोजना में तरंगरोधों (ब्रेकवाटर) तलमार्जन व भूमि–सुधार, घाट, नीलामी हाल, वेटब्रिजों, प्रशासनिक भवन, हरित–पट्टी, विद्युत तथा जल आपूर्ति आदि जैसी सुविधाओं के निर्माण का प्रावधान किया गया था।

पोन्नानी :

पोन्नानी में 610.00 लाख रु. की लागत से मत्स्य पत्तन की स्थापना के लिए शुरू में मई, 1991 में एक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस परियोजना में तरंगरोध (ब्रेकवाटर) जहाजी घाट, नीलामी हाल, मरम्मत शेड, स्लोपिंग हार्ड, प्रशासनिक भवन, विद्युत व जल–आपूर्ति आदि जैसी सुविधाओं के निर्माण का प्रावधान किया गया था।

(ग) और (घ) : **कायमकुलम**

राज्य सरकार ने 645.00 लाख रु. की लागत की संशोधित परियोजना रिपोर्ट अप्रैल, 1994 में प्रस्तुत की।

पोन्नानी :

राज्य सरकार ने 860.00 लाख रु. की लागत की संशोधित परियोजना रिपोर्ट अगस्त, 1993 में प्रस्तुत की।

(ङ) से (छ) तक : **कायमकुलम**

स्पष्टीकरणों के आधार पर इस परियोजना को व्यय–वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सरकार ने केवल कायमकुलम मत्स्य परियोजना को 624.60 लाख रुपये की लागत पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित किया है :

(1) केरल सरकार भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजना तथा परिव्यय के अनुसार निर्माण कार्य करेगी।

(2) राज्य सरकार इस प्रशासनिक अनुमोदन की तारीख से चार वर्षों की अनुमानित अवधि के दौरान परियोजना का काम पूरा करेगी।

(3) निर्माण की लागत मंजूर की गई धनराशि में समायोजित की जायेगी। यदि मंजूर किये गये लागत प्राक्कलन के अलावा कोई लागत वृद्धि होती है तो उसका वहन पूरी तरह से केरल सरकार द्वारा किया जायेगा।

(4) राज्य सरकार सुविधाओं के उपयोग तथा मत्स्य–पत्तन की देखभाल के लिए राज्य सरकार की लागत पर पर्याप्त व्यवस्था करेगी।

(5) केरल सरकार प्रत्येक माह प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करेगी जिसमें कार्य की मद, काम की अनुमानित मात्रा, उस महीने में वास्तविक प्रगति तथा वित्तीय व भौतिक लक्ष्यों के मामले में इन मानों के कुल प्रगामी ब्यौरे का उल्लेख होगा।

(6) इसमें भूमि की प्राप्ति निहित होने की वजह से केरल सरकार द्वारा अपनी लागत पर भूमि प्राप्त की जायेगी और इस प्रशासनिक अनुमोदन को जारी किये जाने की तारीख से दो वर्षों के अंतर्गत इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिये बिना किसी प्रभार के उपलब्ध कराई जायेगी। ऐसा नहीं होने की स्थिति में प्रशासनिक अनुमोदन को स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। राज्य सरकार द्वारा बिना किसी प्रभार के भूमि उपलब्ध करा देने के पश्चात ही धनराशि दी जायेगी।

(7) राज्य सरकार वास्तविक निर्माण कार्य शुरू करने के पहले पर्यावरण की दृष्टि से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करेगी।

(8) राज्य सरकार पत्तन की निर्माण अवधि के दौरान राज्य सरकार की देनदारी का निर्वाह करने के लिए आवश्यक बजटीय प्रावधान करेगी।

पोन्नानी – पत्तन की रूपरेखा तथा अभिकल्पना के संबंध में केन्द्रीय तटवर्ती मातस्यकी अभियन्त्रण संस्थान, बंगलौर के तकनीकी सुझावों को राज्य सरकार द्वारा संशोधित प्रस्ताव में अभी तक शामिल नहीं किया गया है।

(ज) कायमकुलम :

मत्स्य पत्तन परियोजना 624.60 लाख रुपये की लागत से अनुमोदित कर दी गई है।

पोन्नानी : केन्द्रीय तटवर्ती मात्स्यिकी अभियन्त्रण संस्थान, बंगलौर द्वारा दिये गये तकनीकी सुझावों के अनुसार राज्य सरकार से विधिवत अशोधित संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात ही इस प्रस्ताव की आगे जांच की जा सकती है।

समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत खाद्य वस्तुओं की खरीद

3152. श्री जीवन शर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत बच्चों को आहार के लिए खाद्य वस्तुओं की खरीद करती है ;

(ख) यदि हां, तो समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत बच्चों के आहार के लिए खरीदी जाने वाली खाद्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और गत एक वर्ष के दौरान उन्हें बच्चों में किस अनुपात में वितरित किया गया ;

(ग) ये वस्तुएं किन स्रोतों से खरीदी जाती हैं और इन वस्तुओं की खरीद करने में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है ;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन खाद्य वस्तुओं के कितने नमूनों की जांच की गयी और उनमें से कितने नमूने मिलावटी अथवा घटिया पाये गये ; और

(ङ) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत वर्ष 1993-94 में और चालू वर्ष में दिल्ली में खाद्य पदार्थों की खरीद के स्रोत अनुलग्नक "क" में दिए गए हैं। समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत खाद्य पदार्थों की खरीद के लिए दिल्ली प्रशासन प्रमुख समाचार पत्रों में निविदा सूचना प्रकाशित कराता है। निविदा सूचना के प्रत्युत्तर, में प्राप्त कोटेशनों की क्रय समिति द्वारा जांच की जाती है। तत्पश्चात, वैद्य पाई गई निविदाओं के नमूने कृषि भवन स्थित सरकार प्रयोगशाला में रासायनिक विश्लेषण हेतु भेज दिए जाते हैं। परीक्षण की संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर, दरों की जांच की जाती है और टेंडर दिए जाते हैं।

(घ) वर्ष 1993-94 के दौरान विश्लेषण हेतु भेजे गए 58 नमूनों में से केवल एक नमूने को निविदा की अपेक्षाओं के हिसाब से संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके अलावा, चालू वर्ष में आज तक मंगाए गए 13 नमूनों में से किसी भी नमूने को निम्न स्तरीय नहीं पाया गया।

(ङ) एक मामले में, जिसकी रिपोर्ट संतोषजनक नहीं थी, ठेका रद्द कर दिया गया और जमानत की राशि जब्त कर ली गई।

विवरण

समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत खरीदे गए खाद्य पदार्थों के इकट्ठे किए गए नमूनों का ब्यौरा

क्र.सं.	वस्तु का नाम	आपूर्तिकर्ता	मात्रा/बच्चा/दिवस सामान्य और अल्प कुपोषित	अत्याधिक कुपोषित	एकत्रित कुल नमूने	निम्नस्तरीय मिलावटी पाए गए नमूनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1993-94						
1.	फ्रूटी ब्रेड	मै. चांद फैब.	88 ग्राम	120 ग्राम	15	-
2.	बिस्किट (मीठे)	मै. सुपर बाजार	52 ग्राम	70 ग्राम	24	-
3.	रस्क	मै. मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज	58 ग्राम	79 ग्राम	14	-
4.	भुना चना	मै. लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी	69 ग्राम	93 ग्राम	05	1
1994-95						
1.	फ्रूटी ब्रेड	मै. चांद फैब.	107 ग्राम	120 ग्राम	04	-
2.	बिस्किट (मीठे)	मै. सुपर बाजार	55 ग्राम	74 ग्राम	05	-
3.	विस्किट (नमकीन)	मैं. सुपर बाजार	54 ग्राम	74 ग्राम	03	-
4.	विस्किट (नमकीन)	मै. डी.एस.आई.डी.सी.			03	-

अभिभावक-अध्यापक संघ

3153. श्री मुही राम सैकिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के केन्द्रीय विद्यालयों में अभिभावक–अध्यापक संघ बने हुए हैं ;

(ख यदि हां, तो क्या ये संघ विभिन्न उद्देश्यों हेतु अभिभावकों और गैर–अभिभावकों से धन इकट्ठा करते हैं ;

(ग) यदि हां, तो उक्त संघों वाले केन्द्रीय विद्यालयों का ब्यौरा क्या है और क्या इनके गलत ढ़ंग से कार्य करने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी अभिभावक–अध्यापक संघों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ङ) क्या केन्द्रीय संगठन ने केन्द्रीय विद्यालयों में अभिभावक–अध्यापक संघों के कार्यकरण के संबंध में कोई दिशा–निर्देश तैयार किए हैं ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (च) यद्यपि केंद्रीय विद्यालय संगठन सामान्यतया अभिभावक शिक्षक संघ के कार्यकलापों को प्रोत्साहित करता है और अभिभावक शिक्षक संघ के जरिए अधिमानतः वस्तु रूप में अंशदान को प्रोत्साहित करता है, फिर भी इसने इस प्रकार के संघों के संबंध में कोई मानक गठन निर्धारित नहीं किया है। अतः विभिन्न स्कूलों में विभिन्न अभिभावक शिक्षक संघों के बारे में ब्यौरे संगठन में नहीं रखे जाते हैं।

केंद्रीय विद्यालय संगठन को अभिभावक शिक्षक संघों के कार्यकरण के बारे में शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों का दर्जा बढ़ाना

3154. श्री संदीपान भगवान थोरात : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों के कार्यकरण के बारे में कोई समीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों के शैक्षिक स्तर और अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए इन विद्यालयों का दर्जा बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कार्यों का अध्ययन करने के लिए एक समीक्षा समिति गठित की गई थी, जिसने जून, 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में प्राधिकृत समिति ने मार्च, 1989 में अपने विचार प्रस्तुत किए। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कार्यों और इसके प्रबन्ध की और सर्वांगपूर्ण समीक्षा करने के लिए सरकार ने केन्द्रीय उपमंत्री (शिक्षा और संस्कृति) की अध्यक्षता में अप्रैल, 94 में एक उच्च स्तरीय समीक्षा समिति भी गठित की है।

(ग) समीक्षा समिति की सिफारिशों का अनुसरण किया जा रहा है। केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारी तथा निकाय लगातार कार्यक्रमों को कार्यान्वित करते हैं तथा उनको मानिटर करते हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों में सेवा काल बढ़ाया जाना

3155. श्री मुही राम सैकिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के भर्ती नियमों में सेवानिवृत्ति के पश्चात् सहायक आयुक्तों के सेवा काल को बढ़ाए जाने संबंधी कोई प्रावधान है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आज तक इसके अन्तर्गत कितने लोग लाभान्वित हुए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) जी, हां। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि उनके कर्मचारियों के लिए योग्यता के आधार पर सेवानिवृत्ति के पश्चात् सेवा अवधि बढ़ाए जाने का प्रावधान है।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान, सहायक आयुक्त श्री बी.के. निगम तथा डा. के.के.झा. को उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् क्रमशः 3 माह तथा 10 माह के लिए सेवा अवधि बढ़ाई गई थी।

वाहनों से निकलने वाले धुएं संबंधी कठोर मानक

3156. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी प्रकार के वाहनों के लिए उनसे निकलने वाले धुएं संबंधी और अधिक कठोर मानक/मानदण्ड अधिसूचित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या वाहनों के निर्माता इन उपायों का विरोध कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने और क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) आंकड़ा संग्रहण और मोटर वाहनों के यातायात के कारण होने वाले प्रदूषण, उपलब्ध और व्यवहार्य प्रौद्योगिकी विकल्पों के मूल्यांकन के आधार पर तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा व्यापक परामर्श पर पेट्रोल और डीज़ल से चलने वाले सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए निर्माण सतर पर 15 सितम्बर, 1993 के केन्द्रीय मोटर–वाहन नियमावली, 1989 में अधिक कठोर उत्सर्जन मानदण्ड अधिसूचित किए गए हैं।

(ग) जी, हां। सरकार का रविचार है कि निर्माताओं को अपने इंजन के डिजाइनों में सुधार

करना चाहिए ताकि वे कठोर उत्सर्जन मानकों के अनुरूप हों क्योंकि ऐसा करना परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जरूरी है।

(घ) मोटर–गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं ;

(1) केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के अंतर्गत पेट्रोल और डीजल से चलने वाले सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए ठोस और द्रव्य उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं और इन्हें 1 जनवरी, 1990 से कार्यान्वित किया जा रहा है। निर्माण स्तर पर वाहनों के लिए अधिक कठोर मानदण्ड 1.4.1996 से सम्पूर्ण देश में लागू हो जाएंगे।

(2) विभिन्न राज्य परिवहन प्राधिकरणों से कहा गया है कि वे सड़क पर चलने वाले वाहनों के लिए निर्धारित मानकों को लागू करें।

(3) वाहन प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधी खतरों तथा उत्सर्जन स्तरों को नीचे रखने के उपायों से संबंधित सांविधिक दण्डात्मक उपबंधों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए दिल्ली, जैसे शहरों के परिवहन विभागों द्वारा गहन जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

(4) विभिन्न सरकारी विभागों से कहा गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में वाहनों की नियमित जांच कराएं और मानकों को निर्धारित सीमाओं में रखने के लिए उपयुक्त उपाय करें।

(5) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित 290 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की स्थापना करके परिवेशी वायु गुणवत्ता के संबंध में सर्वेक्षण किए जाते हैं।

(6) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के बड़े शहरों और नगरों में मोटरगाड़ियों से होने वालो प्रदूषण के संबंध में 1986-87 में एक व्यापक सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों का प्रयोग बड़े शहरों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार करने के लिए किया गया है।

(7) नगर नियोजकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी योजनाओं में नगर परिवहन की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को शामिल करें।

(8) 1.4.1994 से चार महानगरों, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास को सप्लाई की गई गैसोलिन में प्रति लीटर सीसे की मात्रा 0.15 ग्राम प्रति लीटर तक कम की गई हैं और इसे 31.12.1994 तक देशभर में लागू किया जाएगा। गैसोलिन में सीसे की मात्रा में और कमी करने का प्रस्ताव है।

मानार्थ रेल पास

3157. श्री गुरु दास कामत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न वर्गों के लोगों को जारी किए गए मानार्थ रेल पासों को हाल ही में रद्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन पासों को रद्द किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रेलों द्वारा विभिन्न तंगियों का सामना करने के कारण प्रथम श्रेणी के 170 तथा द्वितीय श्रेणी के 15 मानार्थ कार्ड पासों को रद्द कर दिया गया है।

वाहनों द्वारा वायु प्रदूषण

3159. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये तथा पुराने वाहनों द्वारा फैलने वाले प्रदूषण के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को सड़क पर चलने वाले पुराने वाहनों से होने वाले उत्सर्जनों के संबंध में किए गए अध्ययनों की जानकारी है। ये अध्ययन विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र बंगलौर तथा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून द्वारा किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र का अध्ययन अपर्याप्त आंकड़ों पर आधारित है अतः इसके निष्कर्षों को वैज्ञानिक दृष्टि से वैध नहीं कहा जा सकता है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन से स्पष्ट पता चलता है कि उत्सर्जनों के बीच सहसंबंध के बारे में कोई सटीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है।

(ग) सड़क पर चलने वाले वाहनों से प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) केंद्रीय मोटर—वाहन नियमावली, 1989 के अंतर्गत सड़क पर चलने वाले पेट्रोल और डीजल के सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए ठोस—उत्सर्जन—मानदण्ड अधिसूचित किए गए हैं।

(2) विभिन्न राज्य परिवहन प्राधिकारियों को कहा गया है कि वे सड़क पर चलने वाले वाहनों के लिए निर्धारित मानकों को लागू करें।

(3) वाहन प्रदूषण, स्वास्थ्य खतरों तथा प्रदूषण स्तरों को नीचे रखने के उपायों से संबंधित सांविधिक दाण्डिक प्रावधानों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए दिल्ली जैसे शहरों के परिवहन विभागों द्वारा गहन—जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। इनमें प्राधिकृत सर्विस स्टेशनों में वाहनों की वार्षिक जांच जैसे इंजन ट्यूनिंग, कार्बूरेटर सफाई, अच्छी किस्म के ईंधनों एवं लुब्रिकेंटों आदि जैसे उपाय शामिल हैं।

(4) विभिन्न सरकारी विभागों से कहा गया है कि उनके प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले वाहनों की वे नियमित रूप से जांच कराए और निर्धारित सीमाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करें।

सूक्ष्म पोषक तत्व

3160. डा. वसंत पवार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूक्ष्म पोषक तत्व भी उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार उत्पादकों को कौन—कौन सी छूट देने का है ; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान देश में इन तत्वों की राज्यवार कुल कितनी खपत रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत यथाअधिसूचित सूक्ष्म पोषक तत्वों को उर्वरक माना जाता है।

(ख) सरकार के पास सूक्ष्म—पोषक—तत्व उर्वरक के विनिर्माताओं को सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) सूक्ष्म पोषक तत्व न तो मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं, न ही इसके उतार—चढ़ाव पर नियंत्रण है। अतएव, राज्यवार खपत के संबंध में किसी प्रकार के आँकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, परियोजना तथा विकास इन्डिया लिमिटेड द्वारा तैयार की गई मण्डी सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1991-92 के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की अनुमानित खपत का राज्यवार—ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(टन)

राज्य		जिंक सल्फेट	सेलेटेड जिंक	फेरस सल्फेट	सेलेटेड आयरन	सूक्ष्म पोष तत्व मिश्रण
1.	आन्ध्र प्रदेश	4200	75	-	25	1035
2.	असम	-	-	-	-	55
3.	बिहार	-	25	-	-	300
4.	गुजरात	3200	75	600	65	685
5.	हरियाणा	6500	-	-	-	-
6.	कर्नाटक	650	-	-	-	1625
7.	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	330
8.	महाराष्ट्र	650	85	1200	65	3620
9.	उड़ीसा	-	-	-	-	100
10.	पंजाब	22200	-	800	-	75
11.	राजस्थान	450	-	-	-	145
12.	तमिलनाडु	850	-	530	-	2945
13.	उत्तर प्रदेश	7300	45	250	-	848
14.	पश्चिम बंगाल	250	25	-	-	1040
15.	अन्य राज्य/संघ शाशित प्रदेश	2190	30	800	20	263

स्रोत-सूक्ष्म पोषक तत्व उर्वरक तथा उनके मिश्रण–परियोजना तथा विकास इन्डिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई मण्डी सर्वेक्षण रिपोर्ट

भूमि सुधार कानून

3161. श्री भोगेन्द्र झा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य–वार, सीमान्त, लघु, मध्यम और धनी किसानों की कृषि जोतों की कुल संख्या और प्रतिशतता के संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) फालतू भूमि के अधिग्रहण और वितरण को सुनिश्चित करने हेतु भूमि सुधार कानूनों के पूर्ण क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) कृषि संगणना, 1985-86 के अनुसार मुख्य आकार श्रेणियों, अर्थात सीमान्त, छोटे अर्द्ध मध्यम, मध्यम तथा बड़े आकार द्वारा भारत में सभी सामाजिक समूहों की प्रचालानात्मक जोतों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। जहां तक धनी किसानों का प्रश्न है, कृषि संगणना में ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है।

(ख) विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

मुख्य आकार वर्गों के अनुसार भारत में सभी सामाजिक वर्गों के इस्तेमाल के अधीन जोतों की राज्य–वार संख्या, 1985-86

(संख्या हजार में)

क्र. सं.	राज्य	सीमान्त	छोटे	अर्ध–मध्यम	मध्यम	बड़े	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	4461	1714	1254	657	146	8231
		(54.2)	(20.8)	(15.2)	(8.0)	(1.8)	(100.0)
2.	अरूणाचल प्रदेश	11	16	27	23	5	85
		(16.5)	(18.8)	(31.8)	(27.1)	(5.8)	(100.0)
3.	असम	1451	546	324	92	6	2419
		(60.0)	(22.6)	(13.4)	(3.8)	(0.2)	(100.0)
4.	बिहार	8976	4327	951	401	52	11711
		(76.7)	(11.3)	(8.2)	(3.4)	(0.1)	(100.00)
5.	गोवा	58	10	5	2	1	76
		(76.3)	(13.2)	(6.6)	(2.6)	(1.3)	(100.00)
6.	गुजरात	801	737	785	678	145	3145
		(25.5)	(23.4)	(25.0)	(21.6)	(4.5)	(100.0)
7.	हरियाणा	502	265	281	239	60	1317
		(37.3)	(19.7)	(20.9)	(17.7)	(4.4)	(100.0)

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हिमाचल प्रदेश	463	155	92	36	6	753
		(61.6)	(20.6)	(12.1)	(1.8)	(0.8)	(100.0)
9.	जम्मू और कश्मीर	875	187	98	23	1	1185
		(73.9)	(15.8)	(8.3)	(1.9)	(0.1)	(100.0)
10.	कर्नाटक	1702	1293	1035	616	153	4919
		(36.4)	(26.3)	(21.0)	(13.1)	(3.2)	(100.0)
11.	केरल	3993	282	104	25	4	4408
		(90.6)	(6.4)	(2.4)	(0.6)	(-)	(100.0)
12.	मध्य प्रदेश	2733	1613	1593	1292	373	7603
		(35.9)	(21.2)	(21.0)	(17.0)	(4.9)	(100.0)
13.	महाराष्ट्र	2488	2101	1957	1317	236	8101
		(30.7)	(26.9)	(24.2)	(16.3)	(2.8)	(100.0)
14.	मणिपुर	67	48	21	3	Neg.	140
		(47.9)	(34.3)	(15.0)	(2.1)		(100.0)
15.	मिजोरम	21	19	11	1	Neg.	52
		(40.4)	(36.5)	(21.2)	(1.9)		(100.0)
16.	मेघालय	59	51	46	13	1	171
		(34.7)	(30.0)	(27.1)	(7.6)	(0.6)	(100.0)
17.	नागालैंड	8	19	19	12	36	125
		(6.5)	(15.3)	(15.3)	(33.2)	(29.0)	(100.0)
18.	उड़ीसा	1868	910	583	201	21	3586
		(52.1)	(25.4)	(16.3)	(5.7)	(0.5)	(100.0)
19.	पंजाब	256	208	291	260	74	1088
		(23.5)	(19.1)	(26.7)	(23.9)	(6.8)	(100.0)
20.	राजस्थान	1358	920	979	986	501	4743
		(28.6)	(19.4)	(20.6)	(20.8)	(10.6)	(100.0)
21.	सिक्किम	13	10	9	5	1	38
		(34.2)	(26.3)	(23.7)	(13.2)	(2.6)	(100.0)

1 2	3	4	5	6	7	8
22. तमिलनाडु	5498	1260	649	261	39	7707
	(71.3)	(16.3)	(8.4)	(3.4)	(0.6)	(100.0)
23. त्रिपुरा	211	70	27	3	Neg	312
	(67.6)	(22.4)	(8.7)	(1.0)	(-)	(100.0)
24. उत्तर प्रदेश	13782	2961	1582	602	55	18985
	(72.6)	(15.6)	(8.3)	(3.2)	(0.3)	(100.0)
25. पश्चिम बंगाल	4343	1175	516	9	1	6130
	(70.8)	(19.2)	(8.4)	(1.6)	(-)	(100.0)
26. सभी संघ	57	16	13	8	1	95
शासित क्षेत्र	(60.0)	(16.8)	(13.8)	(8.4)	(1.0)	(100.0)
अखिल भारत	56147	17922	13252	7916	1918	97155
	(57.8)	(18.4)	(13.6)	(8.2)	(2.0)	(100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रतिशत को दर्शाते हैं।

पूर्णांकित करने के कारण हो सकता है कि जोड़ में मेल न खाएं।

2. विभिन्न भू सुधार कार्यक्रमों के लिए लक्ष्य निर्धारित करना संभव नहीं है। फिर भी बीस सूत्री कार्यक्रम की मद सं. 5 के तहत परिसीमन में आई अधिशेष भूमि के वितरण का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। पिछले वर्ष 1993-94 के लिए लक्ष्य 598563 एकड़ का निर्धारित किया गया था। 70887 एकड़ की उपलब्धि की सूचना मिली है।

3. भारत सरकार राज्यों में भूमि सुधारों के कार्यन्वयन की आवधिक रूप में समीक्षा करती हैं। नई दिल्ली में मार्च, 1992 में आयोजित राज्य राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में राज्यों ने परिसीमन में आई अधिशेष भूमि के वितरण के कार्य में तेज़ी ला दी है।

विवरण -II

1. भूमि राज्य का विषय है इसलिए भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। भारत सरकार केवल समन्वयात्मक और सलाहकार की भूमिका अदा करती है। फिर भी यह कहना सही नहीं है भूमि सुधार नियम सफल सिद्ध नहीं हुए हैं। इस क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। यह बात निम्नलिखित तथ्यों से परिपुष्ट होती है :

(क) देश के 40% भू क्षेत्रों से भी अधिक से संबंधों में 1950 के दशक में पूर्व अंतःवर्ती हितों को समाप्त करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया। इसके परिणामस्वरूप 20 मिलियन किसानों को राज्य के सीधे संपर्क में लाया गया। लगभग छह मिलियन हैक्टेयर बंजर परती तथा अन्य श्रेणी की भूमि राज्य के अंतर्गत है।

(ख) काश्तकारी सुधारों से लगभग 153.32 लाख एकड़ भूमि के संबंध में 112.13 लाख किसानों को स्वामित्व का अधिकार मिला है या बेदखली से उनकी रक्षा की है।

(ग) परिसीमन कार्यक्रम के अधीन 73.57 लाख एकड़ भूमि को अधिशेष के रूप में घोषित किया गया है जिसमें से 50.58 लाख एकड़ भूमि 48.88 लाख लाभनुभोगियों में वितरित की गई है जो मुख्यतः कमजोर वर्गों के हैं।

(घ) अधिकतर राज्यों में अनिवार्य आधार पर या स्वैच्छिक आधार पर जोतों की चकबन्दी के लिए विधान बनाया है जिससे 1528.76 लाख एकड़ भूमि की चकबन्दी हुई है।

(ङ) कई राज्यों में भूमि रिकार्ड को अद्यतन बनाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(च) भूमि रिकार्ड परियोजनाओं का कम्प्यूटरी करण शुरू किया गया है ताकि भूमिधारकों को शीघ्र तथा सस्ती दर पर उनके अधिकारों के रिकार्ड को अद्यतन प्रति प्राप्त हो सके। सब मिलकर 60 परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं पर हैं।

(छ) भूमि सुधार बहुआयामी कार्यक्रम है। राज्यों ने विभिन्न कार्यक्रमों में विभिन्न स्तरों तक सफलता प्राप्त की है।

2. विभिन्न भू सुधार कार्यक्रमों के लिए लक्ष्य निर्धारित करना संभव नहीं है। फिर भी बीस सूत्री कार्यक्रम की मद सं. 5 के तहत परिसीमन में आई अधिशेष भूमि के वितरण का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। पिछले वर्ष 1993-94 के लिए लक्ष्य 598563 एकड़ का निर्धारित किया गया था। 70889 एकड़ की उपलब्धि की सूचना मिली है।

3. भारत सरकार राज्यों में भूमि सुधारों के कार्यन्वयन की आवधिक रूप से समीक्षा करती है। नई दिल्ली में मार्च, 1992 में आयोजित राज्य राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में राज्यों ने परिसीमन में आई अधिशेष भूमि के वितरण के कार्य में तेजी ला दी है।

[हिन्दी]

मौसम संबंधी पूर्वानुमान प्रणाली

3162. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी क्षेत्र विशेष के मौसम की स्थिति का अनुमान लगा कर वहां वृद्धि और फसलों के उत्पादन का पूर्वानुमान लगाने संबंधी कोई प्रणाली तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 1993 तथा 1994 में अब तक कहां–कहां इस प्रणाली को अपनाया गया है और यह स्थान किन–किन फसलों के लिए उपयुक्त पाये गये तथा फसलों के उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ; और

(ग) इस प्रणाली को कब तक पूरे देश में अपनाया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) सरकार ने वर्षा और मौसम संबंधी पैरामीटरों के आधार पर फसलों की उत्पादकता और उत्पादन के बारे में भविष्यवाणी करने की एक पद्धति को विकसित करने के उद्देश्य से कुछ कार्यक्रमों को प्रायोगिक तौर पर अपनाया है।

(ख) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसंधान प्रभाग ने लवनपूर्व फसल की पैदा–वार के पहले मौसम का पूर्वानुमान लगाने के मांडलों का विकास किया है जिसके अंतर्गत खरीफ के चावल और रबी के गेंहू जैसी प्रमुख फसलों के लिए मौसम् को एक आदान माना गया है। पूर्वानुमान लगाने में काम आने वाले इन मांडलों के अंतर्गत मौसम संबंधी पैरामीटरों जैसे वर्षा, तापमान, सापेक्ष आर्द्रता तथा साथ ही साथ तकनीकी आदानों का स्वतंत्र पैरामीटरों के रूप में प्रयोग किया जाता है और फसल की उपज को आश्रित पैरामीटर माना जाता है। ये पूर्वानुमान मौसम विज्ञान उप मांड़लों पर आधारित होते हैं जो इन फसलों को उगाने के लिए महत्वपूर्ण है कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाले अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के फसल–मौसम अध्ययन एकक ने भी राष्ट्रीय स्तर पर खरीफ की प्रमुख फसलें चावल, ज्वार, बाजारा, मक्का के फसलोत्पादान के लिए पूर्वानुमान लगाने के लिए मांड़ल का विकास किया है। फसल की उपज के बारे में पूर्वानुमान लगाने से संबंधित मांड़ल का प्रयोग वर्षा और मौसम संबंधी परिस्थितियों में फसलों के संभावित उत्पादन के बारे में पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है। फसल की उपज से संबंधित पूर्वानुमान मांडल से उस फसल पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन इससे कृषि अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करने में मदद जरूर मिलती है। इस प्रकार इससे उत्पादन पर अप्रत्यक्ष लेकिन सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

(ग) फसल की उपज के बारे में पूर्वानुमान लगाने के वर्तमान मांडल अभी प्रायोगिक तौर पर ही काम कर रहे हैं। इस प्रणाली में प्रमुख उत्पादक राज्यों के केवल खरीफ की उन पूर्व फसलों को शामिल करने की संभावना है जिनपर वर्षा और मौसमी पैरामीटरों का प्रभाव पड़ता है।

12.00 मध्याह्न

श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ (कोल्हापुर) : महोदय, मैं गुजरात और राजस्थान में परिधान उद्योग के बारे में "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार के संबंध में एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहता हूं। अमरीकी सरकार स्कर्ट और घाघरे के आयात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है क्योंकि उनका यह मानना है कि ये परिधान अति ज्वलनशील हैं, यद्यपि दस लाख घाघरे अमरीका में पड़े हैं। यदि यह प्रतिबंध लागू हो जाता है तो हमारा परिधान उद्योग प्रभावित होगा।

12.01 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

यह जानकारी मिली है कि अमरीकी उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा आयोग ने इस पर प्रतिबंध इसलिए लगाया है क्योंकि उनका यह मानना है कि इन्हें पहनना खतरनाक है। आयोग ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे इन परिधानों को पहनना छोड़ दें और यदि इन परिधानों को अभी तक नहीं पहना हो तो आगे भी न पहनें। अंत में, उन्होंने यह भी कहा है कि अब तक इन परिधानों में आग लगने की कोई घटना नहीं हुई है। एक ओर तो वे इन परिधानों पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं और दूसरी ओर इन परिधानों में आग लगने की कोई घटना सामने नहीं आई है।

महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब उन्होंने इन परिधानों पर प्रतिबंध लगा दिया है तो क्या भारत सरकार इस संबंध में कुछ करने जा रही है। उन्हें अपने निर्णय को बदलना होगा क्योंकि यह मुक्त व्यापार के मूल सिद्धांत के विपरीत होगा और 'गैट' समझौते के आधारभूत सिद्धान्त का उल्लघंन होगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार को इस संबंध में कदम उठाने चाहिए और यह देखना चाहिए कि जो भी माल वहां पड़ा है उसे उपभोक्ताओं को बेचा जाए अन्यथा हमारे परिधान निर्माण उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जब रेयॉन से निर्मित सभी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया है तो भारत सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए तथा हमारे परिधान उद्योग की सहायता करनी चाहिए।

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इसी मुद्दे को उठाना चाहता हूं जिसे मेरे पूर्व वक्ता श्री गायकवाड़ ने उठाया है। अमरीकी उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा आयोग ने भारतीय रेयॉन स्कर्ट पर इस आधार पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है कि वे असुरक्षित हैं क्योंकि वे आग पकड़ सकती हैं। साथ ही, आयोग ने यह तथ्य भी स्वीकार किया है कि अब तक आग पकड़ने की कोई घटना सामने नहीं आई है। अतः महोदय, भारतीय रेयॉन स्कर्टों के आयात पर अमरीका द्वारा लगाया गया प्रतिबंध अत्यंत भेदभावपूर्ण है और इससे भारत को करोड़ों रुपये की हानि होगी और इसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी भी बढ़ेगी।

यह भी सूचना मिली है कि भारतीय परिधान निर्यात को भेजी जाने के लिए तैयार खेपों के लिए करोड़ों रुपये के शाख पत्र पहले ही खोले जा चुके हैं। अतः मैं वस्त्र मंत्रालय तथा वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि वे अमरीकी कार्यवाही का नीतिगत

उत्तर तैयार करें। भारत सरकार को अमरीकी अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु एक शिष्ट मंडल अविलम्ब अमरीका भेजना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अमरीकी परिधान आयात क्षेत्र को भी विश्वास में लिया जाना चाहिए ताकि भारतीय पक्ष पर बल दिया जा सके क्योंकि यह प्रतिबंध अमरीका जैसे कुछ देशों की इस मंशा को व्यक्त करता है कि वस्त्र के क्षेत्र में मुक्त व्यापार न चलने दिया जाए। यह एक गंभीर समस्या है और सरकार को इस पर अविलमब ध्यान देना चाहिए।

श्री के.टी. वाण्डायार (थंजावुर) : कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बारहों माह बहने वाली नदी है। जब मानसून सामान्य होता है तो पानी की कोई कमी नहीं होती है। केवल कम वर्षा वाले मौसम में पानी के बंटवारे पर विचार होता है। कम से कम उस समय कावेरी जल–विवाद न्यायाधिकरण के अंतरिम निर्णय को पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए।

तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल बंटवारे संबंधी संवेदनशीन मुद्दे को पूरी तरह हल किया जाना चाहिए ओर जल संसाधन मंत्री को इस पर बातचीत और मध्यस्थता करनी चाहिए और कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों की बीच इसे सौहार्दपूर्वक सुलझाया जाना चाहिए। दोनों ही राज्यों की भावनाओं का सम्मान करते हुए और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बिना किसी बल प्रयोग अथवा दवाब के दोनों पक्षों की सहमति से समझौता किया जाना चाहिए।

*** श्री वी.एस. विजयराघवन (पालघाट)** : मैं सभा का ध्यान कुछ मलयालम समाचार पत्रों में प्रकाशित एक चिंताजनक समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं।

मदर टेरेसा पूरे विश्व में सम्माननीय है। गरीबों की सेवा के लिए उन्हें नोबल पुरस्कार एवं भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। राजस्थान सरकार के कुछ मंत्रियों ने इस महान मानवतावादी के राजस्थान दौरे का विरोध किया है। मदर टेरेसा ने राजस्थान का दौरा करने का विचार महिला और बाल कल्याण मंत्री श्रीमती नरेन्द्र कंवर के आमंत्रण पर किया था। मदर टेरेसा ने कुष्ठ रोगियों तथा वृद्धों के लिए केन्द्र खोलने में सहायता देने का वायदा किया था। यद्यपि मंत्रियों ने उनके आने का विरोध इस कथित आधार पर किया है कि उनके दौरे से तथा इन क्षेत्रों में गतिविधियों से धर्म परिवर्तन होगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि मंत्रियों का यह कार्य धर्म निरपेक्षता के विरूद्ध है। मदर टेरेसा के राजस्थान दौरे के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया गया है। मंत्रियों के इस कृत्य की मैं भर्त्सना करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राजस्थान के मुख्यमंत्री को यह निर्देश दें कि वह मदर टेरेसा को राज्य में दौरे पर आने तथा अपने मिशन को अंजाम देने की अनुमति दें।

प्रो. के.वी. थामस (एरणाकुलम) : मैं श्री विजयराघवन का समर्थन करता हूं। यह अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारी और प्रबंधन के बीच एक दीर्घकालिक समझौता हुआ है। प्रत्येक कर्मचारी को 500 से 1000 रुपये तक की अधिक राशि दी जा रही है। दो सप्ताह पहले प्रमुख पत्तनों के कर्मचारियों एवं प्रबंधन तथा जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के बीच एक समझौता हुआ है। ये अच्छे संकेत हैं। मैं समझता हूं कि वस्त्र मंत्रालय और इस्पात मंत्रालयों में भी इसी प्रकार के समझौते किए जाएंगे।

* मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[हिन्दी]

श्री सुबास चन्द्र नायक (कालाहण्डी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान उड़ीसा राज्य के लिए ग्रामीण विकास विभाग, केन्द्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले धन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। केन्द्र सरकार की ओर से इस मद में जो धन उड़ीसा सरकार को दिया जाता है वह चाहे जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत हो या अन्य किसी योजना के अंतर्गत, वह धन वहां खर्च नहीं होता है। जिस कार्य के लिए यहां से रुपया दिया जाता है, उस कार्य के लिए वह उड़ीसा में खर्च नहीं किया जाता है।

इस संबंध में मैंने अनेक बार ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्री रामेश्वर ठाकुर और माननीय प्रधान मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है और कहा है कि भारत सरकार द्वारा दिया गया पैसा उड़ीसा सरकार द्वारा सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, किन्तु बार–बार बोलने के बावजूद और लिखकर देने के बावजूद आज तक कुछ नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जवाहर रोजगार योजना और ग्रामीण विकास के अन्य कार्यक्रमों के लिए जो सहायता भारत सरकार की ओर से हमारी प्रदेश सरकार उड़ीसा को दी जा रही है उसकी उन्हीं कार्यों पर खर्च करने के लिए मैं आपके माध्यम से सदन में मांग करता हूं ताकि ग्रामीणों के विकास पर वह धन खर्च हो और ग्रामीण जनता उपकृत हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से आई.सी.डी.एस. का प्रोग्राम है। इसके अतंगर्त शिशु विकास के कार्य किए जाते हैं तथा आंगनवाड़ी कार्यक्रम चलाया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा गांवों में बच्चों के स्वास्थ्य से लेकर रहने और खाने की जो व्यवस्था करनी चाहिए, वह ठीक से नहीं हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र का कालाहांडी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उस क्षेत्र में ग्रामीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा करोड़ों रुपया भेजा गया है, लेकिन वह रुपया वहां ग्रामीणें के विकास पर बिल्कुल खर्च नहीं किया गया है। वहां पर जनता दल पार्टी की सरकार चल रही है। उसने प्रदेश में एक कानून बना दिया है कि जिस ठेकेदार की अनुसंशा विधायक करेगा सिर्फ उसी को ठेका मिलेगा। सांसद की अनुशंसा पर प्रदेश में किसी को कोई ठेका नहीं मिलेगा क्योंकि सांसद तो केन्द्र का होता है और विधायक प्रदेश का। इसलिए सांसद का कोई ताल्लुक नहीं है।

इसी संबंध में मैं यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि जब कोई शिकायत हमें आम जनता की ओर से प्राप्त होती है और उसको यदि हम आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेजने हैं। तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज तो वहां यह स्थिति है कि केन्द्र के पैसे को भी सांसद की अनुशंसा पर खर्च नहीं किया जाता है। वहां पर विधायक सांसद से ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। उड़ीसा सरकार का सांसदों के प्रति ऐसा व्यवहार कदापि उचित नहीं है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सांसदों को भी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका देना चाहिए जिससे गांवों के विकास के कार्य जैसे कहीं रास्ते नहीं हैं वहां रास्ते बन सके, गांवों में जहां स्कूल नहीं हैं वहां स्कूल बन

सकें। यदि इन कार्यों के लिए सांसद लिखकर दें, तो उसकी अनुशंसा पर ये काम अवश्य होने चाहिए। ऐसे निर्देश प्रदेश सरकार को भारत सरकार की ओर से जांए, यही मेरा अनुरोध है। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार और अमरीका ने 30 सितम्बर, 1992 को तमिलनाडु में एड्स निवारण परियोजना शुरू करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। महोदय, यह एक करोड़ अमरीकी डालर का अनुदान है। भारत आर्थिक कठिनाईयों का सामना कर रहा है और इस स्थिति में अमरीका से एक करोड़ डालर की राशि 'एड्स' की रोकथाम के लिए प्राप्त हो रही है। हमें इस मौके का सदुपयोग करना चाहिए।

महोदय, इस परियोजना को अब तक स्वीकृति नहीं मिली है। अमरीका ने इस विलम्ब पर चिंता व्यक्त की है और यह संकेत दिया है कि यदि भारत सरकार और अधिक विलम्ब करेगी तो दी जाने वाली राशि का प्रस्ताव वापस ले लेगा।

महोदय, मैंने इस मुद्दे को दिनांक 4.5.94 को उठाया था और उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश दिया था कि वह इस मामले पर वक्तव्य दें। लेकिन मुझे खेद है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा कई अनुस्मारक दिए जाने और अमरीकी चेतावनियों के बावजूद भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को स्वीकृति नहीं दी है। यह दुःख की बात है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई वक्तव्य देने की कोशिश नहीं की है। यह भी भारत सरकार की कर्तव्य के प्रति लापरवाही है।

महोदय, मंत्री जी को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर वक्तव्य देने का पुनः निर्देश दिया जाए। बाईस महीने का यह अनावश्यक विलम्ब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लापरवाही बरतने और कार्यवाही न करने के कारण हमारा देश और विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य दस मिलियन अमरीकी डालर का अनुदान खो बैठेगा? हमें इस धनराशि का समुचित रूप से उपयोग करना चाहिए। इसलिए आप माननीय स्वास्थ्य मंत्री को इस पर वक्तव्य देने के लिए कहिए।

अन्य महत्वपूर्ण मामला, जो मैं उठाना चाहता हूं, इस प्रकार है कि हुबली, कर्नाटक में पांच लोग मारे गए हैं। यह घटना स्वतंत्रता दिवस के दिन हुई। राष्ट्रीय ध्वंजारोहण के अवसर पर गोली चलाने वाली घटना नहीं होनी चाहिए थी। स्वाभाविक ही यह सभा यह जानना चाहती है कि किन परिस्थितियों में गोली चलाई गई।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मैं भारत के किसानों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने देश के लिए रिकार्ड खाद्यान्न उत्पाद्न किया है।

कल माननीय प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में विशेष रूप से यह उल्लेख किया था कि देश में खाद्यान्नों के अधिक उत्पादन के उपयोग के लिए नई योजनाएं भी शुरू की जायेंगी। इसका यह आशय है कि भारत में होने वाले अधिक उत्पादन को निर्धन लोगों के उपयोगार्थ लगाया जायेगा और

उन लोगों को दिया जायेगा जिनके लिए यह अपेक्षित है। इस मामले में इस तरह का कदम उठाने के लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री और सरकार को बधाई देता हूं।

इस देश में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि होने के कारण गेंहू के मूल्यों को घटाने के लिए भी मैं, उनको बधाई देता हूं। मैं, इस सभा के माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह अन्य खाद्य सामग्रियों के मूल्यों के बारे में भी गम्भीरता पूर्वक विचार करें। चावल का ही उदाहरण ले लीजिए। चावल की खपत पूरे देश भर में होती है और विशेषतः कुछ राज्यों में चावल ही प्रमुख भोजन है। केरल एक ऐसा राज्य है जहां चावल की सांविधिक राशन प्रणाली प्रचलित है और सरकार के बार–बार बदलने के कारण राशन के चावल के मूल्यों में वृद्धि होती रही है। कुल मिलाकर राशन के चावल के मूल्यों में वृद्धि के लिए सरकार जिम्मेदार है। अतः, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार करें। चावल की कीमतों में भी कमी की जानी चाहिए ताकि चावल खाने वाले आम आदमी को थोड़ी राहत दी जा सके।

मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह चीनी के मूल्य से संबंधित मामले पर गम्भीरता पूर्वक विचार करें। माननीय खाद्य मंत्री भी यहां उपस्थित है। मेरी यह प्रार्थना है कि सरकार इस मामले पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहूंगा जिससे केरल का बहुत बड़ा हिस्सा, अर्थात मालावार क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। केरल के मालाबार क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के मामले में उपेक्षा की गई और इसके परिणामस्वरूप वहां लोगों को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है। केरल में 1480 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने वाले ग्यारह विद्युत उत्पादन केन्द्र में से मालावार क्षेत्र को 75 मैगावाट विद्युत उत्पादन करने वाला मात्र एक केन्द्र दिया गया है। मालावार क्षेत्र के लिए 600 मेगावाट से भी अधिक विद्युत की आवश्यकता है और उन्हें केवल 75 मेगावाट विद्युत प्रदान किया गया है। महोदय, डीजल द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले केन्द्रों की स्थापना जिसे 1989 में स्वीकृत किया गया था, के मामले में भी मालावार क्षेत्र, जो कि केरल के लगभग आधे क्षेत्र में फैला हुआ है, की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। महोदय, इसका तो केवल यही हल है कि केरल के मालावार क्षेत्र के सहायतार्थ एन.टी.पी.सी. आगे आए और इसके लिए ऊर्जा मंत्रालय द्वारा समुचित कदम उठाए जांए।

मेरे मित्र श्री नारायणन ने हुबली के बारे में उल्लेख किया है। महोदय, यदि किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने और हिंसा करने का प्रयास करेगा तो उसे समझाना चाहिए। देश भीषण साम्प्रदायिक दंगे में हुए नरसंहार को पहले ही देख चुका है। कुछ भी हो, मैं कर्नाटक राज्य सरकार को बधाई देता हूं जिसने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, आपका विषय केरल के मालावार क्षेत्र को एन.टी.पी.सी. की ओर से विद्युत आपूर्ति बढ़ाने के बारे में है।

श्री पी.सी. थामस : यह बात भी विद्युत के बारे में है।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : धन्यवाद, महोदय, हमारे देश में 'सेरोगेट मदर' अर्थात किराये की कोख के माध्यम से पहला बच्चा पैदा करने की परिकल्पना के लिए डा. कमला सेल्वराज सम्मान की पात्र हैं। जिस तरह से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए.आई.आई.एम.एस.) के डा. वेंणुगोपाल भारत में पहली बार हृदय प्रतिरोपण करने के लिए बधाई के पात्र हैं उसी तरह से यह महिला डाक्टर सुश्री कमला सेल्वराज भी हमारे देश की ओर से बधाई की पात्र हैं।

अतः, महोदय, मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से डा. कमला सेल्वराज को बधाई देती हूं। स्त्री रोग के क्षेत्र में उनकी सफलता से उन बिना बच्चों की महिलाओं को जो किसी एक अथवा अन्य कारण से गर्भ धारण नहीं कर सकती हैं, को वरदान मिला है।

इस क्रम में यदि किराये की कोख वाली माता यह मांग करती है कि बच्चा उसका अपना है तो इससे अनेक विधिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अतः, इस तरह की स्थिति से बचने के लिए यदि आवश्यकता हो तो हमें संविधान का संशोधन करना चाहिए।

अंततः मैं इस 'सरोगेट' माता को भी उसके शारीरिक और मानसिक त्याग के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री पी.सी. चाक्को (त्रिचूर) : महोदय, मैं सभा का ध्यान एक अत्यन्त गम्भीर मामले की ओर आकर्षित करता हूं। यहां ऐसी हालत है कि इस देश में कानून और विनियमों का घोर उल्लंघन हो रहा है और यह सरकार इन सभी बातों को मात्र मूक दर्शक बनकर देख रही है। विदेशों के वकीलों को हमारे न्यायालयों में वकालत करने की अनुमति दी जा रही है। मैं यह नहीं जानता कि क्या यह अंतर्राष्ट्रीयकरण का हिस्सा है। यहां तक कि सेवा क्षेत्र में भी देश के नियमों का उल्लघंन करते हुए विदेशियों को मुक्त रूप से लाइसेंस दिये जा रहे हैं। बीते दिन की ही बात है कि एक ब्रिटिश वकील को दिल्ली उच्च न्यायालय में बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी गई है।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अनुसार भारतीय न्यायालय में केवल उन्हीं अधिवक्ताओं को वकालत करने की अनुमति दी गई है जो बार ऐसोसिएशन अथवा बार कांउसिल में पंजीकरण कराया हो। किसी भी भारतीय वकील को युनाइटेड किंगडम अथवा अमरिका के किसी न्यायलय में पैरवी करने की अनुमति नहीं है। कोई विदेशी वकील बार एसोसिएशन अथवा बार कांउन्सिल में अपना पंजीकरण कराये बिना किसी भारतीय न्यायालय में वकालत कैसे कर सकता है और सरकार को इस प्रश्न का उत्तर देना होगा।

यदि भारतीय योग्यता प्राप्त डाक्टर अमरीका अथवा यूनाईटेड किंगडम जाते हैं तो वहां वे मरीज को दवाईयों के लिए कोई पर्ची नहीं लिख सकते, उन्हें संबंधित देशों में उनके चिकित्सकीय प्राधिकारियों द्वारा संचालित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है।

इस देश के नियमों और विनियमों का किसी व्यक्ति को चाहे वह कितना ही शक्तिशाली और प्रभावशाली क्यों न हो, उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जामी चाहिए।

विदेशी लेखा परीक्षा फर्में भारत में अपनी दुकानें खोल रही हैं। वे भारत में कार्य कैसे कर सकती हैं? क्या भारत सरकार इन विदेशी फर्मों को सेवा क्षेत्र में प्रवेश करके भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान करने जा रही है जिसमें विधि व्यवसाय भी शामिल है? यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। भारतीय बार कौंसिल ने इस पर घोर आपत्ति की है। इस मामले पर दिल्ली उच्च--न्यायालय की एक खण्डपीठ द्वारा गम्भीरता से विचार किया जा रहा है।

हम यह चाहते हैं कि भारत सरकार निर्भिक और खुलकर सामने आए तथा जो लोग यहां पर कार्य करने के लिए आये हैं उन्हें यह स्पष्ट करें कि वे इस देश के नियमों और विनियमों की अवज्ञा नहीं कर सकते। मैं आपके माध्यम से इस गम्भीर मामले की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री पी.सी. थामस : चूंकि यह एक गम्भीर मामला है, अतः इस पर माननीय विधि मंत्री एक वक्तव्य दें। वकालत यहां एक व्यवसाय है। प्रौद्योगिकी के आयात में निस्संदेह ही इस प्रकार के व्यवसाय के आयात की बात शामिल नहीं है। मेरे विचार से यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो गम्भीर बात होगी।

अतः मैं भी सरकार से यह आग्रह करने में श्री पी.सी. चाक्को से सहमत हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए। सरकार को इस संबंध में सभा के समक्ष वक्तव्य देना चाहिए। हम इस मामले के वास्तविक तथ्य जानना चाहेंगे।

रासायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में सज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : मैं सभा की भावनाओं से विधि मंत्री महोदय को अवगत करा दूंगा। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यही कारण है कि वे भावनाओं को इतनी जल्दी समझ गए हैं।

श्री पी.सी. थामस : हम इस प्रकार की बहस करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरीका और इंगलैंड नहीं जा सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले पर श्री पी.सी. चाक्को ने बहुत ही स्पष्ट ढ़ंग से प्रकाश डाला है। **(व्यवधान)**

श्री पी.सी. चाक्को : सरकार को इस मामले में एक पक्ष बनाना चाहिए **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय ने सभा में यह कह दिया है कि वे सभा की भावनाओं से विधि मंत्री को अवगत करा देंगे।

श्री उमराव सिंह (जालन्धर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे सुयोग्य प्रधान मंत्री महोदय को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर क्षेत्र को खाली करने संबंधी साहसिक वक्तव्य पर बधाई देना चाहूंगा। कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। उसका एक भाग पाकिस्तानी नियंत्रण

में हैं इसकी पूर्णतः उपेक्षा की गई है। वहां कभी चुनाव ही नहीं हुआ। वहां पर प्रजातंत्र नहीं है। वहां लोगों को अपने अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। यह हिस्सा पाकिस्तान ने अवैध रूप से रखा हुआ है।

अब भारत सरकार ने इस क्षेत्र को खाली करने हेतु पाकिस्तान को यह कहने का कदम उठाया है। हमें आशा है कि अंत तक इस मामले को उठाते रहेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि पूरा कश्मीर जोकि भारत का एक अभिन्न अंग है पाकिस्तान से मुक्त करा लिया जाए। यह हमारे देश का अंग है।

पाकिस्तान आंतकवादी गतिविधियों में संलिप्त होता रहा है और कश्मीर तथा पंजाब को अस्थिर करने के लिए देश में हथियार भेजना रहा है।

हम पाकिस्तान को विभिन्न मंचों के माध्यम से यह कहते हैं कि वह हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें किन्तु वे बाज नहीं आए बल्कि पाकिस्तान की प्रधान मंत्री हमारे आंतरिक मामले में खुले रूप से बोल रही है और हस्तक्षेप कर रही है। मुझे आशा है कि यह सभा प्रधानमंत्री महोदय की बात से सहमत हैं और इस साहसिक वक्तव्य के लिए उन्हें बधाई देती है।

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला पूरे राष्ट्र तथा प्रजातंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि सभा में पंजाबी भाषा का काई भी भाषान्तरकार नहीं है।

दो अथवा तीन वर्ष पूर्व यह मांग की गई थी कि यहां पर पंजाबी भाषा का एक भाषान्तरकार होना चाहिए जो अंग्रजी में भाषान्तरण कर सके, और बाद में उस समय जिस किसी अन्य भाषा की आवश्यकता हो उसमें भाषान्तरण किया जा सके।

आपके माध्यम से मैं माननीय अध्यक्ष महोदय और आपके भी ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि यहां पंजाबी भाषा का भाषान्तरण होना चाहिए जिससे पंजाब तथा हरियाणा से मेरे साथी जो पंजाबी भाषा में कुछ मामले उठाना चाहें, तो उठा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात की जांच करूंगा कि नियमों में इस बात की अनुमति है अथवा नहीं।

श्री उमराव सिंह : इसके लिए नियम तो हैं। महोदय, हम किसी भी भारतीय भाषा का भाषान्तरकार रख सकते हैं। इस पर कोई रूकावट नहीं है।

श्री जगमीत सिंह बरार : महोदय, मुझे पता है कि इसके लिए नियम तो है। दिल्ली के 75 प्रतिशत लोग पंजाबी बोलते हैं।

उपाध्यक्ष महादेय : श्री बरार महोदय, यह एक ऐसा मामला हैं जिसे इस सभा में नहीं उठाया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री जगमीत सिंह बरार : महोदय, पंजाबी एक बहुत ही मीठी भाषा है।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं।

श्री ई. अहमद : किन्तु वे सभा में पंजाबी में नहीं बोल रहे हैं।

श्री जगमीत सिंह बरार : मैं तभी बोलूंगा जब यहां भाषान्तरकार उपलब्ध होगा। यदि मैं भाषान्तरकार के बिना ही पंजाबी में बोलूगां तो कोई भी समझ नहीं सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम स्थिति को देखगें।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जांए।

12.32 म.प.

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

कन्टेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिट्रेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : महोदय मैं कन्टेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए एल.टी. संख्या-6273/94]

भारतीय खाद्य निगम तथा खाद्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : महोदय मैं भारतीय खाद्य निगम तथा खाद्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए एल.टी. संख्या-6274/94]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : महोदय, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) दाल, खाद्य तिलहन और खाद्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 1994, जो 28 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 479 (अ) में प्रकाशित हुआ है।

(2) का.आ. 489 (अ), जो 30 जून, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय निगमों तथा सहकारी समितियों को अधिसूचना में उल्लिखित सीमा के अध्यधीन खाद्य तिलहनों और खाद्य तेलों की स्टॉक सीमा के प्रचालन से छूट देने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए एल.टी. संख्या-6275/94]

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, वारंगल तथा क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन लेखे तथा उनके कार्यकारण की समीक्षा, इत्यादि।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (i) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, वारंगल के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ii) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, वांरगल के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(iii) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, वांरगल के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए एल.टी. संख्या-6276/94]

(3) (i) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ii) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए एल.टी. संख्या-6277/94]

(5) (i) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कुरूक्षेत्र के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ii) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कुरूक्षेत्र के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए एल.टी. संख्या-6278/94]

(7) (i) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, हमीरपुर के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ii) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, हमीरपुर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए एल.टी. संख्या-6279/94]

(9) (i) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ii) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-6280/94]

(11) (i) मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ii) मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए एल.टी. संख्या-6281/94]

(13) (i) सरदार बल्लभ भाई क्षेत्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कालेज, सूरत के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ii) सरदार बल्लभ भाई क्षेत्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कालेज, सूरत के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए एल.टी. संख्या-6282/94]

(15) (i) मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ii) मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-6283/94]

(17) (क) (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-6284/94]

(ख) (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-6285/94]

(18) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी.-6286/94]

(ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर, के वर्ष 1992-93 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(19) उपर्युक्त (17) और (18) में उलिलखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-6287/94]

12.35 म. प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) दूरदर्शन द्वारा केरल के मालावार प्रदेश में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को पर्याप्त रूप में प्रसारित किये जाने की आवश्यकता

श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : महोदय, केरल के मालावार क्षेत्र में हो रही घटनाओं के प्रसारण हेतु त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन के क्षेत्रीय भाषा कार्यक्रम में पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है। मैं सरकार से त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन को अपने कार्यक्रमों में मालावार क्षेत्र में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के प्रसारण हेतु पर्याप्त समय देने के लिये निर्देश देने का अनुरोध करता हूं।

(दो) हिन्दुस्तान जिंक के अधिकारियों को खानों में विस्फोटों की तीव्रता को कम करने के निर्देश देने की आवश्यकता जिससे आसपास के क्षेत्रों में बने मकानों को होने वाले नुकसान को रोका जा सके ।

श्री शिवचरण माथुर (भीलवाड़ा) : महोदय, भीलवाड़ा जिले की गुलाबपुरा तहसील में रामपुरा–अगूचा क्षेत्र में सीसे एवं जिंक की खानें जब से चालू हुई हैं तभी से उन क्षेत्रों के लोग खानों में होने वाले विस्फोटों की तीव्रता के कारण घरों एवं सम्पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने की शिकायतें करते रहे हैं। इनसे, खानों के निकट स्थित भेरूखेड़ा ग्राम सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। इस गांव के लगभग 80 घरों में से लगभग सभी घरों में दरारें पड़ गई हैं और कुछ कच्चे मकान ढ़ह गए हैं। जिससे ग्रामवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हिन्दुस्तान जिंक प्राधिकरण ने इस गांव की सम्पूर्ण चरागाह को अपने आरक्षित खान क्षेत्रों के अधीन ले लिया है। इसके परिणाम स्वरूप गांव के मवेशियों के लिए कोई चारागाह नहीं बच गई है। हाल ही में, आठ दिन पहले खान क्षेत्र में तीव्र विस्फोट के कारण एक अन्य गांव अगूचा में उच्च विद्यालय भवन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जिंक सांद्र बनाने वाले कारखाने से निकलने वाले जहरीले पदार्थ को गांव के नाले में प्रवाहित कर दिया जाता है और इस जहरीले प्रदूषित जल को पीकर अनेक पशु मर गए हैं। आस पास के क्षेत्रों के लोगों की परेशानियां दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और हिन्दुस्तान जिंक प्रबंधन उन लोगों को कोई राहत प्रदान नहीं कर रहा है। लोग दुःखी हैं और इस क्षेत्र में अशांन्ति फैल रही है। जो एक बड़े उपद्रव का रूप ले सकती है जिससे कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।

अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने हेतु शीघ्र कार्यवाही करें तथा हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के अधिकारियों को खानों में विस्फोटों की तीव्रता को कम करने तथा उपचारात्मक कदम उठाने के लिए आदेश दें।

(तीन) देश में राष्ट्रीय शहरी सम्पर्क मार्गों के रखरखाव और मरम्मत कार्य प्रभारों में वृद्धि करने की आवश्यकता

श्री पी.सी. चाक्को (त्रिचूर) : महोदय, शहरी सम्पर्क मार्गों के रख रखाव हेतु सरकार द्वारा 16,000 रुपए प्रति किलो मीटर के दर से उपलब्ध कराई राशि अपर्याप्त है। शहरी सम्पर्क मार्गों को

चौड़ा करने एवं उनके रख रखाव का कार्य राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए तथा राज्य सरकार को इस कार्य की लागत का भुगतान किया जाना चाहिए। केरल में 100 किलोमीटर से अधिक शहरी सम्पर्क मार्ग हैं। इस समय शहरी सम्पर्क मार्गों की मरम्मत तथा उनके रखरखाव हेतु उपलब्ध कराई गई राशि अपर्याप्त है। इसलिए शहरी सम्पर्क मार्गों के रख रखाव एवं मरम्मत के लिए इस समय 16,000 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से उपलब्ध कराई जा रही राशि को कम से कम 25,000 रुपये प्रति किलोमीटर किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

(चार) मध्य प्रदेश में बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता।

श्री खेलन राम जांगड़े (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश का बिलासपुर रेलवे प्रबंधक कार्यालय पूरे देश के प्रबंधक कार्यालयों से अधिक आय कमाने वाला कार्यालय है और वहां पर सुविधायें काफी कम हैं। अगर सुविधायें और दी जायें, तो आय और हो सकती है। बिलासपुर का प्लेटफार्म आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, उसका विस्तार किया जाए और बिलासपुर के पास की ऊसलाहपुर रेलवे स्टेशन को टर्मिनल स्टेशन बनाया जाए, तो बिलासपुर रेलवे स्टेशन के दबाव को कम किया जा सकता है। दिल्ली एवं रायपुर से आने वाली गाड़ियों को जो कटनी लाइन से हो कर जाती हैं, को ऊसलाहपुर में ही रोका जाए, तो अच्छा रहेगा। बिलासपुर प्लेटफार्म के बाहर जो दुकानें हैं, उनको अन्य स्थानों पर वैकल्पिक स्थान दे कर उनको स्थापित किया जाए।

अतः मेरा केन्द्र से अनुरोध है कि जनहित में उक्त कार्य शीघ्र किया जाए।

[अनुवाद]

(पांच) कालीकट से जद्दाह, कुवैत, दोहा और बहरीन के लिए और अधिक उड़ानें शुरू करने की आवश्यकता।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : कालीकट हवाई अड्डे से खाड़ी के चार गंतव्य स्थानों अर्थात् शरजाह, दुबई, अबू धाबी तथा मस्कट के लिए 19 साप्ताहिक उड़ानें हैं। वर्तमान समय सारणी के अनुसार हमारे हवाई जहाज को बहुत कम उपयोग हो पा रहा है क्योंकि बम्बई, मद्रास या बंगलौर से चलने वाले हवाई जहाज कालीकट जाते हैं तथा वहां से फिर खाड़ी के गन्तव्य स्थानों पर पहुंचते हैं तथा वहां पर कई घंटों तक इंतजार करने के बाद ही अपने पूर्व स्थान बम्बई को वाया कालीकट लौट पाते हैं। यह खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों तथा हमारी वायुसेवा के हित में होगा यदि इंतजार की अवधि का उपयोग कुवैत, दोहा, बहरीन और जद्दाह जैसे स्थानों के लिए उड़ानें करके किया जायें। एतैव मैं नागर विमानन मंत्रालय से सऊदी अरब, कुवैत, कातार तथा बहरीन में रह रहे भारतीयों के इस आग्रह पर विचार करने के लिए अनुरोध करता हूं कि कालीकट हवाई अड्डे से जद्दाह, कुवैत दोहा और बहरीन के लिए इण्डियन एयर लाइन्स/एयर इंडिया की उड़ान सेवाएं चालू की जायें।

12.45 म. प०

अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल), 1994-95

तथा

अतिरिक्त अनुदानों की मांग (रेल), 1991-92-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) तथा अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) को परिचर्चा के लिए लेते हैं। इसके लिए निर्धारित समय तीन घंटे का था परन्तु हम अब तक नौ घंटे सोलह मिनट का समय पहले ही ले चुके हैं। हमारे पास सूची में अभी 10 नाम और हैं। अब श्री पी.सी. थामस बोलगें।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों (रेल) का समर्थन करता हूं।

जिन सदस्यों ने अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन किया है, उन्होंने यात्री सुविधाओं सहित अनेक बातें कहीं हैं। मैं माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें यात्री सुविधाओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। परन्तु, दुर्भाग्यवश गत वर्ष यद्यपि इसके लिए 60 करोड़ रुपये निश्चित किये गये थे जो कि पूरे देश को देखते हुए काफी कम राशि थी। लेकिन यह भी पूरी तरह खर्च नहीं की जा सकी। मुझे नहीं मालूम कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए निर्धारित राशि क्यों खर्च नहीं की जा सकी जबकि अन्य दूसरे कार्यों के लिए हम पर्याप्त धनराशि नहीं जुटा पाते। यह एक ऐसा मामला है जिस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए मेरी सरकार से अपील है तथा माननीय मंत्री के ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि 60 करोड़ रुपये की यह राशि यात्री सुविधाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आगे आने वाले वर्षों में हमें इसे बढ़ाना पड़ेगा और हमें यह भी देखना पड़ेगा कि समूची धनराशि का इस उद्देश्य के लिए समुचित उपयोग हो।

अब दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूं वह कुछ विकासात्मक कार्यों से संबधित है जिनकी घोषण की जा चुकी है और जो केरल में बस शुरू होने वाली हैं। अब मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री ने संसद में यह घोषणा की है कि कायमकुलम और पुनलूर लाइन का प्रारम्भिक सर्वेक्षण यातायात और अभियांत्रिकी संबंधी कार्य शुरू किया जायेगा। अन्य लोगों के साथ मैंने यह सुझाव दिया था कि इस लाइन के साथ–साथ दूसरी लाइन हेतु भी कार्य शुरू किया जाना चाहिए क्योंकि यह प्रस्तावित रेलवे हेतु अधिकतम राजस्व प्राप्त करवाने में सहायक होगा। अब कोचीन–अलवइ तथा मलवइ त्रिचूर क्षेत्र सचमुच में विकसित होते औद्योगिक क्षेत्र हैं और इस रेलवे द्वारा यहां से माल की ढुलाई करने की काफी संभावनाएं हैं। मैं समझता हूं कि जहां तक केरल राज्य का संबंध है रेल विभाग ने राज्य में माल–परिवहन द्वारा प्राप्त होने वाले राजस्व के बारे में एक गलत नजरिया अपनाया है। लेकिन मैं सोचता हूं कि आंकड़े सही नहीं हैं क्योंकि यदि रेलवे का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र जैसे कोचीन और दूसरे उपनगर से माल ढोने के लिए किया जाता है तो इस क्षेत्र से काफी ज्यादा सामान की ढुलाई होने की संभावनाएं हैं और इस लाइन को जो कि प्रारम्भिक सर्वेक्षण के बाद अंगमाली से वाया

मुवत्तुपुजा पाला तथा कंजिरपल्ली से होते हुए पेरूम्बुवुर से इरूमली तक जाने वाली प्रस्तावित कोट्टायम पुनलुर मार्ग को जो मंजूरी दी गई है उससे माल की ढुलाई से काफी राजस्व की प्राप्ति होगी। मेरे विचार से इस सर्वेक्षण में देर नहीं की जानी चाहिए और ऐसे सर्वेक्षण मैं जिसके लिए कोई धनराशि निर्धारित नहीं है पर काम की शुरूआत पर्याप्त धनराशि निर्धारित करके शुरू की जानी चाहिए।

अब तीसरा मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं वह केरल में शुरू किये जाने वाले अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य अर्थात उत्तर से दक्षिण तक समूचे केरल में रेलवे लाइनों के दोहरीकरण से संबंधित है। यह केवल इस सभा के सदस्यों का ही मत नहीं है बल्कि राज्य सरकार और उन सभी का है जो रेलवे में आते हैं और इसलिए रेल मंत्रालय ने इस संबंध में कुछ कार्यों की घोषणा की है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि वास्तव में काम नहीं चल रहा है तथा कुछ ऐसी रिपोर्ट आई हैं जिनका पहले जिक्र किया गया है और जिसमें मलयालम अखबारों में तथा इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्रों में छपी कुछ खबरें भी सम्मिलित हैं जिनके अनुसार कुछ पटरियां जो कायमकुलम क्विलोन मार्ग या कायकुलम त्रिवेन्द्रम मार्ग या क्विलोन त्रिवेन्द्रम मार्ग के निकट रखी गई थी उन्हें उठा लिया गया है। इसने लोगों तथा संघों और सदस्यों जिन्होंने वास्तव में इस संबंध में प्रतिक्रिया व्यक्त की है, के मन में यह आशंका उत्पन्न हो गई है। तथा जिसके लिए हमने मंत्रालय तथा मंत्री के पास ज्ञापन भेजे थे और हमें बताया गया था कि इस प्रकार से कोई पटरियां नहीं उठाई गई हैं। हमें यह स्पष्टीकरण दिया गया था कि वास्तव में जो हटाई गई थीं वे पुरानी पटरियां थीं जिसे उस क्षेत्र से हटाना ही था। मेरे विचार से यदि यह बात सही है तो स्पष्ट रूप से मंत्रालय की ओर से बयान दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे समाचार हैं कि इन वर्षों के दौरान उस क्षेत्र से पुरानी पटरियों को किसी दूसरी जगह नहीं भेजा गया था बल्कि वहीं पर नीलाम कर दी गई थीं। अतः यह ऐसा मुद्दा है जिसमें हम मंत्री द्वारा संसद में दिए जाने वाले जवाब के माध्यम से स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहेंगें।

अब मैं ऐसी अन्य बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा जिन पर अन्य संसद सदस्य बोल चुके हैं, लेकिन एक या दो मिनट का समय मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए लेना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए निर्धारित समय केवल तीन घंटे का है और हमने अब तक ही केवल नौ घंटे सोलह मिनट ले लिया है और अभी भी कुछ नाम बाकी हैं। अतएव, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप केवल पांच मिनट ही बोलें। हमें इस कार्य को बहुत पहले ही पूरा कर लेना चाहिए था। कृपया अनुग्रहीत करें।

श्री पी.सी. थामस : महोदय, मैं केवल एक मिनट का समय अपने निर्वाचन क्षेत्र की एक या दो बातें उठाने के लिए लेना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में केवल तीन स्टेशन हैं और उनमें से मुलुनाथुरूथी नाम एक स्टेशन है जिसे काफी विकासात्मक रूप से विकसित किया जा सकता है। अब एर्नाकुलम में काफी ज्यादा भीड़ होती है। मुलुनाथुर्थी कोचीन का एक उपनगर है। यदि यह स्टेशन विकसित किया जाता है तो कुछ ट्रेन यहां रुकने लगेगी। इसके परिणामस्वरूप शहर में भाड़े बढ़ने तथा कोचीन रेलवे स्टेशन पर बहुत अधिक भीड़ होने से बचा जा सकेगा।

अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बलंथुरथी रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियां नहीं रुकती हैं।

परन्तु रेलवे ने मेरे अनुरोध पर वहां एक रेलगाड़ी कन्नौर–त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस रोकने के लिए सकारात्मक कदम उठाया। लेकिन दुर्भाग्यवश यह गाड़ी बहुत देर रात को एक बजे आती थी। ऐसा परीक्षण के तौर पर किया गया था। जब तक कि लोगों को गाड़ी के आधी रात को वहां रुकने का पता चल पाया उन्होंने इसे यह कहकर बंद कर दिया कि यह लाभप्रद नहीं है। मैंने रेलमंत्री महोदय से अनुरोध किया कि दिन के समय इस स्टेशन पर एक–दो गाड़ी रोकी जाएं।

इस समय मैं इतना ही कहना चाहता हूं तथा समय के अभाव की वजह से यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको तीन मिनट का समय और दिया गया है। आप एक–दो बात और कह सकते हैं।

श्री पी.सी. थामस : पहले मुझसे कहा गया था कि समय नहीं है। इसलिए मैंने वे मुद्दे नहीं उठाए जो मैं उठाना चाहता था।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हमने पांच मिनट से बढ़ाकर दस मिनट का समय कर दिया है। इसलिए आपको पांच मिनट का समय और दिया जाता है।

श्री पी.सी. थामस : मैं केवल एक मिनट का समय और लूंगा, क्योंकि अनेक मुद्दों पर पहले ही चर्चा हो चुकी है इसलिए मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं।

यद्यपि पिरवम रोड स्टेशन श्री रमेश चेन्नित्तला के निर्वाचन क्षेत्र में आता है, परन्तु इससे मेरे निर्वाचन क्षेत्र की आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं। वहां हिन्दुस्थान न्यूजप्रिंट नामक एक फैक्टरी है, जिसको अखबारी कागज के उत्पादन में काफी लाभ हो रहा है। इस फैक्टरी में समूचे भारत के प्रान्तों से आए श्रमिक कार्यरत हैं, और हम इसे इसलिए लघु भारत भी कहते हैं, क्योंकि यहां भारत के सभी भागों के श्रमिकों के परिवार रहते हैं। यह स्टेशन उनके निवास स्थान से एक किलोमीटर से कम दूरी पर है। यह स्टेशन कोट्टायम और एर्णाकुलम के बीच है। यह बिल्कुल बीचों बीच है, इसलिए यहां कम से कम मद्रास एक्सप्रेस को, जो कि एक महत्वपूर्ण गाड़ी है। और इस क्षेत्र के यात्रियों को मद्रास तक ले जाती हैं, रोका जा सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि पिरवम स्टेशन पर मद्रास मेल के स्टॉप की व्यवस्था की जाए।

अब हम केरल में विद्युतीकरण की चर्चा करते हैं। केरल में रेलवे के विकास के बिना प्रगति नहीं हो रही है। परन्तु इसके लिए बहुत कम धनराशि आवंटित की जाती है। गत वर्ष इस प्रयोजनार्थ 16 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई थी। इस वर्ष भी 16 करोड़ रुपये मंजूर किए गये हैं। तथापि इस कार्य में प्रगति नहीं हो रही है, क्योंकि एरोड से एर्णाकुलम तक विद्युतीकरण के लिए अपेक्षित कुल धनराशि के दसवें भाग के बराबर धनराशि मंजूर की जाती है। जहां तक एरोड़ से एर्णाकुलम तक विद्युतीकरण का संबंध है, मेरा सरकार से अनुरोध है कि आगामी बजट में इस प्रयोजनार्थ अधिक धनराशि मंजूर की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इस वर्ष जो धनराशि मंजूर की गई है उसका समुचित उपयोग हो।

जहां तक क्विलोन–त्रिवेन्द्रम लाइन का संबंध है, हमने रेल मंत्री महोदय को इस संबंध में बता दिया है कि जो धनराशि मंजूर की गई है उसका अब तक उपयोग नहीं किया गया है। परन्तु मैं उन लोगों का समर्थन नहीं कर रहा हूं जो यह आरोप लगाते हैं कि यह धनराशि कर्नाटक में खर्च कर दी गई है। परन्तु मैंने **इंडियन एक्सप्रेस** में एक लेख पढ़ा है जिसमें यह बताया गया है कि हुबली लाइन के आमान परिवर्तन के लिए जो धनराशि मंजूर की गई थी, उसका अन्यत्र उपयोग कर दिया गया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसका केरल की जनता के दिमाग पर भारी प्रभाव पड़ा है और केरल के सभी सदस्यों के दिमाग में भी इससे शंका पैदा हो गई है। निस्संदेह हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि रेल मंत्री महोदय किसी राज्य के प्रति पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाते हैं, क्योंकि वह ऐसा न करने का प्रयास करते रहे हैं। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि केरल के लिए जो धनराशि दी गई है, उसका उपयोग नहीं हुआ है। समाचार पत्र में यह छपा है कि मंत्री महोदय ने इस धनराशि का उपयोग अपने गृहराज्य में अन्य कार्यों के लिए किया है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि इस बात को स्पष्ट करें और यह सुनिश्चित करें कि केरल के लिए जो धनराशि आवंटित की गई है, उसका तत्काल उपयोग किया जाए और कायमकुलम से त्रिवेन्द्रम तक रेल लाइन के दोहरीकरण को जो यहां के विकास कार्य का माध्यम है, शीघ्रतापूर्वक शुरू किया जाए और यह कार्य समय पर पूरा किया जाए ताकि यह महत्वपूर्ण परियोजना, जिसकी केरल को अति आवश्यकता है, पूरी की जा सके। जब इस रेल लाइन का दोहरीकरण कर दिया जाएगा केवल तभी हमें कोंकण रेलवे का जिसके लिए केरल ने 38 करोड़ रुपये दिए हैं, लाभ मिल पाएगा।

केरल एक ऐसा राज्य है जिसके पास किसी भी विकास कार्य के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है, लेकिन फिर भी केरल ने कोंकण रेलवे के लिए काफी धनराशि दी है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि शुरनूर से मंगलौर तक और कायमकुलम से त्रिवेन्द्रम तक रेल लाइन का दोहरीकरण कर दिया जाए और ये परियोजनाएं समय से पूरी की जायें ताकि हमें कोंकण रेलवे का लाभ मिल सके।

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने रेल मंत्री महोदय को कुछ नई गाड़ियां पंजाब से होकर अमृतसर और कुछ गाड़ियां जम्मू तक चलाने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं शताब्दी एक्सप्रेस का, जिसका उन्होंने पिछले सप्ताह 11 अगस्त को उद्घाटन किया था, और राजधानी एक्सप्रेस का, जो सप्ताह में एक बार निजामुद्दीन और जम्मू के बीच चलेगी, विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। ये दोनों प्रतिष्ठित एक्सप्रेस गाड़ियां हैं और कुछ अन्य गाड़ियां पंजाब में चलायी गई हैं। पंजाब धनी राज्य होने के कारण यहां के अधिकांश लोग यात्रा करना चाहते हैं। पंजाब में सामान्य स्थिति बहाल होने के बाद वहां के लोग दिल्ली तथा देश के अन्य भागों की और विदेशों की यात्राओं के बहुत उत्सुक हैं। इसलिए शताब्दी एक्सप्रेस, जो अमृतसर से शुरू की गई है, बहुत ही सफल और लोकप्रिय रेलगाड़ी सिद्ध होगी।

शताब्दी एक्सप्रेस के उद्घाटन के लिए रेल मंत्री महोदय अमृतसर गए थे। यद्यपि मैं वहां नहीं पहुंच सका था क्योंकि मैं जालंधर में था। परन्तु मैंने जालंधर और लुधियाना में भीड़ देखी थी। जनता ने इस पर अपनी जोरदार खुशी जाहिर की थी। इस रेल गाड़ी का अभिनंदन करने, इसे देखने

और रेल मंत्रालय तथा भारत सरकार द्वारा उठाए गये कदम की प्रशंसा करने के लिए हजारों लोग आए थे। पंजाब विशेषतः तीन नगरों अमृतसर, जालंधर और लुधियाना के लोग रेलमंत्री, रेलवे बोर्ड के अधिकारियों विशेषतः रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, श्री भटनागर के जिन्होंने हमारे अनुरोध को पूरा कराने में हमारा बड़ा सहयोग दिया, बड़े अभारी हैं।

पिछले बजट सत्र में हमने एक ज्ञापन दिया था। पंजाब के सभी संसद सदस्यों और हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा के कुछ संसद सदस्यों ने भी हमारा समर्थन किया था। मंत्री महोदय इससे सहमत हो गए और रेलगाड़ी शुरू कर दी गई।

मैं पंजाब की जनता की ओर से इसकी प्रशंसा करता हूं और रेल मंत्री के प्रति अभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, हमारी सभी शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां प्रतिष्ठित हैं और इसके प्रति जनता का विशेष आकर्षण है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि यह रेलगाड़ी स्वर्ण मंदिर के नाम पर सर्मिपत की जाए। स्वर्ण मंदिर केवल पंजाब में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में और विश्व में पवित्र स्थान है। देश और विश्व के सभी भागों से लोग स्वर्ण मंदिर देखने आते हैं। यह केवल सिखों के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी पवित्र स्थान है। इसकी नींव मुस्लिम संत, मियां मीर ने रखी थी। यह सभी धर्मों के लिए खुला है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि यदि इस रेलगाड़ी को स्वर्ण मंदिर को समर्पित कर दिया जाए और इसका नाम इस मंदिर के नाम पर रख दिया जाए, तो बहुत अच्छी बात होगी। रेलगाड़ी में धूम्रपान की अनुमति न दी जाए, सिख गुरूद्वारा प्रबन्ध कमेटी और अन्य सिख संगठनों की यही मांग थी। इसीलिए अब तक स्वर्ण मंदिर के नाम पर कोई भी रेलगाड़ी नहीं चल रही है। यह रेलगाड़ी पूरी तरह वातानुकूलित है इसमें धूम्रपान की मनाही है। यदि रेल मंत्री महोदय, इस रेलगाड़ी को स्वर्णमंदिर का नाम दे दें तो बड़ी अच्छी बात होगी। इससे देश के विभिन्न भागों और विदेशों के अधिक से अधिक पर्यटक और श्रद्धालु आकर्षित होंगे।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं। दिल्ली में पालम में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन–टर्मिनल है। दिल्ली से आने–जाने वाली उड़ानों के दिल्ली आने वाले लोगों में कम से कम 30-40 प्रतिशत लोग पंजाब के होते हैं। रेल आरक्षण में उन्हें बड़ी कठिनाई होती है। रेलवे ने रेल आरक्षण प्रणाली का पूरी तरह कम्प्यूटरीकरण कर दिया है। यदि पालम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन टर्मिनल पर एक कम्प्यूटरीकृत रेल आरक्षण खोल दिया जाए, तो इससे उन लोगों को बड़ी सहायता मिलेगी जो बाहर से आते हैं और अमृतसर तथा पंजाब के अन्य स्थानों को देखना चाहते हैं। पहले वहां एक छोटा सा काउंटर था, जो सीमित ढ़ंग से कार्य कर रहा था। अब आरक्षण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के साथ ही इस विमानपत्तन पर एक समस्त सुविधा समान आरक्षण काउंटर खोला जा सकता है।

यदि रेल मंत्री बिदेशी मुद्रा चाहते ही हैं, तो मैं कहता हूं कि लोग विदेशी मुद्रा देकर टिकटें खरीदने के लिए तैयार हैं क्योंकि इससे वे काफी परेशानी से बच सकेंगे और वे लोग हवाई अड्डे से सीधे ही रेल स्टेशन जा सकते हैं और रेलगाड़ी पकड़ सकते है। मेरा सुझाव है कि विदेशी मुद्रा

का अर्जन करने के लिए यह एक अच्छा कार्यक्रम होगा। विदेशों से दिल्ली आने वाले लोगों के प्रति भी यह एक सद्भावना–प्रदर्शन की बात होगी। यदि हवाई अड्डे पर ही आरक्षण कारंटर हो, तो यह न केवल पंजाब के लोगों के लिए ही, बल्कि यह दिल्ली आने वाले और देश के विभिन्न भागों को जाने वाले अन्य बहुत से लोगों के लिए भी एक लाभदायक बात होगी। उन्हें वापसी–यात्रा संबंधी सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं।

मैं राजधानी एक्सप्रेस शुरू करने के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। लेकिन अब यह सप्ताह में एक बार चल रही है। हम लोगों को जम्मू कश्मीर की यात्रा के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठा रहे हैं और विश्व को यह दिखाने के लिए कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, हम सभी प्रयास कर रहे हैं। अतः मेरा यह सुझाव है कि इस गाड़ी को सप्ताह में दो बार चलाया जाये, तो इस क्षेत्र के लोग इस सुविधा का अधिक बेहतर ढ़ंग से उपयोग कर सकेंगें।

मेरा यह सुझाव भी है कि इस गाड़ी को जालंधर कैंट में भी रोका जाना चाहिए। जालंधर पंजाब का एक महत्वपूर्ण शहर है। जालंधर होशियारपुर और कपूरथला जैसे जिलों से लगता हुआ एक जिला है। विदेशों में बसे अधिसंख्यक पंजाबी इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। स्थानीय भाषा के सभी समाचार–पत्र जालंधर से ही प्रकाशित होते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि इस गाड़ी को जालंधर कैंट में –जालंधर शहर में नहीं– रोंके जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए, क्योंकि जांलधर कैंट रास्ते में पड़ता है। इससे गाड़ी की गति और इसके कुल यात्रा समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माननीय रेल मंत्री महोदय पंजाब के लोगों के प्रति बड़े सह्दय रहे हैं। मुझे आशा है कि वह इस अनुरोध को भी मान लेंगे।

महोदय, मैंने शताब्दी एक्सप्रेस शुरू होने वाले दिन यात्रा की थी और यह गाड़ी अमृतसर से दिल्ली पांच घंटे और पंद्रह मिनट में पहुंची थी।

1.00 म.प.

यह आगमन समय से 45 मिनट पूर्व पहुंच गई थी। मैं यह भी समझता हूं कि इस गाड़ी का दैनिक आगमन निर्धारित आगमन समय से 15 से 20 मिनट पूर्व होता है। अतः इस गाड़ी के गति समय में कमी करने और इसे निर्धारित समय से कुछ समय बाद शुरू करने की काफी गुंजाइश है मेरे विचार से जब सर्दी आएगी तो रेलवे कुछ अनुभव प्राप्त करने के पश्चात इस बात पर गौर करेगी क्योंकि इसे सफर के समय में कमी आयेगी। मुझे आशा है कि रेलवे इस पहलू पर विचार करेगी।

अगली बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं वह है हमारी राजधानी चंड़ीगढ़ को रेलवे से जोडने के संबंध में है। पंजाब ही एक ऐसा अभागा राज्य है जिसकी राजधानी सभी भागों से रेल से नहीं जुड़ी हुई है। राजपुरा में सर्वेक्षण हुआ है लुधियाना से भी मांग उठी है। कतिपय छोटी रेल लाइनों को बदलकर पहले ही बड़ी रेल लाइनें बना दिया गया है। चंड़ीगढ़ न केवल पंजाब की राजधानी ही है, बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है जहां पर अब काफी पर्यटक आते हैं। यह मुख्य लाइन से तभी जुड़ सकता है, जब चंड़ीगढ़ से लुधियाना को जोड़ दिया जाये। कतिपय गाड़ियां चंड़ीगढ़ से होकर जा सकती है और इससे पंजाब और इन लोगों को काफी मदद मिलेगी जो चंड़ीगढ़ की यात्रा

करना चाहते हैं। इससे न केवल 70 से 80 कि.मी. की दूरी कम हो जायेगी, बल्कि इससे लोगों को सुबह ही समय से चंड़ीगढ़ की यात्रा करने में काफी मदद मिलेगी। चंड़ीगढ़ की यात्रा करने वाले सभी यात्रियों, विशेषरूप से कार्यालयों और न्यायालयों में जाने वाले लोगों को बस से यात्रा करनी पड़ती है और उन्हें समय से अपने कार्यालयों में पहुंचने के लिए प्रात: जल्दी ही चंड़ीगढ़ के लिए चलना पड़ता है। मुझे आशा है कि रेल मंत्री सह्दयता पूर्वक इस पहलू पर गौर करेंगे, और इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष इसे रेल लाइन से जोड़ दिया जायेगा।

महोदय, गोइंदवाल को जोड़ने का कार्य पहले ही चल रहा है। गोइंदवाल पंजाब का एक पवित्रतम और एतिहासिक नगर है और इसे औद्योगिक नगर के रूप में विकसित किया जा रहा है। एक बड़ा सुपर ताप विद्युत संयंत्र यहां लगाया जा रहा है। मुझे आशा है कि यह लाइन शीघ्र ही पूरी हो जायेगी और तब गोइंदवाल कपूरथला से जुड़ जायेगा। इसके बाद अमृतसर जाने वाली कतिपय गाड़ियों इस लाइन से होकर जा सकती हैं और इससे कपूरथला को भी सहायता मिलेगी, जोकि एक सर्वोत्तम रेल कोच फैक्टरी का मुख्यालय है जिसने अद्यतन वातानुकूलित और अन्य कोच निर्मित किए हैं जिसने देश में रेल डिब्बों के निर्माण में क्रांति ला दी है। इससे कपूरथला भी जुड़ जायेगा।

महोदय, जैसाकि मैंने उल्लेख किया है कि विदेशों में बसे अधिकतर पंजाबी जालंधर के रहने वाले हैं। इसलिए वे लोग यहां अक्सर आते रहते हैं और सुनिश्चित आरक्षण भी चाहते हैं। यह तभी हो सकता है जब जालंधर आरक्षण कार्यालय को कम्प्युट्रीकृत कर दिया जाये। जालंधर आरक्षण कार्यालय का कम्प्युट्रीकरण करने का एक प्रस्ताव पहले से ही है। महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री को जालंधर आरक्षण कार्यालय का कम्प्युट्रीकरण करने का कार्य यथाशीघ्र शुरू करने का अनुरोध करता हूं। शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां शुरू करने के बाद जालंधर रेलवे आरक्षण कार्यालय के कम्प्युट्रीकरण का कार्य और भी महत्वपूर्ण हो गया है। जालंधर पंजाब का एक अति महत्त्वपूर्ण शहर है और इसलिए यहां पर रेलवे आरक्षण कार्यालय के कम्प्युट्रीकरण कार्य को शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जालंधर एक ऐसा महत्वपूर्ण शहर है जोकि पांच अथवा छह शहरों से रेल लाइनों से जुड़ा हुआ है। यह एक बड़ा जंक्शन है लेकिन दुर्भाग्य से यहां केवल दो ही प्लेटफार्म हैं। जालंधर से अधिक रेलगाड़ियों के गुजरने की बात को ध्यान में रखते हुए, तीसरे प्लेटफार्म का निर्माण और भी अनिवार्य और अवलिंबनीय हो गया है। मुझे आशा है कि तीसरा प्लेटफार्म शीघ्र बनाया जायेगा।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम अधिक गति से पहुंचने की कोशिश मे रहते हैं। मुझे एक घटना याद आती है जो उस समय हुई थी जब श्री स्वर्ण सिंह रेल मंत्री थे। किसी क्षेत्र विशेष में एक उपरिपुल बनाया जा रहा था। इस तरह से गाड़ीवानों का एक प्रतिनिधिमंडल आकर उनसे मिला और उनसे उस उपरिपुल के निर्माण न होने देने का अनुरोध किया चूंकि इससे उन्हें कठिनाई होगी। अब हम इतनी गति से चल रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो धीमी गति से चलना चाहते हैं। काफी लोगों ने यात्री गाड़ी चलाने की मांग की थी। जब हम राजधानी और शताब्दी जैसी द्रुतगति की गाड़िया चला रहे हैं तो इसी के साथ ही अमृतसर से दिल्ली तक यात्री गाड़ी चलाने की अत्यधिक मांग भी की जा रही है। स्थानीय यात्रा करने वाले और आराम से यात्रा करने वाले लोगों के लिए इस तरह की कोई यात्री गाड़ी उपलब्ध नहीं है। अत: मैं यहां इस बात का उल्लेख

करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस बात को ध्यान में रखेंगे। जैसा कि मेरे मित्र श्री बंसल ने उल्लेख किया है कि पहले अमृतसर से कालका के लिए एक गाड़ी होती थी जिसे अब बंद कर दिया गया है। यही एक मात्र गाड़ी थी जो चंडीगढ़ को पंजाब के उत्तरी भागों से जोड़ती थी। इसे कुछ वर्षों पूर्व बंद कर दिया गया था। इस गाड़ी को भिन्न समय रखकर अब शुरू किया जाना चाहिए। हिमांचल प्रदेश में भी अब ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आ रहे हैं और कालका अथवा चंडीगढ़ आकर रुकने वाली अधिक से अधिक गाड़ियों की मांग की जा रही है। यदि अमृतसर–कालका गाड़ी चलाई जाती है, तो इससे हिमांचल प्रदेश और पंजाब को फायदा पहुंचेगा और अम्बाला कैंट आकर रुकने वाली गाड़ियां कालका आकर रुकनी चाहिए। इस तरह से पंजाब, चंड़ीगढ़ और हिमाचल प्रदेश को भी सहायता मिलेगी। मुझे आशा है कि मंत्री जी इसकी जांच करेंगे। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : सूची के अनुसार अगले वक्ता श्री भेरू लाल मीणा होंगे। प्रत्येक वक्ता को 10 मिनट का समय दिया जायेगा ताकि इस वाद–विवाद में अधिकाधिक वक्ता भाग ले सकें और हम इस चर्चा को निर्धारित समय में पूरा कर सकें।

अब यह सभा 2.05 म.प. पर पुनः समवेत होने तक स्थगित होती है।

1.07 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.05 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.18 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोकसभा 2.18 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल) 1994-95 और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) 1991-92

[हिन्दी]

श्री भेरू लाल मीणा (सलम्बूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्रालय की अनुपूरक मांगों पर बोलना चाहूंगा। मैं इन अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। मैं ऐतिहासिक स्थान की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा और सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इसमें मेरा साथ दें।

उदयपुर महाराणा प्रताप की जन्म भूमि है। उनके घोड़े के नाम से वहां चेतक एक्सप्रेस चलती है। जब मेवाड़ में अंग्रेजों का राज था, उस जमाने से वहां वह रेल चल रही है। उसके बाद से उस

रेल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन केवल इतना ही हुआ कि उसे चेतक एक्सप्रेस का नाम दे दिया गया। किन्तु उस इतिहास भूमि को हमारे देश की राजधानी से ब्राडगेज से नहीं जोड़ा, न उसके अन्दर कोई महत्वपूर्ण सुधार किया।

उस क्षेत्र में 80 प्रतिशत से ज्यादा आदिवासी निवास करते हैं। भारत सरकार की यह नीति है, कांग्रेस की खास करके नीति है कि पिछड़े इलाकों का विकास किया जाय और पिछड़े लोगों को हर चीज के अन्दर उत्साहित किया जाय। किन्तु मेवाड़ी में एक कहावत है कि जो जागता है, उसका पाड़ा, मतलब भैंस और जो सो जाता है, उसका भैंसा। मैं जब से इस लोक सभा में आया हूं, तब से बराबर बोलता रहा हूं, बहिन गिरिजा जी ने भी इस मांग को खूब दोहराया है, माथुर साहब ने भी खूब दोहराया है परन्तु वह मांग पूरी नहीं हुई और वह भैंसा ही रहा गया। मैं इस मौके पर फिर से रेल मंत्री से निवेदन करूंगा कि उस इतिहास भूमि को राजधानी से ब्राड गेज से जोड़ें।

एक बात के लिए मैं निश्चित रूप से रेल मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान में आपने ब्राड गेज करने के लिए ज्यादा पैसा दिया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हैं, किन्तु वह बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर में, दूसरे एरिया में दिया है, लेकिन उसके लिए भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने दिल्ली से जयपुर को ब्राड गेज से जोड़ दिया और आप उसको वाया अजमेर, मारवाड़ होते हुए अहमदाबाद तक ले जायेंगे, किन्तु उदयपुर उसके साथ नहीं जुड़ेगा। उदयपुर को जोड़ने के लिए अजमेर, भीलवाड़ा चित्तौड़ से जाना पड़ेगा, तब जाकर उदयपुर जुड़ेगा। यदि आप इसको जोड़ते हैं तो उससे आदिवासी क्षेत्र का विकास होगा।

उदयपुर क्षेत्र में ऐसी भूमिगत सम्पत्ति पड़ी हुई है, जिसको निकालने के लिए निश्चित रूप से आवागमन के साधन चाहिए। अभी वहां आवागमन के लिए नेशनल हाइवे है, वह उदयपुर के बीच में से ही जाती है। वहां रेलवे लाइन हैं, सभी कुछ है लकिंन जब हम इक्कीसवीं सदी में जाने की सोच रहे हैं और सारे देश के अन्दर और दुनियां में जो विकास हो रहा है तो उन पिछड़े इलाकों का भी विकास होना चाहिए लेकिन वहां विकास नहीं हुआ। एक तरफ तो हम कहते हैं कि पिछड़े इलाकों का प्राथमिकता के आधार पर विकास किया जाय और दूसरी तरफ हम उन इलाकों को नही देखें तो यह उन लोगों के साथ अन्याय है। बजट में तो आपने इस सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं की थी कि उस लाइन को ब्राडगेज में बदला जायेगा लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप इसी पंचवर्षीय योजना में उस काम को चालू करवाऐंगे और किसी भी तरह से प्रावधान निकालकर उस लाइन के लिए आप प्राथमिकता देंगे ताकि उस क्षेत्र के आदिवासियों को लाभ मिले।

उस क्षेत्र में राक फास्फेट, सोप स्टोन और मारबल स्टोन, जिंक आदि धातुऐं बहुतायत में हैं। मारबल तो विदेशों में भी जाता है, क्योंकि वहां का मारबल बहुत अच्छा है। वहां आवागमन का साधन नहीं होने से कोई बड़ी मशीन नहीं आ सकती, जो बड़ी लाइन होने से आसानी से आ सकती है। अगर वहां कोई बड़ा उद्योग लगाये तो उसके लिए जैसी मशीनरी चाहिए, वह छोटी लाइन से नहीं आ सकती। बड़ी लाइन होने से वह मशीनरी आ सकती है और तब बड़े उद्योगपति उस क्षेत्र में उद्योग लगा सकते हैं। उससे आदिवासी लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में जो आदिवासी पढ़े–लिखे नवयुवक हैं, जिन्होंने ITI भी कर रखी है और उनमें से बहुत से लोगों से रेलवे डिपार्टमेंट में ही एप्रेण्टिसशिप में काम किया हुआ है, किन्तु किसी को भी रेलवे में नौकरी नहीं मिली। मुझे याद पड़ता है, जब जगजीवन राम जी रेल मंत्री थे, मेरी–उम्र बहुत छोटी थी, उन्होंने बहुत से पिछड़े हुए लोगों को रेलवे में लगाया था और आप कहां तक इन आदिवासियों पर दया कर पायेंगे, मैं कह नहीं सकता हूं। मैं यह बात अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, सरकार की नीति है कि पिछड़े इलाकों को विकसित किया जाए, मैं उसी नीति के अनुसार बोल रहा हूं। जब मैं अपने पिछड़े क्षेत्र में जाता हूं, तो देखता हूं कि पिछड़े क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है और जब विकास नहीं होता है, तो लोग मुझे कहते हैं कि आप वहां जाकर क्या करते हैं। इसलिए मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा, इन क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए, इस लाइन को आप ब्राडगेज में परिवर्तित करें, जिससे जिन धातुओं का मैंने जिक्र किया है, उनका दोहन हो और वहां का विकास हो। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, बम्बई से उदयपुर ब्राडगेज जोड़ न होने के कारण व्यापारी लोग कुछ नहीं कर पाते हैं।

जयपुर से हावड़ा के लिए जो आपने गाड़ी चलाई है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन इस गाड़ी में सामान्य ड़िब्बे बहुत कम हैं। सामान्य डिब्बे कम लगने से साधारण यात्रियों के आने–जाने में परेशानी होती है। हम, आप जैसे लोग तो रिजर्वेशन करा लेते हैं, लेकिन सामान्य जनता तो टिकट लेकर ट्रेन में बैठ जाती है। ऐसे लोगों को इस गाड़ी में परेशानी होती है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस गाड़ी में सामान्य डिब्बों की संख्या बढ़ायी जाए। इसी प्रकार चेतक एक्सप्रैस में भी सामान्य डिब्बों की संख्या बढ़ायी जाए, जिससे लोगों को आने–ज़ाने में सुविधा हो। एक बात में इस गाड़ी की गति के बारे में कहना चाहता हूं। कहने को तो यह गाड़ी उदयपुर से चलकर चार बजे और कभी–कभी छः बजे दिल्ली पहुंच जाती है, लेकिन इसमें समय काफी लगता है। मैं इसी गाड़ी से सफर करता हूं। इस गाड़ी में पहले तो इंजन कोयले का था, उस क्षेत्र के सांसदों के निवदेन पर डीजल इंजन लगाया तो गया, लेकिन पुराना लगाया गया है और यह गाड़ी बहुत से स्टेशनों पर रूकती भी है, इस वजह से इस गाड़ी की गति धीमी है। उस समय सांसदों ने अलग–अलग मांगे रखी थी, ताकि आम जनता को स्टेशन ज्यादा हो तो उनको सुविधा मिले, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गाड़ी की गति तेज होगी तो गाड़ी जल्दी दिल्ली पहुंचेगी। उदयपुर से जयपुर तक तो आ जाते हैं, लेकिन जयपुर से दिल्ली आते–आते बोर हो जाते हैं, परेशान होना पड़ता है और रास्ते में सही तरीके से खाना भी नहीं मिलता है। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं, बम्बई से राजधानी को जोड़ने के लिए ब्राडगेज अतिशीघ्र चालू करवायें और अजमेर–भीलवाड़ा–चित्तौड़गढ़–उदयपुर को जोड़ने के लिए भी मैं आपसे मांग करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

श्री चिरंजीलाल शर्मा (करनाल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेलवे को सुधार करने के लिए और मंत्रालय को अच्छा कार्य करने के लिए बधाई देता हूं। अनेक राजधानी और शताब्दी रेलगाड़ियां शुरू की गई हैं। अनेक नई रेलगाड़ियां शुरू की गई हैं और कुछ रेलगाड़ियों को आगे तक बढ़ाया

गया है। लेकिन महोदय, आज मैं अपने चुनाव क्षेत्र विशेषरूप से हरियाणा से संबंधित समस्याओं पर जोर देना चाहता हूं। रेलवे परामर्शदात्री समिति का अनेक वर्षों तक सदस्य रहने के कारण मैं इन समस्याओं पर विचार विमर्श करता रहा हूं लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर आकृष्ट करना अत्याधिक आवश्यक मानता हूं।

झज्जर, हरियाणा का एक उपमण्डल है जो यदि मैं गलत नहीं कर रहा हूं तो महेन्द्रगढ़ जिले के बाद सेना में सर्वाधिक योगदान करता है। लेकिन झज्जर की प्रत्येक दृष्टि से पूर्णरूप से उपेक्षित है। यहां कोई विकास कार्य नहीं हुआ है क्योंकि यह क्षेत्र रेल से जुड़ा हुआ नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ने सुझाव दिया है कि झज्जर से होकर खुर्जा, पलवल, रिवाड़ी और रोहतक को जोड़ने वाले किसी बाईपास का निर्माण किया जाना चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार परियोजना के लिए सर्वेक्षण करा लिया गया है। मैं नहीं जानता कि इस कार्य को रैलवे कब अंजाम देगी। जब तक झज्जर को रेल मार्ग से नहीं जोड़ा जाता है तब तक वहां कोई विकास कार्य नहीं हो सकता है। अतएव मंत्री महोदय से मेरा पुरजोर आग्रह है कि वे इस कार्य को प्राथमिकता दें।

महोदय, दूसरी बात यह है कि शताब्दी एक्सप्रेस को अमृतसर–दिल्ली–अमृतसर चलाया गया है। हम बहुत खुश हैं। मैं रेल मंत्री को बधाई देता हूं। लेकिन यहां पर कबीर की पंक्ति "पानी बिच मीन प्यासी" चरितार्थ होती है। अमृतसर से, दिल्ली करीब 458 किलोमीटर दूर है। आप दिल्ली या अमृतसर से गाड़ी चलाते हैं यह 225 या 230 कि.मी. की दूरी जोकि लगभग आधी दूरी है हरियाणा में से होकर गुजरती है। मैं यह समझाने में असमर्थ हूं कि हमको इस सुविधा से वंचित क्यों रखा जा रहा है। माननीय मंत्री हंस रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय मैं, बड़ी विनम्रता से यह कहने की घृष्टता कर रहा हूं कि यह मामला हंसी में उड़ाने का नहीं है। मैं कह सकता हूं कि हमारे साथ यह स्पष्ट भेदभाव है। "दीपक तले अंधेरे वाली बात है" ये रेलगाड़ी 458 कि.मी. कुल दूरी में से 225 कि.मी. हरियाणा में से होकर तय करती है। और आप अम्बाला में इसका स्टॉप नहीं रखवा सकते हैं। पंजाब के एक मेरे मित्र कह रहे थे कि अमृतसर एक पवित्र स्थल है, पर्यटक और भक्त वहां जाते हैं। मैं उससे सहमत हूं लेकिन करनाल, पानीपत, कुरूक्षेत्र और अम्बाला के पर्यटकों को इससे वंचित रखा जाये। इन स्थानों के रहने वाले अनेक सिख अमृतसर जाते हैं। उनकी उपेक्षा क्यों की गई है? महोदय मेरा आग्रह है कि अम्बाला में इसका एक स्टॉप दिया जाना चाहिए। अम्बाला छावनी से अमृतसर 248 कि.मी. दूर है। हम हरियाणा में पंजाब की दिशा में 15 से 20 कि.मी. आगे जा सकते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि अम्बाला से यह 245 कि.मी. दूर है। आपने इस गाड़ी का लुधियाना में स्टॉप दिया है। आपने जलन्धर में इस गाड़ी का स्टॉप रखा है जो अमृतसर से मात्र 50 कि.मी. दूर है लेकिन आपने अम्बाला में स्टॉप नहीं रखा है और आपने कुरूक्षेत्र जैसे ऐतिहासिक स्थल पर इस गाड़ी का स्टॉप नहीं रखा है। यह घोर अन्याय है। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वे इस गलती में सुधार करें, हमें अम्बाला तक शताब्दी से यात्रा करने की सुविधा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यह एक बात है।

आपने दूसरी शताब्दी एक्सप्रेस भी शुरू की थी। मैं ऐसा समाचार–पत्रों में प्रकाशित रिर्पोटों के आधार पर कह रहा हूं। चण्डीगढ़ से दिल्ली को चलने वाली दूसरी शताब्दी एक्सप्रेस का भी अम्बाला में स्टॉप नहीं है। मैं ऐसा निश्चय पूर्वक नहीं कह रहा हूं। लेकिन यदि यह सच है तो यह घोर अन्याय

है। यह दूरी 250 कि.मी. के करीब है। जब आप शताब्दी एक्सप्रेस की सुविधा दे रहे हैं तो आपको अम्बाला में भी स्टॉप रखना चाहिए।

महोदय, जम्मू और तवी के लिए भी अनेक गाड़ियां हैं। क्योंकि वहां पर देवी का पवित्र स्थल है। लोग कश्मीर भी जाते हैं। आपने कुछ रेलगाड़ियों की दूरी को बढ़ाया है तथा कुछ नई रेलगाड़ियां भी शुरू की हैं, परन्तु आपने जिला मुख्यालयों अर्थात करनाल और कुरूक्षेत्र में उनका कोई पड़ाव नहीं दिया है। करनाल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है। मैंने इसके खिलाफ लगातार हल्ला मचाया। महाराजा करण के दिनों से करनाल एक ऐतिहासिक जगह है। करनाल में एन.डी.आर.आई. जैसी बड़ी संस्थाएं हैं। करनाल और कुरूक्षेत्र दो सबसे बड़े चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। ये केन्द्रीय पूल में सबसे ज्यादा योगदान कर रहे हैं। यहां पर कई कॉलेज तथा उद्योग हैं। मैं इसे समझ पाने में असमर्थ हूं। क्या करनाल के नागरिकों को इन सुविधाओं को प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। वे हमें यह कहकर डांटते हैं "श्री शर्मा, आप इस निर्वाचन क्षेत्र का लगातार चौथी बार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम आपका चुनाव करते हैं। हमें यह शर्म महसूस होती है कि आप अपने रेलमंत्री को भी विश्वास में लेकर प्रातः कालीन रेलगाड़ियों को करनाल में रूकवाने की व्यवस्था करवाने में असफल रहे हैं।" जब भी मैं रेलगाड़ी से सफर करता हूं मुझे इस तरह की शिकायतें सुननी पड़ती हैं। मैं इस मुद्दे पर बहस करता चला आ रहा हूं।

महोदय, हाल में दो रेलगाड़ियों की दूरी बढ़ाई गई है। हम इसके लिए काफी आभारी हैं। रेल पटरियों के दोहरीकरण के बाद कई मेल एक्सप्रेस तथा सुपर फास्ट रेलगाड़ियां शुरू की गई हैं। रेलगाड़ियों की कोई कमी नहीं है। परन्तु परिस्थिति ऐसी है जैसे कि हम पानी के होते हुए भी प्यासे रह जायें। ये सुपरफास्ट रेलगाड़ियां अम्बाला और अमृतसर के बीच चार स्टेशनों पर रुकवाने की व्यवस्था की जा सकती है परन्तु करनाल में रूकवाने की बात मंजूर नहीं हो सकती है।

महोदय, इतनी सारी नई रेलगाड़ियां शुरू करने के बाद कम से कम वैष्णों देवी जाने वाले लोगों के लिए एक प्रातः कालीन तथा एक सांय कालीन रेलगाड़ी को करनाल में रूकने की व्यवस्था होनी चाहिए। यह कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है।

सरदार उमराव सिंह ने कहा कि उन्होंने शताब्दी एक्सप्रेस से अमृतसर से दिल्ली तक एक बार यात्रा की थी। हालांकि निर्धारित समय 6 घंटे का था परन्तु रेलगाड़ी ने केवल 5 घंटे 15 मिनट का समय लिया, अर्थात नियत समय से 45 मिनट कम समय में पहुंचा दिया। यह प्रशंसनीय बात है। आप इस समय का उपयोग करनाल में इसके रूकने की व्यावस्था हेतु करके हरियाणा के लोगों को यह सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

इसी प्रकार, पानीपत मेरे निर्वाचन क्षेत्र का एक विधान सभा क्षेत्र है। यह एक जिला मुख्यालय है। इसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक है। पानीपत पूरे देश में सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा निर्यातक है।

रेल मंत्रालय का उदार नजरिया आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि हमने कया पाप किया है। लेकिन इस तरह के बडे औद्योगिक तथा ऐतिहासिक नगर में,

जहां पर तीन युद्ध लड़े गए तथा जो दरी, चादर और पर्दों का निर्यात कनाडा और अमेरिका को करता है। वहां पर एक भी रेलगाड़ी को रूकवाने की व्यवस्था नहीं की गयी है। मेरा माननीय मंत्री से आग्रह है कि अमृतसर, जम्मू तथा दिल्ली की तरफ जाने वाली सभी मेल एक्सप्रेस तथा सुपर फास्ट आदि सभी लम्बी दूरी की गाड़ियों में आरक्षण कोच बढ़ाकर कम से कम चार कर दिया जाय। मुझे सभी रेलगाड़ियों के नाम बताने की आवश्यकता नहीं है।

महोदय, एक ऊंचाहार एक्सप्रेस नाम रेलगाड़ी है। यह रेलगाड़ी अम्बाला तक जाती है। शायद इसलिए यदि मैं गलत नहीं हूं तो दिल्ली में प्लेटफार्म की कमी की वजह से 7 बजे सुबह चलती है तथा 10.30 के आसपास अम्बाला पहुंच जाती है। यह वहां पहुंचकर पांच घंटे तक पड़ी रहती है। इसे विश्राम करने दिया जाता है ताकि इसका ईंजन गर्म नहीं रहे।

मैं इस संबंध में अनुरोध करता रहता हूं। सैंकड़ों लोग जो चंडीगढ़ जाते हैं इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। चंडीगढ़ पंजाब के अलावा हरियाणा की भी राजधानी है। लेकिन रेल मंत्रालय ने इस राज्य को क्या सुविधाऐं प्रदान की हैं। समलखा, घरौंदा तथा नीलोखेड़ी स्टेशन पर गाड़िया केवल एक मिनट के लिए ही रुकती हैं।

रेल मंत्री ने अपने मंत्रालय की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए क्षेत्रों का दौरा करने वाली समितियां तथा उपसमितियां बनाई हैं। यह काफी अच्छी नीति है। यह चुने हुए प्रतिनिधियों में अवास्था जगाने का कार्य है।

सूरज मंडल समिति ने इन स्टेशनों पर गाड़ी रोके जाने की व्यवस्था करने का सुझाव दियां था। लेकिन मुझे वह सुविधाएं/राहत नहीं मिल पाई हैं जिसके लिए मैं आवाज उठा रहा था। क्या मैं माननीय मंत्री से यह आग्रह कर सकता हूं कि वे इसे व्यावहारिक रूप देने तथा क्रियान्वित करने में सफल होंगें ? सूरज मंडल समिति ने ऊँचाहार एक्सप्रेस को रोकने की व्यवस्था का सुझाव दिया था। यह कोई पहली बार मैं इसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं। पहले की गई बैठक में भी यह प्रश्न मुझसे पूछा गया था कि "श्री शर्मा आप किन-किन स्टेशनों पर गाड़ियों के रूकने की व्यवस्था करवाने पर जोर देना चाहेंगे?" मेरा जवाब था "समालरवा, घरौंदा और नीलोखेरी। लेकिन केवल इसलिए कि ये तीन जगह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आती हैं इसलिए मेरा आग्रह स्वीकार नहीं किया गया मुझे नहीं मालूम है कि मेरी बातों से वे नाराज या नाखुश हुए हैं या नहीं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य यह है कि मैं हर समय अपनी बात स्पष्ट शब्दों में रख देता हूं। जब आप कड़वी बातें बोल रहे हैं, तब आपको सच ही माना जाना चाहिए हमें अपना कोई मतलब नहीं साधना है। मैं उनकी समस्याएं समझता हूं, मैं उनकी कठिनाइयां समझता हूं।

मैं रेल मंत्रालय से यह आग्रह करता हूं कि उनके ध्यान में लाई जाने वाली छोटी समस्याओं के समाधान के लिए एक व्यावहारिक तथा युक्तिसंगत रवैया अपनाया जाय।

इसके बाद में विद्युतीकरण पर आता हूं। 1991-92 वर्ष के बजट में दिल्ली से लुधियाना तक विद्युतीकरण के लिए 236 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। यह कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। इसे इस पंचवर्षीय योजना तक पूरा किया जाना था और पानीपत तक जल्द पूरा किया जाना था जो दिल्ली से 100 कि.मी. दूर है।

आप यात्रियों को 2-3 लोकल विद्युत रेलगाड़ियां देकर उन्हें राहत पहुंचा सकते हैं जब तक कि विद्युतीकरण पुरा नहीं कर लिया जाता है, क्योंकि जैसे ही विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया जाता है तो आपको प्लेटफार्मों का विस्तार करना होगा। लेकिन तब तक आप दिल्ली और पानीपत के बीच लोकल विद्युत रेलगाड़ियां चलाकर दैनिक रेल यात्रियों तथा हजारों अन्य यात्रियों की राहत पहुंचा सकते हैं।

पहले एक शालीमार एक्सप्रेस चलाई जाती थी। यह दिल्ली से अमृतसर वाया पानीपत, करनाल और कुरूक्षेत्र होकर जाती थी। लेकिन इसे छः सात वर्ष पहले मेरठ से मोड़ लिया गया। मैंने पूछा कि यह क्या है? उन्होंने कहा "हम आपको राहत पहुंचाएंगे।" राहत पहुंचाई गई। एक रेलगाड़ी "पूरी एक्सप्रेस" के नाम से चलती थी जो दिल्ली से 4.30 सांय चलती थी परन्तु उसे प्रतिदिन देर हो जाती थी।

मैं सामान्यतया करनाल में रहता हूं। इसलिए मैं वहां से अक्सर आया जाया करता हूं। मैंने यह मुद्दा उठाया कि यह रोज लेट क्यों हो जाती है। तब हमने पाया कि मेरी परेशानी दूर करने के स्थान पर उन्होंने कहा कि "ठीक है आप बार–बार इस समस्या को उठा रहे हैं तो आपको एक सबक सिखाना पड़ेगा। हम इस रेलगाड़ी को ऐसे समय शुरू करने जा रहे हैं कि यह आपके निर्वाचन क्षेत्र से रात में गुजरे ताकि आपके निर्वाचन क्षेत्र के लोग इस रेलगाड़ी का फायदा नहीं उठा सकें।

मेरे कहने का अर्थ यह है कि 2.30 सांय से 9.00 बजे रात्री के बीच कोई रेल या एक्सप्रेस या सुपरफास्ट रेलगाड़ी नहीं है जो दिल्ली से अमृतसर या जम्मू तवी वाया पानीपत और करनाल होकर जाती हो, जोकि उत्तर रेलवे के मुख्या स्टेशन हैं। सुबह के समय 5.00 बजे से अपराह 2.30 बजे तक रेलगाड़ियां चलती हैं। मैं इस रहस्य को समझ पाने में असमर्थ हूं। इस मामले की तह तक क्यों नही पहुंचा जाय। कम से कम एक दो रेलगाड़ियां जरूर शुरू की जानी चाहिए।

महोदय, अत्यन्त विनम्रतापूर्वक तथा प्रभावशाली ढ़ंग से मैं माननीय रेल मंत्री से यह आग्रह करूंगा कि वे मेरे द्वारा सभा पटल पर रखी समस्याओं की ओर मेरे राज्य तथा मेरे द्वारा प्रतिनिधित्व की जा रहीं जनता के हित में ध्यान दें। मैं एक बार फिर उनसे यह आग्रह करूंगा कि वे हमारी उन समस्याओं की ओर ध्यान देकर हमें राहत पहुचाएं जिनके लिए हम बार–बार कह रहे हैं।

श्री आर. अन्बारासु (मद्रास मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं लेकिन ऐसा करते हुए मेरे मन भारी है। गत बजट में तमिलनाडु के साथ पूर्ण भेदभाव बरता गया था।

मैंने यह बात माननीय रेल मंत्री के ध्यान में ला दी है। तमिलनाडू के लिए कोई नई रेलगाड़ी नहीं चलाई गई है, नई लाईन नहीं विछाई गई हैं। अधूरी परियोजनाओं के लिए थोड़ी बहुत धनराशि आवंटित की गई है।

महोदय, मद्रास जैसे शहर के लिए यह बड़े खेद की बात है. जहां द्रुत परिवहन प्रणाली का कार्य 1983 में शुरू किया गया था। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री थी, तो इस परियोजना को स्वीकृति दी गई थी। उस समय भी मैं इस सभा का सदस्य था। महोदय, क्या आप जानते हैं कि उस समय कितनी लंबी रेल लाइन की परिकल्पना की गई थी ? उस समय यह 8.5 कि.मी. रेल लाइन की परिकल्पना की गई थी। अब हम 1994 में रह रहे हैं। रेल मंत्री ने वादा किया था कि यह रेल लाइन 1990 में ही चालू हो जायेगी और रेल मंत्री ने पुनः वादा किया था कि यह 1992 तक चालू हो जायेगी। अब वर्ष 1994 आ गया है। अब तक इन्होंने चपक तक चार कि.मी. लम्बी रेल लाइन बिछाई गई है। इसकी कुल लंबाई 8.5 कि.मी. है। अभी तक 4 कि.मी. से कुछ अधिक लंबी रेल लाइन बिछाई गई है। इसका क्या कारण है ? कोई इच्छा शक्ति नहीं है। मुझे यह लगता है कि रेल मंत्री इस परियोजना को पूरी करने हेतु इच्छुक और उत्साही नहीं है। यही कारण है कि प्रत्येक बार इस परियोजना के लिए बहुत कम धनराशि आंवटित की जा रही है। जबकि बम्बई, कलकत्ता और अन्य स्थानों पर इसी प्राकर की परियोजना समय से पूर्व ही पूरी कर ली गई थी।

मैं जिस दूसरी महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि शुरू में, अर्थात 1983 में इस परियोजना की अनुमानित लागत 55 करोड़ रुपये ही थी। लेकिन अब यह लागत बढ़कर 250 करोड़ रुपये जा पहुंची है। इस अत्यधिक विलम्ब के लिए जिम्मेदार कौन हैं ? इसके लिए किसे दोष दिया जाए ? अतः, मैं माननीय रेल मंत्री से इस परियोजना को कम से कम 1995 से पूर्व पूरी कराने का अनुरोध करता हूं।

महोदय इस परियोजना का नाम द्रुत परिवहन प्रणाली है। लेकिन जिस गति से इसे पूरा किया जा रहा है उसे तो द्रुत गति नहीं कहा जा सकता। यह परियोजना कछुए की चाल से चल रही है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना को यथाशीघ्र, कम से कम 1995 से पूर्व, पूरी कराने हेतु कुछ और धनराशि आवंटित की जाये।

महोदय, इस बोर में मैं कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता। लेकिन मै माननीय रेल मंत्री को सतर्क करना चाहता हूं कि यदि इस परियोजना को 1995 से पूर्व पूरा नहीं किया जाता है, तो मैं अपने सहयोगियों के साथ दक्षिण रेल मुख्यालय के समक्ष धरना दूंगा और यह सुनिश्चित कराऊंगा कि यह परियोजना शीघ्र पूरी हो।

डिंडीगुल और मद्रास के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाने का कार्य इसी वर्ष में पूरा होना था। मुझे एक विश्वस्त सूत्र से जानकारी मिली है कि इसके निमित राशि को कर्नाटक को दे दिया गया है। मैंने रेल मंत्रालय के इस आदेश से संबंधित प्रति किसी तरह प्राप्त करने की कोशिश की थी। उनके अधिकारी उनके प्रति ही वफादार होंगे। वे मंत्रालय की बजाय मंत्री के प्रति अधिक वफादार हैं। इसी कारण से मैं उस आदेश की प्रति प्राप्त नहीं कर सका। लेकिन मेरे पास एक विश्वस्त सूचना है जिसका मैंने दक्षिण रेल में अनेक शीर्ष अधिकारियों का उल्लेख किया है कि यह धनराशि कर्नाटक को दे दी गई है।

महोदय, मैं यहां पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब श्री गनीखान चौधरी रेल मंत्री थे, तो उन्हें "माल्दा मंत्री" कहा जाता था। जब श्री माधव राव सिंधिया रेल मंत्री थे तो उन्हें "ग्वालियर मंत्री" कहा जाता था। लेकिन जब इस समय हमारे माननीय मंत्री जी रेल मंत्री हैं तो मैं नहीं चाहता कि उन्हें "कर्नाटक का बहादुर" कहा जाए क्योंकि, यद्यपि वह कद से छोटे हैं परन्तु कार्यवाही में वह बहुत बहादुर हैं। मुझे यह मालूम है। मुझे उन पर विश्वास है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से इस धनराशि को कर्नाटक को न देने का अनुरोध करता हूं.......(व्यवधान)

श्री जी. देवराय नायक (कनारा) : आपको गलतफहमी है। यह बात सही नही है। उनके सामने पूरा देश है। वह अपने साथ पूरे देश को लेकर चल रहे हैं, केवल कर्नाटक को ही नहीं .. .. (व्यवधान)

श्री आर. अन्बारासु : वह केवल बंगलौर शहर का ही ध्यान रख रहे हैं।

महोदय, समूचे दक्षिण रेल मुख्यालय को स्थानांतरित कर बंगलौर ले जाने की एक कोशिश की गई थी। उस समय हम सभी एकजुट होकर प्रधान मंत्री से मिले थे और उनके कहने पर ही यह कोशिश छोड़ी गई थी।

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : ऐसा कब हुआ था ?

श्री आर. अन्बारासु : यह कोशिश पिछले से पिछले साल की गई थी। उस समय हमने एक ज्ञापन भी दिया था........(व्यवधान)

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : तमिलनाडु के लोग इस तरह का सौतेला व्यवहार सहन नहीं करेंगे। अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इन गलतियों को ठीक करें।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : महोदय, मुझे इस बात का बहुत खेद है। कुछ समय पूर्व केरल से किसी मित्र ने अपनी बात कही थी। उन्होंने कहा कि जो माल केरल के लिए था, उसे कर्नाटक ले जाया गया और अब मेरे मित्र श्री अन्बारासु कह रहे हैं कि मैंने दक्षिण रेलवे के मुख्यालय को बंगलौर स्थानांतरित कर दिया है। मुझे नहीं मालूम कि मुझे सच बताना चाहिए अथवा नहीं। सच यह है कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय मद्रास में है और बड़ी संख्या में तमिल लोग जो वहां कार्य करते हैं, वही बंगलौर सहित दक्षिण रेलवे मुख्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले समूचे क्षेत्र के हितों का ध्यान रखते हैं। श्री अन्बारासु जो कुछ चाहें कह सकते हैं लेकिन सच्चाई यही है।

श्री आर. अन्बारासु : श्री शुक्ल, जो दक्षिण रेलवे मुख्यालय के महा प्रबन्धक हैं, तमिलवासी नहीं हैं।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : एक महाप्रबन्धक के तमिलवासी न होने से क्या फर्क पड़ता है?

श्री आर. अन्बारासु : नहीं, महोदय, कई अधिकारी बाहर से हैं। कर्नाटक के लोग भी वहां कार्यरत हैं।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : महोदय, मैं वर्तमान और भूतपूर्व सभी रेलमंत्रियों के प्रति सम्मान रखते हुए यह कहना चाहता हूं कि किसी भी रेल मंत्री के लिए कोई एक राज्य महत्वपूर्ण नहीं होता बल्कि देश महत्वपूर्ण होता है। जो भी परियोजनाएं हमने शुरू की हैं वे राज्यों के आधार पर नहीं हैं। मैंने सभी सदस्यों की बातें सुनी हैं। प्रत्येक सदस्य राज्यों के आधार पर मांग रखता है। एक जोनल रेलवे में तीन या चार राज्य आते हैं। जोनल क्षेत्राधिकार राज्य के क्षेत्राधिकार से पूरी तरह भिन्न हैं। यह विभिन्न राज्यों में बंटा होता है। हम परियोजनाएं मार्गों के आधार पर शुरू करते हैं न कि किसी राज्य विशेष के आधार पर।

श्री पी.जी. नारायणन : मैं यह जानना चाहता हूं कि मद्रास स्थित इन्टेग्रल कोच फैक्टरी की क्षमता में अत्यधिक कमी क्यों की गई है। सात सौ डिब्बों के निर्माण कार्य को पंजाब में कपूरथला को दे दिया गया है।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : यह बात भी गलत है। हमने न तो आई.सी.एफ. पेरम्बूर से कपूरथला और न ही कपूरथला से आई.सी.एफ. पेरम्बूर कोई काम भेजा है।

जहां तक डिब्बों का संबंध है हमारे यहां तीन निर्माण एकक हैं। एक तो मद्रास के निकट पेरम्बूर में स्थित है, दूसरा एकक पंजाब में कपूरथला में स्थिति है और तीसरा एकक भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर में स्थित है। हमने रेल मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले कपूरथला और पेरम्बूर स्थित हमारे अपने एककों के माध्यम से क्रमादेश दिए हैं। हमने रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जोकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र, बंगलौर में स्थित है, को एक भी क्रयादेश नहीं दिया है। इस से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि रेल मंत्री बंगलौर को क्रयादेश दे रहा है अथवा नहीं। श्री अन्बारासु को इस पर भी बोलना चाहिए कि क्या कोई चीज बंगलौर ले जाई जा रही है और क्या उन्हें विभिन्न स्थानों पर ले जाया जा रहा है।

श्री आर. अम्बारासु : मुझे प्रसन्नता हुई कि माननीय मंत्री जी ने स्पष्टीकरण देने की कृपा की। यद्यपि, मैं उनके स्पष्टीकरण को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता। मुझे कुछ अन्य आशंकाएं भी हैं। मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि रेल प्राधिकारियों ने अधिकारियों को अकस्मात ये अनुदेश जारी किए हैं कि जो लोग द्रुत परिवहन प्रणाली में कार्य कर रहे हैं, उन्हें उनके मूल जोन में वापिस भेज दिया जाये। इससे आपका क्या अभिप्राय है? मेरे विचार से इसके पीछे कोई दुर्भावना छिपी है। वे लोग इस परियोजना को भी ठप्प करना चाहते हैं। उन्हें उनके मूल रेलवे जोन में वापस क्यों भेजा जायें? यहां तक कि अभी आधी परियोजना भी अभी पूरी नहीं की गई है। लेकिन उन्हें उनके अपने अपने जोन में वापस भेजने के अनुदेश दिए गए हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से इस पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। मुझे मालूम है कि माननीय मंत्री विविध गतिविधियों में अपनी

व्यस्तताओं के बावजूद इससे परिचित होंगे। अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि एम.आर.टी.एस. के पूरा हो जाने तक इन अधिकारियों को यह परियोजना पूरी करने के लिए मद्रास में ही रहने दिया जाये।

शायद सभा को याद होगा कि वर्ष 1992-93 के बजट में रेल बजट के दौरान अन्ना नगर परियोजना विलिवक्कम रेलवे लाइन के लिए 1001 रुपये की सांकेतिक राशि आवंटित की गई थी। बजट चर्चा में भाग लेते हुए मैंने यह मांग की थी कि और अधिक धनराशि आवंटित की जाए, क्योंकि उक्त परियोजना में कुछेक लाख रुपयों की आवश्यकता है

3.00 म.प.

इसलिए मैंने सभा पटल पर 10,000 रुपयों की एक गड्डी रखी थी और कहा था कि यदि वे और धन चाहें तो वह मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता से एकत्र कर सकता हूं। आखिर कुछेक लाख रुपये की ही लागत आएगी और माननीय रेल मंत्री कुछ और धनराशि आंवटित करें। लेकिन वर्तमान बजट में अन्ना नगर–विकिवक्कम रेलवे लाइन परियोजना को शामिल किया ही नहीं गया है। यह कहीं है ही नहीं। मैं इसका कारण नहीं जानता। दक्षिण रेलवे के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध यह जोरदार आरोप लगाया गया है कि सम्पदा के वास्तविक मालिकों ने धन एकत्र करके कुछ अधिकारियों से सम्पर्क किया ताकि इस लाइन पर कार्य शुरू नहीं किया जा सके, क्योंकि यह प्रस्तावित रेलवे लाइन उनकी भूमि से होकर गुजरती है। यह बात कितना सत्य है, मैं नहीं जानता।

मैं रेल मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि यह अन्नानगर–विलिवक्कम रेलवे लाइन मात्र एक ही रेलवे लाइन है, जो यहां स्थित है। हमें नई रेलवे लाइन का निर्माण करने की आवश्कता नहीं है। एक या दो प्लेटफार्मों का कुछ स्थानों पर निर्माण करना और वर्तमान रेलवे लाइन को आगे बढ़ाना ही मद्रास सिटी के उत्तरी भाग के लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। यह अति महत्वपूर्ण बात है अतः रेल मंत्री से मैं आग्रह करता हूं कि इस परियोजना को पूरा करने के लिए वह उपयुक्त निर्देश दें।

पोरूर और पुनामल्ली होते हुए मद्रास से श्री पेरमबूदूर तक एक नए रेलवे लाइन के निर्माण की मांग है। मैं माननीय रेल मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस पर विचार करें। श्री राजीव गांधी की जिस स्थान पर हत्या हुई थी वह तीर्थ स्थान बन गया है। हममें से अधिकांश लोग श्री राजी गांधी के प्रति श्रद्धा रखते हैं और हमें उन स्वर्गीय नेता का सम्मान करना चाहिए। वहां रोजना दस पंद्रह हजार लोग जाते हैं। लेकिन मद्रास से श्री पेरूम्बुदूर जाने के लिए कोई ट्रेन सुविधा नही है। अतः मैं रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि पोरूर और पूनामल्ली होते हुए मद्रास से श्री पेरम्बुदूर तक एक नई रेलवे लाइन के निर्माण को स्वीकृति दें।

दूसरी बात मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि एक दैनिक राजधानी एक्सप्रेस यहां चलाई जाए। रेल मंत्री की बड़ी कृपा है कि उन्होंने सभी नगरों के लिए प्रतिदिन राजधानी एक्सप्रेस उपलब्ध कराई,

फिर मद्रास के लिए क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई है ? इसे केरल तक क्यों बढ़ा दिया गया है? मद्रास के लोगों ने उनका क्या नुकसान किया है? हम यहां दैनिक राजधानी एक्सप्रेस चाहते हैं।

यदि माननीय मंत्री अपने विभाग द्वारा कोई सार्कता जांच कराएं तो वह पाएंगे कि तमिलनाडु एक्सप्रेस और जी.टी. एक्सप्रेस में इतनी अधिक भीड़ होती है कि लोग ट्रेन के शौचालय तक के पास सो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप किसी को शौचालय जाना भी मुश्किल हो जाता है। डिब्बे बहुत गंदे रहते हैं। पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मचारी नहीं होते हैं। विशेषकर द्वितीय श्रेणी के यात्रियों को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

एक अन्य बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह खाद्य पदार्थों के मूल्यों के संबंध में। बड़ा तीन रुपये का है। दही–चावल आठ रुपये का और मसाला डोसा छह रुपये का। यदि आप दही–चावल की परोसी गई मात्रा देखें तो वह चार–पांच चम्मच से अधिक नहीं होती है। वे बहुत कम परोसते हैं। जबकि ये बहुत अधिक मूल्य लेते हैं।

ये अविलम्बनीय महत्व की बातें हैं जिनपर ध्यान देना होगा, क्योंकि आखिरकार द्वितीय श्रेणी में गरीब लोग ही यात्रा करते हैं।

महोदय, अब हमारी यह मांग है कि मद्रास–अर्कोनम सेक्शन के अंतर्गत व्यासरयाड़ी जीवा रेलवे स्टेशन पर एक पैदल उपरिपुल का निर्माण किया जाए। सिग्नल नहीं मिलने अथवा किसी अन्य कठिनाइयों के कारण यहां गाड़ियां प्रायः रुक जाती हैं। मद्रास सिटी के उत्तरी भाग का रेल संपर्क पर्याप्त नहीं है। अतः जो लोग नगर से आठ दस किलोमीटर दूर रहते हैं। उन्हें रेलवे स्टेशन पहुंचने में अत्यंत कठिनाई होती है। रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए उन्हें रेलवे लाइन पार करनी होती है, जो बहुत ही जोखिमपूर्ण काम है। अतः मैं रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह व्यासरयाड़ी जीवा रेलवे स्टेशन पर एक पैदल उपरिपुल के निर्माण हेतु उपयुक्त आदेश जारी करें।

एक और बात है। मद्रास में दो टर्मिनल हैं–एक मद्रास सेंट्रल और दूसरा इगमोर स्टेशन। जनसंख्या वृद्धि और जनता की आवश्यकताओं की दृष्टि से ये दो टर्मिनल पर्याप्त नहीं हैं। यदि कुछ एक्सप्रेस गाड़ियों को व्यासरयाड़ी में रोका जाए, तो लगभग पचास प्रतिशत दैनिक यात्री वहां उतर जायेंगे। जिससे मद्रास सेंट्रल में भीड़–भाड़ कम हो जाएगी। मैं व्यासरयाड़ी में एक्सप्रेस गाड़ियों को रोके जाने के अलावा मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि मद्रास में एक तीसरा टर्मिनल बनाया जाए जिसके लिए पेरम्बुर बेहतर स्थान होगा। मैं समझता हूं कि यह विचार पांच वर्ष पहले ही सामने रखा गया था और एक सर्वेक्षण भी किया गया था। लेकिन धनाभाव के कारण इसे रोक दिया गया। अतः मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि मद्रास सिटी में तीसरे टर्मिनल के निर्माण की योजना को पुनः शुरू किया जाए।

हमारे माननीय मंत्री प्रोन्नत अधिकारियों की मांग से पूरी तरह अवगत हैं। यह मांग लम्बे समय से लम्बित हैं।

उन अधिकारियों में असंतोष व्याप्त है। वास्तव में उन्होंने आपने आंदोलन की 20 तारीख तय की है और वे प्रधान मंत्री के घर जायंगे। मैं नहीं चाहता कि वे लोग वहां जाएं और एक विषम स्थिति पैदा करें। भारतीय रेल में दोहरी कृत्रिम वर्गीकरण है जिनमें वर्ग दो और वर्ग एक के अधिकारी हैं। उन वर्गों का सृजन ब्रिटिश रंगभेदी व्यावस्था ने किया था। वर्ग–दो भारतीयों के लिए था तथा वर्ग–एक अंग्रेजों के लिए। इसे समाप्त करने का निर्णय लिया गया था जिसकी घोषणा 1947 में ही की गई थी। पहले वेतन आयोग से पूर्व रेलवे के चीफ कमिश्नर ने बताया कि रेलवे बोर्ड और सरकार इस दोहरे वर्गीकरण को समाप्त करने के लिए तैयार है, क्योंकि रेलवे के इन दो राजपत्रित अधिकारियों के कार्यों एवं दायित्वों में अंतर कर पाना मुश्किल है। इन दो–वर्ग–'क' और वर्ग 'ख' के अधिकारियों के कार्य और कर्तव्य समान हैं, अतः अलग–अलग वेतनमानों का कोई अर्थ नहीं है। वर्ग–'क' और 'ख' को समान वेतन मान मिलना चाहिए।

श्री हनुमन्तैय्या की अध्यक्षता में प्रशासकीय सुधार आयोग ने इन दोनों वर्गों को समाप्त करने का सुझाव दिया था। मार्च 1994 में रेल मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ निकाय टंडन समिति द्वारा भारतीय रेल के संगठनात्मक संरचना और प्रबंधन नीति का अध्ययन करने के लिए किया गया था, जिसके प्रतिवेदन के पृष्ठ 41 पर जो सुझाव दिए गए हैं वे निम्न प्रकार हैं :

"भारतीय रेल में आधे प्रबंधक औपचारिक चयन प्रक्रिया द्वारा निरीक्षक स्तर से नियुक्त होते हैं। इन प्रबंधकों को अपने क्षेत्र में कार्य करने के अनुभव का लाभ मिलता है, लेकिन सामान्यतः उनके पास सीधे नियुक्त प्रबंधकों के बराबर शैक्षिक योग्यता नहीं होती है। वर्ग 'ख' के अधिकारियों का पद नियुक्ति के दो तरीकों में अंतर दिखाता है। जिसके परिणम–स्वरूप दोनों में स्पष्ट मतभेद पैदा हो जाता है। यह जोरदार सिफारिश की जाती है कि इस अंतर को समाप्त किया जाए और जिनका पहले अधिकारी पद के लिए चयन किया गया है, उन्हें आगे प्रोन्नति तथा दायित्वों के लिए समान स्तर की प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा।"

अतः मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे ग्रुप 'क' और ग्रुप 'ख' के अधिकारियों के बीच अंतर को समाप्त करें क्योंकि दोनों ही ग्रुप के अधिकारियों का कार्य और उनके दायित्व समान हैं। अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। उनके कार्य और दायित्व अलग–अलग हैं।

अतः मैं प्रोन्नति प्राप्त अधिकारियों के मांग पर विचार करने हेतु माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हू कि चर्चा का उत्तर देने के समय वह इस बारे में कोई आश्वासन दें, ताकि जो आंदोलन करने का उन्होंने निश्चय किया है, उससे बचा जा सके अथवा उसे रोका जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अन्वारासु आपने 17 मिनट का समय लिया है। इस तरह तो अन्य लोग अपना भाषण पूरा नहीं कर पायेंगे। इसके लिए एक निर्धारित समय सीमा होनी चाहिए।

श्री आर. अन्वारासु : महोदय, मैं केवल एक मिनट का समय लूंगा।

अपना भाषण समाप्त करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि कई माननीय सदस्यों का यह मानना है कि माननीय रेल मंत्री ने प्रत्येक राज्य की मांगों की उचित रक्षा नहीं की है। अतः मेरा यह सुझाव है कि रेलवे और उद्योग मंत्रालयों में मंत्री बारी–बारी से बनाए जाने चाहिए ताकि प्रत्येक राज्य को यह मौका मिल

सके कि उनका दो वर्ष के लिए एक बार एक रेल मंत्री बनाया जाए, ताकि उन्हें बारी–बारी से इन मंत्रालयों का पदभार प्राप्त हो सके। मैं माननीय प्रधान मंत्री से भी अपील करता हूं कि वे हमारे निवेदन पर विचार करें।

3.10 म.प.

सदस्य की गिरफ्तारी

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने 13 अगस्त, 1994 को हुबली, धारवाड़ के पुलिस आयुक्त की ओर से दिनांक 12 अगस्त, 1994 का निम्नलिखित बेतार (वायरलैस) संदेश प्राप्त किया है :

"लोक सभा सदस्य श्री वी. धनंजय कुमार जिनकी 12 अगस्त, 1994 को 12.30 म.प. पर विद्यानगर पुलिस स्टेशन, हुबली में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धाराओं 151 और 107 के अंतर्गत अपराध सं. 225/94 में निवारक नजरबन्दी की गयी थी, उन्हें धारवाड़ के उपखण्ड दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने उन्हें 17 अगस्त, 1994 तक न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश दिये। श्री वी. धनंजय कुमार को सेंट्रल जेल, बेलगाम भेजा जा रहा है।"

3.10½

अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल), 1994-95 और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1991-92 - जारी

[हिन्दी]

श्री रोशन लाल (खुर्जा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं रेलवे की 1994-95 की अनुपूरक अनुदान की मांगें और 1991-92 की अतिरिक्त अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं 3-4 पाइंटस बताकर रेल मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे उन पर ध्यान दें और उन्हें पूरा करने की कृपा करें।

3.11 म. प.

(श्री तारा सिंह पीठासीन हुए)

मैं खुर्जा क्षेत्र से आता हूं जहां पर पौटरी का काम बहुत ज्यादा होता है और वह पौटरी सिटी के नाम से जाना जाता है। खुर्जा रेलवे जंक्शन पर जो रेलवे फाटक है, वह 24 घंटे में 18 घंटे बन्द रहता है। खुर्जा जंक्शन होते हुए जेवा, जागीरपुर, पलवल और फरीदाबाद आने वाले यात्रियों को बहुत देर तक

रूकना पड़ता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि खुर्जा रेलवे स्टेशन पर एक फ्लाई ओवर बनाने की कृपा करें जिससे यात्रियों को जो कठिनाई और असुविधा होती है, वह न होने पाए।

1986 में खुर्जा से जेवा, पलवल के लिए एक रेल मंजूर हुई थी जिसका सर्वे हो चुका था लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिए आप फंड सैंक्शन करके उस रेल लाइन को जल्दी बनवाने की कृपा करें।

खानपुर, चोला और सिकन्दरापुर में एक जगह है जहां पर महीनों से एक संघर्ष चल रहा है। वहां पर गंगोत्री, खुर्जा, गाजियाबाद, रोहतक शटल के.जी.आर. 353-54, जेकि 1987 से रूकती आ रही है, उसे 30 जुलाई, 1994 को बन्द कर दिया गया है जिसकी वजह से आस–पास के गांवों के हजारों लोग परेशान हैं। खानपुर से चोला स्टेशन 5 किलोमीटर पड़ता है और सिकन्दरापुर भी 5 किलोमीटर पड़ता है। वहां पर कोई सड़क नहीं है। वहां 10-15 गांवों, जिनमें खबरा, खानपुर, छछोई, नगला, शेरपुर, बीछट, मदौरा, कमालपुर आदि हैं, से लोग रोजाना अपनी जीविका कमाने आते हैं। उस गाड़ी के बन्द होने की वजह से लोगों ने ट्रैक पर आकर धरना भी दिया। बुलंदशहर में पी.ए.सी. भी लगा दी है।

यहां दिल्ली आने–जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिये बहुत परेशानी है। मेरा निवेदन है कि 353 अप 354 डाउन ट्रेन को रोकने का आदेश दें जिससे आसपास की जनता की पेरशानी दूर हो सके।

महोदय, 1991-92 में मैंने आपको और आपके अधिकारियों को लिखा था कि चीरसी हॉल्ट स्टेशन जो कि दनकौर और आजादपुर स्टेशन के बीच है, उसे बनाने के आप आदेश दें। 11 हजार रोजाना यात्रा करने वाले यात्री जो कि दिल्ली और गाजियाबाद सर्विस करने के लिए आते हैं, उन्होंने भी यह वायदा किया था कि वे चीरसी हॉल्ट स्टेशन को बनाने में अपना योगदान देंगे। यह योजना स्वीकृत भी हो गई थी लेकिन किसी वजह से नीचे के अधिकारियों ने अड़चन डाल दी। मेरा आपसे निवेदन है कि चीरसी हॉल्ट स्टेशन को बनाने की कृपा करें जिससे यात्रियों को सुविधा हो सके।

महोदय, महानन्दा एक्सप्रेस को दनकौर स्टेशन पर रोकने का मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था। महानन्दा एक्सप्रेस को दनकौर स्टेशन पर रोका जाये। बरौनी एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, तिनसुखिया एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस खुर्जा स्टेशन पर रोकने के आदेश दिये जायें। वहां के लोगों की मांग को देखते हुए इन गाड़ियों को खुर्जा स्टेशन पर रोका जाये।

ई.एम.यू. ट्रेन अलीगढ़ से दिल्ली तक चलती थी। वह बन्द कर दी गई। इस ट्रेन को फिर चलाने के आदेश दिए जाएं। जिससे वहां के यात्रियों को फिर से सुविधा हो सके।

खुर्जा स्टेशन पर जन सुविधाओं की हालत बहुत खराब है। वहां का प्लेटफार्म रद्दी हालत में है। लिंक रोड स्टेशन पर बनी सड़क की हालत बहुत खराब है। वहां बारिश का पानी जमा हो जाने से स्टेशन जाने मे बहुत असुविधा होती है। वहां रिजर्वेशन की कोई सुविधा नहीं है। रिजर्वेशन का कोई काउंटर नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि इनको सुधारने के आप निर्देश दें और जंकशन को अच्छा और सुन्दर बनाने के आदेश दें।

मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहूंगा कि खानपुर स्टेशन पर 353 अप और 354 डाउन गाड़ी जो कि 30 जुलाई से रूकनी बंद हो गयी, उसको पुनः चालू किया जाये। इस बारे में लोग आप से मिलना भी चाहते थे। इनका एक डैलिगेशन भी यहां आया था। इस गाड़ी को पुनः रोकने के आदेश दें जिससे वहां के लोगों की परेशानी दूर हो सके।

आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, इसके लिये बहुत–बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पी.पी. कालियापेरूमल (कुड्डालोर) : सभापति महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

सबसे पहले तो मैं मंत्री महोदय को यात्री सुख–सुविधाओं के मामले में उनके द्वारा ली गयी गहरी रूचि के लिये उन्हें बधाई देता हूं।

मुझे बताया गया है कि तमिलनाडु राज्य में यात्री सुख–सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये शुरू किये गये कार्य पूरे जोरों पर हैं।

इसके अतिरिक्त मैं माल लदान के मामले में मंत्री महोदय ने जों उपलब्धि हासिल की है उस का भी प्रशंसक हूं।

इसके साथ ही मैं माननीय रेल मंत्री से माननीय सदस्य श्री आर. अन्बारासु द्वारा लगाये गये आरोप की जांच करने का अनुरोध भी करता हूं क्योंकि यह एक गंभीर आरोप है। भारत में किसी राज्य के साथ भेदभाव करना अधिक खतरनाक है। विशेष रूप से, तमिलनाडु के साथ भेदभाव और भी अधिक खतरनाक है क्योंकि तमिलनाडु पहले ही संकीर्ण प्रान्तीयता और भाषाई कट्टरपन के लिये मशहूर है।

अतः मैं मंत्री महोदय से इस आरोप की जांच करने तथा सदन के समक्ष उत्तर देने का अनुरोध करता हुं।

मैं माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। मेरे पास भी रेल मंत्रालय के विचारार्थ कुछ मांगें हैं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र तमिलनाडु में कुड्डालोर है। उस शहर में मेरे निर्वाचन क्षेत्र का भी मुख्यालय है। वह बन्दरगाह वाला नगर है। वह औद्योगिक शहर भी है। इस शहर के बीचोंबीच थिरूप्पापुलिचुर में एक रेल फाटक है। इस रेल फाटक पर भारी यातायात रहता है। और वहां कोई रेल उपरिपुल नहीं है और इस क्षेत्र के लोग इस रेल फाटक पर एक रेल उपरिपुल की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग सही है और एक दशक पुरानी है। यदि इस रेल उपरिपुल का निर्माण नहीं किया जाता है तो इस शहर के लोग संसद सदस्य को दोष देंगे।

अतः, मैं माननीय रेल मंत्री जी से इस मामले की सावधानी से जांच कराने तथा रेल उपरिपुल के निर्माण कार्य को कम से कम अगले वर्ष के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने का अनुरोध करता हूं। अन्यथा मेरे यहां के लोग मेरे घर के सामने धरना देंगे। उनके धरना के प्रत्युत्तर में, मुझे रेल भवन के सामने अथवा

माननीय रेल मंत्री के घर के सामने धरने पर बैठने के लिये विवश होना पड़ेगा। इसलिये मैं माननीय रेल मंत्री जी से इस मामले की सावधानी से जांच करने का अनुरोध करूंगा।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई रेल फाटकों पर कोई रेलकर्मी तैनात नहीं है। हम सभी जानते हैं। कि ऐसे चौकीदार रहित रेल फाटक खतरनाक तथा दुर्घटना–प्रवण स्थल होते हैं।

अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी से इन सभी चौकीदार रहित रेल फाटकों पर अत्यधिक ध्यानपूर्वक तथा तत्काल कर्मचारी तैनात करने का अनुरोध करता हूं।

लगभग 1,841 दुर्घटना संबंधी दावों के मुकदमे विचाराधीन हैं। इसका अर्थ है कि इन मुकदमों के विचाराधीन होने के कारण 1,841 परिवार अर्थात् 10,000 व्यक्ति पीड़ित हैं।

अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इन मामलों के अति शीघ्र निपटान तथा मुआवजा दिया जाना सुनिश्चित करें।

इन टिप्पणियों के साथ मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री विश्वेश्वर भगत (बालाघाट) : सभापति महोदय, रेल मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

महोदय, मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मध्य प्रदेश का वह अंचल है, जो महाकौशल के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के मानचित्र में बालाघाट जिला ऐसा है, जहां खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और देश का कान्हा नेशनल पार्क भी वहां है। इसके अलावा देश की सबसे बड़ी खनिज सम्पदा ताम्बा, कुल उत्पादन का आधे से भी अधिक भाग बालाघाट जिले में पाया जाता है। इस खनिज सम्पादा के दोहन से प्रत्येक वर्ष रेल विभाग को 30-40 करोड़ रुपए की आय होती है। इतना होने पर भी खनिज सम्पादा का दोहन करने के बाद 100-150 किलोमीटर गोन्दिया तक ट्रांपोर्टिंग करनी पड़ती है। जब मैं इस संसद का सदस्य चुनकर आया था, तब मैंने नियम-377 के माध्यम से, सामान्य बजट चर्चा पर भी जबलपुर से लेकर चन्द्रपुर तक की नेरोगेज लाइन के ब्राडगेज में कन्वर्जन के लिए मांग की थी। मैं माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आठवीं पंचवर्षीय योजना में उसको सम्मिलित किया है और मुझे पत्र के माध्यम से आश्वासन भी दिया है। किन्तु जब 1992-93 का बजट बना, तो उसमें उस रेल को जिस कोने से चालू किया गया, चन्द्रपुर की ओर से, निश्चित रूप से वह क्षेत्र भी ब्राडगेज बनना चाहिए और उस छोर को पूरा होना चाहिए था, उसमें जबलुपर, मांडला, सिखनी और बालाघाट जहां पर से रेल पथ होकर जाता है, इन चारों स्थानों पर कहीं पर भी ब्राडगेज नाम की कोई चीज नहीं है। इस कारण वह क्षेत्र, जो आदिवासी और पिछड़े लोगों का बाहुल्य क्षेत्र है, विकसित नहीं हो पाया है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इन क्षेत्रों के विकास के लिए वे कार्य प्रारम्भ करें। अनेक माननीय सदस्यों ने इस संबंध में सामूहिक रूप से निवेदन किया था और माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा इसके लिए समय प्रदान किया जा चुका है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसका अविलम्ब शिलान्यास करके कार्य प्रारम्भ करने की दिशा में कदम उठायें।

बम्बई से हावड़ा मात्र तीन गाड़ियां–एक सुपरफास्ट मांडला, दूसरी मेल और तीसरी तुरला एक्सप्रैस जाती हैं। इस तुरला एक्सप्रेस गाड़ी में टु–टायर की बोगी भी नहीं है और फर्स्ट क्लास की जो बोगी लगी है, उसकी हालत बहुत ही बदतर है। जो हावड़ा बॉम्बे कुर्ला एक्सप्रेस कहलाती है उसमें नयी बोगियां लगाई जाएं। उसमें एक एसी टू टायर बोगी लगाई जाए, क्योंकि बॉम्बे से लेकर हावाड़ा, जो पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाला मार्ग है वह अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग में बहुत कम गाड़ियां हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस मार्ग पर एक और सुपर फास्ट ट्रेन चलाई जाए ताकि पूर्व से पश्चिम जाने वाले लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध हो सके।

महोदय, हमारे मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाली एक उत्कल एक्सप्रेस चलती है, जो दिल्ली से होकर अमृतसर तक जाती है उन ट्रेनों के डिब्बों की हालत को देखा जाए तो बरसात में छाता लगा कर उन डिब्बों में बैठना पड़ता है। यह उस ट्रेन की हालत है। जब से इस ट्रेन का अमृतसर जाना चालू हुआ है तो लगातार 6-6, 8-8 घंटे, बल्कि 10-10, 12-12 घंटे वह ट्रेन लेट चल रही है। इसमें उड़ीसा से लेकर मध्य प्रदेश तक के यात्री सफर करते हैं। इस उत्कल एक्सप्रेस से लोग काफी तंग आ चुके हैं। इस रेलवे की व्यवस्था पर कई बार लोगों ने ध्यान आकृष्ट कराया है। हमारे सारे सांसद आपसे निवेदन कर चुके हैं किन्तु इनता बड़ा निवेदन करने के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उत्कल एक्सप्रेस के डिब्बों को कम से कम सही करके एक नियमित टाइम पर वह ट्रेन चले, तभी उससे लम्बे सफर के यात्रियों को सुविधा मिल सकेगी।

महोदय, उसी तरह से अमर कंटक एक्सप्रेस और महानदी एक्सप्रेस, जो भोपाल तक चलाई जाती है, यह मात्र तीन दिन चलाई जाती है। मेरा निवेदन है कि इन दोनों ट्रेनों को डेली चलाया जाये, जिससे उस तरफ के लोगों को आवागमन की सुविधा मिल सके। तीसरा मेरा निवेदन है कि महानदी एक्सप्रेस का स्टोपेज तुमसर रोड जंक्शन है, जो हावड़ा से लेकर बॉम्बे रूट पर है और वहां सारी ट्रेनों के स्टापेज हैं, वहां सारी एक्सप्रेस ट्रेनें रूकती हैं। महानदी तथा सभी जिलों में इसका स्टापेज दिया है मगर इस महत्वपूर्ण स्थान पर, जो तुमसर रोड जंक्शन है वहां उसका स्टोपेज नहीं दिया है, मेरा निवेदन है कि वहां भी इसका स्टोपेज दिया जाए। इसके साथ ही जो ट्रेन नं. 3334 विलासपुर, भोपाल, जो इन्दौर तक चलाई जाती है उसमें एक बोगी फर्स्ट क्लास को वहां से हटा दिया है, उसके हटाने से लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि छिपरा एक्सप्रेस में उसका रैक लगाया गया है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि छिपरा एक्सप्रेस में रैक लगे हमको कोई आपत्ति नहीं है, मगर ट्रेन नं. 3334 विलासपुर, इन्दौर, उसमें वापस हमारा फर्स्ट क्लास का कोच है वह लगे।

महोदय, एक हमारा निवेदन यह है कि तिरोड़ी से लेकर कटंगी मात्र 15 किलोमीटर है, जिसमें लाइन बढ़ाने के लिए एक संकल्प के माध्यम से भी मैंने मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराया था। यह एक ऐसा स्थान है जहां से तिरोड़ी से तुमसर और अन्य क्षेत्रों में सारा मैंगनीज ओर वहां से ट्रांसपोर्ट होता है। फूड ग्रेस भी वहां से ट्रांसपोर्ट होता है, सीमेंट तथा अन्य कई चीजें वहां से आती हैं। मगर वहां अभी तक शैड न होने के कारण सारे व्यापारी लोग बहुत परेशान हैं इसलिए तिरोड़ी स्टेशन में शैड की व्यवस्था की जाए, इससे रेलवे को इतना बड़ा फायदा होता है, जिससे कम से कम उनके सामान की हिफाजत हो सके, इसलिए वहां गुड शैड बनाया जाए जिससे वहां के लोगों को सुविधा मिल सके।

महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, अभी 24 तारीख को हम सब लोगों ने निवेदन किया है हम लोगों की कुछ और भी छोटी–छोटी मांगें हैं जिनको सदन में बताने के लिए समय नहीं मिल पाता। मंत्री महोदय से मध्य प्रदेश के सांसद ने समय मांगा है और मंत्री जी ने उसे स्वीकार भी किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम हमारे गोदिया से लेकर जबलपुर तक की नैरोगेज लाइन का है, जो आदिवासी जिले हैं उनके विकास के दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर अविलम्ब नैरोगेज को ब्रोड गेज किया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत (दार्जीलिंग) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर चाहे थोड़ा ही सही, बोलने का अवसर प्रदान किया।

मुझे रेल मंत्रालय की अनुपूरक अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए अति प्रसन्नता है और विशेष रूप से इस कारण कि हमारी रेल प्रणाली का आधुनिकीकरण करने हेतु अच्छा और महान कार्य किया जा रहा है। किन्तु रेल मंत्री जी को बधाई देते हुए मैं इस सभा और आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र दार्जीलिंग की कुछ तकलीफों, कुण्ठाओं और व्यथाओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, लोगों की धारणा के प्रतिकूल मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दार्जिलिंग के केवल पर्वतीय क्षेत्र ही नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्रों के चार विधान सभा क्षेत्र : सिलीगुड़ी, फांसीदेवा जिसमें नक्सलवाड़ी इस्लामपुर और चोपड़ा भी शामिल हैं। सिलीगुड़ी क्षेत्र पिछले कई वर्षों से अत्यधिक पीड़ित है। वास्तव में, आज मेरा बोलने का मुख्य प्रयोजन यह है कि रेल मंत्री जी कुछ ऐसे कदम उठायें जिनसे सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन की महत्ता और गौरव की पुर्नस्थापना हो सके जो उसे उत्तरी बंगाल के प्रमुख रेलवे स्टेशन, रेलशीर्ष तथा दार्जीलिंग, सिक्किम, भूटान और पूर्वी नेपाल के प्रवेश द्वारा के रूप में कभी प्राप्त थी।

विडंबना यह है कि दार्जीलिंग, सिक्किम और भूटान में पर्यटकों के आवागमन में आशातीत वृद्धि होने के बावजुद सिलीगुड़ी जंक्शन का महत्व कम हो गया है। अकेले दार्जीलिंग में ही पिछले वर्ष लगभग छह लाख पर्यटक आये थे और इस वर्ष और अधिक पर्यटकों के आने की आशा है। एक समय था जब पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली 17 रेल गाड़ियां सिलीगुड़ी जंक्शन से होकर गुजरती थीं। आज ऐसी केवल एक गाड़ी गुवाहाटी–लखनऊ ट्रेन अथवा जी.एल. ट्रेन है। परन्तु यह जी. एल. ट्रेन अब लखनऊ तक नहीं जाती बल्कि इलाहाबाद तक ही जाती है।

फरक्का पर एक रेल पुल के निर्माण के पश्चात् उत्तरी बंगाल और कलकत्ता के बीच वाया माल्दा एक बड़ी लाइन बनाने के संदर्भ में 20 वर्ष पूर्व ओल्ड सिलीगुड़ी जंक्शन से सात किलोमीटर दूर न्यू सिलीगुड़ी जंक्शन नामक एक नये रेलवे स्टेशन की स्थापना की गयी। इसके बाद इस बड़ी लाइन का गुवाहाटी तक विस्तार किया गया जिसके फलस्वरूप असम के साथ मीटरगेज द्वारा पहले स्थापित सम्पर्क के अतिरिक्त एक बहु–अपेक्षित बड़ी लाइन द्वारा सम्पर्क स्थापित हो गया। बाद में न्यू सिलीगुड़ी जंक्शन का नाम बदल कर न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन कर दिया गया।

दु:खद रूप से, इसके ठीक विपरीत, ओल्ड जलपाईगुड़ी जंक्शन की बड़ी उपेक्षा हुई है। मैंने कुछ समय पहले कहा था, वहां केवल एक जी.एल. ट्रेन उपलब्ध है जो वहां आते-जाते हुए सुबह 1.30 बजे के अत्यधिक असुविधाजनक समय पर रुकती है। इसके अतिरिक्त, वह सात किलोमीटर दूर स्थित न्यू जलपाई गुड़ी के साथ छोटी लाइन तथा मीटरगेज सम्पर्क भी प्रदान करती है। परन्तु, छोटी लाइन की ट्रेन का उपयोग कोई नहीं करता है और वह इस समय केवल नाममात्र ही चलती है। मीटरगेज का उपयोग यात्री तथा माल दोनों ही प्रकार के यातायात के लिये किया जाता है, माल यातायात में डिब्रूगढ़ से आने वाले तेल के टैंकर भी शामिल हैं।

इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की सहयता से मैंने इस मामले का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है और मेरा पुरजोर अनुरोध है कि ओल्ड सिलीगड़ी जंक्शन को अब बड़ी लाइन द्वारा न्यूजलपाईगुड़ी जंक्शन, के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए, जोकि केवल सात किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इतनी दूरी के लिये इस छोटी लाइन को, कोई बड़ी धनराशि खर्च किये बिना बड़ी लाइन में आसानी से बदला जा सकता है। छोटी लाइन का बड़ी लाइन में यह परिवर्तन दार्जीलिंग, सिक्किम तथा भूटान की ओर बढ़ते हुए पर्यटक यातायात के लिए वास्तव में वरदान होगा। इस समय, पर्यटकों को जबर्दस्ती सात किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है, जोकि इन भीड़-भाड़ वाली सड़कों द्वारा कुल मिलाकर 15 किलोमीटर पड़ती है, और अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिये उन्हें अत्यधिक समय और धन की बर्बादी करनी पड़ती है। इससे दार्जीलिंग मेल दार्जीलिंग जिले में सिलीगंड़ी जंक्शन से यात्रा शुरू करके वाया न्यू जलपाई गुड़ी, जो जलपाईगुड़ी में स्थित है, कलकत्ता जा सकेगी।

मेरे अनुरोध का एक मानवीय दृष्टिकोण भी है। ओल्ड सिलीगुड़ी जंक्शन पर इस समय 210 कुली तथा 100 विक्रेता हैं। वे सभी आजकल वस्तुतः बेरोजगार हैं तथा भुखमरी और भारी कठिनाइयों के शिकार हैं। किसी समय वे ओल्ड सिलीगुड़ी जंक्शन पर रूकने वाली 17 रेलगाड़ियों की बदौलत लगभग पूरे समय व्यस्त रहते थे।

जैसा कि आज मैंने पहले ही इस बात का उल्लेख किया है कि पुराने सिलीगुड़ी जंक्शन पर केवल एक ही रेलगाड़ी रूकती है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गत ढ़ाई वर्षों में आपके गतिशील नेतृत्व में रेलमंत्रालय ने 3,000 किलोमीटर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का सराहनीय कार्य किया है। आपने 6,000 किलोमीटर लाइन के आमान परिवर्तन का लक्ष्य रखा है। मैं तो सात किलोमीटर लाइन के आमान परिवर्तन के लिए अनुरोध कर रहा हूं। इस सात किलोमीटर लम्बी लाइन के आमान परिवर्तन से हमें सुविधा हो जाएगी।

सभापति महोदय, मैं इस विषय में अपना व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहता हूं। गत सप्ताह मैंने कलकत्ता से नई जलपाईगुड़ी तक यात्रा की थी और इससे एक सप्ताह पूर्व मैंने सिलीगुड़ी से गुवाहाटी तक यात्रा की थी। मुझे सिलीगुड़ी से नई जलपाईगुड़ी तक की यह 15 किलोमीटर की यात्रा तंग तथा भीड़-भाड़ वाली सड़कों से करनी पड़ी। सामान्यतः विमानपत्तन बड़े शहरों से बाहर बनाए जाते हैं। परन्तु इस मामने में यह हास्यास्पद स्थिति है कि रेलवे स्टेशन सिलीगुड़ी शहर से 15 किलोमीटर दूर है।

आज सिलीगुड़ी पूर्वोत्तर क्षेत्र की वित्तीय राजधानी है। यह केवल उत्तर बंगाल का महत्वपूर्ण शहर नहीं है बल्कि यह पश्चिम बंगाल का दूसरा महत्वपूर्ण शहर है। इस मामले विशेष में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज पूरे विश्व में आधुनिकीकरण हो रहा है, शहरों के अन्दर रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने के प्रयास किए जा रहे है और पुराने तथा शहरों से दूर रेलवे स्टेशनों को शहरों के अन्दर लाने के प्रयास किये जा रहे हैं। मुझे वह यात्रा याद आती है जो एक बार मैंने पेरिस से लियोन्स तक टी.जी.वी. के द्वारा की थी। इसका लाभ यह है कि यदि रेलवे स्टेशन शहर के अन्दर है तो रेल द्वारा अधिक से अधिक लोग यात्रा करेंगे। मुझे विश्वास है कि यदि इस सात किलोमीटर मीटरगेज लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया जाता है तो इससे आपको अधिक आमदनी होगी जो इस समय भूतल परिवहन अर्थात बसों को चलाने वालों को हो रही है।

महोदय, इसके बाद मैं एक बात अपने निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में कहना चाहता हूं। यह दार्जिलिंग मेल के बारे में है। महोदय, दार्जिलिंग मेल आज एक प्रतिष्ठित रेलगाड़ी है जो कलकत्ता को उत्तर बंगाल से जोड़ती है। जैसा कि मैंने कहा है कि पिछले सप्ताह मैंने कलकत्ता से नई जलपाईगुड़ी तक यात्रा की थी और यह मेरा बड़ा कटु अनुभव था। आप मुझसे इसके संबंध में पूछेंगे कि इसमें ऐसा कटु क्या था। रेलगाड़ियों का रखरखाव बहुत शोचनीय है, मध्याह्न पश्चात के वक्तव्य में, इस स्थिति का जो वर्णन किया गया है उससे यहं और शोचनीय हो गया। मैंने द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बे में यात्रा की थी और यह डिब्बा कोकरोचों से भरा हुआ था। आप इनमें सो नहीं सकते क्योंकि हर समय कोकरोच आपके ऊपर घूमते रहेंगे और.हमेशा नाक में उनके घुसने का डर बना रहता है। इनसे.हमेशा भय बना रहता है। खाद्य सामग्री भी इनसे सुरक्षित नहीं रहती है। हम 7 बजे कलकत्ता से चले थे हमारे पास कुछ खाद्य सामग्री थी। परन्तु इनका भान होने से पहले ही खाद्य पैकेट काकरोचों से भर गए थे।

मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलगाड़ियों के रखरखाव की तरफ अधिक ध्यान देने की जरूरत है। यदि वर्तमान व्यवस्था गाड़ियों का ठीक रखरखाव नहीं कर सकती है तो मेरा रेलमंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस क्षेत्र का निजीकरण करने की संभावना पर विचार किया जाए क्योंकि रखरखाव के उच्च स्तर को बनाए रखना जरूरी है। शायद सभा की इस बात में होगी कि सिलीगुड़ी के एक स्थानीय सम्पादक ने दार्जिलिंग मैल के डिब्बों में काकरोचों की समस्या के संबंध में रेलों के विरूद्ध उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया है। मेरा रेल मंत्री महोदय से अनुरोध है कि स्वच्छता और सफाई के न्यूनतम स्तरों को बनाए रखा जाए। यदि कोई समस्या है तो उन्हें इसके समाधान के लिए अन्य तरीके खोजने हेतु अपनी गतिशीलता का उपयोग करना चाहिए।

महोदय, मैं रेल मंत्री महोदय का आभारी हूं कि गत वर्ष वह इस्लामपुर के निकट अलुआबारी पर असम अवध एक्सप्रेस के स्टॉप की व्यवस्था के लिए सहमत हो गए थे। परन्तु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, जिसमें इस्लामपुर और चोपरा शामिल हैं, यह मांग की गई है कि इस्लामपुर पर कंचनजंगा एक्सप्रेस का स्टॉप बनाया जाए। कुछ लोग एक स्टॉप से खुश नहीं हैं। इसलिए मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस के स्टॉप की संभावना पर भी विचार किया जाए।

महोदय, मैं दो बातें और कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। दूंसरी बात राजधानी एक्सप्रेस के संबंध में है। मैं श्री जाफर शरीफ को सप्ताह में एक बार दिल्ली से गुवाहाटी तक राजधानी एक्सप्रेस चलाने

के लिए बधाई देता हूं। हमें इस बात की खुशी है कि यह रेलगाड़ी नई ज़लपाईगुड़ी पर रूकेगी परन्तु मैं चाहता हूं कि यह सिलीगुड़ी जंक्शन पर भी रूके। परन्तु दिल्ली और गुवाहाटी के बीच चलने वाली इस राजधानी एक्सप्रेस की बारम्बारता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। मेरा रेल मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस रेलगाड़ी को कम से कम सप्ताह में दो बार चलाया जाए क्योंकि मेरे विचार से सप्ताह में एक बार तो बहुत कम है। जैसा कि मैंने कहा है कि मैं एक और बात कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। मैंने कुछ समय पूर्व इस चर्चा में भेदभाव के संबंध में कुछ बड़े गम्भीर आरोप सुने थे। मेरे मित्र श्री आर. अन्बारासु ने रेल मंत्री महोदय के विरूद्ध कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं और रेल मंत्रालय को तमिलनाडु के साथ भेदभाव बरतने का दोषी ठहराया है।

महोदय, रेल प्रणाली राष्ट्रीय एकता में बड़ी सहायक सिद्ध हुई है। यदि पीछे बैठे हुए मेरे दूसरे सहयोगी के आरोप सही हैं तो यह वास्तव में बड़ा गम्भीर मामला है। रेलवे में किसी राज्य के प्रति भेदभाव बरतने की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि रेलमंत्री महोदय ने इन आरोपों का तत्काल प्रतिवाद किया है। परन्तु मेरा यह सुझाव है कि यदि इन आरोपों की जांच के लिए रेलवे की स्थायी समिति से कोई उप समिति बनाने के लिए कहा जाए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरे विचार से यदि ये बातें असत्य हैं तो इनका पता लगाना चाहिए। सच्चाई का पता लगाया जाना चाहिए। अन्ततः हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि जो भी कार्य किया जाएगा उससे भावनात्मक कटुता के बजाए राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं रेलवे की अनुपूरक मागों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं अपने कुछ सुझाव भी इस संबंध में देना चाहता हूं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय उन सुझावों पर गंभीरता से विचार कर कार्यवाही करेंगे।

सभापति महोदय, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने का माध्यम केवल रेल मार्ग ही है। यह दोनों की संस्कृति को जोड़ता है। जैसा कि मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत जी ने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिये यह आवयश्क भी है। उत्तर से दक्षिण को जाते समय रेल मध्य प्रदेश में से होकर गुजरती है और यह प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का बड़ा प्रान्त है। और इसमें भी बस्तर जिला का क्षेत्रफल केरल राज्य के क्षेत्रफल के बराबर है। इसलिये यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश जैसे बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य में रेलों का जाल बिछाया जाये। मध्य प्रदेश के गुना जिला से HBJ पाईपलाईन निकलती है और विजयपुर में देश की 33 प्रतिशत एल.पी.जी का उत्पादन होता है। इसलिये यह आवश्यक है कि वहां पर गुड्स ट्रैफिक संचालन सुचारू रूप से हो अथवा और एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जावें। ताकि जो औद्योगिक विकास इस पाइपलाइन के किनारे होना है, जिस औद्योगिक विकास का सपना हमारे पूर्व प्रधान मंत्री राजीव जी ने देखा था, उसे हम सबको साकार करना है और भविष्य में जहां जहां पर गैस पर आधारित पाइपलाइन निकली है, वहां बहुत तीव्र गति से औद्योगिकरण होना है। विजयपुर में लगभग तीन–चार हजार करोड़ रुपए का पूंजी निवेश केन्द्र सरकार ने किया है। वहां पर एक गैस पर आधारित खाद का कारखाना लगा है। वहां भारत गैस प्राधिकरण लिमिटेड में एल.पी.जी. का निर्माण होता है। और भी कई संभावित इकाइयां उस क्षेत्र में आने वाली हैं क्योंकि जो उद्योग गैस पर आधारित होता है उसमें प्रदूषण नहीं होता और उनका उत्पादन–शुल्क बहुत कम होता है जिसके कारण रेल परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए।

आदरणीय सभापति महोदय, इस वक्त केवल वहां पर एक साबरमती ऐक्सप्रेस चलती है जो हफ्ते में तीन या चार दिन ही चलती है। इसलिए आवश्यक है कि बीजापुर से दिल्ली तक एक फास्ट ट्रेन तत्काल चलाइ जाए क्योंकि वहां पर जो अधिकारी हैं भारत गैस प्राधिकरण लिमिटेड और एन.एफ.एल. के, उन्हें 250 किलोमीटर सड़क से ग्वालियर आना पड़ता है और वहां से ट्रेन पकड़नी पड़ती है और उसमें बड़ा विलंब होता है तथा शासन का नुकसान होता है। अगर इस ओर शासन ध्यान देगा तो रेलवे को बहुत लाभ हो सकता है। कई ऐसी गाड़ियां हैं जो शॉर्ट रूट से चलाई जा सकती हैं लेकिन नहीं चलाई जा रही हैं। जैसे जयपुर–मद्रास ट्रेन को अगर कोटा–बीना रेल लाईन से चलाया जाए तो उसकी दूरी कम पड़ेगी और ट्रैफिक भी बढ़ेगा क्योंकि जिन औद्योगिक संस्थानों का जिक्र मैंने किया है, वहां भारी तादाद में दक्षिण भारत और उत्तर भारत के लोग काम करते हैं और उनको इस ट्रेन से चलने से सुविधा होगी। इसी प्रकार इन्दौर–हावड़ा ऐक्सप्रेस को गुना हो कर चलाया जाए तो रेलवे को इससे लाभ होगा। इसकी घोषणा पूर्व रेल मंत्री श्री माधवराव सिंधिया जी ने की थी लेकिन खेद है कि अभी तक इसे पूरा नहीं किया गया है। मैं आशा करता हूं कि रेल मंत्रालय इस पर ध्यान देगा।

आदरणीय सभापति महोदय, भोपाल से रामगंज मंडी की रेलवे लाइन का सर्वेक्षण पूर्व में दो–तीन बार हो चुका है। जिस समय सर्वेक्षण हुआ, उस समय इसे लाभदायक नहीं माना गया था, लेकिन आज की तारीख में यह लाइन बहुत लाभदायक सिद्ध होगी क्योंकि रामगंज मंडी में बड़ी भारी संख्या में कोटा स्टोन निकाला जा रहा है। करोड़ों का निर्यात कोटा स्टोन का हो रहा है, लेकिन भोपाल तक रेलवे लाइन न होने से वहां बड़ी असुविधा हो रही है। कई सीमेण्ट प्लांट भी रामगंज मंडी के आसपास आ चुके हैं। उनका परिवहन भी हो सकता है और निश्चित रूप से आज की तारीख में यह लाभदायक सिद्ध होगा।

आदरणीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सड़क का संपर्क बरसात में टूट जाता है। इस बार बाढ़ आने से फिर टूट गया। इसलिए आवश्यक है कि भोपाल–रामगंज मंडी लाइन को तत्काल स्वीकृति देकर इस पर काम शुरू करवाएं ताकि मध्य प्रदेश और राजस्थान का संपर्क बरसात में भी बना रहे। एक सदस्या का सुझाव मैं यहां दे रहा हूं जो वह बोल नहीं पाई। श्रीमती लक्ष्मणन का सुझाव है कि एक साढ़े चार सौ करोड़ का बॉण्ड कोंकण रेलवे ने निकाला है। इसकी स्वीकृति वह रेल मंत्रालय से चाहते हैं और इसको स्वीकार करने में रेल मंत्रालय पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि श्रीमती लक्ष्मणन जी का सुझाव भी स्वीकार कर लिया जाए। एक विशेष समस्या जो हमारे देश में रेलवे से संबंधित है वह है शक्कर की महंगाई। हमारे देश ने शक्कर का आयात किया। शक्कर पड़ी हुई है लेकिन रेलवे के द्वारा जितना उसका परिवहन होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है विशेषकर हमारे मध्य प्रदेश में रेलवे को जितने वैगन देने चाहिये थे, उतने नहीं दिये गये हैं जिसके कारण शक्कर के दाम जो अब तक घट जाने चाहिये थे, आज भी वही शक्कर के दाम हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि रेलवे मंत्रालय को शक्कर के परिवहन के लिये जिस तरह काम करना चाहिए था, वह नहीं कर पाया है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस ओर विशेष धन दें और जितना जल्दी हो सके सारे देश में शक्कर का परिवहन रेलवे के जरिये करायें ताकि शक्कर के दाम गिर सकें और आम आदमी को राहत मिल सके।

इन शब्दों के साथ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत (नन्दरबार) : सभापति महोदय, मैं सदन में प्रस्तुत 1991-92 से संबंधित रेलवे की अतिरिक्त मांगों और 1994-95 से संबंधित अनुदांन की अनुपूरक मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे महाराष्ट्र में रेलवे की स्थिति सुधारने की तरफ ध्यान दिया और धुलिया से नरढाणा तक नई रेलवे लाईन के सर्वेक्षण कार्य को मंजूरी दी, उसका काम शुरू करने की मंजूरी दी, जिसके लिय मैं अपनी ओर से और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की और से उनका आभार प्रकट करता हूं।

भारतीय रेलवे हमारे देश की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और यातायात की दृष्टि से देशवासियों को बहुत ही लाभदायक है। सैन्ट्रल रेलवे और वैस्टर्न रेलवे में यातायात के मामले में बहुत फर्क दिखायी देता है। मेरा जनरल सुझाव है कि सैन्ट्रल रेलवे के प्रशासन को भी वैस्टर्न रेलवे जैसा करना चाहिए।

मैं महाराष्ट्र के नन्दरबार क्षेत्र से चुनकर आता हूं जो आदिवासी इलाका है। देश के पिछड़े और आदिवासी इलाकों का विकास करना और उसे सभी सुविधायें उपलब्ध कराना केन्द्रीय सरकार की नीति है लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सूरत--भुसावल रेलवे लाईन बहुत पुराने जमाने से बनी हुई है जिस पर 4 अप और 4 डाउन पैसेंजर गाड़ियां चलती हैं तथा अहमदाबाद–हावड़ा, नवजीवन एक्सप्रेस, राप्ती–गंगा एक्सप्रेस सहित एक–दो और गाड़ियों भी चलती हैं। इनके अलावा दिन भर में 9-10 मालगाड़ियां भी चलती हैं। इस रेलवे लाईन के दोहरीकरण का काम 1984 में जलगांव से धरणगांव तक 25 किलोमीटर के टुकड़े को मंजूरी देने के साथ शुरू हुआ था लेकिन अभी तक केवल 25 किलोमीटर के टुकड़े की मंजूरी ही दी गयी है यानी उस लाईन को डबल करने का काम बहुत धीमी गति से हो रहा है। मुझे अगस्त महीने में मंत्री जी का एक पत्र मिला था जिसमें कहा गया था कि 1994-95 के रेलवे बजट में इस लाईन को डबल करने के लिए 13 करोड़ कुछ लाख रुपये रखे गये हैं। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि आप खुद दिल्ली से वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों की एक टीम भेजकर रिपोर्ट मंगवायें कि इस सूरत–भुसावल रेलवे लाईन को डबल करने की सही रूप में जरूरत है या नहीं। आप जानकारी मंगवा सकते हैं, मालूमात ले सकते हैं। वैसे तो मेरी जानकारी के अनुसार, सूरत–भुसावल रेलवे लाईन को डबल करने की जरूरत रेलवे मंत्रालय भी महसूस करता है लेकिन ऐसी रिपोर्ट भी मिल रही है कि रेलवे बोर्ड इस रूट पर पर्याप्त ट्रैफिक या रिवैन्यू न होने का बहाना कर रहा है और वैस्टर्न रेलवे के अधिकारियों तथा डी.आर.एम. आदि की ओर से ऐसी गलत आधार पर रिपोर्ट भेजी गयी है। सूरत–भुसावल सैक्शन पर इस वर्ष करीब 15 डकैती पड़ी हैं

4.00 म.प.

रेलवे सुरक्षा बल या पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। इस लाइन पर यात्रा करने वाले यात्री ऐसा समझते हैं कि इस लाइन पर यात्रा करने वाले यात्री बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं।

नन्दरवार से बम्बई, सूरत– भुसावल लाइन पर चलने वाली गाड़ी वीरमगांव पैसेंजर में रात्रि में 2045 बजे एक बोगी लगाई जाती है। यह बोगी महीने मे 7-8 दिन ही लगाई जाती है। भुसावल की ओर से आने वाली सभी गाड़ियां सिंगल लाइन होने की वजह से लेटाइम चलती हैं और वे जो रेलवे कंट्रोलर नंदरवार होता है, वह इस गाड़ी को कहीं भी किसी भी रेलवे स्टेशन पर साइड में लगा देता है। वहां पर उसकी

मनमानी चलती है। जिस दिन वीरमगांव पैसेंजर में यह बोगी नहीं लगाई जाती है, उस दिन भी इस पैसेंजर गाड़ी को सूरत स्टेशन पर रोक दिया जाता है जिससे यात्रियों को बहुत तकलीफ होती है और यह गाड़ी रात–रात भर वहीं स्टेशन पर खड़ी रहती है। कभी–कभी दूसरे दिन बड़ौदा–बम्बई पैसेंजर या अहमदाबाद पैसेंजर को दूसरे दिन यह बोगी लगाई जाती है जिससे यात्रियों की तकलीफ बहुत बढ़ जाती है।

मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है और मैं यहां यह चेतावनी भी देना चाहता हूं कि कदाचिद हमें इस असुविधा को दूर कराने के लिए "रेल रोको आन्दोलन" न करना पड़े क्योंकि इस बारे में मैंने कई बार कहा है और लिखकर भी दिया है, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन भी करना चाहता हूं कि सूरत–भुसावल लाइन किस जमाने की बनी है, इस बात को भी देखना चाहिए। जब से यह लाइन बनी है, तब से रेल पटरियां भी नहीं बदली गई हैं। इसी कारण रेल पटरियों से रेल के डिब्बे नीचे उतर जाते हैं और पूरी लाइन बन्द हो जाती है जिससे यात्रियों को बहुत परेशानी होती है। जुलाई 1994 में इस लाइन पर एक बार रेलवे इंजन ब्यारा रेलवे स्टेशन के पास नीचे उतर गया, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, यह यात्रियों का भाग्य रहा दूसरी बार चिंतपड़ा खात गांव के बीच एक इंजन मालगाड़ी के डिब्बों सहित पटरी से उतर गया था। जिससे रेलवे लाइन को बन्द करना पड़ा था और जब तक यह लाइन क्लीयर नहीं हुई इस पर आवागमन बन्द रहा। इस प्रकार से गाड़ियां इस लाइन पर पड़ी रहती हैं और लेट होती हैं। इससे रेल यात्रियों को बहुत दिक्कत होती है। अगर यह डबल लाइन होती, तो यात्रियों को दिक्कत नहीं होती।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विनती करता हूं कि वे रेलवे अधिकारियों की एक टीम सूरत–भुसावल लाइन पर अवश्य भेजें, ताकि उस लाइन पर जितनी भीड़ है, उसके बारे में आपको सही जानकारी मिल सके।

सभापति महोदय, रेलवे क्रासिंग के रेल फाटकों पर चौकीदारों की बहुत कमी है जिसके कारण प्रायः दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अब तो रेलवे प्रशासन ने यह भी कर दिया है कि राज्यों में रेलवे क्रासिंगों पर स्थित फाटकों के चौकीदारों को देय वेतन के आधे वेतन का भार राज्य सरकारें वहन करें। मैं मांग करता हूं कि सभी रेलवे क्रासिंगों पर चौकीदार रखे जाएं। एक मांग मैं यह भी करना चाहता हूं जैसी हमारे श्री छीतूभाई गामीत ने की है कि सूरत–भुसावल लाइन को विद्युतीकृत किया जाए।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट) : सभापति महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद।

सबसे पहले मैं अपने वरिष्ठ मित्र जो पंजाब से हैं और जिन्होंने रेलवे मंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद दिया है और आभार व्यक्त किया है, जो उन्होंने नयी शताब्दी एक्सप्रैस दिल्ली से अमृतसर तक चलाई है उसके लिए, मैं अपने साथी से सहमत होकर और उनके साथ शामिल होकर देश की हुकूमत और माननीय मंत्री जी का बहुत–बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और इसी के साथ–साथ मैं सरदार उमराव सिंह जी, जो हमारे पंजाब के बहुत सीनियर मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी तरफ से जो सुझाव

आया है और मंत्री जी को दिया गया है कि इस नई ट्रेन का नाम है, जिसके संकेत अवाम के लिए कई बार बहुत अच्छे साबित होते हैं, इसका नाम अगर "गोल्डन टेम्पल एक्सप्रैस" या "सैय्यद मियां मीर एक्सप्रैस" जो कि बहुत बड़े फकीर हुए हैं, उनके नाम पर इस गाड़ी का नाम रख दिया जाए, तो यह बहुत अच्छा संकेत पंजाब और देश के लोगों के लिए जाएगा।

सभापति महोदय, वैसे मैं अपने आप को बहुत बदकिस्मत मानता हूं क्योंकि रेलवे ने हमारे इलाके को बहुत इगनोर किया है। जब मैं बोलने लगा हूं तो मंत्री जी सदन में हाजिर नहीं हैं। किसी शायर ने कहा है :

मोहब्बत के लिए भी कुछ खास दिल मकसूस होते हैं,

यह वह नगमा है, जो हर साज पर गाया नहीं जाता।

मैं आज महसूस करता था कि जो हमारे गीत, हमारे नगमे, हमारे दुख–दर्द हैं, उनको मैं मंत्री जी को सुना पाऊंगा। लेकिन हमारा भाग्य इस मामले में अच्छा नहीं है। मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पंजाब के लोगों की बरसों से जो मांग रही है कि किसी न किसी तरीके से चंडीगढ़ की जो कैपिटल है हरियाणा और पंजाब की, तथा यूनियन टेरीटरी है, उसको लुधियाना के साथ जोड़ा जाये। लुधियाना को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। सारी इंडस्ट्रीज, सारा व्यापार और पंजाब का जो न्युक्लीयस सेंटर प्लेस है, लुधियाना को चंडीगढ़–लुधियाना रेल लाईन बनाकर नहीं जोड़ा गया है। मुद्दतों से पंजाब के तमाम मुख्यमंत्री लिखते रहे हैं, मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट कहते रहे हैं। मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सारे पंजाब का जल्द से जल्द सर्वे करवाकर चंडीगढ़ को लुधियाना से लिंक किया जाये और नयी रेल लाइन बिछायी जाये।

सभापति जी, पंजाब की ट्रोपोग्राफी, पंजाब का इतिहास आपको मालूम है। मुझे बहुत खुशी है कि पहली बार रेल मंत्री जी ने 2 वर्ष पहले एक 80 किलोमीटर लम्बी ब्राडगेज डबल लाइन फाजिलका तक की। इस पर लोगों ने बहुत खुशी व धन्यवाद व्यक्त किया। लेकिन बार्डर फाजिलका में जाट रेजीमेंट के कम से कम 500 लोग शहीद हुए हैं। इकबाल ने कहा है :

एक हमीं थे, तेरे मारका राव से, खुश्कियों में, कभी लड़ते,

कभी दरियाओं में, की अलामत, कभी यूरोप के सायों में।

लेकिन इन शहीदों का जिस तरीके से रेलवे मिनिस्टर और डिपार्टमेंट ने अपमान किया है, वह गलत है। 1947 से पहले फाजिलका का जो स्टेटस था, उस स्टेटस को बहाल करना तो बाद की बात है। 1925 में जब वह ट्रैक ले डाउन हुआ तो तमाम गाड़ियों को बंद कर दिया गया और कोई नयी ट्रेन उस रूट पर नहीं चलाई गयी। मुझे इस बात का अफसोस है कि इस पर रेल मंत्री जी ने जो प्रोग्राम रखा, पंजाब की सरकार का जहाज सम्मन किया गया कि वह कोटकपूरा जाकर नयी ट्रेन फाजिलका से दिल्ली, वाया हिसार–रेवाड़ी चलायें। जो कुछ हुआ उसके बारे में बताने के लिए संसद उचित मंच नहीं है। तो यह प्रोग्राम बन गया। लेकिन मंत्री जी ने ऐन मौके पर जाकर उस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया, मैं इसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता। कोटकपूरा, मुक्तसर और फाजिलका एशिया

के बड़े सम्पन्न बाजार हैं। यह कितने अफसोस की बात है कि प्रोग्राम बना, कार्ड छप गये और तमाम इंतजाम जो रेलवे डिपार्टमेंट ने किये, वे सब वहीं के वहीं रह गये और वह नई ट्रेन फाजिलका से दिल्ली, वाया कोटकपूरा से दिल्ली नहीं चलाई गयी मैं आपके जरिये अनुरोध करना चाहता हूं कि जहां सबसे ज्यादा कपास पैदा होती है, जहां पर बीट और पैडी का बहुत जोर रहता है। वहां के हर राज्य और उस क्षेत्र के लोगों की बड़ी मांग है कि फाजिलका से दिल्ली के लिए एक ट्रेन जल्दी चलाई जाये। मुझे मालूम है कि यह नयी गाड़ी नहीं मिल पायेगी। मेरा यहां बोलने का कोई असर नहीं होगा लेकिन मैं यह बात रिकार्ड में लाना चाहता हूं। उस वक्त जो यात्री गाड़ी गंगा नगर से निजामुद्दीन तक चलाई गयी है, उस गाड़ी को गिदड़बाह–मलोट पर रोकने के लिए सभी मिल गये हैं। जैसे मेरे कुलीग एम.पी. श्री कमल चौधरी को आंदोलन के लिए घेराव करना पड़ा।

आप हमारी गाड़ियां नहीं रोक रहे हैं, बन्द कर रहे हैं, कश्मीर मेल के संबंध में उनकी मांग पूरी की गई। उसी तरह से हमारे इलाके, गिदड़वाह और मलोट को इग्नोर किया। उस समय हमने बहुत बड़ी हाजिरी में कहा कि यदि यह गाड़ी नहीं रोकी जाएगी तो इससे इलाके के लोगों की बहुत देर से चली आ रही मांग पूरी नहीं होगी। इसलिए हमें ट्रैक पर लेटना पड़ा। उस गाड़ी को रोकने के लिए सत्तापक्ष के एक सदस्य को पटरी पर लेटना पड़ा क्योंकि 10 हजार लोगों का हजूम कह रहा था कि एक सब–डिविजन पर गाड़ी नहीं रोकी जा रही है। कुछ लोगों का जोर था कि केवल जंक्शन पर गाड़ी रूके लेकिन जब गाड़ी जंक्शन की बजाए दूसरी जगह पर रूकी तो लोगों की वह मांग प्रेशर के जरिए पूरी हुई। मुझे इस बात का अफसोस है।

मंत्री जी आ गए हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि उन्होंने जो हमसे बहुत बड़ा वादा किया था कि फाजिल्का से नई दिल्ली के लिए नई ट्रेन दी जाएगी, ट्रेन न दीजिए पर बॉयफरकेशन कर दीजिए। दैनिक एक्सप्रेस जो रोज आती है, उसके बदले जो गाड़ियां यहां से जाती हैं, उनको फाजिल्का तक बॉयफरकेट कर दीजिए। इंटर–सिटी भटिंडा से दिल्ली आती है। इसे फाजलिका तक बढ़ाया जा सकता है। फाजिल्का पाकिस्तान से केवल 4 किलोमीटर पर बार्डर का इलाका है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि उस मांग को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए।

आपने शताब्दी, राजधानी के रूट में बहुत गाड़ियां दीं, उसके लिए मैं पहले ही आभार व्यक्त कर चुका हूं। पंजाब का मालवा क्षेत्र हिसार, रेवाड़ी, सिरसा, भटिंडा, कोटकपूरा, फाजिल्का, मुक्तसर। आजादी के पहले जो पाकिस्तान के साथ बार्डर था, वहां भी आगे ट्रेन जाती थी। पहले वह इलाका फ्लरिश करता था लेकिन अब रेलवे मिनिस्ट्री ने मालवा रीजन को टोटली नैग्लैक्ट कर दिया है।

आपने ब्रॉडगेज लाइन दी, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। लेकिन यदि उस पर कोई नई शटल नहीं चलनी है तो मैं मानता हूं कि उस लाइन का कोई फायदा नहीं है। 4586 अप और 4587 डाउन भटिंडा से रात्री 12.00 बजे छूटती थी। वह गाड़ी कालका जाती थी और हमारे इलाके के लोग, जिनको हाई कोर्ट की तारीखें भुगतनी होती थी या सैक्रेटेरिएट जाना होता था, वे रात को ट्रेन में बैठकर सुबह चंडीगढ़ पहुंच जाते थे। उसका समय बदल दिया गया है। अब वह सुबह छः बजे पहुंचने के बजाए दोपहर को पहुंचती है जिससे लोगों को कोई फायदा नहीं होता। मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि उसके ओरिजनल टाइमिंग्स बहाल किए जाएं।

मैंने अनस्टार्ड क्वश्चन नम्बर 2393 पूछा था।

[अनुवाद]

"क्या आसपास के शहरों की यात्रा करने वाली जनता को हाल ही में चलाई गई हजरतबल निजामुद्दीन–श्री गंगानगर एक्सप्रेस का लाभ पहुंचाने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।"

[हिन्दी]

उसका यह जवाब आया।

[अनुवाद]

"भटिण्डा पर इस ट्रेन को विभाजित करने और इसके कुछ डिब्बे फाजिल्का के लिए चलाने की जांच की गई परन्तु परिचालनगत अड़चनों के कारण यह सम्भव नहीं पाया गया।"

[हिन्दी]

कमर्शियल ट्रैफिक, औपरेशनल रैसट्रेन्ट सुनते–सुनते बहुत समय हो गया। मैं रिक्वैस्ट करूंगा कि उसे बायफरकेट करें।

हिमाचल प्रदेश भारतवर्ष का सबसे खूबसूरत स्टेट है। वहां अंग्रेजों ने जो ट्रैक बिछाया और वहां जो गाड़ी जाती है, वही अब तक चली आ रही है। सुल्तानपुरी जो कि शिमला से चुन कर आये हैं, वह मेरी इस बात से सहमत होंगे कि कालका से शिमला तक उस ट्रैक से ऊपर न तो कोई सुधार हुआ है और न ही कोई नई गाड़ी चलायी गई, जबकि वहां सुधार करने की बहुत अधिक गुंजाइश है। मुझे आशा है कि मंत्री जी इस तरफ ध्यान देंगे।

चूंकि मंत्री जी यहां नहीं थे, इसलिये उन्हें मैं याद दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने 3 मार्च 1992 को फाजिल्का जाकर बॉर्डर के लोगों के साथ जो वायदा किया था कि मैं वहां के लिए नई ट्रेन दूंगा, उसको वह पूरा करें। आपके साथ फाइनान्स मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी भी जाने वाले थे, लेकिन कुछ हालात के कारण, मुझे नहीं मालूम कि वे कौन से हालात थे, मंत्री जी जानते होंगे, उनका वह प्रोग्राम कैंसिल हुआ। वह प्रोग्राम कैंसिल क्यों करवाय गया, स्टेट गवर्नमैंट की तरफ से हुआ या यहां से हुआ, मुझे नहीं मालूम। मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि यह ट्रेन वहां बहाल की जायेगी और निगलैक्टिड एरियाज हिसार, रिवाड़ी, सिरसा, भटिंडा, कोटकपूरा, मुक्तसर और फाजिल्का में नई ट्रेन की शुरूआत होगी। इसके साथ ही आप शताब्दी एक्सप्रेस का नया नाम सैयद मियां मीर जैसे महान फकीर के नाम पर या गोल्डन टैम्पल के नाम पर रखें।

[अनुवाद]

श्रीमती कमला कुमारी करंदृदुला (भद्राचलम) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं।

देश में रेलवें लाइनों में सुधार के लिए मैं माननीय रेल मंत्री को बधाई देता हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। और इसके अंतर्गत चार जिले और जनजाति क्षेत्र भी आते हैं। मैं आंध्र प्रदेश में भद्राचलम से कोब्बूर तक रेलवे लाइन के लिए वर्ष 1991 से मांग कर रही हूं। महोदय, हमारे माननीय मंत्री सभी शहरों और कस्बों के लिए नई लाईन स्वीकृत कर रहे हैं और इस तरह से शहरों और कस्बों का सुधार भी कर रहे हैं। मैंने इस रेल लाइन के लिए कितनी ही बार अनुरोध किया है।

4.18 म.प.

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

महोदय, जनजातियों की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए। चुनाव में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लोग अपना मत कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। मैं इस रेल लाइन के लिए पिछले तीन वर्षों से अनुरोध कर.रही हूं। मैं, माननीय रेल मंत्री से भद्राचलम से कोब्बूर तक रेल लाइन यथाशीघ्र स्वीकृत करने के लिए इस वर्ष भी अनुरोध करती हूं।

महोदय, भद्राचलम राम मंदिर के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। यह सभी लोग जानते हैं कि राम नवमी के पर्व पर यहां देश भर के लाखों लोग आते हैं। परन्तु, हाल ही में मैंने यह देखा कि देशभर के लोग यहां इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहां रेल लाइन नहीं है। मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करती हूं कि वे कृपया यह रेल लाइन इस वर्ष ही, अर्थात् 1994-95 में स्वीकृत करें।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक कोयला खान है। यह रेल लाइन बिछाकर हम कोयला खान का विकास कर सकते हैं। इस रेल लाइन से अत्यधिक लाभ होगा।

इस स्थान को रेल लाइन से जोड़ने के लिए रेलवे को 200 किलोमीटर की रेल लाइन बिछानी होगी। यदि यह लाइन बिछा दी जायेगी तो उसके बाद लोग यहां चार–पांच घंटे में यात्रा करके, पहुंच पायेंगे।

महोदय, इस लाइन के लिए माननीय मंत्री से वर्ष 1991 से ही अनुरोध कर रही हूं। मैं माननीय मंत्री से पुनः अनुरोध करती हूं कि वे निर्धन जनजाति के लोगों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कृपया इस लाइन को, जो भद्राचलन से कोब्बूर तक है, स्वीकृत करें।

श्री के. राममूर्ती टिंडिवनाम (टिंडिवनाम) : सभापति महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) और अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेलवे) का समर्थन करता हूं और मैं रेल मंत्रालय और विशेषतः माननीय मंत्री की प्रशंसा में दो शब्द कहना चाहता हूं। मैं माननीय रेल मंत्री को एकल आमान प्रणाली (यूनी गेज सिस्टम) शुरू करने के लिए बधाई देता हूं। जिससे तमिलनाडु में और समूचे दक्षिण भारत में आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। इसके अलावा, नई गाड़ियां शुरु करके, गाड़ियों की गति बढ़ाकरके रेलवे के कार्यकारण को एक नया रूप दिया गया है।

हालांकि मद्रास में "मद्रास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम" योजना के कार्यन्वयन के लिए गत कुछ वर्षों पहले ही स्वीकृति दे दी गई है फिर भी इस मामले में अब तक गम्भीरता से कार्य शुरू नहीं किया गया है। अक्सर हमें अनाधिकारिक रूप से यह सूचना मिलती रही कि इस योजना के लिए आवंटित धनराशि का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया गया है अथवा उसे अन्य मद के लिए लगा दिया गया है। मैं यह नहीं जानता कि इसमें कितनी सच्चाई है परन्तु यह सही है कि यह योजना अब तक पूरी नहीं हुई है। इस योजना से मद्रास शहर और राज्य का भी विकास होगा। परन्तु, इसमें विलम्ब किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस योजना को यथाशीघ्र कार्यान्वित करें।

मद्रास में सैंट्रल रेलवे स्टेशन का विस्तार किया जा रहा है और आरक्षण कार्यालय के लिए विशाल भवन निर्मित किया गया है। परन्तु रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क पर इतनी गन्दगी और भीड़-भाड़ है कि रेल यात्री बिना किसी परेशानी के रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच सकते हैं। इसकी जांच की जानी चाहिए। केवल रेलवे स्टेशन की सफाई कर देने और उसका विस्तार कर देने से काम नहीं चलेगा। रेलवे स्टेशन की ओर आने वाली सड़कों को साफ-सुथरा रखने और यात्रियों को आसानी से समय पर स्टेशन पहुंचकर गाड़ी पकड़ने के लिए तत्संबंधी उपाय करने की आवश्यकता है।

अब मैं, पेरम्बूर स्थित इंटिग्रल कोच फैक्टरी के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। इंटिग्रल कोच फैक्टरी में उत्पादन कम हो गया है और मुझे यह सूचना मिली है कि विभाग यह सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। मैं इस पर जोर देता हूं कि यह "इंटिग्रल कोच फैक्टरी" जो मद्रास की शान है और जिस पर दक्षिण भारत को नाज है, अपनी पूरी क्षमता और तेजी से कार्य जारी रखे।

मदुराई और करूर के बीच बड़ी लाइन का कार्य चालू हो गया है। परन्तु करूर-सेलम लाइन का कार्य धीमा हो गया है। इस संबंध में मुझे, पुनः यह बताया गया है कि धनराशि का उपयोग नहीं किया गया अथवा इसे अन्य मद के लिए लगा दिया गया है। माननीय मंत्री द्वारा इस मामले की जांच की जानी चाहिए। मुझे एक शिकायत करनी है कि सरकार तमिलनाडु में रेलवे लाइन के सुधार के लिए धनराशि स्वीकृत करती है परन्तु तमिलनाडु को समस्याग्रस्त स्थिति में छोड़कर इस राशि को अन्य राज्यों में सुधार के लिए लगाया जा रहा है।

जहां तक बड़ी लाइन का संबंध है। मदूराई-करूर लाइन तैयार हो गई है। परन्तु, सेलम वाली तैयार नहीं हुई है। जब तक यह कार्य पूरा नही हो जाता इस लाइन में एकल आमान (यूनीगेज) का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

माननीय मंत्री महोदय ने सभा में एकल आमान योजना की घोषणा करते समय यह आश्वासन दिया था कि त्रिची से मद्रास तक और मद्रास से त्रिची तक साथ-साथ एकल आमान (यूनीगेज) कार्य शुरू होगा। परन्तु, दुर्भाग्य से यह कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। मेरा माननीय मंत्री से अनुराध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि यह कार्य तेजी से किया जाए।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र टिंडिवनाम की बात कर रहा हूं कि ऐसा लगता है विभाग विल्लूपुरम–पांडिचेरी के बीच रेल आवागमन की बात भूल गया है। विल्लूपुरम से पांडिचेरी की दूरी लगभग चालीस किलोमीटर है। इस लाइन पर चलने वाली गाड़ी इस चालीस किलोमीटर की दूरी तीन घंटे में तय करती है जबकि बस इसी दूरी को लगभग पैंतालिस से पचास मिनट में तय करती है। जब तक इस पर ध्यान नहीं दिया जाता और इसमें परिवर्तन नहीं किया जाता तथा जब तक माननीय मंत्री इसे चुनौती मानकर पूरा करने हेतु रेल विभाग को निदेश नहीं देते इस लाइन में तेजी नहीं आयेगी। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है जिसे आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाया जा सकता है। परन्तु, दुर्भाग्य से रेल विभाग की लापरवाही के कारण, गाड़ियों के विलम्ब से चलने के कारण, यह लाइन घाटे में रहेगी। अतः, इसकी जांच की जानी चाहिए और इसमें सुधार किया जाना चाहिए।

विल्लूपुरम मद्रास के दक्षिण की ओर सबसे बड़ा रेल जंक्शन है। विल्लूपुरम जंक्शन से रेल लाइन सहायक (कोर्ड) लाइन और प्रमुख लाइन में बट जाती है। यहां फिर से एक बात पर ध्यान दिया जाना है। यह एक ऐसा स्टेशन है जहां से, एकल आमान प्रणाली (यूनीगेज सिस्टम) लागू होने बावजूद मीटर गेज और बड़ी लाइन दोनों का ही प्रयोग किया जा रहा है। बड़ी लाइन मद्रास से विल्लूपुरम होते हुए त्रिचि तक लगी हुई है और छोटी लाइन पांडिचेरी से विल्लुपुर तक है। दूसरी लाइन छोटी लाइन है जो त्रिचि से तंजावूर होते हुए विल्लूपुरम तक जाती है। तीसरी छोटी लाइन विल्लूपुरम से तिरूपति तक जाती है। तीसरी छोटी लाइन विल्लूपुरम से तिरूपति तक जाती है। ये तीन छोटी लाईन ऐसी हैं जिन्हें निकट भविष्य में बड़ी लाइन में बदला नहीं जा सकता है। अतः विल्लूपुरम एक महत्वपूर्ण जंक्शन है जो भविष्य में बड़ी लाइन और छोटी लाइन दोमों को ही संभालेगा। विल्लूपुरम में नगरपालिका है। यह हाल ही में जिला मुख्यालय भी बन गया है। अतः इसका अधिकतम सुधार किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि विल्लूपुरम में सुधार न के बराबर है। यहां विश्राम कक्ष नहीं है। रेलवे स्टेशन पर पेय जल के अभाव की समस्या पूरे सालभर बनी रहती है। यहा तक कि यात्रियों को भी पेय जल की समस्या का सामना करना पड़ता है। दक्षिण के अन्य जंक्शनों की तुलना में विल्लूपुरम जंक्शन में सफाई व्यवस्था बहुत ही घटिया है। इन सब बातों की जांच की जानी चाहिए और इनका सुधार किया जाना चाहिए।

विल्लूपुरम में एक रेलवे स्कूल है जिसे रेल विभाग चलाता है। इस विद्यालय का भवन किसी भी समय गिर सकता है। सभी कक्षाओं में छात्रों की संख्या निर्धारित संख्या से दोगुनी अथवा तीन गुनी अधिक है। अतः, एक अन्य भवन निर्मित किया जाना चाहिए और अध्यापकों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। मैंने इस मामले पर रेल प्राधिकारियों के साथ चर्चा की। परन्तु दुर्भाग्य से रेलवे विभाग की ओर से कोई न कोई बहाना बना दिया जाता है परन्तु, उनके पास कोई व्यावहारिक उत्तर नहीं होता। सम्भवतः अध्यापकों की संख्या को लेकर राज्य सरकार नाराज हैं। परन्तु, यदि रेलवे प्राधिकारी विद्यालय चलाना चाहते हैं तो वे इसे ठीक से चलाएं। यदि वे इसे सही तरीके से चला नहीं पा रहे हैं तो वे इसे रेल कर्मचारियों की सहकारी संस्था को सौंप दें जो इसे सम्भालने के लिए तैयार है। या तो वे सही ढंग से स्कूल चलाएं या फिर ऐसे लोगों को दे दें जो इसे बेहतर ढंग से चला सकें।

कुछ समय पहले दिल्ली–मद्रास राजधानी एक्सप्रेस चालू की गई थी। माननीय मंत्री जी की मैं काफी इज्जत करता हूं। मेरे मन में केरल के विरूद्ध कुछ नहीं है। पर दुर्भाग्यवश, इस गाड़ी को

त्रिवेन्द्रम तक बढ़ा दिया गया है। अब यह गाड़ी मद्रास जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस नहीं रही, बल्कि वह त्रिवेन्द्रम की राजधानी एक्सप्रेस हो गई जो मद्रास होते हुए त्रिवेन्द्रम जाती है। इसका तात्पर्य है, यात्री टैफिक को दिक्कत होना। यह सही बात नहीं है। आप मद्रास के प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं। बम्बई राजधानी एक्सप्रेस को बम्बई से आगे नहीं बढ़ाया गया है। कलकत्ता राजधानी एक्सप्रेस को कलकत्ते से आगे नहीं बढ़ाया गया है। लेकिन आप मद्रास राजधानी एक्सप्रेस को बढ़ा रहे हैं। क्या यह सही है ? क्या यह औचित्यपूर्ण है ? आप चाहें तो त्रिवेन्द्रम तक दूसरी राजधानी एक्सप्रेस चला सकते हैं। पर आप तमिलनाडु के लोगों की कीमत पर ऐसा नहीं कर सकते।

राजधानी एक्सप्रेस के किराए में गाड़ी में दिए जाने वाले भोजन का मूल्य शामिल नहीं किया ज़ाता। हमें यात्रियों के खर्च पर गाड़ी में भोजन दिया जा रहा है। मद्रास और बंगलौर के बीच चलने वाली शताबदी एक्सप्रेस के किराए में भी दिए जाने वाले भोजन का खर्च शामिल रहता है। परन्तु त्रिवेन्द्रम राजधानी एक्सप्रेस या मद्रास राजधानी एक्सप्रेस, मंत्री महोदय इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, के मामले में ऐसी बात नहीं है।

सभापति महोदय : श्री राममूर्ती कृपया अपनी बात समाप्त. करें।

श्री के. राममूर्ती टिंडिवनाम : मेरा सुझाव है कि राजधानी एक्सप्रेस के किराए में गाड़ी में दिए जाने वाले भोजन की कीमत भी शामिल की जाए। इस पर ध्यान दिया जाना है और इसमें सुधार होना चाहिए। जिस दिन से यह गाड़ी चलाई गई, उसी दिन से यह मांग है। पर रेलवे ने इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं कियां है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विल्लुपुरम के अतिरिक्त टिंडिवनाम एक अत्यंत महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन में काफी सुधार की आवश्यकता है। रेलवे स्टेशन के आस-पास काफी जमीन है। पूरा क्षेत्र अत्यंत ही प्रदूषित रहता है। पूरा शहर इस भूमि का प्रयोग शौचालय के रूप में कर रहा है। पर रेल प्रशासन को इस बात से कोई मतलब नहीं रहा हैं कि यह इलाका साफ रहे। मैं तुरंत कार्यवाही के लिए यह बात मंत्री जी के ध्यान में ला रहा हूं।

महोदय, मैं टिंडिवनाम में रहता हूं। कोई भी तेज रफ्तार वाली गाड़ी टिंडिवनाम स्टेशन पर नहीं रूकती। यहां से प्रतिदिन सरकारी और अन्य कार्यों के लिए लोग मद्रास जाते हैं। इस सेक्शन में बहुत सारे यात्री ऐसे हैं जो मद्रास जाकर उसी दिन वापस लौट जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि यात्रा करने वाली जनता के हित में कम से कम एक दो तेज रफ्तार वाली गाड़ियां टिंडिवनाम में रूकवाई जाएं।

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : महोदय, मैं केवल एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं, भाषण नहीं। पिछले सप्ताह बम्बई में रेल रोको आंदोलन हुआ था। मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है। पूर्वी रेलवे, पश्चिमी रेलवे और मध्य रेलवे के उपनगरीय ट्रैफिक तंत्र में यात्रा करने वाले साढ़े चालीस लाख यात्री नाटकीय कष्ट में सफर करते हैं। मंत्री जी, आपको इस बात की जानकारी है।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार ने बम्बई शहरी परिवहन परियोजन–दो (बी.यू.टी.पी.–दो) प्रस्तुत की है। सभापति, महोदय, आपने बम्बई के दैनिक यात्रियों की समस्या के विषय मे अत्यंत विस्तार से कहा है।

मैं केवल यही चाहता हूं कि मंत्री जी अपने उत्तर में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताएं कि बी.यू.टी.–दो की अद्यतन स्थिति क्या है ; यह परियोजना कब शुरू होगी ; इसके लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ; कौन इस पर धन लगाएगा, और क्या इसके लिए धन उपलब्ध है। अब वह समय आ गया है, जब इस शहर के दैनिक यात्री इस स्थिति को और अधिक बर्दाश्त नहीं कर पांएगे। उनके धैर्य की भी एक हद है। बम्बई में रहने वाले या वहां जाने वाले लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से यह स्पष्टीकरण देने का अनुरोध करूंगा।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (नागपुर) : महोदय, जो नागपुर सिटी है उसमें कलमेश्वर, कामठी, बूटबोरी, हिंगना और डिफेंस फैक्ट्री, इनका पूरा लोकल ट्रेन करने के लिए सर्वे हो चुका है। उसका इम्पलीमेंटेशन करने की दृष्टि से कार्यवाही होना जरूरी है, वहां के लोगों की यह मांग है। नागपुर शहर में 20 लाख लोग रहते हैं और इससे अरबन, रूरल ऐरिया के सभी लोगों को सुविधा मिल सकती है तो इस काम को जल्दी से पूरा कराया जाए।

महोदय, मेरा दूसरा निवेदन यह है कि रेलवे की एक जगह है, जो महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे को दी थी वहां पर एक स्लम है डोकर्न नगर, नागपुर जिसमें 15 हजार लोग रहते हैं उसको पूरी सुविधा स्टेट गवर्नमेंट और कार्पोरेशन ने दी है। वहां लाइट तथा रोड की भी पूरी सुविधा है। इस समय रेलवे का प्लान उन 15 हजार लोगों को वहां से निकालने का है तो जितनी जगह रेलवे को चाहिए, जितनी उनको आवश्यकता है उतनी उनको लेनी चाहिए और जो लोग उस जगह में रहते हैं उनका पुनर्वसन करना चाहिए और बाकी जो लोग वहां हैं उनको वहां रहने दिया जाना चाहिए। क्योंकि वे लोग बहुत गरीब हैं, 30-40 साल से वहां पर रह रहे हैं और वे माइनोरिटी से बिलोंग करते हैं। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि आप इस पर ध्यान दें।

[अनुवाद]

श्री सी.के. जाफर शरीफ : सभापति महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूं जिन्होंने वर्ष 1994-95 की अनुदानों की अनुपूरक मांगो और वर्ष 1991-92 की अतिरिक्त अनुदानों पर हुई चर्चा में भाग लिया। रेल पर होनें वाला हर वाद–विवाद मेरे लिए अधिक शिक्षा और जानकारी देने वाला होता है, क्योंकि बिना प्रतिसूचना के कोई सुधार नहीं कर सकंता। अतः मुझे वास्तव में काफी खुशी है और मुझे विश्वास है कि सभी रेलकर्मी भी अत्यंत प्रसन्न होंगें, क्योंकि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत रचनात्मक आलोचनाओं और विभिन्न सुझावों से वे लाभान्वित होते हैं। जहां तक संभव

होगा, हम सभी सुझावों को कार्यान्वयन के लिए याद रखेंगे। हमने माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए अधिकांश सुझाव नोट कर लिये हैं।

महोदय, श्री श्रीनिवासन ने इंटीग्रल कोच फैक्टरी, पेराम्बूर का कार्य–भार कम करके उसे आर. सी.एफ. को देने की बात कही है। यह एक भ्रम है। पता नहीं यह गलतफहमी या गलत प्रचार कैसे हुआ। मुझे मालूम नहीं किस तरफ से यह गलत प्रचार फैला है।

महोदय, जैसा कि हम सभी को पता है, बजट में प्रावधान कम हो गया है। मैं इसे माननीय सदस्यों की राय पर ही छोड़ता हूं। यह उन्हीं को तय करना है। सदस्य मात्र रेल बजट या ऐसी अनुपूरक मांगों पर ही चर्चा नहीं करते हैं बल्कि वे सलाहकार समितियों की बैठकों में अथवा रेलवे से जुड़े अन्य मंचों पर काफी प्रयासरत रहते हैं और रूचि दिखाते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि उनके इलाकों का, उनके निर्वाचन क्षेत्रों का विकास हो। हर कोई अपने इलाके के लोगों का आर्थिक विकास और कल्याण चाहता है।

महोदय, मैं यह नहीं भूल सकता कि गत दो तीन रेल बजटों पर वाद–विवाद के दौरान सदस्यों ने पूरी पूरी रात बैठने का कष्ट किया और वाद–विवाद अगली सुबह तक चलती रही। इस कारण हमें सोचना पड़ा और प्रधान मंत्री जी को भी संसद सदस्यों की चिंता और रूचि से अवगत कराया गया। हमें अत्यंत स्पष्ट रूप से और सोच समझकर दो विकल्पों में से कोई एक तय करना है। हम नेटवर्क का विस्तार करें अथवा इन वर्षों में जिस तरह हम कुछ पैरामीटरों पर धन निवेश करते आए हैं, उसी पारम्परिक दृष्टिकोण को अपनाएं। हम अपनी परिसम्पत्तियों, विशेषतः रॉलिंग भंडार का और अधिक प्रभावी ढ़ंग से उपयोग कर सकें, इसके लिए हमने कुछ कदम उठाए हैं। आज रेलवे के पास पर्याप्त संख्या में वैगनें और सवारी डिब्बे हैं।

हमारे पास इंजनों की कमी है। ट्रैफिक क्षेत्र में माल ट्रैफिक कम हो गया है। जो क्षेत्र हमें ट्रैफिक कम हो गया है। जो क्षेत्र हमें ट्रैफिक दिया करते थे, वे जितना ट्रैफिक देते थे, उतना दे नहीं पाए हैं। अतः हमारे पास अप्रयुक्त क्षमता उपलब्ध है और इसका उपयोग किया जा सकता है। आज यदि किसी को माल डिब्बों की आवश्यकता हो तो हम उसकी मांग पूरा करने को तैयार हैं। यही बात सवारी डिब्बों के साथ भी है। हमने अपनी प्रणाली तर्क संगत बना ली है, अतः हमारे पास अधिक सवारी डिब्बे होंगे। सच तो यह है कि हमारे पास पहले से ही काफी अधिक सवारी डिब्बे हैं। लोगों की आकांक्षाएं और संसद सदस्यों की इच्छाएं इस सभा के वाद–विवादों में उजागर होती हैं। इसी परिस्थिति में हमें सोचना पड़ा। हमने सोच समझ कर निर्णय लिया कि हम माल डिब्बों या सवारी डिब्बों पर करोड़ों रुपये खर्च करने के बजाए नेटवर्क के विस्तार पर अधिक ध्यान दें। महोदय, मैंने रेल बजट के पहले के वाद–विवादों में कहा है और पुनः कह रहा हूं कि मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि हमने किसी प्रमुख क्षेत्र की अवहेलना की है। हमने किसी भी नवीकरण या बदलाव पर पूंजीनिवेश में कोई समझौता या कटौती नहीं की है। नई लाइनों पर पूंजी निवेश में हमने कोई कमी नहीं की है। हमने रेल लाइनों के दोहरीकरण पर निवेश में कमी नहीं की है। सच तो यह है कि हमने पहले से कुछ अधिक ही दिया है।

जहां तक नई लाइनों का प्रश्न है, तो हमें दो बातों में से एक चुननी है। आमान परिवर्तन कार्यक्रम अर्थात् एकल आमान नीति जो हमने अपनाई है उससे हमें कुछ नए वैकल्पिक मार्ग मिले हैं। अतः वैकल्पिक मार्गों को ध्यान में रखते हुए हमें यह देखना होगा कि क्या हम नई लाइनें बनाना चालू रखें और क्या पहले से तैयार मार्गों पर हमें पर्याप्त ट्रैफिक मिल गया है।

महोदय, इस क्षेत्र में जहां देश के आर्थिक विकास के लिए आधारभूत ढांचे की आवश्यकता है, निवेश करने के पहले हमें विवेक पूर्ण ढंग से विचार कर उचित तरीके से निवेश कराना चाहिए।

महोदय, कुछ समय पहले संसद के कुछ माननीय सदस्यों विशेषकर केरल तथा तमिलनाडु के कुछ सदस्यों ने मुझसे कहा कि उनके राज्यों के लिए निर्धारित निवेश राशि को मेरे राज्य कर्नाटक में निवेश किया जा रहा है। शायद प्रत्येक रेल मंत्री को ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है। सौभाग्यावश, जब मैं अपनी बात कह रहा हूं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष महोदय भी मेरे बगल में बैठे हैं जिनके नियंत्रण, स्वीकृति एवं जानकारी के बिना कोई भी परियोजना शुरू नहीं की जा सकती और राशि को अन्य मदों पर खर्च नहीं किया जा सकता। हमें योजना आयोग को यह ठोस आश्वासन देना पड़ता है कि स्वीकृत एवं निर्धारित धनराशि को दूसरे मदों पर खर्च नहीं किया जाएगा। इसलिए यह धारणा गलत है कि रेलमंत्री जो चाहें कर सकते हैं। इस संबंध में मैं विभिन्न राज्यों के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि वे इस धारणा को मन से निकाल दें और प्रेस रिपोर्टों से प्रभावित न हों। कभी–कभी तथ्यों की पुष्टि किए बिना ही रिपोर्टें तैयार की जाती है; अथवा कुछ लोग ऐसा कह भी देते हैं। अतः उन लोगों के कथन से भ्रमित नहीं होना चाहिए। यदि उन्हें कोई शंका अथवा भय हो, तो वे देखकर के इस विषय में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। हम सभी रिकार्डों को उन्हें दिखाने और उन्हें संतुष्ट करने को तैयार हैं। मैं समझता हूं कि सदन के सभी सदस्य इस बात से सतुष्ट हैं।

श्री सी. श्रीनिवासन तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि कपूरथला में आई.सी.एफ. के कार्यभार को घटा कर इसे आर.सी.एफ. को सौंपा जा रहा है। पहले भी मैंने बताया था कि देश में सरकार के अधीन तीन कोच फैक्ट्रियां कार्यरत हैं, इसमें से दो रेल मंत्रालय के अधीन तथा एक रक्षा मंत्रालय के अधीन हैं। रेल मंत्रालय के अधीन कार्यरत दो फैक्ट्रियों में से एक आई. सी. एफ. पेरम्बूर, तमिलनाडू में है जबकि दूसरा कपूरथला, पंजाब में स्थित है। रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड फैक्ट्री मेरे निर्वाचन क्षेत्र बंगलौर में स्थित है।

जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि हमारी संशोधित नीति के कारण रेल डब्बों की आवश्यकता में कमी आई है। ऐसा सम्पत्तियों के अतिशय उपयोग के कारण भी हुआ है। इसलिए आर्डर कम कर दिए गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारे उत्पादन इकाईयों की क्षमता में कमी आ गई है। 1,000 से 2,000 डिब्बों से भी अधिक डिब्बों का उत्पादन किया गया है और यह जारी रहेगा। इतनी उत्पादन क्षमता है। लेकिन स्थिति यह है कि उतने डिब्बों की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए उत्पादन में कमी की गई है और सरकार ने दोनों ही चीजों में कमी कर दी है।

श्री आर. अन्बारासु (मद्रास मध्य) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब बड़ी लाइनों की लम्बी दूरी तक की आवश्यकता है तो निश्चय ही अधिक रेल डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी।

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है कृपया व्यवधान पैदा न करें।

श्री आर. अन्बारासु : मंत्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं। छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तन किए जाने के कारण अधिक रेल डिब्बों की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय के वक्तव्य के दौरान व्यवधान पैदा न करें। आप कोई स्पष्टीकरण वक्तव्य के अंत में मांग सकते हैं।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : दरअसल असली समस्या यही है। जब श्री आर. अन्बारासु मंत्री बनेंगे तो वे इसे समझ पाएंगे ....(व्यवधान)

आप कृपया थोड़ा धैर्य रखें ....(व्यवधान)

श्री मुरली देवरा : तब उन्हें वैगन संसाधनों की चिंता नहीं होगी।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : उन्हें सुनी–सुनाई बातों एवं अन्य धारणाओं के आधार पर बहस नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी कमियां हैं सदस्यगण उनके बारे में यहां कह सकते हैं। नौकरशाही सरकार को छल नहीं सकती। हम परस्पर विचार–विमर्श करते हैं। सरकार समीक्षा करती है। बजट तैयार करने के पहले रेलवे के सभी जोनों के साथ पर्वतन कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और इसी आधार पर मांग लाई जाती है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जितनी नयी गाड़ियां चलाई गई हैं उसकी संख्या शायद पिछली किसी पंचवर्षीय योजनाओं में चलाई गई गाड़ियों की संख्या से अधिक है। लोगों को यह समझना चाहिए। आप पिछले बजट को ही देख लें। कितनी गाड़ियों शुरू की गई ? हो सकता है इससे सभी लोग संतुष्ट नहीं हुए हों। मांग अधिक है। सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता और सभी की मांगों की पूर्ति नहीं हो सकती। मैं सदस्यों की बातों को मानने के लिए तैयार हूं यदि वे कह दें "ठीक है आप रेलवे लाइनों के विस्तार को छोड़ दें और वैगनों तथा डिब्बों पर ही ध्यान दें भले ही उनका प्रयोग हो या नहीं। इसे टर्मीनल के ऊपर रखा जा सकता है।" यदि आप पैसों की बरबादी चाहते हैं तो करें। आपको समझना चाहिए। जब पूरी रात बहस चले और एक के बाद दूसरा सदस्य अपने राज्य क्षेत्र अथवा चुनाव क्षेत्र के विकास की बात करें तो क्या हमें उन सब बातों को महत्व देना चाहिए। विशेषकर जब आप नई आर्थिक नीति नई औद्योगिक नीति, उदारीकरण नीति में निवेश की अपेक्षा करते हैं और जब आप रोजगार के अधिक अवसर सृजित किए जाने हेतु देश में औद्योगिकरण का विचार करते हैं। हमें सोचना चाहिए कि किस बात को प्राथमिकता दी जाए। इंटीगरल कोच फैक्ट्री, मद्रास के कार्यभार को रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला को सौंपे जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। डिब्बों

की मांगों में कमी होने के कारण दोनों ही कोच फैक्ट्रियों में डिब्बे बनाए जाने के आर्डर कम करने पड़े इसके बाद, इंटीगरल कोच फैक्ट्री, मद्रास में उत्पादन हेतु अधिक श्रम शक्ति की आवश्यकता वाले इलेक्ट्रिक मल्टिपल युनिटों, डीजल मल्टिपल युनिटों तथा ए.सी. कोचों की संख्या बढ़ा दी गई हैं। डिब्बों को वियतनाम में निर्यात किए जाने हेतु आई.सी.एफ. को आर्डर भी प्राप्त हुए हैं और इंटीगरल कोच फैक्ट्री, मद्रास में कन्टेनरों, टावर वैगनों तथा 'पैलेस आन व्हील' के लिए रेलों के निर्माण की भी योजना है।

जब मुझे ऐसा लगा, तो मुझे वास्तव में चिंता हुई। मैंने पेरम्बूर में आई.सी.एफ. प्रबंधन से पूछ कर इसकी जांच की। मुझे बताया गया कि इस वर्ष वहां भी समान कार्यभार है। पिछले वर्षों से तुलना कर मैंने उन्हें स्थिति की जानकारी दी। कम कार्यभार का प्रश्न नहीं है। पेरम्बूर कोच फैक्ट्री के कार्य को कपूरथला कोच फैक्ट्री को शौंपा जा रहा है। यह कहने का कोई आधार नहीं है। हमने ऐसा नहीं किया है। कपूरथला कोच फैक्ट्री तथा पेरम्बूर फैक्ट्री अपना–अपना कार्य पूर्ववत कर रही है। इसके विपरीत शंका को दूर करने के लिए मैं कहना चाहूंगा कि रक्षा मंत्रालय जो कि स्वंयं प्रधान मंत्री के नियंत्रण में है के अधीन कार्य करने वाला भारत अर्थ–मूवर्स लिमिटेड में डिब्बों के उत्पादन का कार्य हो रहा है। मेरे ही चुनाव क्षेत्र में धरना दिया जा रहा है। बंगलौर में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड में काम करने वाले लोग राज भवन गए थे। वे मुझसे मिले। वे यहां मजदूरों का शिष्टमंडल बना कर लाए। हम लोग कोई आर्डर नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले फैक्ट्रियों को देने के लिए ही कार्य नहीं हैं फिर बाहरी फैक्ट्रियों को आर्डर देने का प्रश्न ही नहीं है। प्रधान मंत्री ने भी कुछ नहीं कहा है। ऐसी स्थिति में किसी को कुछ कहना उचित नहीं होगा। प्रधान मंत्री का नजरिया स्पष्ट है और मैं यह भी बता दूं कि मेरा तथा मेरे मंत्रालय का नजरियां भी बहुत स्पष्ट है। हमने राजनीतिक विवशताओं का भी ख्याल नहीं किया।

सभापति महोदय, आपने मुम्बई स्थित उपनगरीय यात्रियों की समस्याओं के बारे में कहा। हम जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से इसकी स्थिति बड़ी खराब हैं। मैंने रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को वहां जाने का निर्देश दिया। बोर्ड के सभी सदस्य वहां गए और वहां दोनों महाप्रबंधकों से बातें की। यह कोई नई बात नहीं। जब कभी भी मानसून आता है, अत्यधिक वर्षा होती है तो इससे प्रभाव पड़ता है। श्री मुरली देवरा ने सही ही कहा कि मुम्बई उपनगरीय प्रणाली पर दबाव अधिक बढ़ रहा हैं हमने परिचालन समय में कमी कर ट्रेन सेवा की संख्या को बढ़ाने का भरसक प्रयास भी किया है। कुछ समय पहले महाराष्ट्र सरकार से वार्ता हुई थी। आपको पता है कि एस.आई.डी.सी.ओ. भी अपने नेटवर्क का विस्तार करने का प्रयास कर रही है।

जहां तक बी.यू.टी.पी.–II का सवाल है विश्व बैंक ने तीन अध्ययन कराने का प्रस्ताव किया है। अध्ययन के क्षेत्र तथा विचारार्थ विषयों पर विश्व बैंक मिशन तथा महाराष्ट्र सरकार के बीच विचार–विमर्श चल रहे हैं।

यह परियोजना विशिष्ट रूप से महाराष्ट्र सरकार की है और रेल मंत्रालय ने इसमें शामिल होने की सहमति जताई है। दूसरे दिन महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री यहां आए थें और यहां उनसे विचार–विमर्श हुआ। हमने कहा कि हम भी इसमें भाग लेंगे। बी.यू.टी. पी.–II के संबंध में यह स्थिति है। उपनगरीय

यातायात के संबंध में मानसून की वर्षा के बाद हमने मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे में सुधार कार्य शुरू किया है तथा इसके अनुकूल परिणाम निकल रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इससे मुम्बई के दैनिक यात्रियों की उम्मीदें पूरी होंगी।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही, श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री और श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे ने मुम्बई-हावड़ा लाईन के उड़ीसा वाले खंड, मध्य रेलवे के साथ जोड़े जाने वाले दक्षिण-मध्य रेलवे के मराठवाड़ा क्षेत्र, आमान परिवर्तन तथा वाराणसी स्टेशन को वाराणसी डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन रखे जाने के बारे में कहा। श्री चन्दूलाल चन्द्राकर ने मध्य प्रदेश में नए जोनल रेलवे मुख्यालय की स्थापना के लिए कहा। जैसा कि आपको मालूम है, रेलवे ने 8वीं योजना के दौरान आमान परिवर्तन का प्रोजैक्ट यूनीगेज नामक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। कोंकण रेलवे की स्थापना भी की जा रही है। इन विकास परियोजनाओं से वर्तमान जोनों और डिवीजनों के भौगोलिक क्षेत्र के पुनर्निधारण करने की आवश्यकता महसूस हुई है।

महोदय, इस पर मेरा दृष्टिकोण भिन्न है। आप सभी का याद होगा कि पिछले दिन पूणे में एक दुर्घटना हुई, जिसमें छोटे-छोटे स्कूली बच्चे हताहत हुए। जब मैं पूणे गया, मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पूणे उपनगर हुबली के क्षेत्राधिकार में आता है। जब तड़के प्रातः 2 बजे मेरा दौरा समाप्त होने को था, अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रबन्धक तब वहां पहुंचे। दूसरी बात यह है कि रेलवे का लेखा-जोखा भी कुछ विशेष किस्म का है। रेलवे कोयला, इस्पात खाद्यान्न, ईंधन-उत्पादन, उर्वरक आदि जैसे पारम्परिक यातायात पर निर्भर रही है। ऐसा नहीं है कि यातायात शुरू वाले स्थान से ये चीजें प्राप्त होती हैं, इन्हें सारा रेलवे नैटवर्क प्राप्त करता है क्योंकि यह भिन्न-भिन्न स्थानों से गुजरता है। अन्य सभी स्टेशन सेवा करते हैं। क्योंकि रेल लाईन वहां होकर गुजरती है, इसलिए हरएक पार्टी बन जाता है। यह मेरी व्यक्तिगत राय है और मैंने यह प्रशासन को स्पष्ट रूप से बता दिया है। इस प्रकार रेलवे विपणन पर बल देने में सक्षम नहीं हुआ है।

अलाभकारी लाईन के रूप में जानी जाने वाली एक शाखा लाईन को योजना आयोग ने हटाने की सिफारिश की थी, यह लाईन मेरे वैयक्तिक स्थान, मेरे गृह नगर में थी, इसलिए मुझे यह बात मालूम हुई। इसे हटाने की सिफारिश की गई थी। चूंकि, मुझे इस बात की जानकारी थी। मैंने इस बात पर बल दिया और पूछा कि क्या उन्होंने विपणन कार्य किया है। इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन स्थानीय लोग मुझे वहां ले गये।

5.00 म.प.

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चित्रदुर्ग से लगभग 150 करोड़ रुपये की सुपारी, पान पराग बनाने के लिए कानपुर और लखनऊ भेजी जा रही थी, यह सड़क द्वारा भेजी जा रही थी। अब, हमारे पास यूनीगेज प्रणाली है। वे मेरे पास आये और उन्होंने कहा "ढुलाई की समस्याओं के कारण, हम कभी भी नहीं भेजा करते हैं। यहां लम्बे समय से नुकसान होता रहा है। अब आपने इस लाईन को बदल दिया है, हम इस यातायात का लाभ उठाना चाहते हैं।" अतः हमने रेलवे को स्पष्ट

रूप से बता दिया है कि "किसी भी लाईन को अलाभप्रद लाईन घोषित करने से पहले, कृपया आपके मन में जो बात पहले थी उसके आधार पर कार्य मत कीजिये, क्योंकि आपके पास पारम्परिक यातायात था। हमें बिना समुचित औचित्य के पहले से ही उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के साथ छेड़–छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु, यदि आपने बाजार का सर्वेक्षण किया है, यदि आप पाते हैं कि वहां यातायात उपलब्ध नहीं है और यदि हमें घाटा हो रहा है, तब हमें घाटा नहीं उठाना है, हम इस पर निर्णय लेंगे।"

दूसरी बात मैंने यह पायी कि वहां कोई यूनिट लागत निर्धारित नहीं की गई है। रेलवे के पास एक बड़ी प्रणाली है, एक सुस्पष्ट, महत्वपूर्ण नैटवर्क है, जो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मैं नहीं समझता कि रेलवे के बिना देश का इतना आर्थिक विकास हुआ होता, क्योंकि हम इन चालीस वर्षों में विकास का कार्य करते आ रहे हैं। किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि एक रेलवे स्टेशन की व्यवस्था पर चाहे वह बड़ा हो अथवा छोटा अथवा रेलगाड़ी के प्रचालन पर कितनी यूनिट लागत आती है। हम 2,000 करोड़ रुपये का सामाजिक भार अथवा सामाजिक लागत वहन कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह किस आधार पर किया जा रहा है। यह मान लेने पर भी कि हमें 2,000 करोड़ रुपये मिल रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारी प्रणाली सही है, क्या हमने बार–बार मालभाड़े और किराये में वृद्धि करने से पहले सभी पक्षों की जांच की है। मैंने कुछ घाटे वाले क्षेत्र पाये हैं।

अतः मैंने उनसे इस पर कार्य करने को कहा। इसलिए, क्षेत्रींय कार्य के प्रयोजनार्थ और पर्यवेक्षण, सुरक्षा, कार्यक्षमता, आय आदि के दृष्टिकोण से डिवीजनों और जोनों को पूर्णतया नए क्षेत्राधिकार देने होंगे। इसकी जांच के लिए समिति बनाई गई है। समिति को तीन महीने का समय दिया गया है। यह समय अब लगभग पूरा होने को है। मुझे विश्वास है कि अगला बजट प्रस्तुत करने से पहले समिति हमें अपनी रिपोर्ट दे देगी, और रेलवे बोर्ड तथा रेलवे मंत्रालय कोई नीति बनाने में सक्षम होंगे। जिसे हम योजना आयोग और मत्रिमंडल को सौंप सकते हैं।

औरंगाबाद और मुम्बई के बीच नई सुपरफास्ट रेलगाड़ियां चलाने, चीतलागढ़ होते हुए झारसगुरा से मुम्बई तक नई रेलगाड़ी चलाने की भी मांग की गई है। श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही ने यह मांग पुनः की है। श्री वसंत पवार ने मांग की है कि भुसावल मनमाड यात्री गाड़ी को ईगधपुरी तक चलाया जाये। मध्य रेलवे से होकर दिल्ली के लिए नई शताब्दी तथा राजधानी एक्सप्रैस रेलगाड़ियां चलाने, वायनाड एक्सप्रैस को पालघाट तक चलाने की मांग की गई थी। इरोड़–एर्णाकुलम लाईन के विद्युतीकरण कार्य को जल्दी पूरा करने की भी मांग की गई थी। विद्युतीकरण यातायात की अधिकता पर आधारित है। माननीय सदस्यों ने कुछ क्षेत्रों के विद्युतीकरण की आवश्यकता के बारे में कहा है। निस्सन्देह, हमारा अन्तिम लक्ष्य विद्युतीकरण का है।

[हिन्दी]

श्री रामनिहारे राय : शक्तिनगर से नई ट्रेन चलाने के लिए मैं बराबर मांग कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री सी.के. जाफर शरीफ : विद्युतीकरण के लिए काफी निवेश की आवश्यकता है। हम जहां कहीं भी यातायात की अधिकता के आधार पर लाईन क्षमता में वृद्धि करना चाहते हैं तो विद्युतीकरण का कार्य शुरू करते हैं। उत्तर–दक्षिण मार्ग से हम इरोड़ गये हैं। अब, हमें तिरूवनन्तपुरम तक और जाना है। इस पृष्ठभूमि में हमने इरोड़–एर्णाकुलम लाईन का कार्य शुरु किया है, जिसे अन्ततः त्रिवेन्द्रम तक बनाया जायेगा।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र ने खड़गपुर–कुर्दा रोड़ लाईन के विद्युतीकरण के बारे में कहा है। खड़गपुर–भुवनेश्वर–कुर्दा रोड लाइन के विद्युतीकरण संबंधी प्रस्ताव स्वीकृति के लिए पहले ही योजना आयेग को भेजा गया है। जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

कैप्टेन अयूब खां ने सैनिक एक्सप्रैस को दिल्ली तक चलाने की आवश्यकता के बारे में कहा है। 9701-9702 सैनिक एक्सप्रैस को रिवाड़ी बांदीकुई सैक्शन के अवरोधों तथा सीकर और लोहारू सैक्शन पर 35 से 45 प्रतिशत तक की यात्रियों की कम संख्या के कारण रद्द कर दिया गया था। तथापि, जनता की जोरदार मांग को देखते हुए 1 जुलाई, 1994 से सींकर और रिवाड़ी के बीच सैनिक एक्सप्रेस को पुनः चलाया गया है। यातायात सर्वेक्षणों के अनुसार दिल्ली में टर्मिनल की सुविधाएं न होने के कारण इस रेलगाड़ी को दिल्ली तक चलाना सम्भव नहीं है। दिल्ली में प्लेटफार्म की समस्या है। एक बार हमारी टर्मिनल क्षमता में वृद्धि करने पर हम इस रेलगाड़ी को दिल्ली तक भी चला सकते हैं।

माननीय सदस्य फ्रिडा तोपनो ने उत्कल एक्सप्रैस को निजामुद्दीन स्टेशन से पुनः चलाने की मांग की है। इसके बाद विभिन्न और मुद्दों पर विचार किया जाना है। हम बी.आर.सी.सी. और अन्य सी.सी. का गठन कर रहे हैं। श्री पवन कुमार बंसल ने चंडीगढ़ में कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा के बारे में कहा है। मैं सभा को सूचित करना हूं कि चंडीगढ़ में 26 मार्च, 1994 से कंप्यूटरीकृत आरक्षण कम्पलैक्स ने पहले ही कार्य करना शुरू कर दिया है।

श्री उमराव सिंह : श्री बंसल ने सुझाव दिया है कि रेलवे स्टेशन में ही कंप्यूटरीकृत आरक्षण काउन्टर होना चाहिए।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : रेलगाड़ियों के समय में परिवर्तन जैसे तथा इस तरह के कई अन्य छोटे–छोटे मुद्दे हैं। हमें लाईन क्षमता तथा यातायात की अधिकता के दृष्टिकोण से इन सभी बातों की जांच करनी है। हम इन भागों की जांच करेंगे। मैं माननीय सदस्यों को इन सभी पक्षों के बारे में अवगत कराऊंगा। हमारा जिम्मेदार प्रशासन है। संसद के माननीय सदस्य जब हमें पत्र लिखते हैं तो उनमें भी नकारात्मक उत्तरों के बारे में कई शिकायतें लिखी होती हैं। जब मैंने पत्रों पर हस्ताक्षर किए थे, उस समय मैंने वास्तव में यह बात महसूस की थी। अधिकतर पत्र नकारात्मक ही थे।

5.11 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

महोदय, मैं आपको यह बता दूं कि हमने रेल मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के एक उप–दल का गठन किया है, जिसके संयोजक श्री सूरज मंडल हैं। यह तीन सदस्यों वाली एक लघु समिति है......................................(व्यवधान) मैं आपको परामर्शदात्री समिति के सदस्यों की मात्र प्रतिक्रिया से ही अवगत करा रहा हूं। परामर्शदात्री समिति के सदस्यों ने मुझे यह बताया कि जो उत्तर उन्हें पहले प्राप्त होते थे, उनमें से 25 से 30 प्रतिशत सकारात्मक होते थे, जबकि 70 प्रतिशत पत्र नकारात्मक होते थे। अब इसमें सुधार आ गया है। और सकारात्मक उत्तरों का प्रतिशत 60 हो गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि किस प्रकार ....(व्यवधान) ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो कुछ प्रशासन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है मंत्री उसी पर हस्तक्षर कर रहे हैं। यह बात समिति के उस उप–दल ने भी देखी है, जो छानबीन का काम भी करता है। निस्संदेह ही इसका अभिप्रास यह नहीं है कि उप–दल के गठन से प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट हो सकेगा। इसमें समस्याएं भी हो सकती हैं। जिनके बारे में उन्हें समझाया जाए कि वे इसे नहीं कर सकते। अभी भी तथ्य यही हैं कि मंत्रालय आंख मूंद कर कार्य नहीं करता है और वही करता है जो प्रशासन उसे करने के लिए कहता है। जो भी मैं कहने का प्रयत्न कर रहा हूं वह यह कि हमें इसकी छानबीन करनी होती है। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहता कि मैं आपको संतुष्ट कर रहा हूं। हो सकता है मैं आप को संतुष्ट कर पा रहा हूं या संतुष्ट नहीं भी कर पा रहा हूं। मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि हम यह देखने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं कि लोगों की आंकाक्षाओं की पूर्ति की जाए।

महोदय, मैं उन योजनाओं पर संक्षिप्त में प्रकाश डालूंगा, जिनके लिए अनुपूरक मांगें रखी गई हैं। दक्षिणी रेलवे के कोराकुपेट गुड्स टर्मिनल मुख्य लाईन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। यद्यपि यह स्थान दक्षिण–पश्चिम और उत्तर–पश्चिम के सन्निकट है। सभी माल डिब्बे टोंडरपेट मार्शलिंग यार्ड पर ही खाली कर दिए जाते हैं। जिसके परिणामस्वरूप वहां पर भारी मात्रा में माल इकट्ठा हो जाता है। वहां पर औसतन 48 घंटे तक माल रुक जाता है। इसीलिए चालू वर्ष के दौरान कोराकुपेट गुड्स टर्मिनल कार्य को हाथ में लेने और बिना बारी के अतिरिक्त माल उतारे जाने के कार्यों को हाथ में लिए जाने का विचार है।

राजस्थान में मीटर गेज लाइन पर एक गाड़ी 'पैलेस–आन–व्हील' चल रही है। यह गाड़ी यात्रियों में, विशेषकर विदेशी पर्यटकों में काफी लोकप्रिय हुई है। जैसा कि सभी को पता है कि इस क्षेत्र में मीटरगेज को बड़ी लाईन में परिवर्तित किया जा रहा है। इसलिए इस सेवा की निरन्तरता को बनाए रखने के लिए बड़ी लाईन की 'पैलेस–आन–व्हील' गाड़ी का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

महोदय, कई खण्ड़ों पर तो भारी दबाव भी है। इन खण्ड़ों में विद्यमान रेलपथ ढांचे के शीघ्र नवीकरण की आवश्यकता है, जिनकी पहचान भी कर ली गई है। इन खण्ड़ों पर रेलपथ नवीकरण अपरिहार्य हो गया है और इसीलिए इन खण्ड़ों पर चालू वर्ष के दौरान बिना बारी के ही कार्य हाथ में लिए जाने का विचार है। ऐसी छः परियोजनाएं हैं जिन पर 43.76 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

चालू वर्ष में 12.80 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव है। इन मांगों के माध्यम से 0.6 लाख रुपए की राशि के सांकेतिक अनुदान की मांग की गई है। शेष राशि मंजूर किए गए अनुदान से पुनः विनियोजन के माध्यम से हासिल की जाएगी।

दूसरे, रेलगाड़ी चालकों को पर्याप्त पूर्व–चेतावनी सुनिश्चित करके सुरक्षा में सुधार लाने के विचार से राजधानी के कतिपय मार्गों पर दूरी संकेत स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इस कार्य को चालू वर्ष के दौरान हाथ में लेने हेतु मात्र सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग ही की गयी है। शेष राशि की व्यवस्था मंजूर किए गए अनुदान में से पुनः विनियोजन के माध्यम से की जाएगी। विशादपुरम के निकट सड़क के ऊपरिपुल पर इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर उद्योगों की स्थापना से यातायात में कई गुणा वृद्धि हो गई है। इसलिए यातायात की भीड़–भाड़ की समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए एक 'केबल स्ट्रेट पुल' के निर्माण का प्रस्ताव है। यह कार्य बिना बारी के हाथ में लिये जाने का प्रस्ताव है। और मात्र सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग ही की गई है। शेष राशि की व्यवस्था मंजूर किए गए अनुदान से पुनः विनियोजन के द्वारा की जाएगी।

जैसा कि सभा को जानकारी भी है कि 1993-94 के मूल बजट प्राक्कलन में 2195 करोड़ रुपए की अधिक धनराशि का प्रस्ताव किया गया था। प्रमुख क्षेत्रों से भाड़े की प्राप्ति अपेक्षा से अत्यधिक कम रहने पर हमने व्यय में कटौती करके संशोधित प्राक्कलन के समय अभिकल्पित अधिक धनराशि को उसी स्तर पर ला दिया था। सभा को सूचित करते हुए मुझे यह प्रसन्नता हो रही है कि रेलवे अपने व्यय को मंजूर किए गए अनुदान के अंदर ही सीमित रख पाने में सफल रहा है। ऐसा रेलवे द्वारा अपने व्यय में नियंत्रण करने हेतु इमानदारी से ठोस कार्यवाही किए जाने के कारण ही सम्भव हो पाया है। तथापि माल भाड़े से हमारी आय अपेक्षा से कम रहने के मुख्य कारण ये थे कि प्रमुख क्षेत्रों ने रेलवे को कम माल दिया और विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों ने बकायों का भुगतान नहीं किया। वर्ष 1993-94 में राज्य विद्युत बोर्डों से 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि बकाया है। इन विपरीत कारकों के बावजूद 83 प्रतिशत के संशोधित आंकड़ों से सुधार करके संचालन अनुपात को 82.93 प्रतिशत तक रख पाना संभव हो सका है।

चालू वर्ष में निर्धारित राशि से 1970 करोड़ रुपए की अधिक धनराशि का लक्ष्य रखा गया है। नवीनतम संकेत ये मिल हैं कि रेलवे इस लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहेगा। यात्रियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसमें आय अपेक्षा से अधिक हुई है। किन्तु माल भाड़े में अपेक्षाओं से कुछ कम ही आय हुई है। इसका कारण भाड़े में औसत वृद्धि में आई कमी ही प्रतीत होती है। तथापि, यह एक प्रसन्नता की बात है कि इसमें अच्छी आर्थिक वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप माल को लम्बी दूरी तक ले जाने की आवश्यकता नहीं रही है. पिछले वर्ष में रेलवे द्वारा संचालन अनुपात में 2 प्रतिशत तक सुधार करने हेतु एक कार्य योजना आरम्भ की गई है। रेलवे द्वारा यह लक्ष्य अपने व्यय पर नियंत्रण और अपनी आय में वृद्धि करके हासिल किया जाएगा। नई विपणन नीति में न केवल अधिक माल उठाने पर जोर दिया जा रहा है, बल्कि कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया की सहायता से बहु–नमूना आधार पर उच्च दर वाले मूल्य–वृद्धि तैयार माल की बुकिंग पुनः हासिल करने पर भी जोर दिया जा रहा है। महोदय रेलवे में विकास संबंधी निवेश के वित्त–पोषण हेतु भारतीय रेल

वित्त निगम द्वारा 1050 करोड़ रुपए की राशि बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। बाजार स्थिति में परिवर्तन के साथ यह महसूस किया जा रहा है कि भारतीय रेल वित्त निगम बाजार से पूरी राशि उगाहने की स्थिति में होगी।

अधिक अनुदानों के संबंध में 1991-92 में अनुदान संख्या 6,8,13,14,15 और 16 में 294 करोड़ रुपए का अधिक व्यय किया गया। कुल मिलाकर अधिक व्यय अंतिम अनुदान का 1.21 प्रतिशत बनता है। लोक लेखा समिति ने 1991-92 में रेलवे में अधिक व्यय की जांच की है और व्यय को संस्वीकृत अनुदान के अनुरूप बनाए रखने पर गहन दृष्टि रखे जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। दिनांक 20 अप्रैल, 1994 को प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में लोक लेखा समिति की सिफारिशों के अनुसार अधिक व्यय को अब विनियमित करने की बात कही गई है।

महोदय, 16 अनुदानों में से मात्र पांच अनुदानों में ही अधिक व्यय किया गया था। रेलवे द्वारा. व्यय पर गहन निगरानी रखे जाने के परिणामस्वरूप शेष अनुदानों में 127 करोड़ रुपए की बचत हो पाई है। रेलवे को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश दिया गया है कि बजट प्राक्कलन वास्तविक तैयार किए जाने चाहिए और इतना अंतर पुनः नहीं होने पाए।

महोदय, अनुदान संख्या 14 और 15 के संबंध में यह बताया गया है कि इसका स्वरूप कुछ तकनीकी किस्म का है। यह सब 1991-92 के दौरान रेलवे के बेहतर वित्तीय निष्पादन के कारण संभव हुआ है। रेलवे 235 करोड़ रुपए की लक्षित अधिक राशि की तुलना में पेंशन कोष के विनियजनों में 1050 करोड़ रुपए के स्थान पर वृद्धि करके इसे 1180 करोड़ रुपए करने पर 435 करोड़ रुपए की अधिक राशि हासिल कर सकती थी। चूंकि वित्तीय निष्पादन बेहतर रहा, इसलिए रेलवे ने 74 करोड़ रुपए की आस्थगित लाभांश देयता को अदा किया जिसका पूर्व में बजट अनुमानों में प्रावधान नहीं किया गया था। रेलवे ने मध्य के पुनर्भगतान और इस पर देय ऋण के लिए सामान्य राजकोष में 338 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया।

महोदय, मैं रेलवे की सुरक्षा के संबंध में दक्षिण के सदस्यों द्वारा व्यक्त चिंता से पूर्ण रूप से सहमत हूं। हालांकि 1991-92 की तुलना में 1993-94 में दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है, फिर भी इस समस्या पर हम किसी प्रकार की ढील नहीं दे रहे हैं। वर्ष 1994-95 के पहले तीन महीनों में भी पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में दुर्घटनओं की संख्या में कमी आई है, तो भी मुझे यह नोट करके चिन्ता हुई है कि अन्य कारणों से हुई दुर्घटनाओं की तुलना में पटरी से उतरने की घटनाओं के मामले में स्थिति इतनी सही नहीं रही है। रेलपथ मानकों के कोटि–उन्नयन हेतु भी ठोस कदम उठाए गए हैं, जिससे इस क्षेत्र में भी अच्छा सुधार आ सके।

सभा ने जिस अन्य क्षेत्र में चिन्ता व्यक्त की है और बिना रेलवे कर्मचारी वाले रेल फाटकों के बारे में है। बिना कर्मचारी वाले रेल फाटकों पर इस प्रकार की दुर्घटनाएं रोकने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

1. रेल फाटकों पर किये जाने वाले एहतियाती उपायों पर सड़क पर चलने वाले वाहनों के चालकों हेतु टेलीविजन और रेडियो सहित जनसंचार माध्यमों के द्वारा गहन शिक्षाप्रद प्रचार।

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और भारतीय रेल अधिनियम, 1989 के अंतर्गत सड़क पर चलने वाले वाहनों के दोषी चालकों को पकड़ने के लिए सिविल अधिकारियों के साथ सहयोग करके संयुक्त रूप से अचानक जांच करना।

3. जन–जागरण कार्यक्रमों में ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों तथा अन्य एजेंसियों को शामिल करना।

4. रेल फाटकों के पास 'व्हिसिल बोर्ड' गति अवरोधक मार्ग–चिह्न तथा सफेद रंग के फाटक का प्रावधान सुनिश्चित करना तथा उनकी निगरानी करना।

5. सड़क पर चलने वाले वाहनों के चालकों और रेलगाड़ी के चालकों के लिए पर्याप्त दृष्टिगोचरता सुनिश्चित करना।

6. बिना चौकीदार वाले 500 रेलफाटकों पर चौकीदार की व्यवस्था करने के लिए 1994-95 के रेल बजट में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान करना।

7. बिना चौकीदार वाला कोई नया रेल फाटक न बनाने का निर्णय लिया गया है। यातयात में कमी के बावजूद चौकीदार वाले किसी वर्तमान रेल फाटक पर से चौकीदार न हटाने का भी निर्णय लिया गया है।

महोदय, मण्डलों के बारे में, मैं पहले ही कह चुका हूं। संसद सदस्यों ने नई रेल लाइनें बिछाने की मांग की है। रेल तंन्त्र के विस्तार की मांग हमारे पास उपलब्ध धन की अपेक्षा हमेशा ज्यादा रही है। रेल तंत्र में विस्तार और सेवाओं में सुधार करने के लिए अत्यधिक मात्रा में पैसे और सामग्री की आवश्यकता होती है। निरन्तर कम होते रेल बजट और अनेक राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा हमारे देयों भुगतान न किए जाने के कारण अनेक परियोजनाओं के लिए धन का आवन्टन करने की रेलवे की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है। अनेक परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इन निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 11,498 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। नई रेल लाइनें बिछाने के लिए 3,240 करोड़ रुपए, रेल लाइनों के दोहरीकरण के लिए 630 करोड़ रुपये, आमान परिवर्तन के लिए 2,438 करोड़ रुपये तथा विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए 1,347 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

महोदय, इतने अधिक खर्च को देखते हुए नई परियोजनायें शुरू करना वांछनीय नहीं होगा। उपलब्ध धन को चल रहे कार्यों के लिए पहले ही थोड़ा–थोड़ा दिया गया है। पर्याप्त धन उपलब्ध न होने के कारण परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती है। तथा उसमें समय भी अधिक लगता है। इसका भी उल्लेख किया गया है कि नासिक में यात्रियों के आरक्षण के कम्प्यूटरीकरण से संबंधित

कार्य को पहले ही 1994-95 के कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इरोडे–एर्णाकुलम के विद्युतीकरण का कार्य पहले से ही स्वीकृत है। संसाधनों की कमी के कारण इसके विद्युतीकरण का कार्य कई चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में इरोड़े–पालघाट का विद्युतीकरण किया जायेगा। खड़गपुर–भुवनेश्वर–खुर्दा मार्ग के विद्युतीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु योजना आयोग को भेजा गया है। जिसका इंतजार है। स्वीकृति मिलने पर मैं सभा के समक्ष उपस्थिति होऊंगा।

महोदय, केरल राज्य के एक माननीय सदस्य जिसका मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं, ने नवीकरण करने तथा बदलने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली रेल–पथ सामग्री का उल्लेख किया है। सभा को याद होगा कि 24 फरवरी, 1994 को अपने बजट भाषण में मैंने कहा था कि सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान योजना आयोग से स्वीकृति मिलने के बाद कुछ मार्गों के आमान परिवर्तन तथा नई रेल लाइन बिछाने की परियोजनायें शुरू करने का है। मुझे सभा को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि योजना आयोग ने निम्नलिखित कार्यों को मंजूरी दे दी है। निम्नलिखित परियोजनायें चालू वर्ष के दौरान ही शुरू कर दी जायेंगी –

मऊ	–	शगन	–	मीटर गेज से बड़ी लाइन
इनवारा	–	परासिया	–	मीटर गेज से बड़ी लाइन
मंगलोर	–	नरसिकराई	–	मीटर गेज से बड़ी लाइन

येलहंका बंगार पेट – मीटर गेज से बड़ी लाइन के प्रथम चरण के रूप में येलहंका चिकबालापुर और बांगर पेट कोलार और धुमका मंडीहिल

इस कार्य की अनुमानित लागत 433.83 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1994-95 के लिए 27 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। चूंकि इनमें से प्रत्येक कार्य नई सेवा का गठन करता है। इसलिए इस कार्य को भारत की आकस्मिकता निधि से 0.90 करोड़ रुपये निकालकर किया जायेगा, जैसा कि ऐसे मामलों में किया जाता है। भारत की आकस्मिकता निधि से इस प्रकार निकाले गए धन को अनुपूरक अनुदानों की मांगों जिसे मैं अगले सत्र के दौरान संसद में प्रस्तुत करूंगा, के माध्यम से पूरा कर दिया जायेगा।

मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगें 1994-95 और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें 1991-92 को सभा के विचारार्थ रखने हेतु स्वीकृत करता हूं।

श्री उमराव सिंह : महोदय, अमृतसर शताबदी एक्सप्रेस का नाम बदलकर 'गोलडेन टेम्पल एक्सप्रेस' करने के बारे में क्या हुआ ?

श्री पी.सी. चाक्को : महोदय, मंत्री जी ने अपने भाषण में मेरे नाम का गलत उल्लेख किया है। उन्हें मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। मंत्री ने उत्तर देते समय उल्लेख किया था कि केरल के एक सदस्य ने कहा था कि धन का उपयोग कर्नाटक में रेलवे के विकास के लिए किया जा रहा है। उन्हें गलत जानकारी दी गई, जो सही नहीं है। वे इसकी जांच कर सकते है। इसका रिकार्ड है। मेरे भाषण को दर्ज किया गया है। हम लोग इतने संकुचित दिमाग के नहीं हैं। हमारा संबंध कांग्रेस से है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि धन का उपयोग कर्नाटक में किया जा रहा है। इस बात की जांच करना मंत्री की जिम्मेवारी है कि धन का उपयोग कर्नाटक में किया जा रहा है अथवा किसी अन्य राज्य में। परन्तु तथ्य यह है कि रेल बजट प्रस्तुत किये जाने के पांच महीने बाद ही माननीय रेल मंत्री ने अब सभा में अनुपूरक अनुदानों की मांग रखी है। गत पांच महीनों में रेल बजट के कुल लगभग 7,000 करोड़ रुपए में से केरल को 30 करोड़ रुपये आवंटित किये गए थे और गत पांच महीनों के दौरान एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है। मैंने यही कहा था। मैंने यह भी कहा है कि रेलमार्गों को दोहरा करने के लिए क्विलन–त्रिवेन्द्रम रेल मार्ग के दोनों तरफ रखी गई निर्माण सामग्री को केरल के बाहर पहुंचा दिया गया है। जहां भी मैंने कर्नाटक के नाम का उल्लेख नहीं किया। यदि कर्नाटक में कोई विकास हो रहा है तो मैं श्री जाफर शरीफ से भी अधिक खुश हूं। परन्तु तथ्य तो तथ्य है। मैं चाहता हूं कि मंत्री इस मामले की जांच करें। मैंने केवल इतना कहा था कि केरल की उपेक्षा हो रही है। केरल को दी जाने वाली धनराशि अत्यन्त कम है। उस राशि को भी नहीं खर्च किया जा रहा है। मेरा यही आरोप था और मैं अभी भी उस पर कायम हूं।

श्री आर. अन्बारासु : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने लगभग 11 मुद्दों का उल्लेख किया था, पर मंत्री जी ने एक भी मुद्दे को नहीं छुआ। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि उस द्रुत परिवहन प्रणाली का क्या हुआ जिसे वर्ष 1983 में शुरू किया गया था परन्तु रेलवे प्राधिकारी आज तक 8.5 किलोमीटर लम्बाई भी पूरा नहीं कर सके हैं।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर लेंगे तथा इस परियोजना को 1995 के पहले पूरी कर लेंगे।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी कास्टीट्वेंसी नागपुर के बारे में कहा था कि 15-20 हजार लोग 40-50 साल से रहते हैं, लेकिन रोजना अधिकारी लोग उनको वहां से हटाने की धमकी देते हैं। हमने कहा है कि इनका पुनर्वास करना चाहिए और इस काम के लिए जितनी जमीन का आवश्यकता है, वह भी देने के लिए तैयार हैं। इस बारे में हम मंत्री जी से भी मिले हैं और मुख्य मंत्री जी से भी मिले हैं। लेकिन जब तक इनके पुनर्वास का कोई इंतजाम नहीं होता है, तब तक उनको न हटाया जाए। 40 साल से 15000 लोग वहां पर रह रहे हैं, जो कि बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन आज उनकी जान हमेशा मुट्ठी में रहती है। तो कम से कम जब तक कोई निर्णय नहीं होता, तब तक रेलवे के अधिकारी जाकर उनको रोज धमकियां तो न दें। वे लोग रोजाना हमारे पास आ जाते हैं, हमने इस बारे में कई बार कहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके बारे में मंत्री जी बताने की कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री उमराव सिंह : महोदय, चंडीगढ़ को लुधियाना से जोड़ने संबंधी हमारी मांग काफी दिनों से लम्बित है। हमारी दूसरी मांग है कि अमृतसर–दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस का नाम बदलकर स्वर्ण मंदिर एक्सप्रेस 'गोल्डन टेम्प्ल एक्सप्रेस' कर दिया जाये। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि नाम बदलने संबंधी इस मामले को मंजूरी क्यों नहीं दी जाती है। रेलगाड़ी का नाम बदलने से रेल मंत्रालय को कोई वित्तीय घाटा तो नहीं होने जा रहा।

उपाध्यक्ष महोदय : इस चर्चा ने काफी समय ले लिया है। मैं आपको यह सूचित करता हूं कि माननीय मंत्री इन सभी मुद्दों का जवाब देंगे जिन्हें आपने सभा में उठाया है। केवल तीन घंटों की अनुमति दी गई है। लेकिन हमने पहले ही साढ़े दस घंटे का समय इस बहस में ले लिया है। माननीय बरार साहब, यदि मंत्री सभी प्रश्नों का उत्तर दें तो और चार घंटे लगेंगे।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : उपाध्यक्ष महोदय, हमने 2-3 बार इस बारे में मंत्री महोदय को पत्र भी लिखे हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं आता है। वहां पर लोग बहुत परेशान हैं।

[अनुवाद]

श्री जगमीत सिंह बरार : महोदय, गत तीन वर्षों के दौरान हमने मंत्री जी को कम से कम 40 पत्र लिखे हैं कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र से लोग उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया गया। हम लगातार यह मांग करते रहे हैं कि चंड़ीगढ़ को लुधियाना के साथ जोड़ दिया जाये तथा अमृतसर दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस का नाम बदलकर स्वर्ण मंदिर एक्सप्रेस या फिर सैयद मीर मियां के नाम पर रख दिया जाय जिन्होंने स्वर्ण मंदिर की आधार शिला रखी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह बेहतर होगा कि आप मंत्री महोदय से मिलकर स्थिति स्पष्ट कर लें। वह आसानी से उपलब्ध हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री संत राम सिंगला : (पटियाला) : पिछले चालीस पैंतालीस सालों से पंजाब में एक इंच भी नई रेल लाइन नहीं बनी है। चंड़ीगढ़ पंजाब से लिंक नहीं हो रहा है। मालदा का जो रिजन है पटियाला से जाखल को नई रेल लाइन से लिंक करने का वह पचास साल से पड़ा हुआ है। इसको भी छोड़िए, हम दो सालों से स्टापेज की मांग कर रहे हैं, वह भी पूरी नहीं हो रही है (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अपने भाषण में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। आप माननीय मंत्री से अल्पावधि के दौरान प्रत्येक मुद्दे पर उत्तर की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई संदेह है तो आप कृपया माननीय मंत्री के साथ मिलकर बातचीत करके अपनी शंकाएं दूर कर सकते हैं मेंरे विचार से यही एक रास्ता है।

अब आगे चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप सभी को संतोषजनक उत्तर देंगे।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : कुछ भी हो, मैं आपका आभारी हूं तथा एक बात के मामले में बहुत खुश हूं कि मैं यह नहीं कह सकता कि मेरा यहां पर कोई विरोध नहीं है। (व्यवधान)

श्री पी.सी. चाक्को : महोदय, काश वे यहां होते।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : महोदय, मैं आपका आभारी हूं क्योंकि जैसा कि आपने ठीक ही कहा है कि सभी मुद्दों का उत्तर देना मेरे लिए कठिन होगा। ऐसे मुद्दों जिनका मैं यहां उत्तर न दे पाऊँ विशेषकर वे मुद्दे जो आज बहस के दौरान उठाये गये थे, मैं सदस्यों को उनका लिखित रूप से उत्तर भेज दूंगा क्योंकि मैं सभी सुझावों का यहां तुरन्त उत्तर नहीं दे सकता।

महोदय, मुझे जिस एक बात से दुःख हुआ है वह यह है कि मैंने सोचा था कि मेरी बातों से सदस्यगण संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन लगता है ऐसा नहीं है। मैंने कहा था और यह रिकार्ड में भी है, "इसका मतलब यह नहीं कि मैं सभी को संतुष्ट कर दूं।" जो मैंने महसूस किया वह यह था कि प्रशासन ने सकारात्मक उत्तर दिया है अथवा नकारात्मक यह देख पाना किसी मंत्री के लिए बहुत ही कठिन कार्य है।

मैं इस सदन का गत 25 वर्षों के दौरान मंत्री न होकर एक सदस्य भी रहा हूं। मेरी राय आप लोगों की राय से मिलती है। मेरा भी यही अनुभव रहा है। इसीलिए मैंने प्रशासन के उन्हीं उत्तरों को चुना है जो सामान्यतः जांच हेतु संसदीय समिति के समक्ष भेजे जाते हैं।" मैं आपसे कोई प्रमाणपत्र नहीं मांग रहा हूं। मैं प्रयासों द्वारा आपको संतुष्ट करना चाहता हूं। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपकी सभी आवश्यकतों को पूरा कर रहा हूं। यह संभव नहीं है। प्रशासन की अपनी समस्याएं हैं।

महोदय, उन सभी बातों को खत्म करने वह प्रथा जो पहले नहीं थी, को हटाने के लिए मैंने डी.आर. एमस के स्तर पर बैठक करने की प्रणाली शुरू की क्योंकि डी.आर.एम. एक स्थानीय अधिकारी होता है। ....(व्यवधान)

कृपया मेरी बात सुनें। आप लोगों ने अपनी बातें कहीं। कृपया मुझे बोलने दें।

डी.आर.एम. एक स्थानीय अधिकारी होता है अतः सदस्यों को अपने चुनाव क्षेत्र की अथवा स्थानीय समस्याओं को उनके पास ले जाना चाहिए। इसे मंत्री तक लाए जाने की आवश्यकता नहीं है। इसे डिविजनल स्तर पर ही सदस्यों एवं डी.आर.एम. की बैठक में निपटाया जा सकता है ....(व्यवधान) इसके बाद महाप्रबंधकों के स्तर पर बैठकें रखने की प्रणाली स्थापित की गई। इसके अतिरिक्त, जैसा की आप जानते हैं, एक औपचारिक सलाहकार समिति तथा नौ अनौपचारिक सलाहकार समितियां हैं जिनकी बैठकें होती हैं और इसमें सभी भाग लेते हैं। मुझे श्री चाक्कों से यह जानकर काफी खुशी हुई कि केरल के बुद्धिजीवी संकुचित मनोवृत्ति वाले नहीं हैं। मैं इस बात पर इनसे बिल्कुल सहमत हूं।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि मुझे नहीं मालूम है कि यह श्री चक्को ने कहा या अन्य किसी सदस्य ने, कि कायमकुलम–क्विलोन रेलवे लाइन दोहरीकरण के लिए लाई गई पटरियां तथा स्लीपर हटा लिए गए हैं तथा केरल के बाहर भेज दिए गए हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि केरल से उठाई गई पटरियां और स्लीपर पुरानी थीं जो नवीकरण और बदलने की प्रक्रिया के दौरान निकली थीं और उनकी केरल में किसी भी कार्य के लिए आवश्यकता नहीं थी अतः उन्हें विभिन्न स्थानों पर आमान परिवर्तन कार्य हेतु भेज दिया गया था।

जहां तक राशि का दूसरे मद से ले जाने का प्रश्न है, मैं अपने केरल के सहयोगियों को यह बताना चाहूंगा कि केरल में सभी कार्य समय–सूची के हिसाब से चल रहे हैं तथा चालू वर्ष 1994-95 के लिए निर्धारित किसी भी लक्ष्य को छोड़ा नहीं जायेगा। 1994-95 के लिए इन कार्यों के लिए निर्धारित पूरी राशि खर्च कर दी जायगी और इन कार्यों हेतु निर्धारित राशि को दूसरे मद में नहीं ले जाने दिया जायेगा।

महोदय, मुझे बताया गया है कि भूमि के आधिग्रहण में समय लगता है। इसलिए बिना जमीन अधिग्रहीत किए केवल राज्य सरकार के पास पैसे जमा करके आप कोई काम नहीं शुरू कर सकते हैं। यदिं ऐसी कोई बात होती है, तो किसी को तुरन्त इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि हम पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं या इसे दूसरे मद में ले जा रहे हैं। फिर भी मैं यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैं इस मामले को देखूंगा। यदि धनराशि दूसरे मद में मेरी जानकारी के बिना ले जाई गयी होगी तो मैं उसे देखूंगा और उसके औचित्य से मैं संतुष्ट हुआ कि यह उचित है और इससे किसी का नुकसान नहीं होगा केवल उसी स्थिति में मैं इसकी अनुमति दूंगा अन्यथा मैं आप लोगों को बुलाकर बातचीत करके स्थिति स्पष्ट करूंगा ....(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस : महोदय, मैंने इस मुद्दे को उठाया था.................................(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे क्षमा करें। हर चीज की एक सीमा होती है। जहां तक समय की बात है यह सभा बहुत ही उदार रही है। सभी अपना भाषण दे सकते थे और मुद्दों पर बारीकी से चर्चा कर सकते थे। अब यह हमारे ऊपर निर्भर है। हमारे पास समय की कमी है। कृपया मुझे आगे की कार्यवाही करने दें।

(व्यवधान)

श्री सी.के. जाफर शरीफ : दूसरा सुझाव जो शताब्दी एक्सप्रेस के पुनर्नामाकरण के बारे में है मुझे इस सुझाव की खुशी है। हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि जिस गाड़ी का हमने हाल में ही उद्‌घाटन किया है उसका नाम परिवर्तन करें अथवा सुझाए गए नाम की एक नई गाड़ी चलाई जाए। अतः हमें कुछ समय दें। हम पुनः आपसे बात करेंगे। मुझे इस संबंध में यही कहना हैं

महोदय, शेष बातों के संबंध में जैसा कि आपने ठीक ही समझा है और सुझाव दिया है कि हम उठाए गए मुद्दों पर सदस्यों को अलग–अलग पत्र भेज कर उनके विचार लेंगे।

अब मैं यह निवेदन करता हूं कि 1991-92 के लिए अतिरिक्त अनुदानों तथा 1994-95 के लिए अनुपूरक अनुदानों को पारित किया जाए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई शंका हो तो माननीय मंत्री ने विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से कहा है कि उठाए गए मुद्दों के संबंध में वे प्रत्येक सदस्य को पत्र लिखेंगे। फिर भी यदि कोई शंका रहा जाती है तो आप उनसे मिल सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं। अब हम कार्यवाही शुरू करें।

अब मैं 1994-95 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों (रेलवे) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 16 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ तीन में दिखाई गई अनुपूरक राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।"

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1994-95 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांग (रेल)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि
1	2	3
16 परिसम्पत्तियां–खरीद,	अन्य व्यय	रु.
निर्माण और बदलाव	रेलवे निधियां	12,000

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं 1991-92 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रैल) को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ दो में मांग संख्या 6,8,13 से 16 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1992 को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई अतिरिक्त राशियों से अनाधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1991-92 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (रेलवे)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत मांग की राशि
(1)	(2)	(3)
		रु.
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	16,47,50,076
8.	परिचालन व्यय–चल स्टाक और उपस्कर	7,78,63,334
13.	भविष्य निधि और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	37,79,30,598
14.	निधियों में विनियोग	87,36,39,308
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋणों की अदायगी और अति पूंजीकरण का परिशोधन	94,67,58,501
16.	परिसम्पत्तियां–खरीद, निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय	
	पूंजी	15,31,36,695
	रेलवे निधियां	34,58,39,864

S.46 म.प.

विनियोग (रेल) संख्यांक-5 विधेयक, 1994 *

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 9 पर विचार करेगी।

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : महोदय, मैं रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं। **

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अब यह प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :**

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* दिनांक 16 अगस्त 1994 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित/प्रस्तुत।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंड वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.49 म.प.

विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 1994*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 11 पर विचार आरम्भ करेगी।

रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई राशियों जो उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए स्वीकृत की गई राशियों से अधिक है, को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

* दिनांक 16.8.1994 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई राशियाँ, जो उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए स्वीकृत की गई राशियों से अधिक है, को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय यह प्रस्ताव करें कि विधेयक पर विचार किया जाये।

श्री सी.के. जाफर शरीफ : महोदय, मैं प्रस्ताव **करता हूं :

"कि 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई राशियों, जो उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए स्वीकृत की गई राशियों से अधिक है, को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार आरम्भ किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 31 मार्च, 1992 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई राशियों, जो उन सेवाओं और उस वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत की गई राशियों से अधिक है, को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से राशियों के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार आरम्भ किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित/प्रस्तुत।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड–1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री सी.के. ज़ाफर शरीफ़ : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.52 म.प.

राष्ट्रीय आवास नीति का अनुमोदन करने के बारे में संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रीय आवास नीति के बारे में मद संख्या 14 पर विचार आरम्भ करेंगे।

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा 9 जुलाई, 1992 को सभा पटल पर रखी गयी राष्ट्रीय आवास नीति का अनुमोदन करती है।"

महोदय, राष्ट्रीय आवास नीति, जिसे मैंने 9 जुलाई, 1992 को इस सम्मानित सभा में प्रस्तुत

किया था, के बारे में चर्चा आरम्भ करना मेरे लिए गर्व की बात है। ग़त दो वर्षों के दौरान सभी को अन्य अनेक मुद्दों पर चर्चा करनी पड़ी ओर इसलिए इस नीति के दस्तावेज पर चर्चा नहीं हो पायी। इसी बीच संसद की शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति ने इस नीति के दस्तावेज पूरी तरह से जांच कर ली है और उसने 21 दिसम्बर, 1993 को सभा के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। मेरे मंत्रालय ने प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर विचार किया है और इसके लिए आवश्यक की गई कार्यवाही टिप्पणी तैयार कर लिए गए हैं।

रोटी और कपड़े के साथ ही, मकान भी मनुष्य की मूल आवश्यकता है। इसके साथ ही यह उत्पादक कार्य है जिससे कई राष्ट्रीय नीति की लक्ष्य प्राप्ति होती है। इससे बचत और निवेश को बढ़ावा मिलता है, अतिरिक्त रोजगार का सृजन होता है; उत्पादकता बढ़ती है साथ ही स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा और कल्याण से संबंधित क्षेत्रों में सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है तथा आमतौर पर जीवन स्तर में सुधार होता है। आवास, अपने आप में परम उद्देश्य होने के अलावा, कई अन्य उद्देश्यों को पूरा करने का साधन भी है और इसलिए, इसे विश्वभर में उन्नति और विकास के प्रमुख स्रोत के रूप में मान्यता मिली है।

इस सम्मानित सभा के समक्ष इस समय अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई राष्ट्रीय आवास नीति पर इस संदर्भ में विचार किया जाना है। आठवें दशक के मध्य तक हमारे पास राष्ट्रीय स्तर पर आवास नीति नहीं थी। आठवीं लोक सभा की प्राक्कलन समिति ने वर्ष 1985-86 के लिए अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी कि सरकार द्वारा लोगों के रिहायशी स्थानों के योजनाबद्ध तरीके से विकास के लिए राष्ट्रीय आवास नीति तैयार की जानी चाहिए। तदनुसार पहली राष्ट्रीय आवास नीति तैयार हुई और इसे मई, 1988 में संसद के समक्ष रखा गया। सरकार द्वारा जनवरी, 1990 में घोषित कार्य योजना में राष्ट्रीय आवास नीति को पुनः तैयार करने की परिकल्पना की गई, जिसमें निर्धन लोगों के लिए और आवास वित्त प्रणाली में सुधार हेतु विशिष्ट कार्यक्रम भी दिए गए हैं। तदनुसार, सरकार द्वारा व्यापक विचार विमर्श के पश्चात राष्ट्रीय आवास नीति पुनः तैयार की गई और इसमें वर्ष 1988 के बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई परिवर्तनों का भी ध्यान रखा गया है। जिसमें विशेषतः वर्ष 2000 के लिए आवास हेतु अंतर्राष्ट्रीय नीति के बारे में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1989 में स्वीकृत किया गया संकल्प शामिल है।

इस समय सभा के समक्ष विचारार्थ रखे गए आवास नीति का दस्तावेज, आवास समस्या की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया गया और इसमें बड़ी संख्या में बेघर लोगों जिसमें झुग्गी–झोपड़ी में रहने वाले 50 मिलियन से भी अधिक लोग शामिल हैं, की स्थिति का ध्यान रखा गया है तथा भूमि और मकान की कीमतों और किराये में वृद्धि, शहरी भूमि में तेजी में कमी, पेय जल की अल्प उपलब्धता, स्वच्छता और अन्य सेवाओं में कमी और निर्धन लोगों का बढ़ता संघर्ष और समाज के कमजोर वर्गों द्वारा सस्ता आवास पाने के लिए बढ़ते हुए संघर्ष जैसी बातों का भी ध्यान रखा गया है।

मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय आवास नीति के बारे में मेरे मंत्रालय द्वारा परिचालित किए दस्तावेज का माननीय सदस्य अध्ययन कर चुके होंगे। इस नीति पर विस्तृत चर्चा न करते हुए मैं इन प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना चांहुगी।

सबसे पहले इस नीति का उद्देश्य ऐसे बेघर और कमजोर वर्गों तक पहुंचना है जिन्हें सरकार की सहायता की सर्वाधिक आवश्यकता है। यह नीति इसलिए बनायी गई है ताकि इससे लक्षित समूह के लोगों को विकसित भूमि, वित्त, समुचित भवन निर्माण सामग्री, सस्ती भवन निर्माण प्रौद्योगिकी और अधिक मूलभूत सुविधाओं के माध्यम से सस्ते आवास मिल सकें।

दूसरी बात यह है कि इस नीति में विभिन्न आवासीय आदानों को उपलब्ध कराने में बाधाओं को दूर करने तथा इसके लिए प्रभावी पद्धति का विकास करने हेतु अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से सरकार ने महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए अपनी भूमिका एक भवन निर्माता से बदल कर भवन उपलब्ध कराने वाले की बना ली है।

तीसरी बात, इस नीति में सरकार ने गैट सुविधा प्राप्त समूहों जैसे– आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, विकलांगों, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों, गरीब विधवाओं एवं अविवाहित महिलाओं को सुविधाजनक मूल्य पर आवास उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को दुहराया है।

अन्त में, इस नीति में गैर–सरकारी तथा समुदाय पर आधारित संगठनों को समाज के कम सुविधा प्राप्त वर्गों को पर्याप्त तथा सुविधाजनक मूल्य पर आवास उपलब्ध कराने की पूरी मान्यता दी गई है।

राष्ट्रीय आवास नीति को ध्यान में रख कर आवास क्षेत्र में पहले ही अनेक कदम उठाये जा चुके हैं।

संविधान (चौहत्तरवां) संशोधन अधिनियम, 1992 पारित किया गया है। इससे शहरी स्थानीय निकायों की विकेन्द्रीकरण की और प्रजाजांत्रिक शक्तियां प्राप्त हो गई हैं जिससे आवास एवं शहरी विकास को अवश्य ही नई गति मिलेगी।

एक आदर्श किराया नियंत्रण कानून बनाया गया है और इसे सभा पटल पर रख दिया गया है तथा स्वीकृति हेतु राज्यों को वितरित किया गया है। इससे देश में विशेषकर बड़े शहरों में आवासीय किराया बाजार की स्थिति में सुधार होने की आशा है।

एक मॉडल अपार्टमेन्ट ओनरशिप बिल तथा भवन निर्माताओं विकसित करने वालों के क्रियाकलापों को विनियमित करने हेतु मॉडल बिल बनाए गए हैं। तथा स्वीकृति हेतु राज्य सरकारों को परिचालित किये गये हैं।

संविधान (पचहत्तरवां) संशोधन अधिनियम, 1994 जो 15 मई, 1994 से लागू हुआ, से राज्य सरकारों को किराये संबंधी मुकदमों के शीघ्र निपटान करने हेतु राज्य स्तरीय किराया न्यायधिकरण बनाने में मदद मिलेगी।

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम, 1993 से सरकारी अधिकारियों को सरकारी स्थानों से अप्राधिकृत अधिभोगियों के संक्षिप्त बेदखली में मदद मिलेगी।

इसके अतिरिक्त, आवास क्षेत्र में संस्थागत वित्त, अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश तथा

केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बजटीय सहायता में वृद्धि करने हेतु ठोस कदम उठाए गए हैं। सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क के संबंध में अनेक राजकोषीय रियायतें दी गई हैं जिससे उद्यमियों को कृषि औद्योगिक अपशिष्टों का उपयोग कर कम लागत की भवन सामग्रियों के उत्पादन हेतु निर्माण एककों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों की प्रभावी तथा पूरी भागीदार के माध्यम से राष्ट्रीय आवास नीति को अक्षरशः क्रियान्वित करने के लिए कृतसंकल्प है क्योंकि अन्ततः राज्य सरकारें ही समय बद्ध कार्य योजनायें बनाने एवं अपनी प्राथमिकताओं तथा संसाधनों के अनुसार विभिन्न लक्ष्य ग्रुपों के लिए आवासीय योजनाओं को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अनुरोध करता हूं कि सभा इस ऐतिहासिक दस्तावेज पर विचार कर इसे अनुमोदित करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा 9 जुलाई, 1992 को सभापटल पर रखी गई राष्ट्रीय आवास नीति का अनुमोदन करती है।"

इस विषय पर चर्चा हेतु चार घण्टे का समय निर्धारित किया गया है। यदि प्रत्येक सदस्य आठ से दस मिनट तक बोलते हैं तो मेरे विचार से बहुत से सदस्य इस वाद-विवाद में बोल सकते हैं। आज बोलने के लिए पीठासीन अध्यक्ष के पास 27 सदस्यों के नाम हैं। अब श्री विजय कृष्ण हान्डिक बोलेंगे।

6.00 म.प.

श्री विजय कृष्ण हान्डिक (जोरहाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया श्रीमती शीला कौल द्वारा सभा पटल पर रखी गई राष्ट्रीय आवास नीति का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आवास की चिंताजनक स्थिति के मद्देनजर यह वर्तमान राष्ट्रीय आवास नीति अपने सभी सराहनीय उद्देश्यों और अच्छाइयों के होते हुए भी आवास के सम्बन्ध में ठोस यथार्थों की दृष्टि से संतोषजनक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हाण्डिक आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

अब सभा कल 17 अगस्त, 1994 के ग्यारह बजे म.पू. पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.01 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 17 अगस्त, 1994/26 श्रावण, 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।